

एम एस टी सी
लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)



MSTC
LIMITED
(A Govt. Of India Enterprise)



Recycling Waste
Protecting Environment
Promoting Growth

46

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report

2010-11

हमारे प्रेरणास्रोत माननीय मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्माजी एमएसटीसी के कार्यों की समीक्षा करते हुए
Our inspiring Minister Hon'ble Shri Beni Prasad Vermaji reviewing the work of MSTC



एमएसटीसी का जायजा लेते हुए
While taking stock of MSTC

माननीय केन्द्रीय इस्पात मंत्री अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एमएसटीसी सीएमडी से विचार विमर्श करते हुए।

Hon'ble Minister interacting CMD, MSTC with his high official team.



Looking Forward!
भविष्य की ओर

46

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report

2010-11

| | |
|--|----|
| निदेशक मंडल Board of Directors | 2 |
| दृष्टि एवं ध्येय Vision & Mission | 4 |
| अध्यक्षीय भाषण Chairman's Statement | 6 |
| निदेशक मंडल की रिपोर्ट Directors' Report | 8 |
| लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report | 31 |
| सीएजी की टिप्पणी Comments of CAG | 37 |
| तुलन-पत्र Balance Sheet | 38 |
| लाभ-हानि खाता Profit & Loss Accounts | 39 |
| तुलन-पत्र सार तथा कंपनी के सामान्य कारोबार की रूपरेखा Balance Sheet Abstract and Company's General Business Profile | 61 |
| नगद प्रवाह ब्यौरा Cash Flow Statement | 63 |
| सहायक कंपनी का विवरण Statement regarding subsidiary company | 64 |
| सहायक कंपनी का प्रतिवेदन एवं लेखा : फेरो स्कैप निगम लिमिटेड Accounts & Report of subsidiary company : Ferro Scrap Nigam Limited | |





श्री एस. के. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Shri S. K. Tripathi
Chairman and Managing Director

निदेशक मंडल Board of Directors



डॉ. दलीप सिंह, आईएएस
(20.10.10 तक)
Dr. Dalip Singh, IAS
(upto 20.10.10)



श्री जे. पी. शुक्ला
(20.10.10 से)
Shri J. P. Shukla
(from 20.10.10)



सुश्री अनुसुया बसु
(08.11.10 तक)
Ms. Anusua Basu
(upto 8.11.10)



श्री जी. एस. चुघ
Shri G. S. Chugh



श्री एल. सिद्धार्थ सिंह
Shri L. Siddhartha Singh



श्री ए. के. बसु
Shri A. K. Basu



श्री बी. बी. सिंह
Shri B. B. Singh



श्री के. एल. मेहरोत्रा
(13.12.2010 से)
Shri K. L. Mehrotra
(from 13.12.2010)



श्री डी. पी. सिंह
(20.06.2011 से)
Shri D. P. Singh
(from 20.06.2011)

प्रबंधन दल Management Team



श्री एस. एस. चौधुरी
मुख्य महा प्रबंधक (परिचालन)
Shri S. S. Chaudhuri
CGM (O)



सुश्री मधुमिता बसु
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Ms. Madhumita Basu
CVO



श्री ए. के. दस्तदार
मुख्य महाप्रबंधक (सीपी)
Shri A. K. Dastidar
CGM (CP)



श्री तापस बसु
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
Shri Tapas Basu
GM (F&A)



श्री अशोक कुमार
महाप्रबंधक (बीडी)
Shri Ashok Kumar
GM (BD)



श्री डी. चक्रवर्ती
महाप्रबंधक (ईआरओ)
Shri D. Chakraborty
GM (ERO)

कंपनी सचिव

श्री सुब्रत कुमार राय

Company Secretary

Shri Subrata Kumar Ray

लेखापरीक्षक

दास एंड प्रसाद
सनदी लेखापरीक्षक

Auditors

M/s. Das & Prasad
Chartered Accountants

बैंकर्स

आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नेशनल बैंक
युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन ओवरसीज बैंक

Bankers

ICICI Bank
HDFC Bank
Bank of India
Indian Bank
Union Bank of India
State Bank of India
Punjab National Bank
United Bank of India
Indian Overseas Bank

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय

225-सी आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड
कोलकाता 700 020
दूरभाष : (+91 33) 2290 0964, 2287 7557 / 0568 / 9627
फैक्स : (+91 33) 2287 8547, 2240 4176
E-mail : mstcindia@mstcindia.co.in

Registered & Head Office

225-C, Acharya Jagadish Chandra Bose Road
Kolkata 700 020
Phone : (+91 33) 2290 0964, 2287 7557 / 0568 / 9627
Fax : (+91 33) 2287 8547, 2240 4176
E-mail : mstcindia@mstcindia.co.in



दृष्टिकोण

व्यवसाय में विशेष रूप से इस्पात उद्योग के क्षेत्र में प्रभावी बी2बी संस्थान बन कर उभरना।

मिशन

एमएसटीसी जिन पदार्थों का व्यापार करता है उनके लिए बाजार को संगठित एवं विस्तार देने की कोशिश करेगा, जहां तक संभव होगा इ-कॉमर्स के माध्यम से जहां तक संभव होगा पारदर्शिता के साथ व्यवसाय करेगा।

लक्ष्य

- (क) देसी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों से इस्पात उद्योग के लिए थोक कच्चा माल पर विशेष बल के साथ एक विविधीकृत व्यापार संस्था के रूप में उभरना और इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घरानों के साथ क्रमिक रूप से संयुक्त रूप से गठबंधन बनाना, भंडारण पद्धति एवं लाजिस्टिक का विकास करना।
- (ख) सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के संगठनों के स्क्रेप और उद्भूत गौण माल, भंडार जो सेवा योग्य न हो इत्यादि के निपटारा के लिए योजना बनाना और आयोजित करना तथा ई-नीलामी को लोकप्रिय बनाना।
- (ग) उपरोक्त क्षेत्रों के साथ-साथ प्राइम प्रोडक्ट के ट्रांजक्शनल विक्रय में ई-कॉमर्स/ई-ट्रांजक्शन प्रोत्साहित करना।
- (घ) लगाई गई पूंजी पर इष्टतम आय और कुल लागत पर 15% आय प्राप्त करने के लिए उपरोक्त कार्य करना।
- (ङ) ग्राहकों, प्रिंसिपलों और अन्य व्यापार प्रतिष्ठानों को त्वरित और दक्ष संव्यवहार देकर ग्राहक की संतुष्टि सुनिश्चित करना।
- (च) एक सक्षम, प्रतिबद्ध और अभिप्रेरित कार्यस्थल का विकास करना और कायम रखना।
- (छ) उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त उद्यम को प्रोत्साहित करना है। यह संयुक्त उद्यम माईनिंग, लॉजिस्टिक, वेयरहाऊसिंग, बिक्री की वस्तुओं में मूल्य संयोजन के क्षेत्र में विशिष्ट डोमेन एक्सपर्ट के साथ किया जाना है।

VISION

To emerge as a dominant B2B player in the area of trading with particular emphasis on Steel Industry.

MISSION

MSTC will endeavour to organize and expand a market for the various commodities handled by it making the transactions as transparent as possible through extensive use of e-commerce.

OBJECTIVES

- a) To emerge as a diversified trading house with particular emphasis on bulk raw materials for steel industry sourced both indigenously and internationally and towards this end gradually build up tie-ups with international trading houses, develop warehousing system and logistics.
- b) To plan and organise disposal of scrap and secondary arisings, unserviceable stores, etc. of organisations, both in the public sector and private sector and to popularise e-auction.
- c) To promote e-commerce/e-transactions in above areas and also in transactional sale of prime products.
- d) To undertake these activities so as to ensure an optimum return on capital employed and to attain a return of 15% on the net worth.
- e) To ensure customers' satisfaction by providing prompt and efficient dealing with customers, principals and other business associates.
- f) To develop and maintain a competent, dedicated and motivated workforce.
- g) To achieve the aforesaid objectives, promote joint ventures with selected domain experts in the area of mining, logistics, warehousing, value addition to the merchandise etc.

आज एमएसटीसी मिनी रत्न कैटेगोरी-1 सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह शेड्यूल्य-बी कंपनी है। यह इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनाधीन है।

एमएसटीसी लिमिटेड का गठन 1964 में हुआ था। एक छोटी-सी ट्रेडिंग कंपनी आज एक बहुउत्पाद ट्रेडिंग कंपनी में बदल चुकी है। यह भारतीय उद्योग के इस्पात एवं संबंधित क्षेत्र के आयातित और देशीय कच्चे माल की सोर्सिंग करने के रूप में मुख्य भूमिका अदा कर रही है। एमएसटीसी का प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। इसका आज क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में है। शाखा कार्यालय बेंगलोर, बड़ौदा एवं विशाखापत्तनम में है। दो फिल्ड कार्यालय त्रिची और भोपाल में है।

एमएसटीसी आज निरंतर लाभ देने वाली कंपनी है। इसने राष्ट्र के लिए धन अर्जित किया है। लाभांश, कर और लाभ के माध्यम से इसने देश के राजस्व में अपना योगदान दिया है। 2010-11 में इस कंपनी का रिकार्ड करपूर्व लाभ रु.149.40 करोड़ है और इसकी आरक्षित राशि रु.503.00 करोड़ है।

एमएसटीसी स्क्रेप के पुनश्चक्रण में सहयोग करता है ताकि इनका कच्चे माल के रूप में औद्योगिक उपयोग हो सके। इससे लागत खर्च कम हो जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षा होती है और अंतिम रूप से पर्यावरण की रक्षा होती है। अगर औद्योगिक कचड़े का पुनश्चक्रण न किया जाय तो टोक्सिन वातावरण में घुल जाएगा और पर्यावरण को प्रदूषित करेगा और मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वर्ष 2010-11 में रु. 2568 करोड़ का स्क्रेप पुनश्चक्रण के लिए एमएसटीसी पोर्टल से इ-ऑक्सन के माध्यम से भारत के विभिन्न हिस्सों के ग्राहकों को बेचा गया है।

एमएसटीसी गरीबों के उत्थान के प्रति प्रतिबद्ध है और नैगमिक सामाजिक दायित्व के निर्वाह और समुचित सेवाओं के माध्यम से अलग तरह से सक्षम लोगों की गुणवत्ता को भी उन्नत करती है।

कारपोरेट गवर्नेन्स के दिशा-निर्देशों के अनुसार एमएसटीसी के पास वरिष्ठ प्रबंधकों की प्रतिबद्ध और सक्षम टीम है और छोटी, मगर शिक्षित एवं प्रभावकारी 316 कर्मचारियों की टीम कंपनी के विभिन्न कार्यालयों में है।

एमएसटीसी आज | MSTC TODAY

MSTC today is a category I, miniratna Public Sector Schedule B Company under the administrative control of Ministry of Steel, Govt. of India.

Incorporated in 1964, MSTC Ltd., a small trading company has grown into a large multiproduct diversified trading company serving the Indian industry by being a prime catalyst in sourcing of imported/domestic raw materials for the steel and allied sector.


Headquartered at Kolkata, MSTC today is having regional office at Kolkata, Delhi, Chennai and Mumbai with branch offices at Bangalore, Vadodara, and Visakhapatnam. Two field offices are located at Trichy and Bhopal.

MSTC today is a continuous profit making company creating wealth for the nation by a large contribution with its dividend, Taxes and profit. Company ended up the year 2010-11 with all time record profit before tax of Rs. 149.40 Crore and has created a reserve of Rs. 503.00 Crore.

MSTC facilitates in recycling of scrap for industrial use of raw materials and thereby reduces input cost, conserves natural resources and ultimately protects the environment. If industrial waste is not recycled, the toxins will mix with the atmosphere and cause damage to the environment and affecting human life adversely. In 2010-11, scrap worth Rs. 2568 crore was sold for recycling on MSTC's e-portal through e-auction for various customers spread all across India.


MSTC is committed to the upliftment of poor and improving the quality of life of "differently abled persons" by various CSR initiatives and appropriate services.

MSTC has a committed and competent team of senior management as per Corporate Governance guidelines and a small but qualified and effective team of 316 employees located at different offices of the company.





Recycling Waste Protecting Environment Promoting Growth



प्रिय सदस्यो,

मैं इस कंपनी के शेयरधारकों की 46 वीं वार्षिक साधारण सभा में संबोधन करते हुए अपने को सचमुच विशिष्ट महसूस कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आपसे अपना आनंद और खुशियां बांटना चाहता हूँ। यह दूसरा वर्ष है जब यह कंपनी अपनी व्यवसायिक रिकॉर्ड को तोड़ रही है।

2009-10 का समय एमएसटीसी के लिए मन्दी से बाहर आने का वर्ष था और 2010-11 अपने को जमाने का वर्ष था। कई बड़े व्यापारियों ने हमारे साथ व्यवसाय करना बंद कर दिया और छोटे सेवा-प्रदाताओं से प्रतिद्वंद्विता करते हुए हमने अपने मूल क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत बनायी है। अभिनव रणनीतियों को आत्मसात करने की वजह से यह संभव हुआ था। संभव इसलिए भी हुआ था कि एमएसटीसी टीम ने न केवल अपने व्यवसायिक मॉडल की समीक्षा और निगरानी की, बल्कि अपने प्रिंसपलों और ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने के लिए त्वरित पहल की। हमने अपने व्यवसाय में नयी सामग्री मसलन, मैंगानीज, चाय, कोयला, कृषि-उत्पाद तथा मानव-केश आदि को शामिल किया।

हमने चुनौतियों और कठोर प्रतिद्वंद्विताओं का सामना करते हुए भी इस वर्ष रु 14101 करोड़ का व्यवसाय किया। यह पिछले वर्ष से लगभग 11% अधिक है। मैं कर्मचारियों की निष्ठा, भारत सरकार, व्यवसायिक सहयोगियों के समर्थन तथा शेयरधारकों का हमारे प्रति भरोसे को स्वीकार करता हूँ। इसकी वजह से पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर व्यवसाय करना कंपनी के लिए संभव हो सका और अपने सभी हितधारकों की अपेक्षानुसार व्यवसाय कर सकी।

Dear Members,

I feel truly privileged to address the shareholders at 46th Annual General Meeting of the company. First of all I would like to share my joy and happiness on yet another year of record breaking performance of the company.

While 2009-10 was the year of recovery for MSTC, the year 2010-11 was the year of consolidation. Despite a few big customers stopping business with us and competition from small service providers, we have strengthened our position in our core area of activities. This was possible with adoption of innovative strategies, reviewing and monitoring of business models and prompt response by MSTC team to meet the requirements of our principals / customers. We have entered into business in new commodities like manganese, tea, coal, agri-products, human hair, etc.

Despite challenges and stiff competition, we ended up the year with a volume of business of ₹ 14,101 crore, which is around 11% more than the last year. I acknowledge the commitment of the employees, support of the Government, business associates and trust of the shareholders reposed on the management of the company. This enabled the company to perform better than the last year and deliver the expected performance for the benefit of all stake holders.

अब आपकी कंपनी में आठ निदेशक हैं। इनमें से तीन स्वतंत्र निदेशक हैं। यह निगमित अभिशासन दिशा-निर्देशों के अनुसार है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षण समिति नियमित बैठक करती है और वित्तीय लेन-देनों तथा ब्योरों पर निगरानी रखती है।

भारत सरकार के निगमित अभिशासन दिशा-निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ जब-जब आवश्यकता होती है आपकी कंपनी अभिशासन की बेहतर प्रचलन को आत्मसात करती है। आपकी कंपनी अपनी सामाजिक दायित्व के प्रति प्रतिबद्ध है। इस कंपनी ने देश के विभिन्न हिस्सों में प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य-सुरक्षा, पेय जल एवं स्वच्छता, निर्धनों के लिए व्यवसायिक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्थान की परियोजनाएं स्वीकार की हैं।

अध्यक्षीय भाषण

आपकी कंपनी ने इस वर्ष रु 149 करोड़ का कर पूर्व लाभ किया है। यह पिछले वर्ष से 10% अधिक है। आपके पास रु 503 करोड़ का एक समृद्ध आरक्षित निधि है। यह साल-दर-साल अर्जित लाभ से बनी है। इसकी वजह से भविष्य में विकास को दृष्टि में रखते हुए और अधिक व्यवसायिक कार्य करना संभव होगा।

एमएसटीसी के मूल कार्यों में एक कार्य है अपने ग्राहकों के लिए स्क्रेप और कचड़ा के पुनश्चक्रण में सहयोग करके आय अर्जन करना। इसकी वजह से प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षा तथा मुख्य उत्पादों के विनिर्माण में उर्जा की खपत को कम करने में एमएसटीसी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हम एमएसटीसीवासियों को इस बात का गर्व है कि भारत में यह कार्य करने वाली यह अकेली कंपनी है। एमएसटीसी प्रतिवर्ष रु 2568 करोड़ तक का स्क्रेप बेचा करती है।

हमने स्क्रेप प्रक्रमण संयंत्र में दीर्घ अवधि निवेश के लिए पहल आरंभ की है और अंततः शेयरधारकों के लिए संपद अर्जन करने के लिए शेयरधारकों के कोष के निवेश की आवश्यकता होगी। मैं आश्वस्त हूँ कि इस कंपनी के लिए व्यवसायिक संभावना उत्साहजनक है। नए व्यवसायिक क्षेत्र मसलन कृषि-उत्पाद, वन उत्पाद, तिरुपति मंदिर के मानव केश के ट्रेडिंग का आरंभ - इनकी मात्रा विपुल है और इसीलिए लाभप्रद है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि कर्नाटक में उदभूत आयरन ओर की विपुल मात्रा केवल एमएसटीसी के माध्यम से बेची जाए। हम अपने प्रिंसपलों को उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल सेवाएं देने के लिए अपने इ-कामर्स की संरचना को निरंतर बेहतर बना रहे हैं।

प्रिय सदस्यों! आप मेरे साथ इस बात पर सहमत होंगे कि हर कंपनी में कुछ क्षेत्र चिंता के दायरे में आते हैं। हमने 2008 में आभूषणों का निर्यात दुबई और पड़ोसी देशों को किया था।

हालांकि इसीजीसी ने उधारी की गारंटी ली थी, परंतु इसने हमारे दावे का अभी तक भुगतान नहीं किया है। हमलोगों ने भारत और दुबई में बसूली के लिए कानूनी कार्रवाईयां आरंभ कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि न्याय होगा और हमारी बकाया राशि हमें मिलेगी। वर्ष 2010-11 का वार्षिक रिपोर्ट आपके पास है। इसमें कंपनी के व्यवसाय के संबंध में विस्तार से बताया गया है। निष्कर्षतः मैं इसकी पुष्टि करता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि यह कंपनी शेयरधारकों के लिए आय करने के लिए, भविष्य में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, विकास दर को बनाए रखने के लिए और प्रचलन को मानने के लिए हर प्रयास करेगी।

मैं भारत सरकार के प्रति, सभी सार्वजनिक उपक्रमों, महत्वपूर्ण ग्राहकों और हितधारकों के प्रति हम पर भरोसा करने के लिए तथा निरंतर समर्थन देने के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

दशहरा एवं दीपावली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

जयहिंद।



एस के त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
46वीं वार्षिक साधारण सभा
20 सितम्बर, 2011

Your company is now having eight directors with three independent directors as per requirements of Corporate Governance Guidelines. The Audit Committee of the Board meets regularly and is vigilant on the financial transactions and statements.

Apart from complying with the Government's Corporate Governance Guidelines, your company is also adopting better governance practices wherever it is felt desirable. Your company is also committed to social responsibility and various social upliftment projects have been taken up throughout the country in the area of primary education and health care, drinking water and sanitation, vocational training for the poor etc.

CHAIRMAN'S STATEMENT

Your company closed the year with a Profit Before Tax of ₹149 crore which is around 10 % more than the last year. You have with you a healthy reserves of ₹ 503 crore, created out of profits earned from year to year. This will enable the company to take up additional business activities with an eye on growth in years to come.

One of the core areas of MSTC has been to facilitate recycling for creation of wealth for its customers from scrap and waste. MSTC therefore plays a major role in conserving natural resources and economising in consumption of energy in manufacture of prime products. We in MSTC are very proud of the fact that we are the only company engaged in this activity in India. MSTC sells reusable scrap to the extent of ₹ 2568 crore p.a.

We have also taken initiatives for long term investment in scrap processing plant and would be required to invest shareholders' fund for ultimate wealth creation for the shareholders.

I am confident of the encouraging business prospects for the company. New areas of business like trading in agricultural products, forest products, human hair from Tirupati Temple are being ventured into which are of immense volume and therefore lucrative. Recently, Hon'ble Supreme Court has ordered that huge quantity of iron ore raised in Karnataka to be sold through MSTC only. We are also gearing up our e-commerce infrastructure continuously to deliver desirable services to our principals.

Dear Members, you would agree with me that every organization has some area of concern. We have made jewelry export in the year 2008 to Dubai and neighboring countries. Though the credit was guaranteed by ECGC, ECGC have not settled our claim. We have already taken legal steps both in India and Dubai for recovery and have trust in the judiciaries of both the countries. We hope that the equity will prevail and we will be able to recover the outstanding dues.

The Report of the Board for the year 2010-11 is already with you having details of the performance of the company. To conclude, I reaffirm and assure all of you that all efforts are being made and shall be made in future to enhance business, maintain growth curve and follow practices for ultimate creation of wealth for the stakeholders of the company.

I am also thankful to the Government, sister PSUs, our valued customers and stakeholders for reposing faith in us and giving their continuous support.

Best wishes of Puja and Deepawali.

Jai Hind!



S. K. Tripathi
Chairman and Managing Director
46th Annual General Meeting
20th September, 2011

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारको,
एमएसटीसी लिमिटेड,

आपके निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के कारोबार और प्रचालन से संबंधित 46वीं वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ लेखा परीक्षित लेखे और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

क) एजेंसी व्यवसाय

इस साल एजेंसी व्यवसाय की कुल राशि **₹.8167.75** करोड़ है। पिछले वर्ष 2009-2010 में **₹. 6353.57** करोड़ थी। 2009-2010 के समानांतर 2010-2011 का विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

| व्यापार क्षेत्र | व्यवसाय की मात्रा (₹. करोड़ में) | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | 2010-11 | 2009-10 |
| स्क्रैप और मँगनीज की बिक्री | 2568.08 | 2015.83 |
| कोयले की बिक्री | 5565.48 | 4084.00 |
| कुल (क) | 8133.56 | 6099.83 |

ख) इ-प्रोक्योरमेंट

| व्यापार क्षेत्र | व्यवसाय की मात्रा (₹. करोड़ में) | |
|------------------|----------------------------------|----------------|
| | 2010-11 | 2009-10 |
| इ-प्रोक्योरमेंट | 34.19 | 253.74 |
| कुल (क+ख) | 8167.75 | 6353.57 |

ग) व्यापार

व्यापार प्रभाग द्वारा किए गए व्यवसाय की कुल राशि **₹. 5933.02** करोड़ है। पिछले वर्ष 2009-2010 में **₹. 6384.87** करोड़ थी। 2009-2010 के समानांतर 2010-2011 का विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

| व्यापार क्षेत्र | व्यवसाय की मात्रा (₹. करोड़ में) | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| | 2010-11 | 2009-10 |
| खरीद: | | |
| आयातित सामग्री | 2580.77 | 3783.92 |
| देशीय सामग्री | 3352.25 | 2395.87 |
| निर्यात | 0.00 | 205.08 |
| कुल (ग) | 5933.02 | 6384.87 |
| महायोग (क+ख+ग) | 14100.77 | 12738.44 |

DIRECTORS' REPORT

To

The Shareholders
MSTC Limited.

Directors are pleased to present the 46th Annual Report on the business and operation of the Company together with audited accounts and auditors report for the year ended 31st March 2011.

A) AGENCY BUSINESS

This year the total volume of Agency Business stands at **Rs. 8167.75 Cr.**, against **Rs. 6353.57 Cr.** in 2009-10. Break-up for the year 2010-11 vis-à-vis 2009-10 is as follows:

| Business Segment | Volume of Business (Rs. in Crore) | |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | 2010-11 | 2009-10 |
| Sale of Scrap & Manganese | 2568.08 | 2015.83 |
| Sale of Coal | 5565.48 | 4084.00 |
| Total (A) | 8133.56 | 6099.83 |


B) e-PROCUREMENT

| Business Segment | Volume of Business (Rs. in Crore) | |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|
| | 2010-11 | 2009-10 |
| e-Procurement | 34.19 | 253.74 |
| Total (A+B) | 8167.75 | 6353.57 |

C) TRADING

The performance of Trading Division shows a total volume of business of **Rs.5933.02 Cr.**, against **Rs.6384.87 Cr.** in 2009-10. Break-up for the year 2010-11 vis-à-vis 2009-10 is as follows:

| Business Segment | Volume of Business (Rs. in Crore) | |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | 2010-11 | 2009-10 |
| Procurement of: | | |
| Imported materials | 2580.77 | 3783.92 |
| Indigenous materials | 3352.25 | 2395.87 |
| Export | 0.00 | 205.08 |
| Total (C) | 5933.02 | 6384.87 |
| Grand Total (A+B+C) | 14100.77 | 12738.44 |



वित्त

करोत्तर लाभ रु. 99.16 करोड़ है। पिछले वर्ष रु.86.10 करोड़ था, यह पिछले वर्ष यानी 2009-2010 की तुलना में 16% अधिक है।

वर्ष 2010-2011 के लिए कंपनी का वित्तीय परिणाम नीचे दिया जा रहा है:-

(रु. 000 में)

| | 2010-11 | 2009-10 |
|------------------------------|-----------|-----------|
| व्यवसाय की मात्रा | 141007683 | 127384408 |
| कर पूर्व लाभ | 1494043 | 1359942 |
| कर | 502401 | 498980 |
| कर पश्चात लाभ | 991642 | 860962 |
| प्रदत्त पूंजी (इक्विटी) | 22000 | 22000 |
| आरक्षित निधि | 5030049 | 4062575 |
| लाभांश (%) | 100 | 783 |
| प्रति शेयर आय | 450.75 | 391.35 |
| <i>(अंकित मूल्य रु.10/-)</i> | | |

लाभांश

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल ने **100%** का लाभांश की सिफारिश की है। आगामी वार्षिक साधारण बैठक में घोषित होने पर शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

आरक्षित निधि

वर्ष 2010-11 में रु. 96.75 करोड़ को लाभ से सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण किया गया है, परिणाम स्वरूप 31.03.2011 को कंपनी का सामान्य आरक्षित निधि रु.503 करोड़ है। यह विगत वर्ष से 24% अधिक है।

एमएसटीसी का प्रमोशनल कार्यकलाप

वर्ष के दौरान एमएसटीसी ने व्यवसाय जगत में अपना ब्रांड इमेज बढ़ाने के लिए इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, नई दिल्ली और शिवरात्री मेला, मंडी में हिस्सा लिया। एमएसटीसी ने दशहरा मेला कुल्लू में भी हिस्सा लिया, जहां इस्पात मंत्रालय द्वारा

इस्पात पवेलियन बनाया गया था। समय-समय पर एमएसटीसी व्यवसायिक समाचार-पत्र एवं पत्रिकाओं में ब्रांडिंग मैटेरियल निकालती है। ब्रोसियर छपवाए जाते हैं और इसे स्टैकहोल्डर्स को वितरित किए जाते हैं।

FINANCIAL

Profit after tax stands at **Rs. 99.16 Crore** as against **Rs. 86.10 Crore** last year, which is **16%** more than last year. i.e. 2009-10.

Financial results of the company for the year 2010-11 are given below: -

(Rs. in '000)

| | 2010-11 | 2009-10 |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Volume of Business | 141007683 | 127384408 |
| Profit before tax | 1494043 | 1359942 |
| Tax | 502401 | 498980 |
| Profit after tax | 991642 | 860962 |
| Paid up capital (Equity) | 22000 | 22000 |
| Reserves | 5030049 | 4062575 |
| Dividend (%) | 100 | 783 |
| Earning per share | 450.75 | 391.35 |
| <i>(Face value Rs.10/-)</i> | | |

DIVIDEND

The directors have recommended a dividend of **100%** for the year ended 31st March, 2011. Dividend shall be paid to the shareholders once it is declared in ensuing Annual General Meeting.


RESERVES

During the year 2010-11 Rs. 96.75 crore have been transferred from profit to general reserves which stood at Rs. 503 cr as on 31st March 2011. There has been 24% increase in general reserves.

PROMOTIONAL ACTIVITIES

During the year, MSTC participated at India International Trade Fair held at Delhi and Shivratri Mela, Mandi, to create brand image among the business communities. MSTC also participated at Dushera Mela, where Steel Pavilion was organized by Ministry of Steel. Time to time,

MSTC released advertisements as branding exercise in the business news papers and magazines. Brochures are printed and distributed to the stakeholders.



विगत पांच वर्षों में आरक्षित
Reserves in last five years

सिस्टम प्रभाग

एमएसटीसी की सूचना तकनीकी (आईटी) पूरी तरह से नवीनतम है। एमएसटीसी व्यवसाय की निरंतरता के लिए सजग है और इ-कॉमर्स पोर्टल पर्याप्त अवसंरचना से परिपूर्ण है। कोलकाता केंद्र में हुई समस्या से निपटने के लिए मुंबई में एक डिजास्टर रिकवरी साइट है।

एमएसटीसी सूचना सुरक्षा के प्रति सचेत है। अधिकतम सुरक्षा प्राप्त करने के लिए फायरवाल, आईपीएस, एमएमडीओएस आदि की स्थापना करके सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी है।

एमएसटीसी को एसटीक्यूसी द्वारा आईएसओ 27001-2005 पुनः प्रमाणित किया गया है। डाटाबेस पर हो रहे प्रत्येक कार्यकलाप की निगरानी करने के लिए एक डीबी मॉनिटरिंग टूल की स्थापना की गई। किसी भी तरह से इसके लॉग को प्रभावित नहीं किया जा सकता है।

एमएसटीसी का इ-कॉमर्स विभाग भी आईएसओ 9001:2008 गुणवत्ता प्रमाणित है। एमएसटीसी ने आवधिक गहा और कमजोरी परीक्षण के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित किया है।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

वर्ष 2010-11 में कंपनी के व्यापार का विकास अग्रगामी है एवं प्रत्येक विभाग के हर स्तर के कर्मचारियों द्वारा किए गए सराहनीय योगदान का परिणाम है।

कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान न केवल उनके प्रयासों को उदाहरण योग्य बनाता है बल्कि लक्ष्य की एकता (यूनिटी ऑफ डायरेक्शन) भी स्थापित करता है।

मानव संसाधन विकास अपने प्रशिक्षण एवं

शिक्षा दोनों के समन्वय से वैयक्तिक और सांगठनिक दोनों स्तर पर निरंतर सुधार और विकास को सुनिश्चित करता है। एमएसटीसी का मानव संसाधन विकास विभाग व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में संगठित शिक्षा द्वारा ऐसा तैयार करता है कि वे उच्च स्तर के कार्य को अपने हाथ में ले सकें।

कर्मचारियों को विभागीय उद्देश्य एवं आवश्यकता के विश्लेषण के आधार पर प्रशिक्षित किया जाता है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों को संगत संस्थान एवं आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि में नामित किया गया था। वर्ष 2010-11 के लिए एम ओ यू लक्ष्य विधिवत रूप से प्राप्त किया गया था।

वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक प्रशिक्षण योजना निष्पादित की गई थी। कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक दोनों संवर्गों के लिए अधिकांश कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से किए गए हैं। उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विषय था- विदेश व्यापार, लॉजिस्टिक्स, डीबी2, बिजनेस कम्यूनिकेशन्स, कम्प्यूटर, नेटवर्क सिक्यूरिटी आदि।

SYSTEMS DIVISION

MSTC's IT Department is fully equipped with the latest state of the art technology.

MSTC is concerned on the issue of business continuity and as such, the e-commerce portal is equipped with adequate infrastructure. It has a Disaster Recovery Site at Mumbai to tackle any problem at the data centre at Kolkata.



माननीय इस्पात मन्त्री के साथ समीक्षा बैठक

Review meeting with Hon'ble Minister of Steel in progress.



इस्पात सचिव एमएसटीसी के सीएमडी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निदेश देते हुए।

Secretary (Steel) giving directions to CMD, MSTC & other senior officers at MSTC.

MSTC is also concerned on information security issues and has left no stone unturned to achieve maximum security by installing of Firewall, IPS, MMDOS, etc.

MSTC has also been re-certified by STQC for ISO 27001:2005. A DB Monitoring tool has been installed to check each and every activity on the database, the log of which cannot be manipulated by any means.

MSTC e-commerce division is also ISO 9001:2008 Quality certified. MSTC also ensures security through periodical penetration and vulnerability testing.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (HRD)

The performance of the Company in 2010-11 has continued its upward trend sustaining the growth exhibited all through the past years. For this commendable contribution was made by our employees at every level and department.

The contribution made by the employees not only exemplifies their efforts but also establishes the unity of direction.

Human Resources Development is a combination of Training and Education that ensures the continual improvement and growth of both the individual and the organization. MSTC Human Resource department prepares the individual to undertake a higher level of work through organized learning over a given period of time which enables performance improvement.

Employees are trained on the basis of the need analysis and the departmental objectives. They were nominated for relevant Institutional and In-house training programmes, Seminars, workshops, etc during the year. The MOU target for the year 2010-11 was duly achieved.

The Annual Training Plan for 2010-11 was executed and most of the programmes were conducted effectively both for executives and non-executives. Some of the areas / topics of such training programmes were Foreign Trade, Logistics, DB2, Business communication, Computers, Network Security, etc.

दस प्रबंधन प्रशिक्षुओं को एक महीने का इंडक्शन प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें क्लास रूम प्रशिक्षण, विभागीय प्रशिक्षण, औद्योगिक यात्रा एवं परिकल्पनात्मक प्रशिक्षण है। अगले वर्ष के लिए कंपनी का उद्देश्य कर्मचारियों की कोर सक्षमता बढ़ाने के लिए प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाना है।

कर्मचारी कंपनी के संसाधनों का एक अनिवार्य अंग हैं। इस अद्वितीय संसाधनों में संवृद्धि-कर्मचारियों के विकास द्वारा समर्थ प्रगतिगामी कंपनी की नींव रखी जाती है। एमएसटीसी का प्रबंधनवर्ग इस नीति पर पूरा विश्वास रखता है एवं इस पर आधारित कार्य योजना बनाता है।

कमजोर वर्गों का कल्याण

मानव संसाधन की विभिन्न प्रक्रियाओं विशेषतः नियुक्ति और पदोन्नति के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति-जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति और पदोन्नति किया जाता है। नियुक्ति एवं पदोन्नति के संदर्भ में लागू विधानों को मानने के लिए विशेष ध्यान रखता है। विभागीय पदोन्नति एवं चयन (भर्ती के मामले में) समितियाँ इन दोनों वर्गों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है।

कर्मचारियों को ऐसे तैयार किया जाता है, जिससे भविष्य में एमएसटीसी में उच्च पद ग्रहण कर सके। आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया था। वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी के 07 अनुसूचित जाति एवं 01 अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को इन-आऊस एवं संस्थागत कार्यक्रम में नामित किया गया था। इसके अलावा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए मानक में छूट दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त एमएसटीसी एससी/एसटी इम्प्लॉयज काउंसिल जो मुख्य रूप से कंपनी के कर्मचारियों के आरक्षित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम करती है, को सभी संभव सहयोग और सहायता उपलब्ध कराई गई।



सीएमडी एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए श्री पी.के.मिश्रा इस्पात सचिव के साथ

CMD signing MOU with Shri P. K. Mishra, Secretary (Steel), Govt. of India

progressive Company. MSTC management strongly believes in this principle and its action plans are based on the same.

WELFARE OF WEAKER SECTIONS

Various HR processes of the Company especially Recruitment and Promotion are carried out keeping in view the Government Directives regarding welfare of the weaker sections namely, SC/ST/OBC/PWD. Best efforts were made to comply with the directives in matters concerning recruitment and promotion. Adequate representations of these sections were ensured in both the Departmental Promotion Committees as well as Selection Committees (in case of recruitment).



वार्षिक खेल कार्यक्रम में भाग लेते हुए कर्मचारियों के साथ सीएमडी CMD participating in Annual Sports alongwith employees.

Employees are groomed to enable them to take up higher positions in future in MSTC. In order to improve the efficiency of the employees belonging to the reserved categories special attention was paid to their training and development in their respective fields of function. During the year 2010-11, 7 SC and 1 ST employees of the Company were sponsored for training programmes, both In-House and Institutional. Apart from this, relaxation in standard is given for the purpose of granting scholarships to the wards of the employees belonging to SC/ST community.

In addition, all possible cooperation and assistance were provided to the MSTC SC/ST Employees' Council, which functions primarily to safeguard the interest of the reserved section of employees of the Company.

**निशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन / IMPLEMENTATION OF THE PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 1995
2010-2011 (31.03.2011 की स्थिति के अनुसार) के दौरान निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन की स्थिति**

IMPLEMENTATION OF THE PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 1995

Status of implementation of the Persons with Disabilities Act, 1995 during the year 2010-2011 (As on 31-03-2011)

| कर्मचारियों की संख्या | निशक्त व्यक्तियों की संख्या | | कुल बीएल+एचआई+एलडी | निशक्त व्यक्तियों की % (कॉलम 3 एवं 1) | यदि कॉलम 4 में आंकड़े 3% से कम हों तो कारण बताएं | कमी को पूरा करने लिए की गई कार्रवाई |
|-----------------------|-----------------------------|---------|--------------------|--|---|--|
| Number of Employees | Number of Disabled Persons | | Total BL+HI+LD | % age of disabled persons (Col. 3 & Col.1) | In case figure in Col.4 is less than 3% reasons therefore | Action taken to fill up the short fall |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) |
| ग्रुप/Group | | एचआई/HI | एलडी/LD | | | |
| अ/A | 158 | - | 3 | 1.89 | | |
| ब/B | 63 | 1 | 1 | 3.17 | * | |
| स/C | 78 | - | 3 | 3.84 | | |
| द/D | 17 | - | - | शून्य/NIL | | |
| कुल/Total | 316 | 1 | 7 | 2.53 | | |

*समूह बी में कोई भर्ती नहीं की जा रही है। एलडी: लोकोमोटर डिसएबेल्ड/*No recruitment being done in Group B

परिभाषा:बीएल-अंधता अथवा कम दृष्टि, एचआई- श्रव्य सहायता/Legends: BL-Blindness or low vision HI-Hearing Impairment. LD: locomotor disabled

**31.03.2011 की स्थिति के अनुसार एमएसटीसी की जनशक्ति
MANPOWER STATISTICS OF MSTC AS ON 31-03-2011**

| | एचओ | इआरओ | एनआरओ | डब्ल्यूआरओ | एसआरओ | बैंगलोर | वाइजैग | भोपाल | हल्दिया | बड़ौदा | कुल |
|-------------------|-----|------|-------|------------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|
| | HO | ERO | NRO | WRO | SRO | BLR | VIZ | BHPL | HALD | VDORA | TOTAL |
| कार्यपालक/EX | 65 | 12 | 21 | 17 | 14 | 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 158 |
| गैर-कार्यपालक/NEX | 66 | 18 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 6 | 158 |

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिकों की स्थिति
SC/ST/OBC/PHYSICALLY HANDICAPPED/EX-SERVICEMEN (STATUS AS ON 31-03-2011)

| ग्रुप | कुल | एससी (%) | एसटी (%) | ओबीसी (%) | शारीरिक विकलांग(%) | भूतपूर्व सैनिक(%) |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|----------------------------|-------------------|
| GROUP | TOTAL | SC(%) | ST(%) | OBC(%) | PHYSICALLY HANDICAPPED (%) | EX-SERVICEMEN (%) |
| अ/A | 158 | 24 (15.18) | 8 (5.06) | 22 (13.92) | 3 (1.89) | शून्य/NIL |
| ब/B | 63 | 12 (19.04) | 3 (4.76) | शून्य/NIL | 2 (3.17) | 1 (1.58) |
| स/C | 78 | 21 (26.92) | 2 (2.56) | 13 (16.66) | 3 (3.84) | शून्य/NIL |
| द/D | 17 | 8 (47.05) | 1 (5.88) | 1 (5.88) | शून्य/NIL | शून्य/NIL |
| कुल/TOTAL | 316 | 65 (20.56) | 14 (4.43) | 36 (11.39) | 8 (2.53) | 1 (0.31) |

31.03.2011 को पुरुष/महिला की स्थिति/ MALE/FEMALE AS ON 31-03-2011

| | पुरुष/MALE | महिला/FEMALE | कुल/TOTAL |
|-------------------|------------|--------------|-----------|
| कार्यपालक/EX | 131 | 27 | 158 |
| गैर-कार्यपालक/NEX | 130 | 28 | 158 |
| कुल/TOTAL | 261 | 55 | 316 |

शिकायत निवारण तंत्र

शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके इसकी व्यवस्था एमएसटीसी के कारपोरेट वेबसाइट पर की गई है। इस पोर्टल पर कोई भी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकता/सकती है तथा शिकायत पर की गई कार्रवाई की स्थिति को भी देखा जा सकता है। यह जानने के लिए उस रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो शिकायत दर्ज करने के समय कंप्यूटर द्वारा प्रदान किया जाता है।

प्राप्त शिकायतों का प्रधान कार्यालय का केंद्रीय शिकायत कक्ष परीक्षण करता है। यह काम क्षेत्रीय/शाखा शिकायत कक्ष द्वारा भी किया जाता है और इसके साथ-साथ शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। एमएसटीसी के सभी क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में शिकायत कक्ष का निर्माण किया गया है।

वर्ष के दौरान मंत्रालय के निदेश के अनुसार हमारे निगमित वेबसाइट के होमपेज पर CPGRAMS (केंद्रीय लोक शिकायत और निगरानी प्रणाली निराकरण) से संपर्क करने के लिए एक लिंक उपलब्ध कराया गया है। कर्मचारी शिकायतों के समाधान के लिए, संगठन के आकार को देखते हुए विभागीय प्रधान, निदेशक एवं सीएमडी तक पहुंचना आसान है। सामूहिक प्रकृति के औपचारिक/अनौपचारिक शिकायतों का निवारण कार्मिक विभाग द्वारा विभागीय प्रधानों से विचार विमर्श के माध्यम से किया जा रहा है।

01.04.2010 से 31.03.2011 तक की अवधि के लिए जन शिकायतों की स्थिति

| 01.04.10 को बकाया शिकायतें | 2010-11 में पंजीकृत शिकायतें | 2010-11 में निपटायी गई शिकायतें | 01.04.11 को बकाया शिकायतें |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 3 | 37 | 38 | 2 |

इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम करने के लिए एक समिति भी गठित की गई है।

सूचना अधिकार अधिनियम

एमएसटीसी ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों में मांगी गई सूचनाएं सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप आवेदनकर्ताओं को दिए गए हैं। एमएसटीसी के प्रधान कार्यालय में सीपीआईओ/पीआईओ के लिए अधिकारियों को नामित किया गया है। क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय में भी पीआईओ/एपीआईओ इस उद्देश्य के लिए बनाया गया है कि आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों पर प्रभावशाली ढंग से कार्रवाई हो सके। सभी तिमाही रिपोर्ट ऑन-लाइन प्रस्तुत किए गए हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान कुल 70 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप संसाधित किए गए हैं।

GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

A link in the corporate website of MSTC Ltd. for online registration of public grievances has been provided. Under this portal, the complainant can register grievance as well as view the status with the help of a unique system-generated registration number provided at the time of lodging of the grievance.

The grievances received are examined by the Central Grievance Cell at HO and also by the Regional/Branch Grievance Cells and necessary steps taken for redressal of the grievance. Grievance Cells have also been constituted in all regions and branch offices of MSTC.

During the year, in accordance with Ministry's direction, a link for CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) is also provided in the homepage of our corporate website.

Considering the size of the organization, the employees have easy access to the HODs, Directors and CMD for resolving the employee grievances. The formal/informal grievances of a collective nature are being addressed by the Personnel Department in consultation with HODs occasionally.

Statement of Public Grievances for the period of 01.04.10 to 31.03.11

| Grievances outstanding as on 01.04.10 | Grievances registered in 2010-11 | Grievances redressed in 2010-11 | Grievances outstanding as on 01.04.11 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 3 | 37 | 38 | 2 |

In line with the Supreme Court judgment, a committee has also been constituted for prevention of sexual harassment of women at work place.

RIGHT TO INFORMATION ACT

MSTC has complied with the provisions of Right to Information Act 2005 for providing information sought under the RTI Act 2005. MSTC has nominated a CPIO and a PIO in the Head Office as well as every region/branch has a PIO and an APIO for effectively processing the RTI applications received at various locations of the company. All the quarterly reports have been submitted online. During 2010-11 total 70 applications have been received which have been processed as per the rules of the RTI Act 2005.

राजभाषा

एमएसटीसी राजभाषा त्रिमास के उद्घाटन समारोह में सीएमडी, श्री एस के त्रिपाठी ने भाषण दिया और उच्च वर्ग के प्राधिकारी उपस्थित थे। 09.07.10 को उद्घाटन समारोह किया गया था। राजभाषा त्रिमास के दौरान, प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में तीन हिंदी प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। चित्रकथा, हिंदी कार्यालयीन शब्द और आशुभाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। कुल 18 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कृत किए गए हैं। 14.09.10 को आयोजित हिंदी दिवस पर श्री बी बी सिंह, निदेशक वाणिज्यिक ने भाषण दिया है।

सतर्कता

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की शुद्धता, अखंडता एवं दक्षता के रखरखाव की प्राथमिक जिम्मेदारी उपक्रमों के प्रधान का है। सीवीओ संगठन में सतर्कता से संबंधित सभी विषयों में विशेष सलाहकार के रूप में कार्य करता है और प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों एवं सीवीसी के बीच संपर्क करता है। निगम के अन्य इकाइयों/विभागों के सहयोग से कार्य करता है।

एमएसटीसी ने लगातार भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया है। सतर्कता विभाग ने भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए निरोधक के प्रभावी उपाय अपनाने पर जोर डाला है। संगठन के कार्यकलाप में पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए भी जोर डाला है।

एमएसटीसी के वेबसाईट www.mstcindia.co.in पर ऑनलाइन शिकायत एवं निगरानी प्रणाली के लिए एक सतर्कता पृष्ठ रखा गया है।

संगठन के प्रायोगिकी के उपयोग में वृद्धि के परिणामस्वरूप ग्राहकों का समर्थन जारी रहा है, जिसके फलस्वरूप व्यवसाय के चारों तरफ सुधार है। इ-नीलामी, इ-रिवर्स ऑक्शन एवं इ-भुगतान के माध्यम से पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के लिए प्रधान क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग अत्यधिक किया गया था।

वर्ष के दौरान नियमित रूप से निरीक्षण किया गया था और फीडबैक के आधार पर सुधारात्मक/निवारक उपायों का सुझाव दिया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सरल और सुचारु बनाए जाने के लिए व्यापार संबंधित ड्रिल नियम पुस्तिकाओं का अद्यतीकरण पर विशेष जोर दिया गया था। इसके अतिरिक्त स्टैकहोल्डरों को गुणवत्ता आश्वासन देने के लिए एमएसटीसी के सतर्कता स्कंध ने आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन प्राप्त किया और इसको आईएसओ 9001:2008 मानक में अद्यतन किया गया है।

OFFICIAL LANGUAGE

On the occasion of inaugural ceremony of MSTC Rajbhasha Trimas, CMD, Shri S.K. Tripathy delivered speech and senior executives were present. The inaugural ceremony was held on 09.7.10. During Rajbhasha Trimas, three Hindi competitions and workshops were organized in Head office and in regional and branch offices. Three Hindi competitions were Chitrakatha (for all India MSTC), Hindi official words and extempore speech. Hindi workshops were conducted in Head office as well as in regional and branch offices. Total 18 officers and employees has been awarded for winning in the Hindi competitions. Director Commercial, Shri B.B. Singh delivered speech on the occasion of Hindi Divas held on 14.9.10.

VIGILANCE

The primary responsibility for the maintenance of purity, integrity and efficiency in a PSE vests in the Head of the PSEs. The CVO acts as special adviser in all matters pertaining to Vigilance in the organization and provides a link between the administrative Ministry/Department and the CVC and works in cooperation with other Divisions/Units of the Corporation at all levels.

MSTC has been consistently following the policy of zero tolerance on corruption.


The emphasis of the Vigilance Department has been to put in place effective preventive measures to fight against corruption and also to increase transparency and accountability in the functioning of the organization.

A Vigilance page has also been hosted on MSTC's website namely

www.mstcindia.co.in for online complaint lodging and monitoring system.

The increased use of technology in the organization has resulted in continued customers support resulting in all round improvement in the business. Through e-auction, e-reverse auction and e-payment, IT was leveraged in key areas for promoting fairness and transparency and also for deriving advantage for the company.

During the year, regular inspections were conducted and based on the feedback, corrective/ preventive measures were suggested. Special emphasis was also laid on updation of trade related drills/ manuals, streamlining of systems and procedures in line with the guidelines issued by Central Vigilance Commission. Further, with a view to providing quality assurance to the stakeholders, the Vigilance Wing of MSTC has obtained ISO 9001-2000 which has also been updated to bring it to the ISO 9001:2008 standard.



कैंग कार्यालय से प्राप्त सराहना-पत्र।
A token of appreciation from the office of CAG.

एमएसटीसी ने इंटीग्रीटी पैक्ट को अपनाया है। यह विपणन विभाग के 2.00 करोड़ से ज्यादा संविदाओं और सेलिंग एजेंसी व्यवसाय में 50.00 लाख से ज्यादा के लिए प्रयोज्य है। वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग ने 25 अक्टूबर से 1 नवम्बर, 2010 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया है। सार्वजनिक व्यवहार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस अवधि के दौरान, कर्मचारियों एवं व्यावसायिक सहयोगियों में सतर्कता जागरूकता पर जोर दिया गया था।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी (सीएजी)

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(बी) के अनुरूप कंपनी के वार्षिक लेखा पर सीएजी की टिप्पणी को निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अंश के रूप में माना जाएगा।

निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 217(2एए) के प्रावधानों की अपेक्षानुसार, निदेशक मंडल ने बताया है कि:-

वार्षिक लेखा तैयार करते वक्त प्रयोजनीय लेखा मानकों को पूरी तरह से अनुपालन किया है एवं जहां इन मानकों से हटकर कार्रवाई की गई है, वहां उसके साथ समुचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

निदेशकों ने इस तरह की लेखा नीतियों को चुना है, उनका बराबर अनुसरण किया है एवं इस तरह के निर्णय लिए हैं और प्राक्कलन तैयार किए हैं, जो युक्तिपूर्ण हैं और तर्कसंगत हैं एवं जिनसे कंपनी के 31.03.2011 तक के कार्यकलापों की एवं वित्त वर्ष में कंपनी के लाभ की सही और सटीक तस्वीर प्रकट होती है।

निदेशकों ने कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के वास्ते एवं धोखाधड़ी एवं अनियमितताओं को रोकने व पकड़ने हेतु कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप यथाआवश्यक लेखा रिकार्ड के रखरखाव हेतु समुचित और पर्याप्त कदम उठाए हैं।

निदेशकों ने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तात्कालिक सरोकार के आधार पर तैयार किया है।

लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स दास एवं प्रसाद, सनदी लेखाकार, 4 चौरींगी लेन, कोलकाता 700 016, पश्चिम बंगाल को वर्ष 2010-11 के लिए कंपनी को लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कंपनी के वार्षिक लेखा के साथ संलग्न है।

निदेशकगण

एमएसटीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल में शामिल हैं श्री एस के त्रिपाठी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री ए के बसु, निदेशक (वित्त), एवं श्री बी बी सिंह, निदेशक (वाणिज्य) पूर्णकालिक सदस्य हैं। डॉ. दलीप सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा, 20.10.2010 तक भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक थे। श्री जे पी शुक्ला, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय को 20.10.2010 से निदेशक पद पर नियुक्त किया गया। सुश्री अनुसुआ बसु, स्वतंत्र निदेशक ने 08.11.2010 को त्यागपत्र दिया है। श्री जी एस चुघ, पूर्व सीएमडी, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

Integrity Pact has already been adopted by MSTC which is applicable in all contracts exceeding Rs.2.00 crores in Marketing Department and Rs.50.00 lakhs in selling agency business. During the year, the Vigilance department was instrumental in organizing “Vigilance Awareness Week” from 25th October to 1st November, 2010 wherein stress was laid upon increasing Vigilance awareness amongst employees and business associates to bring enhanced transparency in public dealings.

COMMENTS BY COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA (CAG)

Comments of CAG on the Annual Accounts of company in terms of section 619(3)(b) of the Companies Act, 1956, shall be deemed as part of Directors' Report.

DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

As required under the provisions of Section 217(2AA) of the Companies (Amendment) Act, 2000, Board of Directors state that:

In the preparation of annual accounts the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;

Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company as at 31.03.2011 and of the profit of the company for the financial year 2010-11.

Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities.

Directors have prepared the annual accounts for the year ended 31st March, 2011 on a going concern basis.

AUDITORS

Pursuant to Section 619(2) of the Companies Act, 1956, the Comptroller and Auditor General of India, has appointed M/s. Das & Prasad, Chartered Accountants, 4 Chowringhee Lane, Kolkata 700 016, West Bengal, as Statutory Auditors of the Company for the year 2010-11. The report of Auditor is attached to the annual accounts of the Company.

DIRECTORS

Board of Directors of MSTC Ltd. presently consists of Shri S.K. Tripathi, Chairman-cum-Managing Director, Shri A.K. Basu, Director (Finance) and Shri B.B. Singh, Director(Commercial), who are whole time functional Directors. Dr. Dalip Singh, IAS was Government nominee director upto 20-10-2010. Shri J.P. Shukla, Joint Secretary, Ministry of Steel was appointed director from 20-10-2010. Ms. Anusua Basu, independent director resigned on 8-11-2010. Shri G.S. Chugh, ex-CMD, Western Coalfields Ltd.



एमएसटीसी एमप्लाईज रिक्रियेशन क्लब द्वारा आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक आयोजन का सीएमडी द्वारा उद्घाटन

CMD inaugurating Annual Cultural Celebration of MSTC Employees' Recreation Club.

एवं श्री के एल मेहरोत्रा, पूर्व सीएमडी, मॉयल मंडल में स्वतंत्र निदेशक हैं। 13.12.2010 को श्री मेहरोत्रा को नियुक्त किया गया था। श्री एल सिद्धार्थ सिंह, निदेशक, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक है। श्री डी पी सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव (टेक्सटाइल), भारत सरकार को जून, 2011 में तृतीय स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है।

नेगमिक सामाजिक दायित्व

भारत सरकार की नीति के अनुसार एमएसटीसी सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एमएसटीसी ने वर्ष के दौरान समाज के गरीब और पिछड़े बच्चों के विकास के लिए, पेय जल की सुविधा, प्राथमिक शिक्षा, गरीबों के लिए चिकित्सा सुविधा एवं संरचना विकास के लिए पहल की है। ये सभी परियोजनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में मसलन भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पुणे एवं अन्य जगहों पर चलाई गई हैं।

निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन एवं प्रबंधन के विचार-विमर्श का ब्यौरा और व्याख्या अनुलग्नक 2 में प्रस्तुत किया गया है और वह इस वार्षिक लेखा का हिस्सा है।

सहायक कंपनी-फेरो स्कैप निगम लिमिटेड

दो वर्षों का परिचालन परिणाम नीचे दिया जा रहा है:-

| | 2010-11 | 2009-10 |
|--|---------|---------|
| i. विविध सहित सेवा शुल्क एवं अन्य आय (रु. करोड़ में) | 168.53 | 158.61 |
| ii. करोपरांत लाभ (रु. करोड़ में) | 1.12 | 4.32 |

आभार ज्ञापन

निदेशक मंडल, वर्ष के दौरान कंपनी को दिए गए मूल्यवान सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए माननीय इस्पात मंत्री, माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री, सचिव (इस्पात) एवं इस्पात मंत्रालय के अन्य अधिकारियों, एडिशनल सचिव एफए (इस्पात), डिफेंस, विभिन्न अन्य केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों, राज्य सरकार, विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकरों एवं अन्य लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। निदेशकगण अपने ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा साल-दर-साल कंपनी के प्रति दिखाए गए भरोसे से विश्वास के लिए उनका आभारी है।

आपके निदेशकगण कर्मचारियों की लगनशीलता और परिश्रम की भी हार्दिक सराहना करते हैं, जिसके बदौलत पिछले कीर्तिमानों को पीछे छोड़ते हुए और आगे बढ़ाना संभव हुआ है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से



(एस के त्रिपाठी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

and Shri K.L. Mehrotra, ex-CMD, MOIL, are independent directors in the Board. Shri Mehrotra was appointed during the year on 13-12-2010. Shri L. Siddhartha Singh, Director, Ministry of Steel, is the other Government nominee director. Shri D.P. Singh, IAS(Retd.) ex-Secretary(Textiles), Government of India has been appointed as third independent director in June, 2011.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

In line with Government of India's policy, MSTC is committed to social development. During the year, MSTC has taken various initiatives for social infrastructure development, development of poor and backward children of the society, drinking water facilities, primary education, medical facilities for the poor etc. These projects have been taken up at various places in India i.e. Bhopal, Chennai, Delhi, West Bengal, Pune and other places.

CORPORATE GOVERNANCE

Separate details on Corporate Governance and Management Discussion and Analysis are attached herewith as Annexure:II and forms part of this Annual Report.

SUBSIDIARY COMPANY – FERRO SCRAP NIGAM LIMITED

The operational results of the two years are given below:-

| | 2010 – 11 | 2009 – 10 |
|--|-----------|-----------|
| i) Service Charge including miscellaneous receipts and other income (Rs. in Cr.) | 168.53 | 158.61 |
| ii) Profit after Tax (Rs. in Cr.) | 1.12 | 4.32 |

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors wish to place on record their gratitude to the Hon'ble Union Minister for Steel, Hon'ble Minister of State for Steel, Secretary (Steel), Additional Secretary and FA (Steel), and other officials of the Ministry of Steel, Defence Ministry and various other Central Government Ministries, the State Governments, various public sector undertakings, private companies, the bankers and others for their valuable assistance and guidance extended to the Company during the year. The directors are also thankful to customers and suppliers for the trust and confidence reposed by them on your company year after year.

Your Directors also place on record their appreciation of the sincere efforts made by employees which has resulted in excellent performance of the Company.

For & on behalf of Board of Directors



(S. K. Tripathi)

Chairman - cum - Managing Director

अनुलग्नक : I

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के अनुसार कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के साथ पठित कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित कर्मचारियों की संख्या, जिनका मासिक पारिश्रमिक रूप 5.00 लाख से कम नहीं है, शून्य है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(ई) के साथ पठित कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटीकरण) नियम, 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समाविष्ट, विदेशी विनिमय आय एवं खर्चों का विवरण।

चूंकि यह कंपनी एक ट्रेडिंग प्रतिष्ठान है, इसलिए इस कंपनी के क्रियाकलाप की प्रकृति को देखते हुए तकनीकी समाविष्ट एवं ऊर्जा संरक्षण नहीं है।

विदेशी मुद्रा आय एवं खर्च

माल आयात व अन्य मद में कुल विदेशी मुद्रा खर्च वर्ष 2010-11 में रूप 346337.87 लाख की तुलना में वर्ष 2009-10 में रूप 429855.70 लाख हुआ। वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी ने विदेशी मुद्रा की आय नहीं की। विगत वर्ष यानी 2009-10 में विदेशी मुद्रा में रूप 21683.77 लाख की आय थी।

अनुलग्नक : II

निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन पर एमएसटीसी की नीति

एमएसटीसी की यह मान्यता है कि निगमित अभिशासन को संस्थान में ऐसा वातावरण और संरचना बनाना चाहिए, कि कंपनी अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।

एमएसटीसी अपने प्रबंधन के हर स्तर पर पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के लिए प्रयत्नशील रहता है। एमएसटीसी के स्टैकहोल्डर एवं ऐसे व्यक्ति जो किसी भी रूप में एमएसटीसी से संबद्ध हैं, के द्वारा प्रदर्शित निरंतर आस्था को समय पर घोषित करने में भरोसा रखता है।

एमएसटीसी निगमित अभिशासन के अनिवार्य दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अलावा एमएसटीसी अपने व्यवसाय के दौरान उच्च मूल्य मानदंड, मूल्य प्रतिबद्धता, पारदर्शिता तथा सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के अनुसरण का अभिलाषा रखता है, जिससे निगमित अभिशासन प्रणाली को सर्वोत्तम तरीके से लागू किया जा सके। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के लिए मई 2010-11 को जारी निगमित अभिशासन के दिशा निर्देश का अनुपालन 2010-11 में किया गया है तथा भविष्य में भी किया जाएगा। एमएसटीसी भारत सरकार के साथ निगमित अभिशासन पर समझौता ज्ञापन के तहत मार्ग निर्देशों के अनुपालन का प्रयास करेगा।

Annexure: I

Annexure to Directors Report

Particulars of Employees in terms of Sec.217 (2A) of the Companies Act, 1956

As required under the provisions of Section 217(2A) of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975, number of employees whose remuneration is not less than Rs.5 lakh per month is NIL.

Particulars of conservation of energy, technology absorption, foreign exchange earnings and outgo as per section 217(1) (e) of the Companies Act, 1956, as read with the Companies (Disclosures of particulars in the report of Board of Directors) Rules, 1988.

Since the Company is a trading concern, considering the nature of activities there is no technology absorption and conservation of energy.

Foreign Exchange Earnings & Outgo

The total foreign exchange outgo during the year 2010-11 for import of goods and others was Rs. 346337.87 lakhs as against Rs. 429855.70 lakhs in the year 2009-10. The company has earned Rs. Nil in foreign exchange during the year 2010-11. In the previous year i.e. 2009-10, the foreign exchange earning was Rs. 21683.77 lakhs.

Annexure: II

CORPORATE GOVERNANCE

MSTC's POLICY ON CORPORATE GOVERNANCE

MSTC believes that corporate governance should provide for an enabling environment and structure of the organization for achievements of the objectives of the company.

MSTC strives for transparency and integrity at all levels of management. It believes in timely disclosures for continuance of the confidence reposed in its management by the stakeholders and persons connected with it in any other capacity.

Apart from compliance of mandatory guidelines on Corporate Governance MSTC aspires to follow high ethical standards, commitment to values while doing business, maintain transparency and best practices which would result in implementation of a Corporate Governance system of the highest order. The guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises as issued on May 2010, have been complied with in the year 2010-11 and shall be complied with in future also. MSTC will also try and comply with the stipulations made under the MOU with Government of India on Corporate Governance issues.

निदेशक मंडल

गठन

एमएसटीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल में शामिल हैं श्री एस के त्रिपाठी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री ए के बसु, निदेशक, (वित्त), एवं श्री बी बी सिंह, निदेशक (वाणिज्य)। ये सभी पूर्णकालीक सदस्य हैं। 22.04.2010 को श्री ए के बसु, निदेशक(वित्त) की नियुक्ति हुई एवं श्री बी बी सिंह, निदेशक (वाणिज्य) की नियुक्ति 28.04.2010 को हुई। डॉ. दलीप सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा, 20.10.2010 से कार्यमुक्त हुए हैं। इनकी जगह पर श्री जे पी शुक्ला, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय को मनोनीत निदेशक के रूप में 20.10.2010 को नियुक्त किया गया है। श्री एल सिद्धार्थ सिंह और श्री जे पी शुक्ला दोनों भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री एल सिद्धार्थ सिंह, निदेशक, इस्पात मंत्रालय हैं। सुश्री अनुसुआ बसु, भारत सरकार के पूर्व उप महालेखा एवं नियंत्रक ने 08.11.2010 को स्वतंत्र निदेशक के पद से त्यागपत्र दिया है। श्री के एल मेहरोत्रा पूर्व सीएमडी, मॉयल, को 13.12.2010 को एवं श्री जी एस चुघ, पूर्व सीएमडी, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री डी पी सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव (टेक्स्टाइल्स), भारत सरकार को जून 2011 में तृतीय स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है।

नव नियुक्त निदेशकों से संबंधित संक्षिप्त जानकारी

श्री जे पी शुक्ला

श्री जे पी शुक्ला, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव हैं।

श्री के एल मेहरोत्रा

के एल मेहरोत्रा पूर्व सीएमडी, मॉयल, केंद्रीय सरकार का उपक्रम

श्री डी पी सिंह

श्री डी पी सिंह, सेवा निवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व सचिव (टेक्स्टाइल्स), भारत सरकार।

बोर्ड बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान निदेशक मंडल की कुल चार बैठकें हुईं। बोर्ड की बैठकों संख्या एवं तिथि से संबंधित विवरण नीचे दी जा रही है:-

| बोर्ड की बैठक संख्या | बोर्ड बैठक की तिथि |
|----------------------|--------------------|
| 238 | 01.05.2010 |
| 239 | 23.06.2010 |
| 240 | 27.08.2010 |
| 241 | 26.11.2010 |
| 242 | 04.02.2011 |

BOARD OF DIRECTORS:

COMPOSITION

Board of Directors of MSTC Ltd. constitute of Chairman-cum-Managing Director Shri S.K. Tripathi, Shri A.K. Basu, Director (Finance) appointed on 22/04/2010 and Shri B.B. Singh, Director(Commercial) appointed on 28/04/2010, who are whole time directors. Dr. Dalip Singh, IAS, relinquished on 20-10-2010 and in place of Dr. Singh, Shri J.P. Shukla, has been appointed as nominee director on 20-10-2010. Both Shri L. Siddhartha Singh and Shri J.P. Shukla are Government nominee directors. Shri L. Siddhartha Singh is Director in the Ministry of Steel. Ms Anusua Basu, ex-Deputy Comptroller and Auditor General of India, resigned on 8-11-2010 as independent director. Shri K.L. Mehrotra, ex-CMD, MOIL, who was appointed on 13-12-2010 and Shri G.S. Chugh ex-CMD, Western Coal Fields Ltd. are independent directors in the Board. Shri D.P. Singh, IAS (Retd.), ex-Secretary (Textiles) Government of India has been appointed as third independent director in June 2011.

BRIEF INFORMATION OF THE NEWLY APPOINTED DIRECTORS

Shri J. P. Shukla

Shri J.P. Shukla is Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Steel.

Shri K.L. Mehrotra

Shri K.L. Mehrotra is former CMD, MOIL, a central PSU.

Shri D. P. Singh

Shri D.P. Singh is IAS (Retd.) is former Secretary(Textiles), Government of India.

NUMBER OF BOARD MEETINGS

There were four meetings of Board of Directors during the financial year 2010-11. Details regarding Board Meeting number and date is given below-

| Board Meeting No. | Board Meeting Date |
|-------------------|--------------------|
| 238 | 01.05.2010 |
| 239 | 23.06.2010 |
| 240 | 27.08.2010 |
| 241 | 26.11.2010 |
| 242 | 04.02.2011 |

निदेशकों को पारिश्रमिक

स्वतंत्र निदेशक किसी पारिश्रमिक के अधिकारी नहीं हैं। वे केवल बैठक के लिए प्राप्य शुल्क के अधिकारी हैं। बैठक शुल्क सरकारी निदेशक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं दो अन्य कार्यकारी निदेशकों को नहीं दिया जाता है। क्योंकि वे पूर्णकालिक कर्मचारी हैं और सेवा शर्तों के अनुरूप पारिश्रमिक पाने के अधिकारी हैं।

वर्ष 2010-11 के दौरान सीएमडी ने वेतन और भत्ता के रूप में रु.48.55 लाख का पारिश्रमिक प्राप्त किया है। कंपनी ने भविष्य निधि में रु.4.14 लाख का योगदान किया है तथा रु.0.49 लाख की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की है। कंपनी की ओर से सीएमडी एवं डी (सी) को आवास एवं कार भी दिए गए हैं। कंपनी की ओर से निदेशक (वित्त) को गाड़ी दी गई है। वे डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पीआरपी के अधिकारी हैं।

निदेशकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड

वित्तीय वर्ष 2010-11 में हुई एमएसटीसी के निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड नीचे दिया गया है। वर्ष के दौरान हुई निदेशक मंडल की सभी बैठकों में सीएमडी उपस्थित थे।

| बोर्ड बैठक संख्या Board Meeting No. | बोर्ड बैठक की तारीख Board Meeting Date. | डॉ. दिलीप सिंह Dr. Dilip Singh | श्री जे पी शुक्ला Shri J. P. Shukla | श्री एल सिद्धार्थ सिंह Shri L. Siddhartha Singh | सुश्री अनुसुआ बसु Ms. Anusua Basu |
|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 238 | 01.05.2010 | ✓ | – | ✗ | ✓ |
| 239 | 23.06.2010 | ✓ | – | ✓ | ✗ |
| 240 | 27.08.2010 | – | – | ✓ | ✓ |
| 241 | 26.11.2010 | – | ✓ | ✓ | – |
| 242 | 04.02.2011 | – | ✓ | ✗ | – |

| बोर्ड बैठक संख्या Board Meeting No. | बोर्ड बैठक की तारीख Board Meeting Date. | श्री जी एस चुघ Shri G. S. Chugh | श्री ए के बसु Shri A. K. Basu | श्री बी बी सिंह Shri B. B. Singh | श्री के एल मेहरोत्रा Shri K. L. Mehrotra |
|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 238 | 01.05.2010 | ✓ | ✓ | – | – |
| 239 | 23.06.2010 | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| 240 | 27.08.2010 | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| 241 | 26.11.2010 | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| 242 | 04.02.2011 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

निदेशकों द्वारा धारित अन्य निदेशक पद

श्री बी बी सिंह, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, एमएसटीसी की सहायक कंपनी में एमएसटीसी द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री के. एल. मेहरोत्रा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक हैं। श्री एल. सिद्धार्थ सिंह फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में भारत सरकार के मनोनीत निदेशक हैं।

REMUNERATION TO THE DIRECTORS

Independent Directors are not entitled to any remuneration other than sitting fees. Sitting fees are not given to Government Directors. CMD, and other two functional Directors, being in whole time employment, are entitled to remuneration as per terms of employment.

Remuneration received by CMD and two functional directors as salary and allowances is Rs. 48.55 lakhs, company's contribution to PF is Rs. 4.14 lakhs and reimbursement of medical expenses is Rs. 0.49 lakh for the year 2010-11. CMD and D(C) is also provided accommodation and car by the company. Director (Finance) is provided car by the company. They are also entitled to Performance Related Pay (PRP) as per DPE Guidelines.

DIRECTORS' ATTENDANCE RECORD

Record of Attendance of the Directors during the Board Meetings of MSTC Ltd held in the F.Y. 2010-11 is placed below. CMD was present in all the board meeting during the year.

DIRECTORSHIP HELD BY THE DIRECTORS

Shri B.B. Singh is MSTC nominee director of Ferro Scrap Nigam Ltd., subsidiary of MSTC. Shri K.L. Mehrotra is director of Bharat Dynamics Ltd. Shri L. Siddhartha Singh is Government nominee director of Ferro Scrap Nigam Ltd.

बोर्ड को दी गई सूचना

- वार्षिक प्रचालन योजना तथा बजट और अन्य अद्यतन सूचना।
- पूंजीगत बजट और अन्य अद्यतन सूचना
- कंपनी के प्रचालन प्रभागों अथवा कारोबार सेगमेंटों से संबंधित वित्तीय परिणाम
- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति तथा अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- मुख्य वित्तीय अधिकारी तथा कंपनी सचिव की नियुक्ति अथवा हटाने सहित बोर्ड स्तर से एक श्रेणी नीचे के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक से संबंधित जानकारी।
- कारण बताओ, डिमांड प्रोसेक्यूशन नोटिस तथा पेनल्टि नोटिस जो कि विषय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
- घातक अथवा गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई भौतिक बहिस्त्राव अथवा प्रदूषण समस्या।
- कंपनी के लिए अथवा कंपनी द्वारा वित्तीय बाध्यताओं में कोई महत्वपूर्ण चूक अथवा कंपनी द्वारा बेचे गए सामान के लिए काफी मात्रा में भुगतान प्राप्त नहीं होना।
- किसी निर्णय अथवा आदेश जो कंपनी के आचरण के संबंध में निंदा प्रस्ताव पारित कर सकता है अथवा दूसरे उपक्रम के बारे में प्रतिकूल विचार ले सकता है जिसका कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है सहित संभावित जो अथवा काफी संख्या में उत्पाद देयता दावों से संबंधित कोई मुद्रा।
- किसी संयुक्त उद्यम अथवा सहयोग करार का ब्यौरा।
- ऐसे लेन-देन जिनमें सदभाव, ब्राण्ड साम्या, अथवा बौद्धिक सम्पत्ति के लिए काफी भुगतान किया जाना हो।
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उसका प्रस्तावित समाधान। वेतन समझौता पर हस्ताक्षर करना स्वैच्छिक सेवा निवृत्त योजना का कार्यान्वयन आदि जैसे मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों में कोई महत्वपूर्ण विकास।
- निवेश, सहायक कंपनियों, परिसम्पत्तियों जो कारोबार के समान्य रूप में नहीं है, के भौतिक स्वरूप की बिक्री।
- विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का तिमाही ब्यौरा और विदेशी मुद्रा दर के प्रतिकूल उतार चढ़ाव, यदि भौतिक हो, के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम।
- किसी विनियामक, सांविधिक अथवा लीस्टिंग अपेक्षाओं और शेयरधारक सेवा जैसे लाभांश का भुगतान प्राप्त नहीं होना, शेयर हस्तांतरण में विलम्ब आदि का अनुपालन नहीं करना।

निदेशक मंडल की समितियां

एमएसटीसी ने निदेशक मंडल की चार समितियों का गठन किया है :

(i) लेखा परीक्षण समिति

लेखा परीक्षण समिति के श्री जी एस चुघ, स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष हैं। श्री एल सिद्धार्थ सिंह, भारत सरकार के मनोनीत निदेशक तथा श्री के. एल. मेहरोत्रा स्वतंत्र निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। यह लेखा परीक्षण समिति कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित डी पी ई के दिशा-निर्देशों का पालन करती है।

INFORMATION PLACED BEFORE THE BOARD OF DIRECTORS

- Annual operating plans and budgets and any updates.
- Capital budgets and any updates.
- Financial results for the company and its operating divisions or business segments.
- Minutes of meetings of audit committee and other committees of the board.
- The information on recruitment and remuneration of senior officers just below the board level, including appointment or removal of Chief Financial Officer and the Company Secretary.
- Show cause; demand prosecution notices and penalty notices which are materially important.
- Fatal or serious accidents, dangerous occurrences, any material effluent or pollution problems.
- Any material default in financial obligations to and by the company, or substantial non-payment for goods sold by the company.
- Any issue, which involves possible public or product liability claims of substantial nature, including any judgment or order which, may have passed strictures on the conduct of the company or taken an adverse view regarding other enterprises that can have negative implications on the company.
- Details of any joint venture or collaboration agreement.
- Transactions that involve substantial payment towards goodwill, brand equity, or intellectual property.
- Significant labour problems and their proposed solutions. Any significant development in Human Resources/Industrial Relations Front like signing of wage agreement, implementation of Voluntary Retirement Scheme etc.
- Sale of material nature, of investments, subsidiaries, assets, which is not in normal course of business.
- Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material.
- Non-compliance of any regulatory, statutory or listing requirements and shareholders service such as non-payment of dividend, delay in share transfer etc.

COMMITTEES OF THE BOARD

MSTC has constituted four committees of the Board namely:

(i) Audit Committee

Audit Committee comprises of Shri G.S. Chugh, independent director, as chairman with Shri L. Siddhartha Singh, Government nominee director and Shri K. L. Mehrotra, independent director as members. The Audit Committee complies with the guidelines issued by DPE on Corporate Governance.

वित्तीय वर्ष 2010-11 में एमएसटीसी लिमिटेड के लेखा परीक्षक समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

ATTENDANCE OF THE DIRECTORS IN THE AUDIT COMMITTEE MEETINGS OF MSTC LTD HELD IN THE F.Y. 2010-11

| बैठक संख्या Meeting No. | बैठक की तारीख Meeting Date. | सुश्री अनुसुआ बसु Ms. Anusua Basu | श्री एल सिद्धार्थ सिंह Shri L. Siddhartha Singh | श्री जी एस चुघ Shri G. S. Chugh | श्री बी बी सिंह Shri B. B. Singh |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| 17 | 16.06.2010 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 18 | 27.08.2010 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 19 | 11.12.2010 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | 10.02.2011 | - | - | ✓ | ✓ |

(ii) पारिश्रमिक समिति

पारिश्रमिक समिति में श्री जी एस चुघ, स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष हैं एवं श्री एल सिद्धार्थ सिंह, सरकार द्वारा नामित निदेशक, सदस्य हैं। लोक उद्योग विभाग के ऊपर बताए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार समिति की शर्तें और संदर्भ हैं।

(iii) निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की समिति

यद्यपि यह निदेशकों की समिति नहीं है, इस समिति के अध्यक्ष हैं श्री जी एस चुघ, स्वतंत्र निदेशक। इनके साथ इस कंपनी के तीन वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में हैं। यह समिति सीएसआर की गतिविधियों के लिए प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करती हैं और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/निदेशक मंडल के समक्ष अनुशंसा देती हैं।

(iv) शेयर हस्तांतरण समिति

शेयरधारकों को अच्छी सेवाएं प्रदान करने हेतु मंडल ने एक शेयर अंतरण समिति गठित की है। इसमें श्री ए के बसु, निदेशक (वित्त) और श्री बी बी सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) हैं। यह समिति ड्रूपलिकेट शेयर प्रमाण पत्र तथा विभाजन शेयर प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्णय भी लेती हैं।

आचार संहिता

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निगमित अभिशासन के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुकूल एमएसटीसी ने निदेशक मंडल एवं एमएसटीसी के नामित वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता बनायी है। यह आचार संहिता कंपनी के वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर उपलब्ध है। सभी निदेशक और पदधारित वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने इस आचार संहिता के अनुपालन की सहमति दी है। इससे संबंधित मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा इस रिपोर्ट के अंत में संलग्न किया गया है।

(ii) Remuneration Committee

Remuneration Committee comprises of Shri G.S. Chugh, independent director, as chairman, and Shri L. Siddhartha Singh, Govt. nominee director, as member. The terms and reference of the Committee is in line with the above referred DPE guidelines.

(iii) Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

Though not a board committee, this committee is chaired by Shri G.S. Chugh, an independent director, with three senior officers of the company as members. The committee examines various proposals for CSR activities and recommends the same to CMD /Board of Directors.

(iv) Share transfer committee

In order to render better services to the shareholders Board has constituted a share transfer committee comprising of Shri A.K. Basu Director (Finance) and Shri B.B. Singh Director Commercial. This committee also decides on issue of duplicate and split share certificates.



एमएसटीसी द्वारा सुन्दरवन के सुदूर गांव में पेय जल की व्यवस्था
MSTC facilitating drinking water in a remote village in Sunderban area.

CODE OF CONDUCT

A Code of Conduct for all Board members and designated senior Management of MSTC Ltd. has been laid down in accordance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises. The Code of Conduct is available on the website of the company www.mstcindia.co.in All Board members and designated senior Management personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct. A declaration signed by the Chief Executive Officer (CEO) to this effect is enclosed at the end of this report.

सामान्य सभा की बैठक / GENERAL BODY MEETINGS

i. विगत तीन वर्षों के साधारण सभा की तिथि, समय एवं स्थान / (i) Date, Time and Venue of the last three Annual General Meetings

| | दिनांक/Date | समय/Time | स्थान/Venue |
|----|---|-------------------------|--|
| 1. | 27 सितम्बर, 2011 (सोमवार) 27 September, 2010 (Monday) | 11.00 बजे 11.00 A.M. | कंपनी का पंजीकृत कार्यालय / Registered Office of the Company पता- / Address- एमएसटीसी लिमिटेड/ MSTC LIMITED 225-सी, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-700 020 225-C, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Kolkata-700 020 |
| 2. | 16 सितम्बर, 2010 (बुधवार) 16 September, 2009 (Wednesday) | 11.00 बजे 11.00 A.M. | -तदैव- - do - |
| 3. | 25 सितम्बर, 2008 (बृहस्पतिवार) 25 September, 2008 (Thursday) | 11.00 बजे 11.00 A.M. | -तदैव- - do - |

ii. विगत तीन साधारण सभा में पारित विशेष प्रस्ताव

| बैठक संख्या | पारित विशेष प्रस्ताव |
|-------------|---|
| 45वीं | कुछ नहीं |
| 44वीं | कुछ नहीं |
| 43वीं | कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एशोसिएशन के उद्देश्य में संशोधन |

iii. वर्तमान वर्ष की वार्षिक साधारण सभा की बैठक की तिथि, समय एवं स्थान
वर्तमान वर्ष की साधारण सभा की बैठक सितम्बर 2011 महीने में कमी होगी।

प्रबंधन विमर्श एवं विश्लेषण

1. कंपनी का व्यवसाय

एमएसटीसी मुख्यतः व्यापार एवं उद्योग में ट्रेडिंग और वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान करती है। यह काम व्यापक रूप से दो हिस्सों में किया जाता है।

2. एजेंसी व्यवसाय

इस संभाग में एमएसटीसी सेवा प्रदाता के रूप में काम करती है :-

- सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कई निजी कंपनियों की ओर से उनके स्क्रेप/अधिशेष स्टोर/बेकार स्टॉक के निपटान के लिए उनके सेलिंग एजेंट के रूप में कार्य करती है।
- उत्पादकों की ओर से कोयला, आयरन ओर, मैंगनीज ओर, चाय, कृषि उत्पाद आदि जैसी खास सामग्री की बिक्री।
- सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सामग्री की क्रय-सेवा (प्रोक्यूरमेंट)

एमएसटीसी की ओर से उपरोक्त सेवाएं मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मतलब इ-ऑक्शन, इ-टेंडर और उत्क्रम (रिवर्स) इ-ऑक्शन। इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए अपने सर्वर और अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया जाता है।

3. ट्रेडिंग व्यवसाय

इस संभाग में एमएसटीसी निम्नलिखित के लिए ट्रेड फिनान्सिंग के साथ-साथ ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करती है :-

- बड़ी मात्रा में औद्योगिक कच्चा माल का आयात।
- ऊर्जा क्षेत्र को आयातित स्टीम कोयले की आपूर्ति।
- विभिन्न कच्चे मालों का निर्यात।

(ii) Special resolutions passed in the previous three Annual General Meetings

| Meeting No. | Special resolutions passed |
|-------------|---|
| 45 th | NIL |
| 44 th | NIL |
| 43 rd | Alteration of object clause of Memorandum of Association of the company |

iii. AGM of the current year: Date, Time and venue

Current year's AGM will be held sometime in the month of September 2011.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Company's Business

MSTC LIMITED is basically engaged in providing trading and commercial services to the trade and industry. This is done broadly under the following two portfolios:

2. Agency Business:

In this portfolio, MSTC acts as a Service Provider for:-

- Disposal of scrap / surplus store / obsolete items on behalf of a large number of Government Departments / PSUs and also some private companies by acting as their Selling Agent.
- Sale of prime materials like Coal, Iron Ore, Manganese Ore, Ferro-Manganese, Tea, Agro-products etc. on behalf of producers.
- Procurement of materials on behalf of Government Departments / PSUs.

The above services are provided by MSTC mostly through electronic media i.e. e-tender, e-auction and reverse e-auction using its own server and technological and commercial expertise.

3. Trading Business:


In this portfolio MSTC provides trading services including trade financing for :-

- Import of industrial bulk raw materials
- Supply of imported steam coal to power sector
- Export of various raw materials.



प्रिंसिपल को बेहतर सेवा देने के उपक्रम में एमएसटीसी-एनटीपीसी सम्मेलन

Towards better service to principals: MSTC-NTPC meet in progress




2010-11 में एजेंसी व्यवसाय का निष्पादन
The performance of Agency Business for the year 2010-11

एमएसटीसी अपनी सेवाओं के लिए अधिक मूल्य (मार्क अप) तय करके मुख्यतः ऊपरउल्लिखित (i) और (ii) में बैंक टू बैंक बेसिस पर वित्तीय निवेश करती है। आयात के लिए क्रेताओं की साख का मूल्यांकन करके एमएसटीसी सिक्युरिटी डिपोजिट लेती है। सामग्री की गुणवत्ता, कीमत और सुपूर्दगी की शर्तें आदि पर क्रेता की परामर्श और सहमति से आपूर्तिकर्ता को आदेश दिया जाता है। क्रेता को हाई सीज सेल के आधार पर सामग्री बेच दी जाती है। साथ ही साथ क्रेता उसी सामग्री को एमएसटीसी के पास बंधक रख देता है। हालांकि सामग्री का मालिकाना क्रेता को अंतरित किया जा चुका होता है। परंतु एमएसटीसी सामग्री पर अपना नियंत्रण रखती है। इसी मकसद से एमएसटीसी एक अभिरक्षक (कस्टुडियन) की नियुक्ति करती है और उसी अभिरक्षक के माध्यम से आयातित और देशीय सामग्री पर अपना नियंत्रण रखती है। पूर्व निर्धारित क्रेता को भुगतान के पश्चात सामग्री उठाने की अनुमति प्रदान करती है।

एमएसटीसी अपने एशोसिएट आपूर्तिकर्ता (ओं) के माध्यम से बैंक टू बैंक करार से ऊर्जा क्षेत्र को स्टीम कोयले की आपूर्ति करती है। इ-कॉमर्स के व्यवसाय के क्षेत्र में एमएसटीसी के प्रतिद्वंद्वियों की एक बड़ी संख्या है। इसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र शामिल हैं। मार्केटिंग व्यवसाय में एमएसटीसी की प्रतिद्वंद्विता एसटीसी, एमएमटीसी, पीईसी, स्पाईस ट्रेडिंग कारपोरेशन के साथ है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के भी कई कंपनियां हैं। इस तरह एमएसटीसी कठिन प्रतिद्वंद्वी व्यावसायिक वातावरण में काम करती है।

2. कंपनी का विकास

वर्ष 2010-11 के दौरान ट्रेडिंग व्यवसाय को एक झटका लगा था। क्योंकि ऐसे बड़े ग्राहक जो इस प्रभाग के व्यवसाय में लगभग 70 प्रतिशत व्यवसाय दे रहे थे, जिनके प्रबंधन में एक परिवर्तन आया तथा एमएसटीसी से वित्तीय सहायता लेना बंद किया। इसके अलावा, जो ग्राहक धीरे-धीरे सामग्री उठाते हैं, उनके लिए व्यवसाय की मात्रा बढ़ाने में सावधान रहने का निर्णय एमएसटीसी ने लिया है। इसलिए विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष ट्रेडिंग प्रभाग में व्यवसाय की मात्रा कुछ घट गई है। बहरहाल, कंपनी ने कुछ मध्यम आकार के ग्राहक को शामिल किया, जिससे एक ग्राहक पर निर्भरता कम हो जाती है। एजेंसी व्यवसाय में कंपनी ने ठोस विकास किया है। एमएसटीसी ने स्कैप और कोयले दोनों को मिलाकर बिक्री में 34% का प्रशंसनीय विकास किया है। एमएसटीसी ने एजेंसी व्यवसाय में चाय को शामिल किया है। इसलिए इ-कॉमर्स के व्यवसाय में तंबाकू, टीटीडी के मानव केश (तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम), कृषि उत्पाद एवं अन्य ऐसी मदे हैं। सामग्री को शामिल करते हुए व्यवसाय के विकास के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है।



2010-11 में व्यापार प्रभाग के व्यवसाय का निष्पादन
The performance of Trading Division for the year 2010-11

MSTC primarily does financing in (i) & (ii) above for import/export on back-to-back basis, earning mark-up for such services. For import, depending on the buyer's credential, MSTC charges Security Deposit, places orders on the Suppliers in consultation with the buyer and also with the buyer's consent as regard to quality, price, delivery terms etc. The material is sold to the buyer on High Seas Sale basis. The buyer, however, simultaneously pledges the material to MSTC, thus although title of the goods is transferred to the buyer, MSTC retains control on the goods. Materials imported or sourced indigenously are kept in the custody of MSTC through a custodian, appointed for this purpose and thereafter, the designated buyer is allowed to lift the material on Cash-and-Carry basis.

MSTC also supplies Steam Coal to Power Sector again through Associate Supplier(s) on back-to-back contract basis.

In the area of e-commerce business, MSTC has a large number of competitors, in private sector as well as public sector. In the Marketing business, MSTC is in competition with STC, MMT, PEC, Spice Trading Corporation etc. which are all in public sector, besides a host of firms in private sector. Thus MSTC operates in a highly competitive business environment.

COMPANY'S DEVELOPMENT

During the year 2010-11 the trading business got a jolt, as the biggest customer giving about 70% of the entire business volume in this sector had a change in management and stopped taking financial support from MSTC. Besides, it was decided by MSTC to be cautious in expanding business volume for the customers, who are slow in lifting materials. Because of such reasons the business volume in trading sector marginally fell short of the last year's volume. However, the Company could rope in some medium sized customers which reduced dependence on a single customer. In the agency business, the company registered a substantial growth. In the business of sale of scrap and coal taken together, MSTC had a commendable growth of 34%. For agency business, MSTC has already widened its basket to include items like tea. Continuous efforts are being made to expand the e-Commerce business further by including in its fold, items like tobacco, human hair of TTD (Tirumalai Tirupati Devasthanam), agro products and other such items.

कंपनी के प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार परिवेश की चुनौतियों का सामना करते हुए भी काफी अच्छा व्यवसाय किया है। वर्ष 2009-10 के रु.12738.27 करोड़ (इ-प्रोक्योरमेंट को छोड़कर) की तुलना में वर्ष 2010-11 में व्यवसाय की मात्रा रु.14100.77 करोड़ है।

यह उल्लेखनीय है कि कंपनी ने नए व्यवसाय में अपनी स्थिति को मजबूत बनाया है जैसे ऊर्जा क्षेत्र में स्टीम कोयले की आपूर्ति, इसके लिए एमएसटीसी और एशोसिएट सप्लायर के साथ बैक टू बैक प्रबंध किया गया है। एमएसटीसी ने यह व्यवस्था वर्ष 2008-09 के उत्तरार्द्ध में शुरू की है। वर्ष के दौरान, सरकारी ऊर्जा क्षेत्र को 8.82 लाख एमटी कोयले की आपूर्ति की गई। वर्ष 2010-11 के दौरान 11.40 लाख एमटी नन-कोकिंग कोयले की कुल बिक्री दर्ज हुई है।

3. भाविक अवेषण

जहां तक इ-कॉमर्स व्यापार का संबंध है, वहां एक तरफ भविष्यत संभावना उज्ज्वल प्रतीत होता है चूंकि वहां व्यवसाय मात्रा को काफी हद तक बढ़ाने का गुंजाइश है और दूसरी तरफ, कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए सेवा प्रभार दर को नीचे लाया जा सकता है। एमएसटीसी को व्यवसाय के इस भाग में छोटे-बड़े दोनों निजी क्षेत्रों के सेवा प्रदाताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। सार्वजनिक क्षेत्र का इकाई होने के नाते, एमएसटीसी को केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का अनुसरण, आइटी एक्ट 2000 का विनियमन एवं एसक्यूटीसी

के आवश्यक अन्य लेखा परीक्षण जिसके लिए एमएसटीसी को सिस्टम संरचना के लिए बृहत राशि निवेश करना ही है। जबकि निजी क्षेत्रों में इस प्रकार की कोई बाधकता नहीं रहती है। अतः जब तक सरकारी विभाग तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने निविदा दस्तावेजों में सेवा प्रदाताओं द्वारा सीवीसी के दिशा-निर्देशों को मानने का आग्रह न करता है तब तक एमएसटीसी के लिए कार्य आदेश प्राप्त करना उत्तरोत्तर कठिन होगा। क्योंकि निजी क्षेत्रों के पास अपर्याप्त अवसरचना होने के कारण बहुत कम सेवा प्रभार में काम कर सकता है।

अब तक एमएसटीसी के इ-नीलामी मुख्यतः औद्योगिक उत्पादों की बिक्री तक ही सीमित था। बहरहाल, एमएसटीसी ने अभी कृषि उत्पाद जैसे चाय, तुर दाल, शहद आदि का इ-नीलामी आरंभ किया है। वन उत्पादों के इ-बिक्री के लिए वन विभाग के काम को हाथ में लेने का प्रयास किया जा रहा है।

In spite of the challenges of the competitive business environment the company performed significantly well in the year registering a business volume of Rs. 14100.77 Cr. (approx) against the achievement of Rs. 12738.27 Cr. in 2009-10 (excluding e-procurement).

It may be mentioned here that the company consolidated its position in the new business i.e., supply of steam coal to power sector through back-to-back arrangement with Associate Supplier which MSTC had commenced during the latter half of 2008-09, having supplied more than 8.82 Lakh MT of coal during the year to power utilities in Govt. Sector and recording a total sale of 11.40 Lakh MT of non-coking coal during the year 2010-11.

3. FUTURE OUTLOOK

So far as e-Commerce business is concerned, on the one hand, the future prospect appears to be bright since there is scope for enlarging the volume of business to a great extent; on the other hand, the service charge rate may have to be brought down because of stiff competition. In this segment of business MSTC has to compete with both big and small private sector service providers.

Being a PSU, MSTC has to follow all the guidelines issued by CVC, regulation of IT Act 2000 and other audit requirements of STQC for which, MSTC has to invest huge amount towards Systems infrastructure, whereas, the private players are not under any such obligation. Therefore, unless Government Departments

and PSUs insist upon fulfilment of criteria in line with CVC guidelines by the service providers in the tender documents, it would be increasingly difficult for MSTC to get orders, since private players, having scanty infrastructure, can afford to quote very low service charge.

So far MSTC's e-auction was confined to primarily to sale of industrial products. However, now it has started holding e-auctions of agro products like tea, tur dal, honey, etc. Attempt is being also made to rope in Forest Department for e-sale of forest products.

हमारे व्यवसाय में नया उत्पाद
New Business Basket



एमएसटीसी के इ-आवशन के माध्यम से चाय बेचने के लिए 'टी-सर्व' के साथ समझौता पर हस्ताक्षर
Agreement is being signed with Tea-Serve for e-action of Tea through MSTC.

टी-सर्व, कुन्नूर की चाय के लिए इ-ऑक्शन की प्रारंभिक सफलता एमएसटीसी की सेवा लेने के लिए यूपीएसआई (यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदरन इंडिया) को प्रोत्साहित किया है। इ-नीलामी के माध्यम से तंबाकू बिक्रय के लिए तंबाकू बोर्ड, गुंटूर के साथ बातचीत हो रही है। एमएसटीसी अपने व्यवसाय में मखाना एवं सागो को शामिल करने का प्रयास कर रहा है। टीटीडी (तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम) के मानव केश और अन्य सामग्री के निपटान के लिए करार करने का प्रयास जारी है। यह काफी बड़ा व्यवसाय है।

ऊपर बताए गए प्रतिस्पर्धा के लिए एमएसटीसी वर्तमान सामग्री की ज्यादा बिक्री द्वारा व्यवसाय की मात्रा बढ़ाने तथा नई सामग्री को शामिल करने के लिए हर तरह से प्रयास करेगा।

इ-प्रोक्योरमेंट व्यवसाय में सामग्री और सेवाओं के क्रय द्वारा व्यवसाय की मात्रा बढ़ाने की ज्यादा संभावना है। एमएसटीसी इस अवसर से लाभ उठाने की तैयारी कर रहा है। ट्रेडिंग कार्यकलाप के क्षेत्र में, बड़े और मध्यम आकार के ग्राहकों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि एमएसटीसी को आने वाले वर्ष में वर्तमान बृहत्तम ग्राहक से व्यवसाय नहीं भी मिल सकता है। बहरहाल, यही अच्छा होगा यदि हम निर्दिष्ट ग्राहक पर निर्भरता कम कर सकें। बदले में, हम मध्यम आकार के ग्राहकों को शामिल कर सकते हैं, जिससे कि एक या दो ग्राहकों के चले जाने पर कंपनी के कुल ट्रेडिंग व्यवसाय में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

ऊर्जा क्षेत्र में आयातित तथा देशीय दोनों तरह के स्टीम कोल की आपूर्ति व्यवसाय के फलस्वरूप व्यवसाय की मात्रा अच्छी होने की संभावना है।

4. प्रचालन एवं निष्पादन से संबंधित वित्तीय मानदंडों पर विचार- विमर्श

क) एजेंसी व्यवसाय

इस साल एजेंसी व्यवसाय की कुल राशि रु.8167.75 करोड़ है। पिछले वर्ष 2009-10 में रु. 6353.57 करोड़ थी। 2009-10 के समानांतर 2010-11 का विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

| व्यापार क्षेत्र | व्यवसाय की मात्रा (रु. करोड़ में) | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | 2010-11 | 2009-10 |
| स्क्रेप और मैंगनीज की बिक्री | 2568.08 | 2015.83 |
| कोयले की बिक्री | 5565.48 | 4084.00 |
| कुल (क) | 8133.56 | 6099.83 |

ख) इ-प्रोक्योरमेंट

| व्यापार क्षेत्र | व्यवसाय की मात्रा (रु. करोड़ में) | |
|------------------|-----------------------------------|---------------|
| | 2010-11 | 2009-10 |
| इ-प्रोक्योरमेंट | 34.19 | 253.74 |
| कुल (क+ख) | 8167.75 | 253.74 |

Initial success of tea auction for Teaserve, Conoor has encouraged UPASI (United Planters Association of Southern India) to seek MSTC's service. Discussion is also going on with Tobacco Board at Guntur for sale of tobacco through e-auction. Gorgon Neat & Sago are also being attempted to be added into MSTC kitty. Efforts are on to have agreement with TTD (Tirumalai Tirupati Devasthanam) for disposal of human hair and other items, which is a sizeable business.

In view of the competition as stated above MSTC shall make an all out effort to increase volume of business by selling more of the existing items and also adding new items.

In the e-Procurement business also there is huge prospect of increasing the volume by procurement of commodities as well as services. MSTC is gearing up to avail this opportunity. In the areas of trading activity, attempt is being made to rope in big/medium size customers, since MSTC may not get business from the biggest existing customer in the ensuing year. However, it would be better if we can reduce the dependence on a particular customer. Instead, we may have a few medium sized customers so that exit of one or two customers may not adversely affect the total trading business of the company.

The business of supply of steam coal, both imported and indigenous, to the Power Plants is also expected to yield good volume.

4. DISCUSSION ON FINANCIAL PARAMETERS WITH RESPECT TO OPERATIONS AND PERFORMANCE

A) AGENCY BUSINESS

This year the total volume of Agency Business stands at Rs.8167.75 Cr. against a volume of Rs. 6353.57 Cr. in 2009-10. Break-up for the year 2010-11 vis-à-vis 2009-10 is as follows:

| Business Segment | Volume of Business (Rs. Crore) | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 2010-11 | 2009-10 |
| Sale of Scrap & manganese | 2568.08 | 2015.83 |
| Sale of Coal | 5565.48 | 4084.00 |
| Total (A) | 8133.56 | 6099.83 |

B) e-PROCUREMENT

| Business Segment | Volume of Business (Rs. Crore) | |
|--------------------|--------------------------------|---------------|
| | 2010-11 | 2009-10 |
| e-Procurement | 34.19 | 253.74 |
| Total (A+B) | 8167.75 | 253.74 |

ग) व्यापार

विपणन प्रभाग द्वारा किए गए व्यवसाय की कुल राशि **रु. 5933.02 करोड़** है। पिछले वर्ष 2009-10 में **रु. 6384.87 करोड़** थी। 2009-10 के समानांतर 2010-11 का विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

| व्यापार क्षेत्र | व्यवसाय की मात्रा (रु. करोड़ में) | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | 2010-11 | 2009-10 |
| खरीद | | |
| आयातित सामग्री | 2580.77 | 3783.92 |
| देशीय सामग्री | 3352.25 | 2395.87 |
| निर्यात | 0.00 | 205.08 |
| कुल | 5933.02 | 6384.87 |
| महायोग (क+ख+ग) | 14100.77 | 12738.44 |

5. सॉट (SWOT) विश्लेषण

शक्ति और कमजोरियां

एमएसटीसी की शक्तियां स्क्रेप और अधिशेष मदों के व्यवसाय, प्राथमिक उत्पाद की इ-बिक्री एवं कच्चे उत्पादों की सोर्सिंग के ठोस अनुभव पर निर्भर करती हैं। अनुभवी कर्मचारी वर्ग, सुसज्जित अद्यतन अवसंरचना, विवेकपूर्ण निर्धारित पॉलिसी सभी ने मिलकर एमएसटीसी को एक दक्ष सेवा प्रदाता बनाया है।

दक्ष डिजास्टर रिकवरी तंत्र के सहारे स्वतंत्र सेवा के साथ एमएसटीसी के कार्यपालक द्वारा इ-कॉमर्स सेवा को हैंडल किया जाता है। पोर्टल के अंतर्गत बड़ी संख्या के समर्पित ग्राहकों ने वर्षों से सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायता की है। आयात क्षेत्र में, बहुत सारे बड़े उद्योग सोर्सिंग के लिए एमएसटीसी पर निर्भर करता है।

कमजोरियों का कारण हो सकता है कीमत का कम ज्ञान एवं ग्राहक कंपनी के व्यवसाय पर आय का निर्भर करना। ट्रेडिंग व्यवसाय के लिए अवसंरचना की कमी और एक्विजिशन व्यवसाय के लिए कैनालाइजिंग एजेंटों की शून्य स्थिति भी कमजोरी का कारण हो सकता है। यह हमारे साथी जैसे एमएमटीसी, एसटीसी आदि के विपरीत है।

संभावनाएं एवं संकट

विभिन्न वस्तुओं विशेषतः कृषि उत्पाद के इ-ट्रेडिंग के लिए विशाल संभावनाएं हैं। कंपनी के लिए लौह एवं इस्पात संसाधन में रणनीतिक वायदा एकीकरण, लॉजिस्टिक में संयुक्त उद्यम या वस्तु विनिमय, माइनिंग कार्यकलाप-कुछ उद्भव्य संभावनाएं हैं। इ-प्रोक्योरमेंट एवं कृषि उत्पाद की इ-मार्केटिंग में भी एमएसटीसी के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं।

आज के दिन में कोई भी व्यवसाय संकट के बिना नहीं है। एमएसटीसी के लिए संकट है आयात एवं निर्यात पर सरकारी नीति, दूसरी ट्रेडिंग कंपनियों में ग्राहकों का चले जाना या प्रत्यक्ष आयात चुनना, छोटे-छोटे ग्राहकों का आना तथा कम सेवा प्रभार की पेशकश। बहरहाल, एमएसटीसी इन संकटों से अवगत है एवं हमेशा इन संकटों से बाहर आने की रणनीति बनाता है। प्रौद्योगिकीय विकास ने गौण उत्पाद को कम कर दिया है, जो इस क्षेत्र में व्यापार की मात्रा को कम किया है।

C) TRADING

The performance of marketing Division shows a total volume of business of **Rs. 5933.02 Cr.** as against a volume of **Rs. 6384.87 Cr.** in 2009-10. Break-up for the year 2010-11 vis-à-vis 2009-10 is as follows:

| Business Segment | Volume of Business (Rs. Crore) | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | 2010-11 | 2009-10 |
| Procurement of: | | |
| Imported materials | 2580.77 | 3783.92 |
| Indigenous materials | 3352.25 | 2395.87 |
| Export | 0.00 | 205.08 |
| Total (C) | 5933.02 | 6384.87 |
| Grand Total (A+B+C) | 14100.77 | 12738.44 |

5. SWOT ANALYSIS

Strengths & Weaknesses

MSTC strength lies in substantial experience in dealing in scrap, surplus items, e-sale of prime products and sourcing of raw-materials. The experienced people, equipped with latest infrastructure, prudentially laid down policies together make MSTC an efficient service provider.


The e-commerce service is handled by MSTC executives with independent services backed by efficient disaster recovery mechanism. A large number of dedicated customers under the portal have helped strengthen the system over the years. In the import segment, many big names in industry have relied upon MSTC for sourcing of raw-materials.

Weaknesses can be attributed to low domain knowledge in volatility in price and revenue dependent on business of the customer companies. Weaknesses may also be attributed to deficient infrastructure for trading business. Also nil status of canalizing agents for Exim business unlike our peer companies such as MMTC, STC, etc.

Opportunities & Threats

There is huge opportunity for e-trading of various commodities particularly agricultural products. Strategic forward integration in processing of iron and steel, joint venture in logistics or commodity exchanges or mining activities are some of the emerging opportunities for the company. There also exists ample opportunities for MSTC in e-procurement and e-marketing of agri-products.

Any business, now a days is not without threat. For MSTC, threat is Government policy on import and export, customers shifting to other trading companies or choosing to make direct imports, small players coming in and offering lesser service charges. However, MSTC is aware of such threats and always makes strategies to come out of the threat. Technological development have reduced secondary arising leading to lower trading volume in this segment.



6. जोखिम एवं चिंताएं

एजेंसी व्यवसाय

सेलिंग एजेंसी में स्वाभाविक संकट है। प्रिंसिपल किसी भी समय विक्रय कार्य वे खुद करने का निर्णय ले सकते हैं। फिलहाल, प्रिंसिपल टेडरिंग का सहारा लेते हैं तथा छोटे-छोटे व्यवसायी कम सेवा प्रभार पर अपनी सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि उनके अवसंरचना में कम निवेश है और आईटी एक्ट 2000 के लिए सीवीसी द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिए भी बाध्यता नहीं है। बहरहाल, एमएसटीसी गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के लिए इस क्षेत्र में ज्यादातर व्यवसाय को कायम रखा है।

ट्रेडिंग व्यवसाय

(आयात एवं निर्यात)

व्यवसाय के इस क्षेत्र में एमएसटीसी ट्रेडिंग करती है, जो मुख्यतः ट्रेड फिनान्सिंग है, इसमें भुगतान देर से मिलने या भुगतान न मिलने का जोखिम सदैव संभावित है। बहरहाल, कंपनी ने संभव सीमा तक ऐसे जोखिम को न्यूनतम करने के लिए जोखिम प्रबंधीय नीति बनायी है।

7. जोखिम, आंतरिक नियंत्रण पद्धति और उनकी उपयुक्तता

एमएसटीसी ने वर्ष 2008-09 में जोखिम प्रबंधीय नीति लागू की है। एमएसटीसी यह सुनिश्चित करता है कि एमएसटीसी के व्यवसाय के जो जोखिम क्षेत्र है, वहां आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कार्य करेगा। मेसर्स प्राईसवाटर हाऊस एंड कूपर्स को इस वर्ष के लिए आंतरिक लेखा परीक्षण का कार्य सौंपा गया है और उसकी रिपोर्ट परीक्षा समिति और निदेशक मंडल के समक्ष वर्ष के दौरान समय-समय पर प्रस्तुत की गयी है। यह समिति आंतरिक नियंत्रण पद्धति पर पुनर्विचार करती है और अनुशंसा पर निदेशक मंडल विचार करती है एवं लागू करती है।



एमएसटीसी हल्दिया स्टॉकयार्ड में कार्य प्रगति पर
MSTC Haldia stockyard in operation.

8. ऊर्जा की खपत और संसाधन

एमएसटीसी मुख्यतः विभिन्न ग्राहकों के लिए स्क्रेप सामग्री विशेषतः फेरस स्क्रेप तथा इन स्क्रेप के रिसाईक्लिंग के लिए व्यापार करता है। इस तरह एमएसटीसी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रदूषण कम करने में दुबारा इस्तेमाल के योग्य में फेरस स्क्रेप के पुनःचक्रण द्वारा ऊर्जा के संरक्षण में काम करता है।

मानव संसाधन के विकास पर सूचनाएं, औद्योगिक संबंध और निगमित सामाजिक दायित्व का उल्लेख निदेशक मंडल की रिपोर्ट में किया गया है।

6. RISKS AND CONCERNS

Agency Business

Selling agency business has inherent risk since principal can any time decide to do the selling job themselves. Of late, principals are resorting to tendering and small players are quoting very less rate of service charge owing to their less investments in infrastructure and nil obligation towards CVC questioned IT Act, 2000. However, because of quality and transparency, MSTC has retained most of the business in this segment.

TRADING BUSINESS (Import & Export)

This segment mainly functions as sourcing of raw materials for industries either through import or domestically. The materials remain pledged to MSTC and delivery is given on payment basis. There is inherent risk of not lifting material as per schedule by the customers mainly due to change in their production schedule.

RISKS, INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND THEIR ADEQUACY

Risk Management Policy in MSTC was introduced in the year 2008-09, MSTC makes it certain that the internal control system functions within the risk appetite of the company. M/s. Price Waterhouse & Coopers was assigned with the internal audit function of the company for the year and their reports are put up to the Audit Committee and Board at regular intervals. The

committee analyses the functions of the internal control system and recommendations of the committee are put up to the Board and those are implemented as per the considerations of the Board.

CONSERVATION OF ENERGY AND RESOURCES

MSTC works primarily in the field of procurement of scrap materials, specially ferrous scraps from different consumers and trading of those scraps for recycling. Thus, MSTC works for the conservation of the natural resources, reduction

in pollutants, conservation of energy by recycling ferrous scraps into a re-useable form.

Information on development of HR, Industrial Relations and Corporate Social Responsibility is mentioned in the Directors' Report.

निगमित अभिशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार उद्घोषणाएं

1. व्यापारियों के साथ व्यावसायिक लेन-देन से संबंधित ऐसा कोई विशेष मामला नहीं है, जो कंपनी के हित में द्वंद्व की संभावना हो।
2. कंपनी की ओर से अनानुपालन का मामला नहीं देखा गया है और न ही इसकी कोई सूचना है। सांविधिक प्राधिकरण द्वारा विगत तीन वर्षों में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मामलों के संबंध में न कोई कठोर पत्राचार किया है और न ही कोई दंड दिया है और न ही कोई मामला दर्ज है।
3. यद्यपि विसिल ब्लोअर नीति नहीं है। परंतु कंपनी के पास एक समर्थ सतर्कता विभाग है, जो कंपनी की गतिविधियों पर अपनी निगाह रखता है एवं कर्मचारियों की आचार संहिता पर अपनी निगाह रखता है। किसी ने भी लेखा परीक्षक समिति में प्रवेश करने में किसी को भी इंकार नहीं किया गया है।
4. निगमित अभिशासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया और निगमित अभिशासन पर एक अलग रिपोर्ट वार्षिक प्रतिवेदन में अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
5. कंपनी द्वारा राष्ट्रपति के सभी आदेशों का पालन किया गया है।
6. लेखा में ऐसे किसी भी खर्च को डेबिट नहीं किया है, जो व्यवसाय से संबंधित न हो।
7. निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंधन के लिए ऐसे खर्च नहीं किए गए हैं, जिनकी प्रकृति व्यक्तिगत हो।
8. कुल खर्च का 9.6% प्रशासनिक खर्च है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से



(एस के त्रिपाठी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का प्रमाणीकरण

मैं यह घोषणा करता हूँ कि 27 जून, 2008 को कंपनी की 229वीं निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रसारित व्यावसायिक आचार संहिता एवं मूल्यों के मॉडल कोड को ग्रहण किया है एवं सभी वरिष्ठ प्रबंधकों ने इस वर्ष के लिए इस आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।




(एस के त्रिपाठी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

FURTHER DISCLOSURES AS PER CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

1. There is no materially significant related party transaction that may have potential conflict with the interest of the company.
2. No non-compliance by the company has been observed /reported. No statutory authority has issued any strictures or levied penalty or any matter related to any guidelines issued by the Government during last three years.
3. Though there is no Whistle Blower policy, company has full fledged vigilance department who keeps vigil on activities of the company and code of conduct of the employees. No person has been denied access to Audit Committee.
4. Corporate Governance guidelines have been complied with and a separate report on Corporate Governance is placed as Annexure to Annual Report.
5. All Presidential guidelines have been complied with by the company.
6. No items of expenditure have been debited in books of accounts, which are not for the purpose of business.
7. No expenses are incurred which are personal in nature for the Board of Directors and Top Management.
8. Administrative expenses are 9.6 % of total expenses.

For & on behalf of Board of Directors



(S.K. Tripathi)

Chairman-cum-Managing Director

CMD'S CERTIFICATION

I declare that the Model Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management issued by the Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises was adopted by the Board of Directors of the company in its 229th meeting held on 27-06-08 and all the Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the current year.



(S.K. Tripathi)

Chairman- cum -Managing Director

एस बंधोपाध्याय एंड कं.
कंपनी सेक्रेटरीज

उकील माठ, एन एस सरणी
एन. घोषपाड़ा, बाली
हावड़ा-711227
दूरभाष : 98301-05541
E-mail: sb_co@rediffmail.com

निगमित अभिशासन का प्रमाण-पत्र

एमएसटीसी के सदस्यगण,

हमने 31मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की परीक्षा की है, जो कि भारी उद्योग मंत्रालय एवं सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रमों का विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 में केंद्रीय लोक उद्योग 2010 के निगमित अभिशासन पर दिए गए दिशा-निर्देश में उल्लिखित है।

निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच केवल प्रक्रिया और उसके अनुपालन तक सीमित थी, जिसे कंपनी में निगमित अभिशासन के लिए अपनाया गया था। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर विचार की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के हम प्रमाणित करते हैं कि निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन, जो ऊपर उल्लिखित दिशा-निर्देशों में है, किया गया है।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पैरा 8.2.1 के अनुपालन में प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

उकील माठ, एन एस सरणी
उत्तरी घोषपाड़ा, बाली
हावड़ा, पश्चिम बंगाल
पिन-711227
1 अगस्त, 2011

कृते एस बंधोपाध्याय एंड कं.
कंपनी सेक्रेटरीज
ह/-

(संजीव कुमार बंधोपाध्याय)
सदस्य सं. एफसीएस 5910
सी पी नं. 6004

S. BANDYOPADHYAY & CO.
Company Secretaries

Ukil Maath, N. S. Sarani,
N. Ghoshpara, Bally,
Howrah – 711227.
Phone: 98301-05541
E-mail: sb_co@rediffmail.com

Certificate on Corporate Governance

To the members of
MSTC LIMITED

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by MSTC LIMITED for the year ended 31st March, 2011, as stipulated in **Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 issued by Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises vide their O.M. No. 18(8)/2005-GM dated 14th May, 2010.**

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of the opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in the above-mentioned Guidelines.

This certificate is issued in compliance of Para 8.2.1 of the above guidelines.

For S. BANDYOPADHYAY & CO.
Company Secretaries

Sd/-

Ukil Maath, N. S. Sarani,
North Ghoshpara, Bally, Howrah, West Bengal .
Pin – 711227.
1st August, 2011.

(Sanjib Kumar Bandyopadhyay)
Membership No.FCS 5910
C. P. NO.: 6004

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

एमएसटीसी

के सदस्यों को

हमने 31 मार्च, 2011 को एमएसटीसी लिमिटेड के संलग्न तुलन पत्र तथा उसके साथ लगे लाभ-हानि लेखा तथा उक्त तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के नगद प्रवाह विवरण का लेखा परीक्षण किया है। इस वित्तीय विवरण की पूरी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। हमारा दायित्व लेखा परीक्षण के आधार पर उक्त वित्तीय विवरण पर अपनी राय प्रकट करना है।

हमने लेखा परीक्षण का कार्य भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों की अपेक्षानुसार हमें लेखापरीक्षण के लिए एक योजना बनानी होती है, जिसके तहत लेखा परीक्षण द्वारा इस बात का आश्वासन दिया जा सके कि वित्तीय विवरण किसी गंभीर गलत बयानी से मुक्त है। लेखा परीक्षण के अंतर्गत, परीक्षण के तौर पर, खातों में उल्लिखित राशियों के समर्थन में दिए गए आवश्यक कागजात एवं वित्तीय विवरण में दिए गए आंकड़ों की जांच करना भी शामिल है। इसके अलावा प्रबंधन द्वारा अपनाई गई लेखानीति और तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतिकरण का आंकलन भी लेखापरीक्षण का अंग है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षण हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करता है।

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(4ए) की शर्तों में भारत के केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनियों के संशोधन आदेश 2004 (लेखा परीक्षण रिपोर्ट) द्वारा संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 की अपेक्षानुसार, हमने उक्त आदेश के अनुच्छेद 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट विषयों पर अपनी राय अनुलग्नक में प्रकट की है।
2. ऊपर अनुच्छेद (1) में उल्लिखित अनुलग्नक में हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त हमारी राय है कि :
 - (क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए जो हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।
 - (ख) हमारी राय में, लेखा बहियों की जांच से पता चलता है कि कंपनी ने विधि पूर्वक अपेक्षित सभी लेखा-बहियों का समुचित रखरखाव किया है।
 - (ग) इस प्रतिवेदन में उल्लिखित तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा एवं - नगद-प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।
 - (घ) हमारी राय में, लाभ-हानि लेखा और तुलन-पत्र विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(3सी) में उल्लिखित लेखा मानकों के अनुरूप है, केवल विदेशी मुद्रा के उत्तार-चढ़ाव दर्ज न करने के संदर्भ में लेखा मानक 11 के बारे में लेखे पर टिप्पणियों की अनुसूची संख्या 19 की मद संख्या 19.19 छोड़कर।
 - (ङ) सरकारी कंपनी होने के नाते अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 ई दिनांक 21.10.2003 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (जी) के अनुसार कंपनी के लिए निदेशकों की अयोग्यता का प्रावधान प्रयोज्य नहीं है।
 - (च) हमारी राय में हमें दी गई जानकारीयों एवं व्याख्याओं के अनुसार उक्त लेखा :
 - i. मूल्यहास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 14 में निर्धारित दरों के स्थान पर आयकर अधिनियम में निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया है। अगर मूल्यहास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 में निर्धारित दरों के अनुसार किया जाता तो वर्ष का लाभ ₹ 51 हजार कम हो जाता एवं उस हद तक अचल परिसंपत्तियां कम हो जाती। अनुसूची 19 में दिए गए लेखे पर टिप्पणियों की मद संख्या 19.8 में उल्लिखित है।

Auditors' Report

To the Members of

MSTC LIMITED

We have audited the attached Balance Sheet of MSTC LIMITED as at 31st March, 2011, the Profit & Loss Account and Cash Flow statement of the Company for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

1. As required by the Companies (Auditors' Report) Order, 2003 as amended by the Companies (Auditors' Report) Amendment Order, 2004 issued by the Central Government of India in terms of section 227(4A) of the Companies Act, 1956, We enclose in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said order.
2. Further to our above comments in the Annexure referred to in Paragraph (1) above, we report that :-
 - a. We have obtained all the information and explanation, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - b. In our opinion, proper books of accounts as required by Companies Act, 1956 have been kept by the company so far as it appears from our examination of those books.
 - c. The Balance Sheet, Profit and Loss Account and cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
 - d. In our opinion, the Profit and Loss Account and Balance Sheet dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956 *except as given in the point number 19.19 of schedule no 19 to notes on account regarding Accounting standard 11 in respect of non accounting of recognition of foreign fluctuation loss or gain.*
 - e. Being a Government Company, the provisions of Section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956 relating to disqualification of Directors are not applicable to the company in terms of Notification number GSR 829 E dated 21st October 2003 issued by Ministry of Finance, Department of Company affairs.
 - f. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, said accounts subject to
 - i. *Depreciation has been provided as per the rates prescribed in the income tax Rules in terms of Company's accounting policies, instead of rates prescribed in schedule XIV of the companies Act, 1956. Had the depreciation been calculated at the rates prescribed in the schedule XIV of the Companies Act, 1956 the profit for the year would have decreased by ₹ 51 thousand and fixed Assets are also understated to that extent. Reference is invited to Point no. 19.8 of the Notes to Account as given in schedule 19.*

- ii. निर्यात पर विदेशी मुद्रा की कीमत में उतार-चढ़ाव के लाभ/हानि का लेखा लेखा मानक 11 के अनुसार नहीं किया गया है। अगर लेखा लेखा मानक 11 के अनुपालन में किया गया होता तो विनिमय लाभ ₹145442 हजार बढ़ गया होता। चूंकि एशोसिएट के साथ समझौते के अनुसार विनिमय लाभ/हानि उनके पास चल जाता है। इसलिए कंपनी के शुद्ध लाभ रूपए 2182 हजार कम है। देनदार ₹.145442 हजार कम है और लेनदार भी ₹ 143260 हजार कम है। इस संदर्भ में लेखा पर टिप्पणी के प्वाइंट नं 19.19 में उल्लेख है।
- iii. कुछ देनदारों, लेनदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं को दी गई अग्रिम की शेष पुष्टिकरण कंपनी द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। यह बड़ी बकाया राशि है। हमारी पुष्टि के पश्चात अगर कोई समायोजन किया जाता है तो उस राशि का आंकलन हमारे द्वारा नहीं किया गया है और इसीलिए ऐसी बकाया राशि पर हमने अपनी टिप्पणी सुरक्षित रखी है।
- iv. आयात, क्रय एवं बिक्रय का लेखा लेनदेन बिल ऑफ लोडिंग की तिथि पर उपलब्ध विनिमय दरों के स्थान पर लेंटर ऑफ क्रेडिट की तिथि पर उपलब्ध विनिमय दर से लेखा बहियों में किया जाता है। बहरहाल, कंपनी की लाभप्रदता में उसका कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि बिक्रय एवं क्रय राशि उसी हद तक अति/कम है। हम मात्रा निर्धारण करने में असक्षम है चूंकि यह सुनिश्चित योग्य नहीं है।
- v. अनुसूची 19 में लेखे पर टिप्पणियों की मद संख्या 19.20 में वर्णित देनदारों में वित्तीय वर्ष 2008-09 में किए गए निर्यात के ₹ 5986300 हजार शामिल है। यह राशि उसी वर्ष में ही उन्हें भुगतान करना था, परंतु अब तक नहीं किया है। इसके लिए एम्पोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसीजीसी/एवं आईसीआईसीआई लॉम्बर्ड जेनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (आईसीआईसीआईएल)) के पास दावा दर्ज किया गया है। इसीजीसी एवं आईसीआईसीआई लॉम्बर्ड दोनों ने दावा इंकार किया है। इस कंपनी ने प्रतिभूति के रूप में सावधि जमा एवं स्थावर संपत्ति प्राप्त किए हैं, जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है। कंपनी द्वारा विभिन्न फोरमों में विभिन्न कानूनी मुकदमा आरंभ किए गए हैं एवं सुनवाई जारी है। विभिन्न कानूनी मुकदमा को देखते हुए, प्रबंधन वसूली के लिए आशापूर्ण है, इसलिए प्रावधान नहीं किया गया है। अगर लेखे बहियों में संदेहात्मक ऋण का प्रावधान किया जाता तो वर्ष का लाभ ₹ 5986300 हजार कम हो जाता एवं देनदार की राशि उसी तक बढ़ जाती। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इन देनदारों से बसूली/समायोजन के संदर्भ में तथा इसके प्रभाव पर, अगर कुछ होगा तो इसके बारे में हम अपनी राय देने में असमर्थ हैं।

हमारी राय में, उपर्युक्त एवं शेड्यूल 19 में दी गई अन्य टिप्पणियों के अधीन एवं हमें उपलब्ध कराई गई आवश्यक जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखा कंपनी अधिनियम, 1956 में यथा अपेक्षित जानकारी उस तरीके से देता है एवं भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखनीतियों के अनुरूप निम्नलिखित की सही और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराता है :

- तुलन-पत्र के मामले में कंपनी के 31 मार्च, 2011 तक के कार्यकलापों की जानकारी;
- लाभ-हानि के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष में कंपनी का लाभ एवं
- नकद प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष में नगद प्रवाह की स्थिति

कृते दास एवं प्रसाद
सनदी लेखाकार
एफआरएन 303054ई
ह/-
(सीए जी डी अगरवाल)
साझेदार
एफ नं. 004543

कोलकाता
दिनांक 26.07.2011

- ii. *Gain/loss on Foreign Exchange Fluctuation on exports is not accounted for as per AS-11. Had the company complied with AS-11, exchange gain would have increased by ₹ 145442 thousand. As the exchange gain/loss is passed to associates as per agreement with them, net profit of the company is understated by Rs.2182 thousand only. Consequently debtors are understated by ₹ 145442 thousand and creditors are understated by ₹ 143260 thousand. Reference is invited to point no 19.19 of Notes on Accounts.*
- iii. *Balance confirmation in case of some of the Sundry debtors, creditor and advances to supplier have not been obtained from the parties by the Company which involves a significant amount of dues. Adjustments required if any, on receipt of confirmations is not ascertainable by us and hence we reserve our comment on such outstanding balance.*
- iv. *In case of Imports, Purchase and sales transaction are accounted for in the books of account at the exchange rate on the due dates of letter of credit instead of exchange rates prevailing on the date of bill of lading. However there is no impact on the profitability of the Company but sales and purchases figures are over/under stated to that extent. We are unable to quantify the amount as the same is not ascertainable.*
- v. *As described in point number 19.20 of Notes on account in schedule 19, sundry debtors includes ₹5986300 thousand out of export made in the financial year 2008-09 which was already due for payment in the same year but they failed to pay till date. Against this claim has been lodged with Export Credit Guarantee Corporation of India Limited (ECGC) and ICICI Lombard General Insurance Company Limited (ICICIL). Both ECGC and ICICI Lombard had repudiated in the Claim. The Company had received Collateral Securities in the form of Fixed Deposits and Landed Property, which cannot be invoked so far. Several legal suits at different forums have been preferred by the Company and hearings are on. In view of various legal suits, management is hopeful of recovery and hence provision has not been made. In view of these facts, we are unable to opine on the recoverability/ adjustment of these debtors and thus its consequent impact, if any.*

And read together with other notes as given in schedule 19, give the information required by the Companies Act, 1956 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2011,
- In the case of Profit and Loss Account, of the Profit of the Company for the year ended on that date and
- In the case of Cash Flow Statement, of the cash flows of the company for the year ended on that date.

For DAS & PRASAD
Chartered Accountants
FRN- 303054E

Sd/-
(CA. G. D. Agarwala)
Partner

Place : Kolkata
Dated : 26th Day of July, 2011

Membership No. 004543

लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

Annexure To The Auditors' Report

(लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित के अनुसार एमएसटीसी लिमिटेड के सदस्यों को 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरण)

(REFERRED TO IN PARAGRAPH 1 OF OUR REPORT OF EVEN DATE TO THE MEMBERS OF MSTC LTD. ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011)

- 1) क) कंपनी ने परिमाण का विवरण एवं अचल संपत्तियों की स्थिति सहित पूरा ब्यौरा देते हुए उनका समुचित रिकार्ड रखा है।
ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सभी अचल संपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया। हमें दी जानकारियों एवं सूचना के अनुसार उक्त सत्यापन पर कोई विसंगति नहीं पाई गई।
ग) हमारी राय में वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों के महत्वपूर्ण भाग का विक्रय नहीं किया गया एवं इससे संबद्ध अनुमान प्रभावित नहीं हुआ है।
- 2) क) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर जहां भी करने योग्य है मार्गस्थ भंडार के अलावा भंडार की प्रत्यक्ष जांच की गई है।
ख) प्रबंधन द्वारा भंडार की प्रत्यक्ष जांच के लिए अपनाई गई पद्धति कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए उचित और पर्याप्त है।
ग) कंपनी में भंडार के रिकार्ड की समुचित व्यवस्था है। बहरहाल वहां भंडार अभिलेखों के रखरखाव में सुधार की गुंजाइश है।
- 3) क) जैसा कि बताया गया है कंपनी ने कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रजिस्टर में लिखी किसी कंपनी/फार्म/पार्टी को नहीं दिया है। अतएव आदेश कलॉज 4(iii)(बी) से (iii)(डी) के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है।
ख) जैसा कि बताया गया है कंपनी ने कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रजिस्टर में लिखी किसी कंपनी/फार्म/पार्टी से नहीं लिया है। अतएव आदेश कलॉज 4(iii)(एफ) से 4(iii)(जी) के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है।
4. कंपनी के लिखित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध नहीं है। तथापि, हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, भंडार-सामग्री और अचल संपत्तियों की खरीद एवं सामान तथा सेवाओं के विक्रय हेतु कंपनी में इसके आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां कार्यरत हैं। हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में गंभीर चूकों को दुरुस्त करने में लगातार विफलता की कोई स्थिति हमें दिखाई नहीं पड़ी। फिर भी निम्नलिखित क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मजबूत करने की आवश्यकता है :
क) वर्ष की समाप्ति पर लेखे में दर्ज करने की बजाय संबंधित लेन-देन के पूरा हो जाने पर विक्रय, क्रय, सेवा प्रभार का लेखे में

- 1) a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed Assets.
b) Fixed Assets have been physically verified by the management during the year. As informed, no material discrepancies were noticed on such verification.
c) In our opinion, during the year the Company has not discarded or disposed off any substantial part of its fixed Assets and therefore the going concern assumption is not affected.
- 2) a) The Management has conducted physical verification of inventory (pledged stock) a reasonable intervals during the year wherever applicable except material in transit.
b) The Procedures of physical of inventory followed by the management are reasonable and adequate in relation to size of the Company and nature of its business.
c) The Company is maintaining proper records of inventory. However there is scope of improvement in maintenance of Inventory records.
- 3) a) As informed, the company has not granted any loans secured or unsecured from Companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956. Therefore the provisions of clauses 4(iii)(b) to 4(iii)(d) of the order are not applicable.
b) As informed, the company has not taken any loans secured or unsecured from Companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956. Therefore the provisions of clauses 4(iii) (f) to 4(iii) (g) of the order are not applicable.
- 4) There in no written internal control manual is available with Company. However, in our opinion and according to the information and explanations given to us, there are adequate internal control procedures commensurate with the size of the Company and the nature of its business with regard to purchase of inventory and fixed assets and for sale of goods and services. Further, on the basis of our examination of the books and records of the Company and according to the information and explanation given to us, we have neither come across nor have we been informed of any continuing failure to correct major weaknesses in the aforesaid internal control procedure. However internal control needs be more strengthened on the following areas.
a). Recording of sales, purchase, service charges transactions in the books of account on completion of respective

- रिकार्ड करना। वास्तविक समय के आधार पर लेनदेन का अभिलेखन किया जाना चाहिए।
- ख) देनदारों, लेनदारों, आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि एवं सामंजस्य विवरण प्राप्ति पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है।
- ग) वर्ष के दौरान आवधिक अंतराल पर लेखे की समीक्षण
- घ) समय पर प्रिंसिपलों से करार की नवीनीकरण एवं आवधिक अंतराल पर उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन
- ङ) अगर कंपनी के साथ गिरवी सामग्री ग्राहकों के पास रहे तो कंपनी अधिकारी द्वारा आवधिक निरीक्षण की व्यवस्था प्रारंभ करना चाहिए।
- 5) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे जानेवाले रजिस्टर में दर्ज करने की जरूरत होती।
- 6) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने उक्त वर्ष के दौरान आम लोगों से कोई जमा राशि नहीं ली है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए एवं 58 एए का प्रावधान और उसके तहत बने नियम प्रयोज्य नहीं है।
- 7) हमारी राय में, कंपनी के पास आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है। बहरहाल, अधिक क्षेत्रों के कवरेज द्वारा सुधार की गुंजाईश है।
- 8) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी के अनुसार धारा 209 की उपधारा (1) के क्लॉज (डी) के तहत लागत रिकार्डों के रखरखाव का निर्धारण कंपनी में प्रयोज्य नहीं किया गया है।
- 9) क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण एवं हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के अनुसार, वर्ष के दौरान विवादरहित सांविधिक बकाया राशियां जैसे कि भविष्य निधि, निवेशक शिक्षण एवं सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निधि, आयकर, विक्रय कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, अधिभार, कर्मचारी राज्य बीमा एवं बड़ी सांविधिक राशियां नियमित रूप से समुचित प्राधिकारियों के पास जमा कर दी गई हैं। कोई राशि बकाया - नहीं है, जो उस तारीख से छः महीने से अधिक अवधि से बकाया पड़ी हो, जिस तारीख को उसका भुगतान होना चाहिए था। चूंकि आज तक केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के तहत भुगतान किए जानेवाले उपकर का निर्धारण नहीं किया है, अतः हम इस स्थिति में नहीं हैं कि उसकी नियमितता या कंपनी द्वारा उसके चुकाए जाने पर कोई टिप्पणी कर सकें।
- ख) विक्रय कर, सेवा कर, उत्पाद कर एवं प्रविष्टि कर, आयकर, सीमा शुल्क की विवादित बकाया राशि, जिसे जमा नहीं कराया गया है, का विवरण इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक 'ए' में दर्शाया गया है।
- 10) 31 मार्च, 2011 को कंपनी की कोई संचित हानि नहीं है एवं इस तारीख को समाप्त होनेवाले वित्त वर्ष तथा उसके पूर्व के वित्त वर्ष में भी इसने कोई नगद हानि नहीं की है।
- transaction rather than booking at a later date or at the year end. Recording of transaction should be done on real time basis.
- b). More focus is required in obtaining the confirmation statements from debtors, creditors, supplier and their reconciliation.
- c). Review of accounts at periodical interval during the year
- d). Timely renewal of agreements with principal and assessment of their financial position at periodic intervals.
- e). In case of pledged material with the company lying with the customers, system of periodical visits and verification by company official should be introduced.
- 5) In our opinion and according to the information and explanation given to us, there have been no transactions during the year that need to be entered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.
- 6) In our opinion and according to information and explanation given to us, the Company has not accepted any deposit from public during the year and as such provisions of Section 58A and 58AA of the Companies Act, 1956 and rules made there under are not applicable.
- 7) In our opinion, the Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business. However there are some further scopes of improvement by coverage of more areas.
- 8) As informed to us, the maintenance of cost records under clause (d) of sub-section (1) of Section 209 of the Act is not applicable to the Company.
- 9) (a) According to the information and explanation given to us and the records of the Company examined by us, the Company has been regular in depositing during the year, all undisputed statutory dues including Investor Education and Protection Fund, Provident Fund, Income-tax, Sales-tax, Wealth Tax, Service Tax, Custom Duty, Excise Duty, Cess, Employees State Insurance and any other statutory dues as applicable, with the appropriate authorities. There is no outstanding for a period more than six months from the date they become payable. Further, since the Central Government has till date not prescribed the amount of cess payable under section 441a of the Companies Act 1956 we are not in position to comment upon the regularity otherwise of the company in depositing in the same.
- (b) The details of disputed dues of sales tax, service tax, excise duty, entry tax, income tax and customs duty, which have not been deposited, are given in Annexure A to this report.
- 10) The Company does not have any accumulated losses as at 31st March 2011. It has not incurred cash losses in the current financial as well as in the immediately preceding financial year.

- 11) हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जांच-पड़ताल एवं हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वित्तीय प्रतिष्ठानों या बैंकों को बकाया राशि के भुगतान में कोई चूक नहीं की है। कंपनी द्वारा कोई ऋणपत्र जारी नहीं किया गया है।
- 12) कंपनी ने शेयरों, ऋणों एवं अन्य प्रतिभूतियों को जमानत के रूप में गिरवी रखकर उनके आधार पर किसी को ऋण या अग्रिम राशि का कोई भुगतान नहीं किया है।
- 13) चिट फंड या निधि/साझा हित निधि/सोसाइटी पर लागू होने वाले विशेष प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- 14) हमारी राय में कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों एवं अन्य निवेशों के कारोबार में संलग्न नहीं है। तदनुसार, आदेश के क्लॉज 4(xiv) के प्रावधान कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।
- 15) हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने अन्य व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों द्वारा बैंकों या अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों से लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।
- 16) हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जांच पड़ताल एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा अपने लिए कोई मियादी ऋण नहीं लिया गया है।
- 17) हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जांच के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि अल्प अवधि के लिए उगाही गई किसी भी निधि का उपयोग दीर्घअवधि के निवेश के लिए नहीं किया गया है।
- 18) कंपनी ने अधिमानता के आधार पर शेयरों का कोई आबंटन, किसी पार्टियों तथा कंपनियों को जो अधिनियम के धारा 301 के तहत रजिस्टर में हैं, नहीं किया है।
- 19) कंपनी ने किसी प्रकार का कोई ऋणपत्र जारी नहीं किया है। अतएव कोई प्रतिभूति या प्रभार सृजित नहीं हुआ है।
- 20) कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम द्वारा किसी रकम की उगाही नहीं की है।
- 21) भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार कंपनी की बहियों एवं रिकार्डों की जांच के दौरान एवं हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी द्वारा या उस के विरुद्ध धोखाधड़ी का कोई मामला या उसकी सूचना हमारी दृष्टि में नहीं आया, न ही कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें ऐसी किसी घटना की जानकारी दी गई है।
- 11) According to the records of the Company examined by us and the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in repayment of dues to a financial institution or bank. No Debentures are issued by the company.
- 12) The Company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.
- 13) The provisions of any special statute applicable to chit fund/nidhi/mutual benefit fund/societies are not applicable to the Company.
- 14) In our opinion, the Company is not dealing in or trading in shares, securities, debentures and other investments. Accordingly, the provisions of clause 4(xiv) of the order are not applicable to the Company.
- 15) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not given any guarantee for loans taken by others from bank or other financial institutions.
- 16) According to the records of the company examined by us and information and explanations given to us, no term loan was obtained during the year.
- 17) On the basis of an overall examination of the balance sheet of the Company, in our opinion and according to the information and explanations given to us, there are no funds raised on short-term basis, which have been used for long term investment.
- 18) The company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the Register maintained under section 301 of the Act.
- 19) The Company has not issued any debentures and hence no securities or charge have been created.
- 20) The Company has not raised any money by public issue during the year.
- 21) During the course of our examination of the books and records of the Company, carried out in accordance with the generally accepted auditing practices in India, and according to the information and explanations given to us, we have neither come across any instance of fraud on or by the Company, either noticed or reported during the year, nor have we been informed of such case by the management.

कृते दास एवं प्रसाद
सनदी लेखाकार
एफआरएन 303054 ई

ह/-

(सीए जी डी अगरवाल)
साझेदार
एम नं. 004543

कोलकाता
दिनांक 26.07.2011

For DAS & PRASAD
Chartered Accountants
FRN- 303054E

Sd/-

(CA. G. D. Agarwala)

Partner

Place : Kolkata

Dated : 26th Day of July, 2011

Membership No. 004543

अनुलग्नक-ए
ANNEXURE - A

(सीएआरओ के तहत पैरा ix (बी) की रिपोर्ट)
(Referred to in Paragraph ix(b) of the Report under CARO)

| कानून | बकाया राशि की प्रकृति | राशि (रु. 000) | फोरम जिसके पास विवाद लंबित | Name of the Statute | Nature of the dues | Amount (` in '000) | Forum where dispute is pending |
|------------------------|---|-------------------|---|--------------------------|--|-----------------------|--|
| उत्तर प्रदेश बिक्री कर | बिक्री कर प्राधिकारी द्वारा किया गया दावा | 3,846 | उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पास लंबित/बिक्री कर प्राधिकारी | Uttar Pradesh Sales Tax | Claim by ST Authority | 3,846 | Pending before Allahabad High Court/ST Authority |
| दिल्ली बिक्री कर | बिक्री कर प्राधिकारी द्वारा किया गया दावा | 337 | बिक्री कर अपीलीय प्राधिकारी के पास लंबित | Delhi Sales Tax | Claim by ST Authority | 337 | Pending before ST Appellate Authority |
| जम्मू कश्मीर बिक्री कर | बिक्री कर प्राधिकारी द्वारा किया गया दावा | 33 | बिक्री कर प्राधिकारी के पास लंबित | J& K Sales Tax | Claim by ST Authority | 33 | Pending before ST Authority |
| बिहार बिक्री कर | बिक्री कर प्राधिकारी द्वारा किया गया दावा | 14 | डीसीसीटी, स्पेशल, पटना के पास लंबित | Bihar Sales Tax | Claim by ST Authority | 14 | Pending before DCCCT, Special, Patna |
| असम बिक्री कर | बिक्री कर प्राधिकारी द्वारा किया गया दावा | 30 | बिक्री कर प्राधिकारी के पास लंबित | Assam Sales Tax | Claim by ST Authority | 30 | Pending before ST Authority |
| पश्चिम बंगाल बिक्री कर | बिक्री कर प्राधिकारी द्वारा किया गया दावा | 279 | बिक्री कर प्राधिकारी के पास लंबित | West Bengal Sales Tax | Claim by ST Authority | 279 | Pending before ST Authority |
| आंध्र प्रदेश बिक्री कर | बिक्री कर प्राधिकारी द्वारा किया गया दावा | 18,870 | एसटीएटी/एडीसी/उच्च न्यायालय बिक्री कर प्राधिकारी के पास लंबित | Andhra Pradesh Sales Tax | Claim made by ST Authority | 18,870 | Pending with STAT/ADC/High Court/ST Authority |
| उड़ीसा बिक्री कर | बिक्री कर प्राधिकारी द्वारा किया गया दावा | 26,916 | उच्च न्यायालय उड़ीसा के पास डिस्पोजल के लिए लंबित | Orissa Sales Tax | Claim by ST Authority | 26916 | Pending before Orissa High Court for disposal |
| तमिलनाडू बिक्री कर | बिक्री कर प्राधिकारी द्वारा किया गया दावा | 2,258 | बिक्री कर अपीलीय प्राधिकारी के पास लंबित | Tamil Nadu Sales Tax | Claim by ST Authority | 2,258 | Pending before ST Appellate Authority |
| केरल बिक्री कर | बिक्री कर प्राधिकारी द्वारा किया गया दावा | 2,447 | बिक्री कर अपीलीय प्राधिकारी के पास लंबित | Kerala Sales Tax | Claim by ST Authority | 2,447 | Pending with ST Appellate Authority |
| राजस्थान बिक्री कर | बिक्री कर प्राधिकारी द्वारा किया गया दावा | 1,616 | बिक्री कर अपीलीय प्राधिकारी के पास लंबित | Rajasthan Sales Tax | Claim by ST Authority | 1,616 | Pending before ST Appellate Authority |
| मध्य प्रदेश बिक्री कर | बिक्री कर प्राधिकारी द्वारा किया गया दावा | 920 | बिक्री कर अपीलीय प्राधिकारी के पास लंबित | Madhya Pradesh Sales Tax | Claim by ST Authority | 920 | Pending with ST Appellate Authority |
| गुजरात बिक्री कर | बिक्री कर प्राधिकारी द्वारा किया गया दावा | 91,747 | डीसी (अपील) के पास लंबित | Gujarat Sales Tax | Claim by ST Authority | 91,747 | Pending with DC (Appeal) |
| सीमा शुल्क अधिनियम | बिक्रय कर प्राधिकारी द्वारा किया गया दावा | 24,000 | विवाद निपटान समिति, मंत्रिमंडल सचिवालय के पास लंबित | Customs Act | Claim by ST Authority | 24,000 | Pending before Committee of Disposal of disputes Cabinet Secretariate. |
| आयकर अधिनियम | आयकर द्वारा किया गया दावा आकलन वर्ष 2005-06 आकलन वर्ष 2006-07 | 1,924 3,169 | अपीलीय प्राधिकारी के पास लंबित | Income Tax Act | Income Tax Demand (A.Y.-2005-06) Income Tax Demand (A.Y.-2006-07) | 1,924 3,169 | Pending with Appellate Authority |
| सेवा कर | सेवा कर मांग (वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2008-09) | 13,269 191,675 | अपीलीय प्राधिकारी के पास लंबित | Service Tax | Service Tax Demand (FY 2002-03 to FY 08-09) | 13,269 191,675 | Pending with Appellate Authority |

मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए एमएसटीसी के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

कंपनी के प्रबंधन का यह दायित्व है कि कंपनी अधिनियम 1956 में वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के बताए गए तरीके के अनुरूप 31 मार्च, 2011 को एमएसटीसी का समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करे। सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। सांविधिक लेखा परीक्षक का यह दायित्व है कि अपने विशेषज्ञ इकाई द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट की नीति द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षण एवं आशवासन के अनुरूप वित्तीय विवरणों का स्वतंत्र परीक्षण करके वह इन रिपोर्ट के ऊपर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के तहत अपनी राय प्रकट करे। 26.07.2011 के उनके लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा प्रकट है कि उनके द्वारा ऐसा ही किया गया है।

मैंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(बी) के तहत 31 मार्च, 2011 को एमएसटीसी लिमिटेड के समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण का पूरक लेखापरीक्षण किया है। यह पूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से किया गया है एवं कंपनी के कार्मिकों एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए प्रश्नों तक सीमित है एवं चुने हुए मामलों को लेखा रिकॉर्ड्स की परीक्षा की गयी है। मेरे लेखा परीक्षण के आधार पर, मेरे ज्ञान में कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण मामला सामने नहीं आया, जिस पर किसी तरह की टिप्पणी की जरूरत हो अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के तहत सांविधानिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर पूरक की जरूरत है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए एवं वास्ते
ह/-
(नंदन मुंशी)
वाणिज्यिक लेखा के प्रधान निदेशक एवं
पदेन सदस्य लेखा बोर्ड -1
कोलकाता

कोलकाता
दिनांक 18.08.2011

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT 1956 ON THE ACCOUNTS OF MSTC LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

The preparation of financial statements of MSTC Limited for the year ended 31st March 2011 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the Management of the company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the Auditing and Assurance Standards prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 26.07.2011.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 619(3)(b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of MSTC Limited for the year ended 31 March 2011. This supplementary audit has been carried out independently and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' report under section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India
Sd/-
(Nandana Munshi)
Principal Director of Commercial Audit
& Ex-Officio Member Audit Board-I

Kolkata

Date: Kolkata
The 18 August, 2011

एमएसटीसी लिमिटेड MSTC LIMITED

तुलन पत्र : 31 मार्च, 2011 BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

| | अनुसूचि SCHEDULE | As at को 31-3-11 ₹ '000 | As at को 31-3-10 ₹ '000 |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| निधियों का स्रोत | SOURCES OF FUNDS | | |
| शेयरधारकों की निधियां | Shareholders' Funds | | |
| पूंजी | Capital | 1 | 22000 |
| आरक्षित एवं अधिशेष | Reserves and Surplus | 2 | 5030049 |
| | | | 4062575 |
| | | | 5052049 |
| | | | 4084575 |
| ऋण एवं निधियां | Loan Funds | 3 | 11636908 |
| योग | TOTAL | | 15363525 |
| | | | 16688957 |
| | | | 19448100 |
| निधियों का विनियोग | APPLICATIONS OF FUNDS | | |
| अचल परिसम्पत्तियां | Fixed Assets | 4 | |
| सकल ब्लॉक | Gross Block | | 315200 |
| घटाइए : मूल्यहास | Less: Depreciation | | 141409 |
| निवल ब्लॉक | Net Block | | 173791 |
| जोड़ें : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य | Add : Capital Work-in-Progress | | 0 |
| | | | 92837 |
| | | | 173791 |
| | | | 178716 |
| निवेश | Investments | 5 | 158100 |
| आस्थगित कर परिसम्पत्तियां | Deferred Tax Assets | | 106464 |
| चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम राशियां | Current Assets, Loans and Advances | | |
| चालू परिसम्पत्तियां | Current Assets | | |
| व्यापारगत भंडार | Stock-in-Trade | 6 | 161785 |
| विविध देनदार | Sundry Debtors | 7 | 9852938 |
| नगद एवं बैंक शेष | Cash and Bank Balance | 8 | 8844697 |
| अन्य चालू परिसंपत्तियां | Other Current Assets | 10 | 118787 |
| | | | 18978207 |
| | | | 35794777 |
| ऋण एवं अग्रिम | Loans and Advances | 9 | 14851401 |
| | | | 33829608 |
| | | | 51265018 |
| घटाइए : चालू देयताएं एवं प्रावधान | Less : Current Liabilities and Provisions | 11 | 17579006 |
| निवल चालू परिसम्पत्तियां | Net Current Assets | | 16250602 |
| कुल | TOTAL | | 16688957 |
| लेखे पर टिप्पणियाँ | NOTES ON ACCOUNTS | 19 | 19448100 |

अनुसूचियां 1 से 11 और 19 कंपनी के तुलन-पत्र के अभिन्न अंग हैं।

Schedules from 1 to 11 and 19 form an integral part of the Balance Sheet of the Company.

हमारे ऊपर उल्लिखित दिनांक के प्रतिवेदन के संदर्भ में

In terms of our report of even date

कृते एमएसटीसी लिमिटेड
For MSTC Limited

कृते दास एवं प्रसाद
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 303054 ई
(सीए जी डी अगरवाल)
साझेदार
एम नं. 004543

For Das & Prasad
Chartered Accountants
Regn. No. 303054 E
(CA. G. D. Agrawala)
PARTNER
M No. 004543

(एस के त्रिपाठी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(S K Tripathi)
CHAIRMAN-CUM-
MANAGING DIRECTOR

(ए के बसु)
निदेशक (वित्त)
(A K Basu)
DIRECTOR FINANCE

दिनांक/ 26 जुलाई 2011
Deted the 26th Day of July, 2011
कोलकाता/Kolkata

(तापस बसु)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Tapas Basu)
GENERAL MANAGER
FINANCE & ACCOUNTS

(सुब्रत कुमार राय)
कंपनी सचिव
(Subrata Kumar Ray)
COMPANY
SECRETARY

एमएसटीसी लिमिटेड MSTC LIMITED

**लाभ एवं हानि लेखा : 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011**

| | | अनुसूचि SCHEDULE | 2010-11 ₹ '000 | 2009-10 ₹ '000 |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| आय | INCOME | | | |
| विक्रय | Sales | 12 | 16583947 | 40908815 |
| सेवा प्रभार | Service Charges | | 1612569 | 1022109 |
| अन्य आय | Other Income | 13 | 1276607 | 1880870 |
| | | | <u>19473123</u> | <u>43811794</u> |
| व्यय | EXPENDITURE | | | |
| विक्रय मूल्य | Cost of Sales | 16 | 16421755 | 40595963 |
| कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं सुविधाएं | Employees' Remuneration and Benefits | 14 | 345258 | 221890 |
| प्रशासनिक खर्चे | Administrative Expenses | 15 | 140310 | 116400 |
| वित्तीय प्रभार | Financial Charges | 17 | 1024457 | 1418285 |
| नीलामी/निविदा व्यय | Auction/Tender Expenses | | 15721 | 14807 |
| संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान | Provision for Doubtful Debts | | 6549 | 45000 |
| पूर्व अवधि मदें | Prior Period Items | 18 | 12049 | 22752 |
| | | | <u>17966099</u> | <u>42435097</u> |
| लाभ | PROFIT | | | |
| कर एवं मूल्यहास पूर्व लाभ | Profit before Depreciation & Tax | | 1507024 | 1376697 |
| घटाएं : मूल्यहास | Less : Depreciation | 4 | 12981 | 16755 |
| करपूर्व लाभ | Profit before Tax | | 1494043 | 1359942 |
| घटाएं : कराधान के लिए प्रावधान | Less: Provision for Taxation | | | |
| चालू कर | Current Tax | | 502448 | 476314 |
| आस्थगित कर | Deferred Tax | | (47) | 22666 |
| करोपरांत लाभ | Profit after Tax | | <u>991642</u> | <u>860962</u> |
| समायोजन | APPROPRIATIONS | | | |
| प्रस्तावित लाभांश | Proposed Dividend | | 22000 | 172260 |
| प्रस्तावित लाभांश पर कर | Tax on Proposed Dividend | | 2168 | 27869 |
| सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरण | Transferred to General Reserve | | 967474 | 660833 |
| | | | <u>991642</u> | <u>860962</u> |
| प्रति शेयर बेसिक एवं डायल्यूटेड आय (₹. में) | Basic and Diluted Earning per share (in ₹) | | <u>450.75</u> | <u>391.35</u> |
| लेखे पर टिप्पणियाँ | NOTES ON ACCOUNTS | 19 | | |

अनुसूचियां 12 से 18 और 19 कंपनी के लाभ-हानि लेखे का अभिन्न अंग हैं।

Schedules from 12 to 18 and 19 form an integral part of the Profit & Loss Account of the Company.

हमारे ऊपर उल्लिखित दिनांक के प्रतिवेदन के संदर्भ में

In terms of our report of even date

कृते एमएसटीसी लिमिटेड

कृते दास एवं प्रसाद
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 303054 ई
(सीए जी डी अगरवाल)
साझेदार
एम नं. 004543

For Das & Prasad
Chartered Accountants
Regn. No. 303054 E

(CA. G. D. Agrawala)
PARTNER
M No. 004543

(एस के त्रिपाठी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(S K Tripathi)
CHAIRMAN-CUM-
MANAGING DIRECTOR

For MSTC Limited

(ए के बसु)
निदेशक (वित्त)
(A K Basu)
DIRECTOR FINANCE

दिनांक/ 26 जुलाई 2011
Dated the 26th Day of July, 2011
कोलकाता/Kolkata

(तापस बसु)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Tapas Basu)
GENERAL MANAGER
FINANCE & ACCOUNTS

(सुब्रत कुमार राय)
कंपनी सचिव
(Subrata Kumar Ray)
COMPANY
SECRETARY

तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियाँ : 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
SCHEDULES forming part of Balance Sheet as at 31st March, 2011

| | | As at 31-3-11 को ₹ '000 | As at 31-3-10 को ₹ '000 |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. शेयर पूंजी | SHARE CAPITAL | | |
| प्राधिकृत पूंजी : | Authorised Capital : | | |
| प्रत्येक रु. 10/- के 50,00,000 ईक्विटी शेयर | 50,00,000 Equity Shares of ` 10/- each | 50000 | 50000 |
| ईक्विटी शेयर पूर्णतः प्रदत्त एवं जारी | Issued, Subscribed and fully Paid up | | |
| प्रत्येक रु. 10/- के 22,00,000 ईक्विटी शेयर | 22,00,000 Equity Shares of ` 10/- each | | |
| (इनमें से प्रारक्षित राशि को पूंजी में बदलते हुए | (Of the above 11,00,000 Shares are allotted as fully | | |
| 11,00,000 शेयरों को बोनस शेयर के रूप में | paid Bonus Shares by capitalisation of Reserves) | 22000 | 22000 |
| आबंटित किया गया) | | | |
| 2. आरक्षित एवं अधिशेष | RESERVES AND SURPLUS | | |
| सामान्य आरक्षित निधि : | General Reserve | | |
| गत तुलन पत्र के अनुसार | As per last Balance Sheet | 4062575 | 3401742 |
| जोड़ : लाभ-हानि लेखा से अंतरित | Add : Transferred from Profit & Loss Account | 967474 | 660833 |
| | | <u>5030049</u> | <u>4062575</u> |
| 3. ऋण निधि | LOAN FUNDS | | |
| आरक्षित ऋण : | SECURED LOAN | | |
| (मियादी जमा रसीद के समर्थन से प्रतिभूत) | (Secured by lien on FDR) | | |
| यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया से | From United Bank of India | 879087 | 215590 |
| इंडियन ओवरसीज बैंक से | From Indian Overseas Bank | 4590 | 4384280 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से | From Union Bank of India | 1497484 | 0 |
| इंडियन बैंक से | From Indian Bank | 1814123 | 0 |
| कारपोरेशन बैंक से | From Corporation Bank | 0 | 122031 |
| | | <u>4195284</u> | <u>4721901</u> |
| अनारक्षित ऋण : | UNSECURED LOAN | | |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से | From Union Bank of India | 1000000 | 2500000 |
| बैंक ऑफ इंडिया से | From Bank of India | 5000000 | 4500000 |
| यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया से | From United Bank of India | 0 | 1950000 |
| निर्यात के लिए बैंक ऋण | Bank Loan for Export | 1441624 | 1691624 |
| | | <u>11636908</u> | <u>15363525</u> |

4. अचल सम्पत्तियां/FIXED ASSETS

₹ '000

| विवरण DESCRIPTION | सकल सम्पत्ति GROSS BLOCK | | | मूल्यहास DEPRECIATION | | | | शुद्ध सम्पत्ति NET BLOCK | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| | 1.4.10 को लागत | वर्ष के दौरान जोड़ | वर्ष के दौरान विक्रय/समायोजन | 31.3.11 को लागत | 31.3.10 तक | वर्ष के दौरान | विक्रय पर | 31.3.11 तक | 31.3.11 को | 31.3.10 को |
| | Cost as on 1-4-10 | Addition during the year | Sale/Adj. during the year | Total cost as on 31-3-11 | Upto 31-3-10 | During the year | On sales | Upto 31-3-11 | As at 31-3-11 | As at 31-3-10 |
| फर्नीचर और फिक्सचर Furniture & Fixture | 30712 | 104 | 429 | 30387 | 9985 | 2080 | 183 | 11882 | 18505 | 20727 |
| ऑफिस साज-सामान Office Equipment | 17203 | 123 | 235 | 17091 | 9617 | 1219 | 192 | 10644 | 6447 | 7586 |
| कार्यालय मोटर कार Office Motor Car | 1301 | 0 | 0 | 1301 | 265 | 155 | 0 | 420 | 881 | 1036 |
| एयर कंडीशनर एवं वाटर कूलर Air-conditioner & Water Cooler | 6313 | 312 | 272 | 6353 | 3356 | 504 | 207 | 3653 | 2700 | 2957 |
| पार्टीशन एवं क्यूबिकल्स Partition and Cubicles | 23329 | 41 | 0 | 23370 | 7598 | 1578 | 0 | 9176 | 14194 | 15731 |
| कंपनी फ्लैट्स Company Flats | 16653 | 0 | 0 | 16653 | 10936 | 286 | 0 | 11222 | 5431 | 5717 |
| पट्टवाली भूमि एवं बिल्डिंग Leasehold Land & Building | 24386 | 99715 | 0 | 124101 | 0 | 2042 | 0 | 2042 | 122059 | 24386 |
| ईडीपी EDP | 95521 | 959 | 536 | 95944 | 87782 | 5117 | 529 | 92370 | 3574 | 7739 |
| | 215418 | 101254 | 1472 | 315200 | 129539 | 12981 | 1111 | 141409 | 173791 | 85879 |
| पूंजीगत कार्य प्रगति Capital work-in -progress | 92837 | 6887 | 99724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92837 |
| कूल Total | 308255 | 108141 | 101196 | 315200 | 129539 | 12981 | 1111 | 141409 | 173791 | 178716 |
| विगत वर्ष Previous Year | 311145 | 21114 | 24004 | 308255 | 136576 | 16755 | 23792 | 129539 | 178716 | |

| | | को/As at 31.3.11 (₹ '000) | को/As at 31.3.10 (₹ '000) |
|---|---|--|--|
| 5. निवेश | INVESTMENTS | | |
| व्यापार के अतिरिक्त लंबी अवधि के (अनकोटेड) | Long Term other than Trade (Unquoted) | | |
| i) फेरो स्क्रेप निगम लि. उसके 1000/- रूपए की दर से पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी 20000 शेयर | (i) 20000 Equity Shares of ₹ 1000/- each fully paid up in subsidiary Company Ferro Scrap Nigam Ltd. | 158100 | 158100 |
| | | <u>158100</u> | <u>158100</u> |
| 6. भंडार माल (तैयार माल) | STOCK-IN-TRADE (Finished Goods) | | |
| (प्रबंधन द्वारा गृहीत मूल्यांकित और प्रमाणित) | (As taken, valued and certified by the management) | | |
| मार्गस्थ भंडार | In Transit | 161785 | 0 |
| | | <u>161785</u> | <u>0</u> |
| 7. विविध देनदार | SUNDRY DEBTORS | | |
| आरक्षित | Secured : | | |
| छ: महीने से कम अवधि | Less than Six months | 3455970 | 14348942 |
| छ: महीने से अधिक अवधि | More than Six Months | 0 | 357930 |
| अनारक्षित | Unsecured : | | |
| छ: महीने से अधिक अवधि के लिए आउटस्टैंडिंग डेट्स | Debts outstanding for a period exceeding six months | | |
| असंदेहत्माक | Considered good | 5989491 | 6010865 |
| संदेहात्मक | Considered doubtful | 249633 | 243084 |
| | | <u>6239124</u> | <u>6253949</u> |
| अन्य ऋण | Other Debts | 407477 | 539695 |
| | | <u>6646601</u> | <u>6793644</u> |
| घटाएं : प्रावधान | Less: Provision | 249633 | 243084 |
| | | <u>9852938</u> | <u>21257432</u> |
| 8. नगद एवं बैंक शेष | CASH AND BANK BALANCES | | |
| हाथ में नगदी एवं स्टाम्प | Cash and Stamp on hand | 109 | 140 |
| अनुसूचित बैंकों में जमा शेष | Balances with Scheduled Banks on : | | |
| चालू खाता | Current Accounts | 752932 | 1071496 |
| लामांश खाता | Dividend Accounts | 2948 | 3098 |
| जमा खाता | Deposit Accounts | 8088708 | 13357227 |
| | | <u>8844697</u> | <u>14431961</u> |

| | | को/As at 31.3.11 | को/As at 31.3.10 |
|--|--|----------------------------|----------------------------|
| | | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 9. ऋण एवं अग्रिम | LOANS AND ADVANCES | | |
| आरक्षित (असंदेहात्मक) | Secured (Considered Good) | | |
| कर्मचारियों को ऋण | Loans to Employees | 28107 | 27719 |
| अनारक्षित (असंदेहात्मक) | Unsecured (Considered Good) | | |
| नगद या वस्तुगत रूप में प्राप्त मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम | Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received | 12318959 | 13435245 |
| अनारक्षित (संदेहात्मक) | Unsecured (Considered Doubtful) | | |
| नगद या वस्तुगत रूप में प्राप्त मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम | Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received | 74785 | 74785 |
| जमा | Deposits | 204314 | 172031 |
| आयकर का अग्रिम भुगतान | Advance Payment of Income Tax | 2300021 | 1835246 |
| | | <u>14926186</u> | <u>15545026</u> |
| घटाएं : प्रावधान | Less : Provision | 74785 | 74785 |
| | | <u>14851401</u> | <u>15470241</u> |
| 10. अन्य चालू परिसम्पत्तियां | OTHER CURRENT ASSETS | | |
| अग्रिम एवं जमा पर प्राप्य ब्याज | Interest Receivable on Deposits and Advances | 90247 | 76844 |
| निवेश जमा योजना के तहत आईडीबीआई में जमा | Deposit with IDBI under Investment Deposit Scheme | 28401 | 28401 |
| फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड से प्राप्य (सहायक कंपनी){वर्ष भर में एक विशेष समय पर अधिकतम बकाया ₹ 139 हजार (गत वर्ष ₹ 142 हजार)} | Receivables from Ferro Scrap Nigam Ltd. (A Subsidiary Company){Maximum amount due at any time during the year ₹ 139 thousand (Previous year ₹ 142 thousand)} | 139 | 139 |
| | | <u>118787</u> | <u>105384</u> |
| 11. चालू देयताएं एवं प्रावधान | CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS | | |
| क. चालू देयताएं | A. Current Liabilities | | |
| देनदार : | Creditors for : | | |
| माल तथा सेवा | Goods and Services | 11611979 | 26255868 |
| खर्च | Expenses | 128893 | 182334 |
| | | <u>11740872</u> | <u>26438202</u> |
| बगैर दावा वाला लाभांश | Unclaimed Dividend | 2948 | 3098 |
| अन्य देयताएं | Other Liabilities | 3585321 | 3895473 |
| | | <u>15329141</u> | <u>30336773</u> |
| ख. प्रावधान | B. Provisions | | |
| आयकर के लिए कर प्रावधान | Provision for Income Tax | 2217616 | 1715168 |
| लाभांश पर कर प्रावधान | Provision for Tax on Dividend | 2168 | 27869 |
| अनुबंधी लाभों पर कर प्रावधान | Provision for Fringe Benefit Tax | 8081 | 8081 |
| प्रस्तावित लाभांश | Proposed Dividend | 22000 | 172260 |
| कुल | TOTAL | <u>17579006</u> | <u>32260151</u> |

लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित अनुसूचियाँ : 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
SCHEDULES forming part of Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2011

| | | <u>2010-11</u> | <u>2009-10</u> |
|---|---|-----------------|-----------------|
| | | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 12. बिक्री | SALES | | |
| सामानों की बिक्री | Sale of Goods | 16583947 | 38856941 |
| निर्यात बिक्री | Export Sale | 0 | 2051874 |
| | | <u>16583947</u> | <u>40908815</u> |
| 13. अन्य आय | OTHER INCOME | | |
| ब्याज : | Interests on: | | |
| बैंक जमा | Bank Deposits | 619900 | 1083675 |
| अन्य | Others | 482155 | 765505 |
| | (क/A) | <u>1102055</u> | <u>1849180</u> |
| निवेश से आय (व्यापार के अतिरिक्त) : | Income from Investments (Other than Trade) : | | |
| फेरो स्क्रैप निगम लि. (सहायक कंपनी) | Dividend from Ferro Scrap Nigam Ltd. | 8637 | 4466 |
| से लाभांश | (A Subsidiary Company) | | |
| | ख/B) | <u>8637</u> | <u>4466</u> |
| विविध आय (जब्त इएमडी राशि एवं विविध शेष का रिटेन बैक) ई ऑक्शन रजिस्ट्रेशन | Miscellaneous Income (Includes EMD forfeited and Sundry Balances written Back) E-auction Registration | 133657 | 1120 |
| | (ग/C) | <u>32258</u> | <u>26104</u> |
| | | 165915 | 27224 |
| कुल (क+ख+ग) | TOTAL (A+B+C) | <u>1276607</u> | <u>1880870</u> |
| 14. कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाएं | EMPLOYEES' REMUNERATION AND BENEFITS | | |
| वेतन, मजदूरी एवं भत्ते | Salaries, Wages and Allowances | 228682 | 123125 |
| भविष्य निधि में अंशदान एवं अन्य अनुषंगी खर्च | Contribution to P.F. and other incidental Expenses | 17490 | 17278 |
| एक्सग्रेसिया/बोनस | Ex-gratia/Bonus | 32309 | 37965 |
| श्रमिक एवं कर्मचारी कल्याण | Workmen and Staff Welfare | 21921 | 20944 |
| छुट्टी नगदीकरण | Leave Encashment | 15513 | 2477 |
| ग्रेच्युटी (जीवन बीमा निगम को ग्रुप ग्रेट्यूटी की दी गई राशि सहित) | Gratuity (including group gratuity premium paid to LIC) | 29343 | 20101 |
| | | <u>345258</u> | <u>221890</u> |

| | | <u>2010-11</u> | <u>2009-10</u> |
|--|--|-----------------|-----------------|
| | | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 15. प्रशासनिक खर्च | ADMINISTRATIVE EXPENSES | | |
| मरम्मत एवं अनुरक्षण | Repairs and Maintenance | 27216 | 23151 |
| बीमा | Insurance | 284 | 460 |
| किराया | Rent | 26997 | 24728 |
| उपकर एवं कर | Rates and Taxes | 7775 | 4076 |
| यात्रा खर्च | Travelling Expenses | 26530 | 20297 |
| प्रशिक्षण, बैठक एवं सम्मेलन | Training, Meeting and Conference | 1815 | 795 |
| निदेशक शुल्क | Directors' Fees | 218 | 63 |
| लेखा परीक्षक शुल्क | Payment to Auditors' | | |
| आडिट शुल्क | For Audit Fees | 100 | 100 |
| कर लेखापरीक्षण शुल्क | For Tax-Audit | 20 | 20 |
| प्रमाणन के लिए शुल्क | Fees for certification | 0 | 9 |
| फुटकर खर्च के लिए प्रतिपूर्ति | Reimbursement of Out-of-Pocket expenses | 509 | 0 |
| टैलेक्स, डाक एवं टेलीग्राम | Telex, Postage and Telegram | 2784 | 2966 |
| बिजली | Electricity | 7311 | 7349 |
| छपाई एवं लेखन सामग्री | Printing and Stationery | 3687 | 3612 |
| मनोरंजन | Entertainment | 799 | 1321 |
| टेलीफोन प्रभार | Telephone Charges | 3479 | 3510 |
| विज्ञापन | Advertisement | 2522 | 3042 |
| विधि खर्च | Legal Expenses | 8982 | 2602 |
| परामर्श प्रभार | Consultancy Charges | 6862 | 8507 |
| लेखा परीक्षण से संबंधित खर्च | Out-of-Pocket Expenses (Internal Auditor) | 551 | 779 |
| विविध खर्च | Miscellaneous Expenses | 1441 | 451 |
| स्टाफ नियुक्ति खर्च | Staff Recruitment Expenses | 243 | 832 |
| पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें | Newspaper, Books and Periodicals | 611 | 1034 |
| नैगमिक सामाजिक दायित्व | Corporate Social Responsibility | 9574 | 6696 |
| | | <u>140310</u> | <u>116400</u> |
| 16. विक्रय लागत | COST OF SALES | | |
| वर्षारंभ का स्टॉक | Opening Stock | 0 | 16502 |
| सामान का क्रय | Purchase of Goods | 16489280 | 38381624 |
| निर्यात के लिए क्रय | Purchase for Export | 0 | 2050848 |
| अन्य प्रत्यक्ष खर्च | Other Direct Expenses | 94260 | 146989 |
| | | <u>16583540</u> | <u>40595963</u> |
| घटाएं : वर्षांत स्टॉक | Less: Goods in transit | 161785 | 0 |
| | | <u>16421755</u> | <u>40595963</u> |
| 17. वित्तीय प्रभार | FINANCIAL CHARGES | | |
| बैंक प्रभार | Bank Charges | 3850 | 3000 |
| बैंक ऋण पर ब्याज | Interest on Loan from Bank | 926125 | 1343951 |
| ग्राहकों को चुकाया गया ब्याज | Interest paid to customers | 94482 | 71334 |
| | | <u>1024457</u> | <u>1418285</u> |
| 18. पूर्व अवधि के लिए मदें | PRIOR PERIOD ITEMS | | |
| नामे (डेबिट) | DEBIT | | |
| विपणन ग्राहकों के लिए डिफरन्शियल मार्क अप प्रिंसिपलों के लिए सेवा प्रभार की विभिन्न दरें | Differential mark up for Marketing customer | 6558 | 26489 |
| 2009-10 के लिए दिए गए खर्च | Differential rate in service charge for Principals | 0 | 263 |
| | Expenses paid for 2009-10 | 5491 | 0 |
| | | <u>12049</u> | <u>26752</u> |
| क्रेडिट | CREDIT | | |
| खर्च की वापसी | Refund of Expenses | 0 | 46 |
| 2008-09 का विक्रय | Sale of 2008-09 | 0 | 3954 |
| | | <u>0</u> | <u>4000</u> |
| शुद्ध डेबिट/(क्रेडिट) | NET DEBIT/(CREDIT) | <u>12049</u> | <u>22752</u> |

19. 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लेखे की अंगीभूत टिप्पणियां

19.1 महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां

19.1.1 लेखा का आधार

कंपनी ने अपनी लेखा कंपनियों के लेखा मानक नियम, 2006 के अधिसूचित लेखा मानकों एवं कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार पारंपरिक पद्धति के अनुसार तैयार किया है।

19.1.2 अचल संपत्ति

अचल संपत्तियों की गणना उनके अर्जन-लागत से संचित मूल्यहास को घटाकर की जाती है। मूल्यहास का निर्धारण पुरांकित मूल्य पद्धति के अनुसार आयकर अधिनियम, 1962 में विनिर्धारित शर्तों एवं दरों पर किया जाता है। पट्टाधृत भूमि का मूल्य पट्टे की अवधि तक चुकाना पड़ेगा।

सॉफ्टवेयर जिसमें उम्मीद है कि भविष्य में आर्थिक लाभ होगा, वहीं पूंजी है। पूंजीकरण के लागत में लाइसेंस फीस तथा कार्यालयन/सेसटेम्स एकीकरण प्रणाली सेवाओं की लागत शामिल है। लागत को उसी वर्ष में कैपटालाइज किया जाता है जिस वर्ष में संबंधित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है।

19.1.3 निवेश

जो निवेश एक वर्ष से अधिक के लिए हैं/किए जाने हैं, उन्हें दीर्घकालीन निवेश माना जाता है। निवेशों की गणना लागत के अनुसार की जाती है। लाभ-हानि को केवल बिक्री के वक्त आय/खर्च के रूप में जोड़ा जाता है। वर्तमान निवेश का लागत कम आंका जाता है तथा उचित मूल्य का निर्धारण व्यक्ति निवेश के आधार पर किया जाता है। तब लाभांश को मान्यता प्राप्त होता है जब उसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

19.1.4 माल-भंडार

मार्गरथ सामान सहित व्यापारगत माल-भंडार की मूल्य गणना उसके लागतमूल्य या प्राक्कलित शुद्ध प्राप्योग्य कीमत, दोनों में जो भी कम हो, के आधार पर की जाती है। लागत में क्रय मूल्य और अन्य प्रत्यक्ष खर्च जोड़ लिए जाते हैं।

19.1.5 क्रय, विक्रय एवं सेवा शुल्क

राजस्व की गणना यह मान कर की जाती है कि आर्थिक लाभ का प्रवाह कंपनी को होगा एवं राजस्व का समुचित आंकलन संभव है।

(1) क्रय

i) आयातित सामग्री को लदान-बिल की तारीख के आधार पर क्रय के रूप में लेखा में शामिल किया जाता है। जहां तक मूल्य का संबंध है, की गई खरीद को वास्तविक प्रेषण के आधार पर एवं जहां इस तरह का प्रेषण वित्त वर्ष के अंत तक नहीं हुआ हो, पर माल बुक किया गया हो वहां पहले से तय अग्रेषण विनिमय दरों या अगर अग्रेषण पत्र नहीं लिया गया हो तो वित्त वर्ष के आखिरी

19. NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

19.1 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

19.1.1 BASIS OF ACCOUNTING

The Company prepares its accounts on accrual basis under the historical cost convention in accordance with the accounting standards prescribed in Companies Accounting Standards Rules, 2006 and the relevant provisions of the Companies Act, 1956.

19.1.2 FIXED ASSETS

Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation. Depreciation is charged on written down value method at the rates prescribed in the Income Tax Rules, 1962. Cost of leasehold land is amortised over the lease period.

Software is capitalized where it is expected to provide future enduring economic benefits. Capitalisation cost includes Licence fees and cost of implementation/system integration services. The cost is capitalized in the year in which the relevant software is put to use.

19.1.3 INVESTMENT

Investments held / intended to be held for a period exceeding one year are classified as long term investments and the same are stated at cost. Gains/losses on long term investments are considered as income/expenditure at the time of sale only. Current investments are stated at lower of cost and fair value determined on an individual investment basis. Dividends are recognized when the right to receive the same is established

19.1.4 INVENTORIES

Stock in trade including Material-in-transit is valued at cost or estimated net realisable value whichever is less. The cost includes purchase cost and other direct expenses.

19.1.5 PURCHASES, SALES AND SERVICE CHARGES

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reasonably measured.

(1) Purchases

i) Imported materials are accounted for as purchase on the basis of date of bill of lading. As regards value, purchase are booked on the basis of actual remittance and where such remittance are outstanding at the close of the year, on the basis of contracted forward exchange rates, if booked, or spot exchange rates prevailing on the last date of the financial year, in case forward

दिन को लागू तत्कालीन विनिमय दरों पर, यथास्थिति, लेखा में सी एंड एफ/सीआईएफ के साथ दर्ज किया जाता है एवं तत्पश्चात अंतिम समायोजन अगले वित्त वर्ष में भुगतान की तय तारीख पर किया जाता है।

ii) स्वदेशी सामग्री के मामले में, खरीदों को विक्रेता के बीजकों की तारीख के आधार पर लेखा में डाला जाता है। जहां तक मूल्य का संबंध है, बीजकों पर अंकित मूल्य को ही खरीद-मूल्य माना जाता है।

iii) निर्यात के लिए खरीदी गई सामग्री के मामले में, खरीद को विक्रेता के बीजक की तारीख के आधार पर खाते में दर्ज किया जाता है।

(2) विक्रय

i) हाई-सी बिक्री को हाई-सी विक्रय पत्र निर्गत होने की तारीख के आधार पर लेखे में बुक किया जाता है। जहां तक लागत का संबंध है, यदि माल बुक किया गया हो तो, पहले से तय अग्रेषण-विनिमय दरों पर या अनंतिम रूप से बुक किया गया हो तो वित्त वर्ष के समापन की तारीख पर प्रचलित हाजिर विनिमय दरों पर, जहां अग्रेषण पत्र नहीं लिया गया है, मूल्य की गणना सी एंड एफ/सीआईएफ के साथ की जाती है तथा मियादी ब्याज अंतिम समायोजन अगले वित्त वर्ष में भुगतान की तय तारीख पर कर दिया जाता है।

ii) डॉक के बाहर/जहाज के बाहर/बांड के बाहर की गई आयातित सामान की बिक्री को, पहले से तयशुदा दरों पर डिलीवरी आर्डर की तारीख/बांड ट्रांसफर के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

iii) यार्ड से बाहर बेचे गए सामानों को, पहले से तयशुदा दरों पर ग्राहकों को की गई वास्तविक डिलीवरी के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

iv) विक्रय-अंतरण को तयशुदा दरों पर बिक्री - बीजक पर अंकित तारीख के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

v) स्वदेशी सामग्री के मामले में, की गई बिक्री को कंपनी द्वारा जारी डिलीवरी आर्डर के आधार पर एवं जूट के लिए मिल की रसीद नोट के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

vi) निर्यात के मामले में बिक्री को शिपमेंट की तारीख के आधार पर लेखा में दर्ज किया जाता है। जहां तक मूल्यों का संबंध है, बिक्री या तयशुदा विनिमय दरों पर यदि बुक की गई है, या माल की निकासी दस्तावेज के अनुसार शिपमेंट की तारीख पर दरों में निर्यात के वास्तविक वसूली पर अंतिम समायोजन के बाद लेखे में लिया जाता है।

(3) सेवा शुल्क

प्रिंसिपलों की ओर से स्क्रेप का बिक्री कार्य करने के वास्ते अथवा - नीलामी, निविदा या अन्य विधियों से सरकारी उपक्रमों और इस्पात संयंत्रों के लिए स्क्रेप के आबंटन या प्रेषण कार्य के वास्ते प्राप्त पारिश्रमिक को सेवा-शुल्क के रूप में लेखा में लिया जाता है।

cover was not taken, as the case may be, which includes C&F/CIF price and usance interest followed by final adjustments on actual payment in subsequent financial year.

ii) In case of indigenous materials, purchases are booked on the basis of date of sellers' invoices. As regards value, purchases are booked based on the value of invoices.

iii) In case of purchase of material for export, purchases are booked on the basis of date of sellers' invoices.

(2) Sales

i) High sea sales are booked on the basis of date of issuance of high sea sale letter. As regards value, sales are booked either at contracted forward exchange rates, if booked, or provisionally on the basis of spot exchange rates prevailing on the last date of the financial year, where forward cover was not taken, which includes C&F/CIF price, usance interest followed by final adjustment on due date of payment in subsequent financial year.

ii) Ex-dock/Ex-ship/Ex-bond sale of imported materials are accounted for on the basis of the date of delivery order/transfer of bond at contracted rates.

iii) Ex-yard sale of materials are accounted for on the basis of physical delivery of the material to the customers at contracted rates.

iv) Conversion sales are accounted for on the basis of date of sale invoices at contracted rate.

v) In case of indigenous material, sales are accounted for on the basis of delivery orders issued by the Company and on the basis of mills receipt note in the case of jute.

vi) In case of export, sales are accounted for on the basis of date of shipment. As regards value, sales are booked either at contracted forward exchange rates, if booked, or at the rate on the date of shipment as per custom clearance document, followed by final adjustment on actual realization of export proceeds.

(3) Service Charges

Remuneration for transaction through facilitator mode, conducting sales on behalf of Principals, allotment or despatches of scrap of Public Sector Undertakings and steel plants, whether by way of auctions, tenders, or any other means, are accounted for as service charges.

19.1.6 सेवा शुल्क

(अ) सेवा शुल्क को तयशुदा दरों पर आय के रूप में निम्नलिखित रूप से लेखा में शामिल किया जाता है :

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा एवं अन्य सरकारी विभागों की ओर से की गई नीलामी-बिक्री के मामले में, बिक्री आदेशों/डिलीवरी आदेशों के जारी होने पर।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा एवं अन्य सरकारी विभागों की ओर से की गई निविदा बिक्री के मामले में डिलीवरी आदेश जारी होने पर।

(iii) इस्पात संयंत्रों की ओर से निर्धारित मूल्य पर बिक्री के मामले में, संयंत्रों से किए गए वास्तविक प्रेषण के आधार पर।

(iv) इस्पात संयंत्रों के कबाड़ से स्क्रेप की पुनर्प्राप्ति के मामले में, स्क्रेप प्रोसेसिंग यार्ड से किए गए वास्तविक प्रेषण के आधार पर।

(v) ई-नीलामी के जरिए कोयला-विक्रय के मामले में नीलामी बोली-पत्र के आधार पर प्राप्त फ्लोर प्राईस और फ्लोर प्राईस से अधिक बोली मूल्य पर माल उठाने की रसीद पर। कोयला ई-बुकिंग के मामले में अंकित मूल्य के आधार पर। स्पॉट ई-ऑक्शन के मामले में बोली मूल्य के आधार पर।

(vi) ई-विक्रय के संतोषजनक समाप्ति पर।

(vii) ई-प्रोक्योरमेंट के संतोषजनक समाप्ति पर या क्रय आदेश जारी करने पर।

(ब) इस्पात संयंत्रों की ओर से तयशुदा एकमुश्त रकम पर की गई - नीलामी-बिक्री के फलस्वरूप वास्तव में की गई नीलामी के दिनों की संख्या के आधार पर प्राप्त सेवा शुल्क को लेखा में आय के रूप में लिया जाता है।

उपर्युक्त (अ) और (ब) के मामले में, सेवा शुल्क को बिक्री के आधार पर लेखा में शामिल करते हुए, प्रिंसिपलों द्वारा वास्तविक डिलीवरी के आधार पर समायोजन, यदि कोई हो, किया जाता है।

(स) मध्यस्थ के रूप में क्रय से प्राप्त सेवा-शुल्क को तयशुदा दर पर लदान बिल की/रेलवे रसीद/लोरी रसीद की तारीख के आधार पर, यथा स्थिति, लेखा में लिया जाता है। आयातित सामग्री के लिए मूल्य-निर्धारण या तो अग्रेषण आवरणपत्र में अंकित दर या अंतिम दर पर किया जाता है। अंतिम समायोजन भुगतान की तारीख के आधार पर किया जाता है। स्वदेशी सामान के मामले में, मूल्य-निर्धारण तयशुदा दर पर किए गए वास्तविक भुगतान के आधार पर किया जाता है।

19.1.7 ब्याज आय

ब्याज से हुई आय का लेखा प्रोद्भन के आधार पर किया गया है। केवल लंबे समय से बकाए पर ब्याज को, अगर कोई है, जिसकी उगाही अनिश्चित है, छोड़ दिया जाता है।

19.1.8 इ-ऑक्शन पंजीकरण

इ-ऑक्शन पंजीकरण के लिए क्रेताओं से पंजीकरण शुल्क लिया जाता है। अगर रजिस्ट्रेशन की अवधि एक वर्ष के लिए है तो इसे आय के रूप में माना जाता है। अगर पंजीकरण आजीवन अवधि के लिए है तो पंजीयन शुल्क की प्राप्त राशि को समान रूप से पांच वर्षों में बांट दिया जाता है।

19.1.6 SERVICE CHARGES

(a) Service charges are accounted for as income at contracted rates on :

i) Auction sale on behalf of Public Sector Undertakings, Defence and other Government Departments on issuance of sale orders/delivery orders.

ii) Tender sale on behalf of Public Sector Undertakings, Defence and other Government Departments on issuance of delivery orders.

iii) Fixed price sale on behalf of Steel Plants on the basis of actual despatches by the plants.

iv) Recovery of scrap from dumps of Steel Plants, on the basis of actual despatches from scrap processing yard.

v) Floor Price on the basis of auction bid sheet and on the basis of bid price in excess of floor price on receipt of lifting of material status in the case of coal sale through e-auction. In case of coal e-booking, on the basis of booked value. In case of spot e-auction, on the basis of bid value.

vi) On satisfactory completion of e-sales.

vii) On satisfactory completion of e-procurement or issue of purchase order.

(b) Service charges are accounted for as income at contracted lump-sum amounts on Auction sales on behalf of Steel Plants on the basis of number of days of auction actually held.

In respect of (a) and (b) above, service charges are accounted for on sales and adjustments, if any, on the basis of actual delivery by the Principals.

(c) Service charges accrued in respect of purchase as facilitator are accounted for at the contracted rate on the basis of date of bill of lading/railway receipt/lorry receipt as the case may be. For imported materials, value is ascertained either at forward cover rate or at provisional rate. Final adjustment is made on actual payment. In case of indigenous materials, value is ascertained on the basis of actual payment at contracted rate.

19.1.7 INTEREST INCOME

Interest income is accounted for on accrual basis except interest on overdue recoverable, if any, where realization is uncertain.

19.1.8 E-AUCTION REGISTRATION

E-auction Registration fees collected from buyers are considered as income of the current year if the validity of registration is upto one year. In case of life long registration, the amount so collected is distributed in five years equally.

19.1.9 आय पर कर

कर खर्च में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल है। भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार वर्तमान आयकर की गणना आयकर प्राधिकरण को संभावित भुगतान करने के लिए दिया जाता है। आस्थगित कर मान्यता प्राप्त है, समय के अंतर के विवेचन से एक ही अवधि के कर योग्य आय और लेखा आय का भेद एवं एक या अधिक अवधि में पलटने में सक्षम है।

19.1.10 दावा

कंपनी द्वारा भेजे गए दावे को पार्टी द्वारा स्वीकार करने के साथ लेखे में शामिल किया जाता है। कंपनी पर किए गए दावे को कंपनी की स्वीकृति के बाद लेखे में शामिल किया जाता है। संविदानुसार ठेकों का निष्पादन करने में विफल होने पर सप्लायरों से वसूली गई रकम को केवल प्राप्तकर्ताओं के बीच आनुपातिक बटवारे के समय विविध आय के रूप में लेखे में शामिल किया जाता है।

19.1.11 पूर्व-अवधि समायोजन

पूर्व वर्षों से संबंधित आय और व्यय को, जो गलती या चूक से हिसाब में नहीं लिए गए थे, पूर्व-अवधि समायोजन के रूप में लेखा में लिया गया है। परंतु, किसी विशेष वर्ष में लिए गए निर्णय के फलस्वरूप हुए आय और व्यय को यद्यपि वे पिछले वर्षों से संबंधित रहे हों, उस विशेष वर्ष के लेन-देन के रूप में लेखा में शामिल किया जाता है, जिसमें निर्णय लिया गया।

19.1.12 प्रावधान एवं आकस्मिक दायित्वें

मात्रा के आंकलन का पर्याप्त डिग्री जिसे तब रेखांकित किया गया है जब वर्तमान दायित्व गत घटना का परिणाम है, को प्रावधान में शामिल किया गया है एवं यह संभव है कि संसाधन का बहिर्प्रवाह होगा एवं दायित्व राशि के आधार पर एक विश्वसनीय आंकलन किया जा सके। इन सबों पर पुनर्विचार प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर किया गया है और वर्तमान उचित आंकलन के सामने इसका समायोजन किया गया है। प्रबंधन एवं/स्वतंत्र विशेषज्ञ के निर्णय के आधार पर आकस्मिक दायित्व का निर्णय किया जाता है। इन सबों पर प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर विचार किया गया और प्रबंधन के वर्तमान आंकलन के सामने समायोजन किया गया।

19.1.13 कर्मचारियों का हित

लघु अवधि लाभ

लघु अवधि कर्मचारी हित का लेखा उस वर्ष में ही किया जाता है, जिस वर्ष में सेवाएं प्रदान की गई हैं।

19.1.9 TAXES IN INCOME

Tax expenses comprises of current and deferred tax. Current income tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Indian Income Tax Act. Deferred tax is recognized, subject to consideration of prudence on timing differences representing the difference between the Taxable income and Accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

19.1.10 CLAIMS

Claims preferred by the Company are accounted for as and when accepted by the party. Claims against the Company are accounted for on acceptance by the Company. Amount realised from suppliers for non-performance of contract is accounted as miscellaneous income only at the time of proportionate disbursement amongst the receivers.

19.1.11 PRIOR PERIOD ADJUSTMENT

Due to error/omission in the earlier years, income and expenditure relevant to those years are accounted as prior period adjustment in the account. But income and expenditure arising out of decisions taken in a particular year, though pertaining to earlier years, are accounted as transactions during that particular year in which decision was taken.

19.1.12 PROVISIONS AND CONTINGENT LIABILITIES

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement (without being discounted to its present value) are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimate. Contingent liabilities are disclosed on the basis of judgement of the management/independent experts. These are reviewed at each balance sheet date and are adjusted to reflect the current estimate of management.

19.1.13 EMPLOYEES' BENEFIT

Short term benefits

Short term employee benefits are accounted for at their undiscounted amount in the accounting period which the services are rendered.

नियोजन पश्चात हित एवं अन्य दीर्घ अवधि कर्मचारी हित

कंपनी में सेवानिवृत्ति लाभ की गई योजनाएं जैसे कि भविष्य निधि, आनुतोषिक योजना, सेबोपरांत चिकित्सा लाभ, छुट्टी नकदीकरण आदि लागू हैं। आनुतोषिक निधि में अंशदान जीवन बीमा निगम की योजना की शर्तों के अनुसार ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। भविष्य निधि का संचालन स्वतंत्र रूप से गठित न्यास के न्यासियों द्वारा किया जाता है। भविष्य निधि में किए गए मासिक अंशदान को राजस्व के रूप में लिया जाता है। अस्पताल में दाखिला जैसी चिकित्सा सुविधाएं भारतीय यूनिट ट्रस्ट और न्यू इंडिया एसुरेंस कंपनी लिमिटेड की बीमा पालिसी के तहत रखी गई हैं। अन्य चिकित्सा सुविधाओं को, 31.12.96 को या इससे पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वास्ते उनके अंतिम माह के वेतन तक एवं उक्त तारीख के पश्चात सेवा निवृत्त कर्मचारी के आखिरी माह के वेतन के 75% या ₹ 40,000/- जो कम हो, तक की प्रतिपूर्ति तक सीमित रखा गया है, जो वास्तविक दावे के समय देय है। अवकाश प्राप्ति पर छुट्टियों का नगदीकरण भारतीय जीवन बीमा निगम के ग्रुप लीव इंकैशमेंट स्कीम पॉलिसी के तहत रक्षित है।

पदत्याग, निर्धारित आयु से पूर्व सेवानिवृत्ति आदि के कारण आनुतोषिक और छुट्टी नकदीकरण हेतु अतिरिक्त देयता एवं भविष्य निधि ट्रस्ट को देय गारंटीशुदा ब्याज की कमी को नकद आधार पर लेखा में शामिल किया जाता है।

19.1.14 संपत्तियों की हानि

आय स्रोत एवं संपत्तियों के लागत पर हानि का मूल्यांकन वर्ष के अंत में किया जाता है। हानि को तभी माना जाता है जब प्राप्त राशि की तुलना में मूल लागत अधिक हो। शुद्ध प्राप्त राशि अथवा वर्तमान मूल्य में जो भी अधिक है वही प्राप्य राशि है।

19.1.15 विदेशी मुद्रा अंतरण

विदेशी मुद्रा में लेनदेन को या तो वायदा बुकिंग दर या हाजिर दर के अनुसार लेखे में लिया जाता है, एवं जहां वर्ष के समापन के वक्त ऐसी रकम (प्रेषणाधीन) बकाया है वहां तयशुदा वायदा विनिमय दरों पर या फिर धित्त वर्ष के आखिरी तारीख को प्रचलित हाजिर विनिमय दरों के आधार पर, यथास्थिति, लेखा में लिया जाता है। निर्यात के मामले में विदेशी मुद्रा में लेन-देन को फारवार्ड बुकिंग के आधार पर अथवा कस्टम के प्रमाण पत्र के अनुसार शिपमेंट की तारीख को हाजिर दर पर रिकॉर्ड किया जाता है और वर्ष के अंत में अगर इस तरह की राशि बकाया है तो अगले वर्ष निर्यात के लिए वास्तविक रूप से मिली राशि का समायोजन किया जाता है।

Post employment benefits and other long term employee benefits

The company has various schemes of retirement benefit such as Provident Fund, Gratuity Schemes, Post - retirement medical benefits, Leave Encashment, etc. Contributions to Gratuity Fund are made in accordance with the terms of the Schemes of the Life Insurance Corporation of India through trust. The Provident Fund is administered by trustees of independently constituted trust. Monthly contributions to the funds are charged to revenue. Medical benefit for hospitalisation is covered by Insurance Policy from Unit Trust of India and New India Assurance Co. Ltd. Other medical benefits are restricted to last month's pay for employees attaining superannuation on or before 31/12/96 and 75% of last month's pay or ₹ 40,000, whichever is less, for employees superannuated thereafter, which is reimbursed as and when actually claimed. Leave Encashment on retirement are covered by Group Leave Encashment Scheme Policy from Life Insurance Corporation of India.

Additional liability for gratuity and leave encashment on account of resignation, premature retirement etc., and deficit for guaranteed interest due to Provident Fund Trust are accounted for on actual basis.

19.1.14 IMPAIRMENT OF ASSETS

Carrying amount of cash generating units/assets is reviewed for impairment at the end of year. Impairment, if any, is recognized where the carrying amount exceeds the recoverable amount, the latter being the higher of net realizable price and value in use.

19.1.15 FOREIGN CURRENCY TRANSLATION

Transaction in foreign currency are recorded either on forward booking rate or on spot rate and where such remittance are outstanding at the close of the year, on the basis of contracted forward exchange rates or spot exchange rates prevailing on the last date of the financial year, as the case may be. In case of export, transaction in foreign currency are recorded either on forward booking rate or on spot rate on shipment date as per custom clearance document and where such remittance are outstanding at the close of the year, it is adjusted in the subsequent year on actual realization of export proceeds.

लेखा पर टिप्पणी

19.2 आकस्मिक देयताओं में शामिल हैं कंपनी पर किए गए वे दावे जिन्हें इस कंपनी ने ऋण नहीं माना है :-

| विवरण | 2010-11 | 2009-10 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| | (₹ '000) | |
| (i) बिक्री कर एवं सीमा शुल्क | 173313 | 122455 |
| (ii) धन संबंधी वाद | 153700 | 163522 |
| (iii) नौवहन वाद | 3711 | 3711 |
| (iv) विवाचन | 436267 | 432668 |
| (v) आयकर | 5093 | 5093 |
| (vi) सेवा कर | 13269 | 12351 |
| | <u>785353</u> | <u>739800</u> |

19.3 मियादी जमा के अंतर्गत निम्नलिखित बैंकों के पास रखी गई ₹ 3928 हजार (विगत वर्ष ₹ 3928 हजार) की वह रकम भी शामिल है जो ₹ 3367 हजार (गत वर्ष ₹ 3367 हजार) के दावों के लिए गारंटी के वास्ते है। ऐसे दावे कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं एवं उन्हें उपर्युक्त पैरा 19.2 में शामिल किया गया है।

| | 2010-11 | 2009-10 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| | (₹ '000में) | |
| भारतीय स्टेट बैंक | 369 | 369 |
| देना बैंक | 3147 | 3147 |
| यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 412 | 412 |
| | <u>3928</u> | <u>3928</u> |

कंपनी ने जिन विभिन्न निविदाओं में भाग लिया है, उसके एवज में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने पुनः ₹ 156382.08 का निष्पादन गारंटी के लिए बैंक गारंटी जारी किया है।

19.4 कैपिटल मद में निष्पादन के लिए संविदाओं की प्राक्कलित रकम शून्य है। (गत वर्ष ₹ 97146 हजार) है, जिसमें प्रगतिशील कैपिटल कार्य के लिए कोई भी (गत वर्ष ₹ 92837 हजार) रकम शामिल नहीं है, जिसके लिए भुगतान किया जा चुका है।

19.5 इस कंपनी द्वारा कानून के माध्यम से दावा किया गया इसलिए वित्तीय विवरण में ₹ 157455 हजार (पिछले वर्ष ₹ 157455 हजार) नहीं लिया गया है।

Notes on Accounts

19.2 Contingent Liabilities includes claims against the Company not acknowledged as debt:

| Particulars | 2010-11 | 2009-10 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| | (₹ '000) | |
| (i) Sales Tax and customs | 173313 | 122455 |
| (ii) Money Suits | 153700 | 163522 |
| (iii) Admiralty Suits | 3711 | 3711 |
| (iv) Arbitration | 436267 | 432668 |
| (v) Income Tax | 5093 | 5093 |
| (vi) Service Tax | 13269 | 12351 |
| | <u>785353</u> | <u>739800</u> |

19.3 Fixed Deposit includes ₹ 3928 thousand (previous year ₹ 3928 thousand) with the following banks for providing Guarantees against claims amounting to ₹ 3367 thousand (previous year ₹ 3367 thousand). Such claims are not acknowledged by the Company and are included in para 19.2 above.

| | 2010-11 | 2009-10 |
|----------------------|-------------|-------------|
| | (₹ '000) | |
| State Bank of India | 369 | 369 |
| Dena Bank | 3147 | 3147 |
| United Bank of India | 412 | 412 |
| | <u>3928</u> | <u>3928</u> |

Further United Bank Of India have issued Bank Gurantee amounting to ₹ 156382.08 towards performance guarantee against various tenders in which company has participated.

19.4 Estimated amount of contracts executed on capital account is ₹ Nil (previous year ₹ 97146 thousand), which includes ₹ Nil (previous year ₹ 92837 thousand) shown under Capital Work-in-Progress for which payments have been made.

19.5 Claims lodged by the Company through legal processes not recognized in financial statements are ₹ 157455 thousand (previous year ₹ 157455 thousand).

19.6 विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय (भुगतान पर आधारित)

(₹ '000)

| | 2010-11 | 2009-10 |
|---|-----------------|-----------------|
| (अ) माल आयात | 34566006 | 42876548 |
| (ब) यात्रा व्यय | 427 | 464 |
| (स) अन्य (विदेशी पत्रिका, सदस्यता शुल्क, विलम्ब शुल्क, भाड़ा आदि) | 67354 | 108558 |
| | <u>34633787</u> | <u>42985570</u> |

19.7 विदेशी मुद्रा में कुल आय (प्राप्ति पर आधारित)

(₹ '000)

| | 2010-11 | 2009-10 |
|----------------------|----------|----------------|
| (अ) निर्यात का एफओबी | 0 | 2168377 |
| | <u>0</u> | <u>2168377</u> |

19.8 मूल्यहास की गणना एवं प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार किए गए हैं। ऐसी नयी संपत्ति जो, 180 दिन से कम की है, के लिए सामान्य मूल्य हास के आधे का प्रावधान किया गया है। ऐसी संपत्ति जिन्हें वर्ष के दौरान बेचा गया है, उन पर मूल्यहास का प्रावधान सामान्य तरीक से किया गया है। यदि कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार मूल्यहास की गणना की गयी होती तो वर्ष का लाभ ₹ 51 हजार (पिछले वर्ष ₹ 507 हजार) कम हो जाता। ठेके के भूमि एवं भवन का ऋण प्रतिशोधन ठेके की शेष अवधि में भूमि एवं भवन के उपयोग पर 2010-11 से आरंभ हो चुका है।

19.9 व्यय संबंधी देयताओं में ₹ 3294 हजार की रकम शामिल है जो अंतिम पंचाट निर्णय के अनुसार विधि शुल्क एवं ब्याज की रकम के रूप में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को देय है, जिसका प्रावधान वर्ष 1990-91 और 1991-92 के खाते में किया गया है। कंपनी ने पंचाट निर्णय को मानने से इंकार कर दिया एवं जहाज एम वी पौलेक्स के मालिक द्वारा भारत में मुंबई उच्च न्यायालय में विदेशी पंचाट-निर्णय को लागू करने के लिए दायर मामले के खिलाफ अपना पक्ष रखा। उच्च न्यायालय के दिनांक 29.7.98 के फैसले से मालिक द्वारा दायर मामले को खारिज कर दिए जाने पर मालिक ने मुंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ के पास अपील किया है, जिसका निर्णय आना अभी बाकी है। आबंटिती, जिसका निर्णय बाकी है, उसके विरुद्ध एमएसटीसी ने अलीपुर न्यायालय, कोलकाता में धन संबंधी वाद दायर किया।

विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा किए गए उपर्युक्त दावे के अतिरिक्त ₹ 1001 हजार के दावे को कंपनी ने ऋण नहीं माना है, परंतु आकस्मिक देयताओं में उसे शामिल कर लिया है।

19.6 Expenditure incurred in Foreign Currency (on payment basis) :

| | 2010-11 | 2009-10 |
|---|-----------------|-----------------|
| (a) Import of Goods | 34566006 | 42876548 |
| (b) Travelling Expenses | 427 | 464 |
| (c) Others (Foreign periodicals, Membership Fees, Demurrage, Freight, etc.) | 67354 | 108558 |
| | <u>34633787</u> | <u>42985570</u> |

19.7 Total earnings in Foreign Currency (on receipt basis)

| | 2010-11 | 2009-10 |
|------------------------------|----------|----------------|
| (a) Net FOB Value of Exports | 0 | 2168377 |
| | <u>0</u> | <u>2168377</u> |

19.8 Depreciation has been calculated and provided as per the rates prescribed under the Income Tax Act 1961. On addition for less than 180 days half of the usual depreciation is provided. On assets sold during the year depreciation has been provided on same basis. Had depreciation been calculated on the basis of rates specified in Schedule XIV of the Companies Act 1956, the profit for the year would have decreased by ₹ 51 thousand (previous year ₹ 507 thousand). Ammortisation of leasehold land and building has started w.e.f. 2010-11 on use of land and buiding over the remaining period of lease.

19.9 Liability for expenses includes ₹ 3294 thousand representing legal charges and interest payable to foreign suppliers in terms of final arbitration award which has been accounted for in the year 1990-91 and 1991-92. The Company refused to settle the award and contested the case filed by the owner of the vessel M.V. POLLUX in India before Mumbai High Court for enforcement of foreign award. By a judgement dated 29.07.98 Mumbai High Court dismissed the owner's case who preferred an Appeal before the Division Bench of the Mumbai High Court, outcome of which is pending. MSTC, in turn, had filed a Money Suit at Alipore Court, Kolkata against the allottee which is pending.

Claim preferred by the Foreign Supplier amounting to ₹ 1001 thousand in addition to above is not acknowledged by the Company as debt but included in contingent liability.

19.10 प्रबंधकीय भत्ता -

| | 2010-11 | 2009-10 |
|--------------------------------------|--------------|---------|
| | (₹ '000 में) | |
| (अ) निदेशक | | |
| (i) वेतन एवं भत्ता | 4855 | 1675 |
| (ii) भविष्य निधि में कंपनी का योगदान | 414 | 149 |
| (iii) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति | 49 | 18 |
| (ब) स्वतंत्र निदेशक के बैठक शुल्क | 218 | 63 |

(अ) चूंकि निदेशकों को, सीमित माइलेज के वास्ते निजी कार के उपयोग की सुविधा कंपनी से प्राप्त है, इसलिए इसे लाभ/परिलब्धि के रूप में नहीं माना गया है।

(ब) समूह बीमा योजना/समूह आनुतोषिक योजना की मास्टर पालिसी हेतु किए गए भुगतान के अंतर्गत निदेशकगण भी शामिल हैं, इसलिए इसे परिलब्धि नहीं माना गया है क्योंकि यह निर्धारणयोग्य नहीं है।

19.11 बैंकों के पास जमा राशि पर अर्जित ब्याज से स्रोत पर की गई कर-कटौती की रकम ₹ 32418 हजार (पिछले वर्ष ₹ 69702 हजार) है। सेवा शुल्क एवं अन्य ब्याज आय पर ₹ 127927 की राशि (पिछले वर्ष ₹ 58878 हजार) टी डी एस के रूप में काटी गई।

19.12 कंपनी ने हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स हल्दिया में एक स्टॉक यार्ड की स्थापना की है। इसके निर्माण अवधि के दौरान हुए खर्च को जो कि राजस्व प्रकृति की है, को वर्ष के दौरान भूमि और भवन शीर्ष में कैपिटलाज करते हुए उसे परियोजना विकास व्यय खाते के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग-II के अनुसार आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं :

परियोजना विकास व्यय खाता (कैपिटल प्रगतिशील कार्य के तहत शामिल)

| | 2010-11 | 2009-10 |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| | (₹ '000 में) | |
| प्रारंभिक राशि | 1454 | 1141 |
| जोड़ : | | |
| (i) जमीन का किराया | 5973 | 0 |
| (ii) नगर निगम बकाया | 0 | 86 |
| (iii) इलेक्ट्रिक चार्ज | 408 | 129 |
| (iv) इंश्योरेंस | 90 | 96 |
| (v) निरीक्षण | 0 | 2 |
| | <u>7925</u> | <u>313</u> |
| घटाए : संपत्ति खाता में अंतरण | 7925 | 0 |
| अंतिम शेष | <u>शून्य</u> | <u>1454</u> |

19.13 वर्ष के दौरान इ-ऑक्शन पंजीकरण शुल्क के अंतर्गत ₹ 27923 हजार (विगत वर्ष ₹ 27353 हजार) संग्रहित किए गए। पंजीकरण के आजीवन वैध होने की वजह से वर्तमान वर्ष में कुल संग्रहित रकम से ₹ 20211 हजार (विगत वर्ष ₹ 18078 हजार) की राशि चार वर्षों में आबंटित किए जाने के लिए चालू देयताओं के अधीन रखी गई है। 31.3.2011 को समेकित अविभाजित धनराशि ₹ 50860 हजार है। (विगत वर्ष ₹ 30649 हजार थी) बाकी रकम जिसके पंजीकरण की वैधता की अवधि एक वर्ष तक है, उसे चालू वर्ष के खाते में आय के रूप में दर्ज किया गया है।

19.10 Managerial Remuneration:

| | 2010-11 | 2009-10 |
|---|----------|---------|
| | (₹ '000) | |
| (a) Director | | |
| (i) Salaries & Allowances | 4855 | 1675 |
| (ii) Company's Contribution to Provident Fund | 414 | 149 |
| (iii) Reimbursement of Medical Expenses | 49 | 18 |
| (b) Independent Directors' Sitting Fees | 218 | 63 |

(a) Since the facility of private use of car for limited mileage is provided by the Company to Directors, such facility has not been considered as benefit/perquisite.

(b) Premium paid for Master policy of Group Gratuity Scheme/Group Insurance which also covers Directors has not been considered as perquisite since it is unascertainable

19.11 Tax deducted at source from interest on bank deposits amounts to ₹ 32418 thousand (previous year ₹ 69702 thousand). T.D.S deducted amounts to ₹ 127927 ((previous year ₹ 58878 thousand), on service Charge & other interest income .

19.12 The Company has set up a stockyard at Haldia Dock Complex, Haldia. The expenditures, which are revenue in nature, incurred during the construction period classified as 'Project Development Expenditure Account' has been capitalized under the head Land and Building during the year Necessary details as per part II of Schedule VI to the Companies Act, 1956 have been disclosed below :

Project Development Expenditure Account (included under Capital Work-in-Progress)

| | 2010-11 | 2009-10 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| | (₹ '000) | |
| Opening Balance | 1454 | 1141 |
| Add : | | |
| (i) Plot Rent | 5973 | 0 |
| (ii) Municipality Dues | 0 | 86 |
| (iii) Electricity Charges | 408 | 129 |
| (iv) Insurance | 90 | 96 |
| (v) Inspection | 0 | 2 |
| | <u>7925</u> | <u>313</u> |
| Less : Transfer to Asset Account | 7925 | 0 |
| Closing Balance | <u>Nil</u> | <u>1454</u> |

19.13 During the year, an amount of ₹ 27923 thousand (previous year ₹ 27353 thousand) was collected towards E-auction Registration. Out of total collection of current year, an amount of ₹ 20211 thousand (previous year ₹ 18078 thousand) has been kept in current liabilities to be distributed in four years, since that registration is valid for life long. Accumulated undistributed balance standing as on 31.03.2011 is ₹ 50860 thousand (previous year ₹ 30649 thousand). Balance amount for which registration is valid upto one year is accounted for as income during the current year.

19.14 संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण

(अ) यह कंपनी राज्य नियंत्रित एक उपक्रम है। इसलिए एस-18 के अनुसार अन्य राज्यों के उपक्रमों के साथ लेनदेन का खुलासा करने की जरूरत नहीं।

(ब) संबंधित पक्ष - शून्य

(स) शीर्ष प्रबंधकीय कार्मिक-

श्री एस के त्रिपाठी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री ए के बसु-निदेशक (वित्त) 28.04.2010 से प्रभावी

श्री बी बी सिंह-निदेशक (वाणिज्यिक) 11.05.2010 से प्रभावी

वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के साथ रु.5536 हजार (विगत वर्ष ₹ 1905 हजार) का लेन-देन किया गया है, बैलेंस आउटरस्टैंडिंग शून्य है।

19.15 भविष्य के आकस्मिक व्यय की पूर्ति के आशय से अशोध्य ऋण के लिए लाभ एवं हानि लेखा में ₹ 6549 हजार (विगत वर्ष ₹ 45000 हजार) की राशि का प्रावधान है।

19.16 लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) में परिभाषित हित दायित्वों के संदर्भ में कर्मचारी हितों के लिए अपेक्षित घोषणाएं :-

तालिका 31.03.2011 तक के दायित्व की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन को प्रकट कर रही है

| | उपदान | छुट्टी वेतन |
|---------------------------------------|-----------|-------------|
| वर्षारंभ में दायित्व वर्तमान स्थिति | 97072029 | 60434127 |
| ब्याज लागत | 7765762 | 4834730 |
| वर्तमान सेवा लागत | 3058993 | 6326783 |
| चुकाए गए हित | (8591566) | (5555752) |
| दायित्व पर वास्तविक (लाभ/हानि) | 27263679 | 20285339 |
| वर्षांत में वर्तमान दायित्व की स्थिति | 126568897 | 86325227 |

तालिका 31.03.11 तक की योजना संपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रकट कर रही है।

| | उपदान | छुट्टी वेतन |
|---|-----------|-------------|
| वर्ष के प्रारंभ में योजना संपत्ति का उचित मूल्य | 71408802 | 53481366 |
| योजना संपत्ति पर संभावित आय अंशदान | 9082566 | 5042792 |
| लाभ के भुगतान | 68722220 | 23276611 |
| योजना संपत्ति बीमांकिक लाभ/(हानि) | (8591566) | (5555752) |
| वर्षांत में योजना संपत्ति पर उचित मूल्य | शून्य | शून्य |
| निधिक स्थिति | 140622022 | 76245017 |
| | 14053125 | (10080210) |

19.14 Related party disclosure

(a) The Company is a state controlled enterprise and the transactions with other state controlled enterprises are not required to be disclosed as per AS-18.

(b) Related Party - Nil

(c) Key Mangerial Personal-

Shri S. K. Tripathi- Chairman-cum-Managing Director
Shri A. K. Basu- Director (Finance) w.e.f 28-04-2010

Shri B. B. Singh- Director (Commercial) w.e.f 11-05-2010

Transaction with related party during the year amounting to ₹ 5536 thousand (previous year ₹ 1905 thousand), balance outstanding is nil.

19.15 To cover future contingencies, an amount of ₹ 6549 thousand (previous year ₹ 45000 thousand) has been charged to Profit & Loss account towards provision for doubtful debts.

19.16 Disclosure as required under Accounting Standard – 15 (Revised 2005) on “Employees Benefits” in respect of Defined Benefit obligations :-

Table showing changes in present value in ₹ of obligation as on 31.03.11

| | Gratuity | Leave Salary |
|--|-----------|--------------|
| Present value of obligations as at beginning of year | 97072029 | 60434127 |
| Interest cost | 7765762 | 4834730 |
| Current service cost | 3058993 | 6326783 |
| Benefits paid | (8591566) | (5555752) |
| Acturial (Gain)/Loss on obligations | 27263679 | 20285339 |
| Present value of obligations as at end of year | 126568897 | 86325227 |

Table showing changes in the fair value of plan assets as on 31.03.11

| | Gratuity | Leave Salary |
|--|-----------|--------------|
| Fair value of plan assets at beginning of year | 71408802 | 53481366 |
| Expected return on plan assets | 9082566 | 5042792 |
| Contributions | 68722220 | 23276611 |
| Benefits paid | (8591566) | (5555752) |
| Acturial gain/(loss) on plan assets | NIL | NIL |
| Fair value of plan assets at the end of year | 140622022 | 76245017 |
| Funded status | 14053125 | (10080210) |

31.03.11 को बीमांकिक लाभ/हानि के रूप में पहचाना

| | उपदान | छुट्टी वेतन |
|---|------------|-------------|
| दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि वर्ष के योजना संपत्ति के लिए | (27263679) | (20285339) |
| बीमांकिक (लाभ)/हानि | शून्य | शून्य |
| दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि वर्ष में बीमांकिक (लाभ)/हानि के रूप में पहचाना | 27263679 | 20285339 |

तुलन-पत्र एवं लाभ हानि-लेखा के विवरण में स्वीकृत राशि

| | उपदान | छुट्टी वेतन |
|---|------------|-------------|
| वर्षात में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 126568897 | 86325227 |
| वर्षात में प्लान आस्तियों का उचित मूल्य | 140622022 | 76245017 |
| निवेश स्थिति | 14053125 | (10080210) |
| तुलन-पत्र में स्वीकृत निवल आस्तियां (दायित्व) | (14053125) | 10080210 |

लाभ-हानि लेखा विवरण में स्वीकृत खर्च

| | उपदान | छुट्टी वेतन |
|---|-----------|-------------|
| वर्तमान सेवा लागत | 3058993 | 6326783 |
| ब्याज लागत | 7765762 | 4834730 |
| प्लान आस्तियों पर संभावित आय | (9082566) | (5042792) |
| वर्ष में वास्तविक निवल (लाभ)/हानि की स्वीकृति | 27263679 | 20285339 |
| लाभ-हानि लेखा विवरण में स्वीकृत खर्च | 29005868 | 26404060 |

19.17 इस कंपनी में दो तरह की गतिविधियाँ हैं। एक ट्रेडिंग और दूसरी सेलिंग एजेंसी। चूंकि सेलिंग एजेंसी से आय, मसलन सेवा प्रभार कंपनी के कुल टर्न ओवर के 10% से कम है इसलिए लेखा मानक 17 के अनुसार रिपोर्टिंग नहीं की गयी है।

19.18 चूंकि यह कंपनी अनुसूचीबद्ध नहीं है इसलिए लेखा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति अपेक्षित नहीं है। इस तरह का विवरण न तो पहले प्रस्तुत किया गया है और न ही किसी संविधि से इस जरूरत के अनुपालन के लिए दायी है।

19.19 31.03.2011 को वर्ष समाप्ति पर अप्राप्त निर्यात ऋण यूएस डॉलर 137,498,823.73 (₹ 5986317 हजार के बराबर) था, इतना ही वित्त वर्ष की शुरुआत में था। वित्त वर्ष के अंतिम दिन पर व्याप्त विनिमय दर (यूएसडी 1=₹ 44.5950) को लेते हुए ऋण का वर्षात शेष ₹ 6131760 हजार है एवं ₹ 145442 हजार का आनुमानिक लाभ होता जिसको लेखा में नहीं लिया गया है, क्योंकि इसके वास्तविक वसूली पर समायोजन किया जाएगा एवं सहयोगियों को दे दिया जाएगा।

Actuarial Gain/Loss recognized as on 31.03.11

| | Gratuity | Leave Salary |
|--|------------|--------------|
| Actuarial (gain)/loss on obligations | (27263679) | (20285339) |
| Actuarial (gain)/loss for the year – plan assets | NIL | NIL |
| Actuarial (gain)/loss on obligations | 27263679 | 20285339 |
| Actuarial (gain)/loss recognized in the year | 27263679 | 20285339 |

The amounts to be recognized in the balance sheet and statements of profit and loss

| | Gratuity | Leave Salary |
|---|------------|--------------|
| Present value of obligations as at the end of year | 126568897 | 86325227 |
| Fair value of plan assets as at the end of the year | 140622022 | 76245017 |
| Funded status | 14053125 | (10080210) |
| Net asset/(liability) recognized in balance sheet | (14053125) | 10080210 |

Expenses recognized in statement of Profit and loss

| | Gratuity | Leave Salary |
|---|-----------|--------------|
| Current service cost | 3058993 | 6326783 |
| Interest cost | 7765762 | 4834730 |
| Expected return on plan assets | (9082566) | (5042792) |
| Net actuarial (gain)/loss recognized in the year | 27263679 | 20285339 |
| Expenses recognized in statement of profit and loss | 29005868 | 26404060 |

19.17 The Company is engaged in two types of activities namely Trading and Selling Agencies. Since the revenue from Selling Agency i.e., Service Charges is less than 10% of the total turnover of the Company, segmental reporting is not applicable as per Accounting Standard 17.

19.18 Preparation of consolidated financial statements as per Accounting Standard –21 is not required as the Company, not being a listed Company, has neither presented such statement previously nor is liable to comply with the requirements of any statute.

19.19 At the year end 31.03.2011, unrealized export debtors remains USD 137,498,823.73 (equivalent to ₹ 5986317 thousand) were the same as were at the beginning of the financial year. Considering the exchange rate (i.e. USD 1= ₹ 44.5950) prevailing on the last day of the financial year, the closing balance of debtors would have been ₹ 6131760 thousand and there would have been a notional gain of ₹ 145442 thousand which has not been accounted for since this will offset against actual realization and will be passed on to the Associates.

19.20 वर्ष 2008-09 में कुल निर्यात राशि यूएस डॉलर में 146,971,624.00 (₹ 6382059 हजार के बराबर) में से 31.03.10 को बकाया राशि यूएसडी 137,498,823.73 (₹ 6225946 के बराबर) था एवं इस वर्ष के लिए लेखाबंद तारीख यानी 31.03.11 को वही है। (31.03.11 को व्याप्त विनिमय दर यूएसडी 1=₹ 44.5950 में ₹ 6131760 हजार के बराबर है) ईसीजीसी के पास ₹ 4507448 हजार का दावा किया गया है। इसी प्रकार स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने आईसीआईसीआई लॉम्बर्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास यूएसडी 36,762,828.14 वित्त वर्ष के अंतिम दिन पर व्याप्त दर यूएसडी 1=₹ 44.5950 (₹ 1639438 हजार के बराबर) का दावा किया है। निर्दिष्ट इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दोनों दावाएं इंकार कर दिए हैं। एमएसटीसी ने क्रेताओं के लिए ईसीजीसी के विरुद्ध 36 मामले आरंभ किए हैं। इनका राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली के साथ इंश्योरेंस था। 08.03.11 को इनकी पहली सुनवाई हुई थी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अपने कानूनी सलाहकार के सलाह के आधार पर आईसीआईसीआई लॉम्बर्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाही शुरू करने की प्रक्रिया में है। एमएसटीसी ने विदेशी ग्राहकों के खिलाफ दुबई के सॉलिसिटर फार्म के माध्यम से कानूनी मामले आरंभ किए हैं। विदेशी क्रेता, जिन्होंने भुगतान नहीं दिया है, के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी कानूनी प्रक्रिया के पहला कदम के रूप में है।

एशोसिएट सप्लायर्स द्वारा नामित विदेशी क्रेताओं के बकाया भुगतान की क्षतिपूर्ति के लिए छः एशोसिएट सप्लायर्स के विरुद्ध पंचाट कार्रवाही भी जारी है। बाद में इसीजीसी एवं आईसीआईसीआई लॉम्बर्ड इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अनुमोदित है।

पेन अरबन कॉर्पोरेटिव बैंक से कुल ₹ 1620000 हजार (एफडीआर ₹ 1000000 हजार एवं बीजी ₹ 620000 हजार) दावा किया है। सभी एफडीआर एवं बीजी नकदीकरण के लिए भेजे गए हैं लेकिन 22.09.10 से पेन अरबन कॉर्पोरेटिव बैंक पर रिजर्व बैंक का प्रतिबंध होने की वजह कार्य बंद है। इसी लिए बैंक ने न तो एफडीआर या बीजी का नकदीकरण किया है और न ही अवधि का विस्तार किया है। यह कार्रवाई की जा रही है।

एशोसिएट्स में से मेसर्स उष्मा ज्यूेलरी ने ₹ 380000 हजार (आयकर अनुमोदित मूल्यांकक के अनुसार मूल्यांकन) मूल्य स्थावर संपत्ति गिरवी रखा है। 20.04.11 को उक्त गिरवी संपत्ति के बिक्रय/स्थानांतरण पर स्थगन आदेश के लिए अर्जी दायर किया गया है, जिसके लिए सुनवाई लंबित है।

प्रबंधन विदेशी क्रेताओं/इंश्योरेंस कंपनियों/एशोसिएट सप्लायर्सों से यथासंभव ब्याज, कानूनी खर्च सहित कर्ज वसूली के लिए हर संभव कदम उठा रहा है।

19.20 Out of total export of USD 146,971, 624.00 (equivalent to ₹ 6382059 thousand) during the financial year 2008-09, there was an outstanding balance of USD 137,498,823.73 (equivalent to ₹ 6225946) as on 31.3.2010 and the same is continued for this year on closing date i.e 31.3.2011 (equivalent to ₹ 6131760 thousand at the exchange rate of USD 1= ₹ 44.5950 prevailing on 31.03.2011). Claims have been lodged with ECGC for ₹ 4507448 thousands. Similarly Standard Chartered Bank has also lodged claims with ICICI Lombard General Insurance Company for USD 36,762,828.14 (equivalent to ₹ 1639438 thousands considering the exchange rate as USD 1= ₹ 44.5950 prevailing on the last day of the financial year). Both the claims have been repudiated by the respective insurance companies. MSTC has initiated 36 cases against ECGC for the buyers insured by them with National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC), Delhi in respect of which first hearing was held on 8.3.2011. Standard Chartered Bank is in the process of initiating legal proceedings against ICICI Lombard based on the advice of their Legal Counsel.

MSTC has initiated legal cases against foreign buyers through a Solicitor firm based in Dubai. The legal notices against the defaulting foreign buyers are under issue as a first step of the legal process.

Arbitration proceedings are also on against all the six associate suppliers for indemnifying against the failure in payment by the foreign buyers nominated by them and later on approved by ECGC and ICICI Lombard General Insurance Co.

A total sum of ₹ 1620000 thousand (FDR ₹ 1000000 thousand and BG of ₹ 620000 thousand) has been claimed from Pen Urban Cooperative Bank. All the FDRs and BGs have been sent for encashment but due to RBI restriction on Pen Urban Cooperative Bank with effect from the close of business as on 22.9.10 the bank has neither encashed nor extended the FDRs or the BGs and the same is being followed up.

One of the Associates, namely, M/s Ushma Jewellery has mortgaged landed property worth ₹ 380000 thousand (valuation as per Income Tax approved valuer). A petition for injunction of stay on sale/transfer of the said mortgaged property has been filed on 20.4.11 at Mumbai High Court against which the hearing is still pending.

Management is taking all possible steps to recover the dues as much as possible along with interest, legal expenses etc from the foreign buyers/Insurance Cos/Associate suppliers.

लंबित मध्यस्थम और कानूनी मामले, 31.03.11 तक एशोसिएट के पास उनके साथ करार के अनुसार ब्याज की आय ₹ 1690000 प्राप्त है जिसका प्रावधान लेखे में नहीं किया गया है तथा वास्तविक वसूली के समय उसको लेखे में लिया जाएगा।

19.21 ग्राहकों को अग्रिम में शामिल ₹ 617804 हजार है, जो सेसा इंटरनेशनल के पास बकाया है। पार्टी ने दस्तावेज में विसंगति के कारण इसको स्वीकार्य करने से इंकार किया है। एमएसटीसी द्वारा बैंक को तदनुरूप सूचित किया गया है। बैंक ने विभिन्न तिथियों पर बैंक के आदेश के तहत एमएसटीसी खाते से डेबिट कर सप्लायर्स के बैंक को रकम भेज दी है। चूंकि यह समझौता ज्ञापन के शर्तों के अनुसार अदालत के आदेश के विरुद्ध है, सेसा एमएसटीसी की क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य है।

तदनुसार एमएसटीसी ने सेसा इंटरनेशनल के विरुद्ध मध्यस्थम कार्रवाही शुरू की है, जो प्रक्रियाधीन है। अतः प्रबंधन रकम वसूली के लिए आशान्वित है।

19.22 देनदारों, लेनदारों तथा अग्रिम के कुछ मामले की शेष पुष्टि पर किए जाने है।

19.23 फैक्टरिंग पर ब्याज व्यय प्राप्त ब्याज ₹ 51059 हजार के बराबर है।

19.24 कम्प्यूटरीकृत प्रति शेयर आय नीचे दर्शाया गया है :-

| | 2011 | 2010 |
|---|---------|---------|
| (अ) करोपरंत लाभ | 991642 | 860962 |
| (ब) शेयरों का नंबर | 2200000 | 2200000 |
| (स) करोपरंत लाभ पर प्रति शेयर आय (प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹ 10/-) बेसिक/डाइल्यूटेड | 450.75 | 391.35 |

19.25 कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441ए के अधीन देय उपकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है क्योंकि किस दिन से देय है और सही दर संबंधित अधिसूचना अभी तक प्राप्त नहीं है।

19.26 31.03.11 को माइक्रो, स्मॉल एवं मिडियम इंटप्राइजेज के पास ऐसी कोई वास्तविक मूलधन और ब्याज बाकी/अप्राप्य की सूचना नहीं है।

19.27 आस्थगित कर परिसंपत्तियों (देयताएं) का लाभांश ब्यौरा नीचे दिए गए हैं : (₹ हजार में)

| विवरण | 31.03.10 को | वर्ष के लिए कर प्रभावी | 31.03.11 को |
|---|-------------|------------------------|-------------|
| संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान | 82624 | 304 | 82928 |
| संदेहात्मक अग्रिम के लिए प्रावधान | 25420 | -576 | 24844 |
| अन्य खर्चों के लिए प्रावधान 40(अ), 43बी | 169 | 49 | 218 |
| मूल्यहास में अंतर | -1796 | 270 | -1526 |
| कुल | 106417 | 47 | 106464 |

Pending arbitration and legal case, as on 31.03.2011 interest income due on Associates as per agreement with them of ₹ 1690000 thousand have not been provided in the accounts and same will be accounted for at the time of actual realization.

19.21 Advance to customers include ₹ 617804 thousand due from Sesa International. The party have refused to accept the documents due to discrepancy therein, which have been intimated to the bank accordingly by MSTC. But pursuant to court order on Bank, they have remitted to supplier's Bank by debiting MSTC's account on various dates, under courts order. As it is against court order as per MOA terms Sesa is bound to indemnify MSTC.

Accordingly MSTC have invoked arbitration proceeding against Sesa International which is under process. Hence management is hopeful to recover the amount.

19.22 Balances of some cases of the Debtors, Creditors and Advances are subject to confirmation

19.23 Interest expense on factoring is net of interest income received amounting to ₹ 51059 thousand.

19.24 Earning per share has been computed as under :-

| | 2011 | 2010 |
|---|---------|---------|
| (a) Profit after Tax (₹ '000) | 991642 | 860962 |
| (b) No. of shares | 2200000 | 2200000 |
| (c) Earnings per share on profit after tax (face value ₹ 10.00 per share) | | |
| - Basic/Diluted (₹) | 450.75 | 391.35 |

19.25 The Company has not made provision for Cess payable under section 441A of the Companies Act, 1956 as the notification as regards the date of applicability and the exact rate to be applied has not yet been issued.

19.26 There is no reported Micro, Small and Medium Enterprises with whom principal amount and interest due/payable thereon as on 31.03.11.

19.27 The details of Deferred Tax Assets/(Liabilities) are as under: (₹ in thousand)

| Particulars | As on 31.03.10 | Tax effect for the year | As on 31.03.11 |
|---|----------------|-------------------------|----------------|
| Provision for Doubtful Debts | 82624 | 304 | 82928 |
| Provision for Doubtful Advances | 25420 | -576 | 24844 |
| Provision against other expenses 40(a), 43B | 169 | 49 | 218 |
| Difference in depreciation | -1796 | 270 | -1526 |
| Total | 106417 | 47 | 106464 |

19.28 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए शुरुआती स्टॉक, क्रय कारोबार और स्टॉक का विवरण
STATEMENT OF OPENING STOCK, PURCHASE, TURNOVER AND CLOSING STOCK
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

(परिमाण ००० टन में) (मूल्य ₹ '०००) (पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)
(Quantity in '000 Tonnes) (Value ₹ '000) (Figures for Previous Year given in brackets)

| | शुरुआती स्टॉक | | क्रय | | कुल कारोबार | | अंतिम स्टॉक | |
|--|---------------|---------|--------|------------|-------------|------------|-------------|--------|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| | Qty | Value | Qty | Value | Qty | Value | Qty | Value |
| 1. मेल्टिंग स्क्रैप | | | | | | | | |
| Melting Scrap | 0 | 0 | 30 | 729415 | 30 | 743626 | 0 | 0 |
| | (1) | (16502) | (111) | (1702932) | (112) | (1740924) | (0) | (0) |
| 2. पिलेट्स | | | | | | | | |
| Pellets | 0 | 0 | 138 | 1260866 | 138 | 1277060 | 0 | 0 |
| | (0) | (0) | (775) | (4089587) | (775) | (4138662) | (0) | (0) |
| 3. फारनेस ऑयल | | | | | | | | |
| Furnace Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (0) | (0) | (76) | (2050847) | (76) | (2051873) | (0) | (0) |
| 4. कोक/कोल | | | | | | | | |
| Coke/Coal | 0 | 0 | 1547 | 13206613 | 1494 | 13258062 | 53 | 161785 |
| | (0) | (0) | (1551) | (10730439) | (1551) | (10899238) | (0) | (0) |
| 5. हॉट ब्रिक्वेटेड आयरन | | | | | | | | |
| Hot Briquetted Iron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (0) | (0) | (18) | (210571) | (18) | (213098) | (0) | (0) |
| 6. जूट/Jute | | | | | | | | |
| Jute | 0 | 0 | 250 | 828700 | 250 | 834915 | 0 | 0 |
| | (0) | (0) | (290) | (730287) | (290) | (735437) | (0) | (0) |
| 7. क्रियूड ऑयल/Crude Oil | | | | | | | | |
| Crude Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (0) | (0) | (6394) | (21351047) | (6394) | (21575233) | (0) | (0) |
| 8. सी आर क्वायलस | | | | | | | | |
| C R Coils | 0 | 0 | 5 | 159287 | 5 | 162632 | 0 | 0 |
| | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | | | 16184881 | | 16276295 | | |
| | | | | (40865710) | | (41354465) | | |
| जोड़/Add : अंतिम बिल समायोजन/Final Bill Adj. | | | | 304399 | | 307652 | | |
| | | | | (433238) | | (445650) | | |
| | | | | 16489280 | | 16583947 | | |
| | | | | (40432472) | | (40908815) | | |

19.29 ऊपरउल्लिखित के अतिरिक्त इस निगम ने फेसिलिटेटर के रूप में भी सामग्री की खरीदारी की, जिनका विवरण नीचे है:
In addition to above the Company has also purchased material as facilitator as per details below :

(Quantity in '000 Tonnes) (Value ₹ '000) (Figures for Previous Year given in brackets)

| क्र. सं. Sl. No. | सामग्री का विवरण Description of material | मात्रा Qty. | खरीद मूल्य Purchase Value | अर्जित सेवा प्रभार Service Charges Earned |
|---------------------|---|----------------|------------------------------|--|
| 1. | एच आर क्वायलस HR Coils | 158 (55) | 5690360 (1675165) | 103528 (25654) |
| 2. | कोक/कोल Coke/Coal | 1083 (1002) | 11714884 (9614115) | 200599 (134740) |
| 3. | बिलेट्स Billets | 101 (9) | 2851584 (241293) | 57308 (4464) |
| 4. | पिलेट्स Pellets | 490 (495) | 5052691 (3166795) | 59666 (32890) |
| 5. | कॉपर वायर रॉड Copper Wire Rods | - - | 174628 (0) | 3231 (0) |
| 6. | एच आर स्टील स्लैब H R Steel Slab | (0) (27) | (0) (530143) | (0) (3464) |
| 7. | कैपिटल आईटम Capital Items | - - | 119550 (321226) | 1435 (3855) |
| 8. | स्क्रेप Scrap | 34 (24) | 686050 (385969) | 11716 (6658) |
| 9. | डीआरआई DRI | 8 (5) | 191668 (63421) | 2779 (761) |
| 10. | आयरन ओर Iron Ore | 1389 (1406) | 7907889 (6268600) | 112969 (77869) |
| 11. | मैंगेनीज ओर Manganese Ore | 107 (0) | 1498288 (0) | 26044 (0) |
| 12. | सी आर क्वायल C R Coil | 16 (1) | 690891 (40229) | 13321 (744) |
| 13. | इंगोट Ingot | 3 (1) | 82019 (21894) | 1517 (405) |
| 14. | पिग आयरन Pig Iron | - (7) | - (152372) | - (2819) |
| 15. | आर आर शीट R R Sheets | 10 (2) | 375897 (89716) | 8779 (1659) |
| 16. | स्पंज आयरन Sponge Iron | 82 (22) | 1604182 (412034) | 29322 (7622) |
| 17. | ब्लूम Bloom | 13 (0) | 349205 (0) | 6460 (0) |
| 18. | सीएलओ CLO | 728 (0) | 3657929 (0) | 44838 (0) |
| 19. | कंज्यूमेबल Consumables | - - | 302263 (0) | 3627 (0) |
| 20. | फ्योल स्टॉक स्ट्रिप्स Foil Stock Strips | - - | 124122 (0) | 2341 (0) |
| 21. | एचएमएस HMS | 3 (0) | 71215 (0) | 1261 (0) |
| | | 4225 (3053) | 43145315 (22982974) | 690741 (303606) |

19.30 विभिन्न प्रिंसिपलों की ओर से स्क्रेप के निपटान एवं कोयले के निपटान/बुकिंग एवं देसी स्रोत से खरीदे गए स्क्रेप का मूल्य ₹ 81677487 हजार (विगत वर्ष ₹ 63535724 हजार)

Value of scrap disposed and coal disposed/booked and materials procured from domestic sources on behalf of various Principals amounts to ₹ 81677487 thousand (previous year ₹ 63535724 thousand).

19.31 पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार फिर से व्यवस्थित और वर्गीकृत किया गया है।

Figures for the previous year have been rearranged and regrouped wherever necessary.

हमारे ऊपर उल्लिखित दिनांक के प्रतिवेदन के संदर्भ में

कृते दास एवं प्रसाद
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 303054 ई
(सीए जी डी अगरवाल)
साझेदार
एम नं. 004543

दिनांक 26 जुलाई 2011
Dated the 26th day of July, 2011
कोलकाता/Kolkata

In terms of our report of even date

For Das & Prasad
Chartered Accountants
Regn. No. 303054 E
(CA. G. D. Agarwala)
PARTNER
M No. 004543

(एस के त्रिपाठी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(S K Tripathi)
CHAIRMAN-CUM-
MANAGING DIRECTOR
(तापस बसु)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Tapas Basu)
GENERAL MANAGER
FINANCE & ACCOUNTS

कृते एमएनटीसी लिमिटेड
For MSTC Limited

(ए के बसु)
निदेशक (वित्त)
(A K Basu)
DIRECTOR FINANCE
(सुब्रत कुमार राय)
कंपनी सचिव
(Subrata Kumar Ray)
COMPANY
SECRETARY

तुलन पत्र सार एवं कंपनी के सामान्य कारोबार की रूपरेखा
BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

I. पंजीयन विवरण/Registration Details

पंजीयन संख्या/Registration No. राज्य कोड/State Code
तुलन पत्र दिनांक/Balance Sheet Date

II. वर्ष के दौरान उगाही गई पूंजी (₹ हजार में)/Capital raised during the year (Amount in ₹ Thousand)

| | |
|--|--|
| सार्वजनिक निर्गम/Public Issue | आधिकारिक निर्गम/Right Issue |
| <input type="text" value="शून्य N I L"/> | <input type="text" value="शून्य N I L"/> |
| बोनस निर्गम/Bonus Issue | निजी स्थानन/Private Placement |
| <input type="text" value="शून्य N I L"/> | <input type="text" value="शून्य N I L"/> |

III. निधियों को जुटाने एवं अभिनियोजन की स्थिति (राशि ₹ हजार में) Position of Mobilisation and deployment of funds (Amount in ₹ Thousand)

| | |
|--|---------------------------------------|
| कुल दायित्व/Total Liabilities | कुल आस्तियां/Total Assets |
| <input type="text" value="16688957"/> | <input type="text" value="16688957"/> |
| निधियों का स्रोत/Sources of Funds | |
| प्रदत्त पूंजी/Paid Up Capital | आरक्षित एवं अधिशेष/Reserves & Surplus |
| <input type="text" value="00022000"/> | <input type="text" value="05030049"/> |
| सुरक्षित ऋण/Secured Loans | असुरक्षित ऋण/Unsecured Loans |
| <input type="text" value="4195284"/> | <input type="text" value="7441624"/> |
| निधियों का अनुप्रयोग/Application of Funds | |
| शुद्ध स्थायी परिसम्पत्तियां/Net Fixed Assets | निवेश/Investment |
| <input type="text" value="00173791"/> | <input type="text" value="00158100"/> |
| शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां/Net Current Assets | विविध व्यय/Misc. Expenditure |
| <input type="text" value="16250602"/> | <input type="text" value="00000000"/> |
| संचित घाटा/Accumulated Losses | |
| <input type="text" value="00000000"/> | |

IV. कंपनी का निष्पादन (राशि ₹ हजार में)/Performance of Company (Amount in ₹ Thousand)

कुल बिक्री/Turnover

1 9 4 7 3 1 2 3

कुल व्यय/Total Expenditure

1 7 9 7 9 0 8 0

करपूर्व लाभ/हानि/Profit/Loss Before Tax

+ 0 1 4 9 4 0 4 3

करोपरंत लाभ/हानि/Profit/Loss After Tax

0 0 9 9 1 6 4 2

प्रति शेयर आय ₹ में/Earning per Share in ₹

0 0 0 0 0 4 5 1

लाभांश दर (%)/Dividend rate (%)

0 0 0 0 0 1 0 0

V. कंपनी के तीन प्रधान उत्पादों और सेवाओं का नाम (आर्थिक शर्तों के अनुसार)/Generic names of three principal products/services of company (as per monetary terms)

मद कूट सं/Item Code No.
(आईटीसी कोड/ITC Code)

2601 1210

उत्पाद विवरण/Product
Description

लोह अयस्क पिलेट्स | IRON ORE PELLETS

मद कूट सं/Item Code No.
(आईटीसी कोड/ITC Code)

2704 00

उत्पाद विवरण/Product
Description

कोक/COKE

मद कूट सं/Item Code No.
(आईटीसी कोड/ITC Code)

7204 00

उत्पाद विवरण/Product

हेवी मेल्टिंग स्क्रैप | HEAVY MELTING SCRAP

In terms of our report of even date

हमारे ऊपर उल्लिखित दिनांक के प्रतिवेदन के संदर्भ में

**कृते दास एवं प्रसाद
सनदी लेखाकार**

पंजीकरण संख्या 303054 ई

(सीए जी डी अगरवाल)

साझेदार

एम नं. 004543

दिनांक 26 जुलाई, 2011/Dated the 26th day of July, 2011
कोलकाता/Kolkata

**For Das & Prasad
Chartered Accountants**
Regn. No. 303054 E

(CA. G. D. Agarwala)
PARTNER
M No. 004543

(एस के त्रिपाठी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(S K Tripathi)
CHAIRMAN-CUM-
MANAGING DIRECTOR

(तापस बसु)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Tapas Basu)
GENERAL MANAGER
FINANCE & ACCOUNTS

कृते एमएसटीसी लिमिटेड
For MSTC Limited

(ए के बसु)
निदेशक (वित्त)
(A K Basu)
DIRECTOR FINANCE

(सुब्रत कुमार राय)
कंपनी सचिव
(Subrata Kumar Ray)
COMPANY
SECRETARY

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नगद प्रवाह ब्यौरा
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

| | 2010-11 | 2009-10 |
|--|--|----------------|
| | ₹ '000 | ₹ '000 |
| परिचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह | Cash Flow from Operating Activities : | |
| कराधान एवं असाधारण मद पूर्व शुद्ध लाभ | Net Profit before Taxation and extraordinary items | 1494043 |
| मूल्यहास हेतु समायोजन | Adjustment for Depreciation | 12981 |
| लाभांश से आय हेतु समायोजन | Adjustment for Dividend Income | (8637) |
| ब्याज से आय हेतु समायोजन | Adjustment for Interest Income | (1102055) |
| ब्याज से व्यय हेतु समायोजन | Adjustment for Interest Expenses | 1024457 |
| कार्यकारी पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ | Operating Profit before Working Capital Changes | 1420789 |
| विविध देनदारों में (वृद्धि)/कमी | (Increase)/Decrease in Sundry Debtors | 11404494 |
| अन्य चालू परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी | (Increase)/Decrease in Other Current Assets | (13403) |
| कर्ज एवं अग्रिम में वृद्धि/(कमी) | Increase/(Decrease) in Loans & Advances | 1083615 |
| स्टॉक में (वृद्धि)/कमी | (Increase)/Decrease in Stock | (161785) |
| विविध लेनदारों में वृद्धि/(कमी) | Increase/(Decrease) in Sundry Creditors | (15007632) |
| व्यापार से नगद प्राप्ति | Cash Generated from Operation | (1273922) |
| अग्रिम आयकर भुगतान | Advance Income Tax Paid | (464775) |
| व्यापारिक गतिविधियों से शुद्ध नगद प्रवाह (क) | Net Cash Flow from Operating Activities (A) | (1738697) |
| निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह | Cash Flow from Investing Activities : | |
| अचल परिसम्पत्तियों की खरीद | Purchase of Fixed Assets | (8417) |
| अचल परिसम्पत्तियों की विक्री से आय | Proceeds from Sale of Fixed Assets | 361 |
| अल्पावधि कर्ज से आय | Proceeds from Short Term Borrowings | (3726617) |
| प्राप्त लाभांश | Dividend Received | 8637 |
| प्राप्त ब्याज | Interest Received | 1102055 |
| निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगद प्राप्ति (ख) | Net Cash generated from Investing Activities (B) | (2623981) |
| वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह | Cash Flow from Financing Activities : | |
| प्रदत्त ब्याज | Interest Paid | (1024457) |
| प्रदत्त लाभांश | Dividend Paid | (172260) |
| लाभांश पर कर | Tax on Dividend | (27869) |
| वित्तीय गतिविधियों में लगा शुद्ध नगद (ग) | Net Cash used in Financing Activities (C) | (1224586) |
| नगद एवं नगद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि (क+ख+ग) | Net Increase in Cash & Cash Equivalent (A+B+C) | (5587264) |
| नगद एवं नगदी समानक - प्रारंभिक | Cash & Cash Equivalent - Opening | 14431961 |
| नगद एवं नगदी समानक - अंतिम | Cash & Cash Equivalent - Closing | 8844697 |
| तुलन पत्र के अनुसूची 8 के अनुसार नगद एवं नकदी समानक | Cash and Cash Equivalent as per Schedule 8 of Balance Sheet | |
| हाथ में रोकड़ एवं स्टॉम्प | Cash and Stamp on hand | 109 |
| चालू खाता | Current Accounts | 752932 |
| लाभांश खाता | Dividend Accounts | 2948 |
| जमा खाता | Deposit Accounts | 8088708 |
| | | 14431961 |

नोट : अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी समानक दावा नहीं किए गए लाभांश ₹ 29.48 लाख एवं सावधि जमा ₹ 39.28 लाख को शामिल करता है। यह ₹ 33.67 लाख दावा के लिए प्रतिभूति (गारंटी) स्वरूप रखे गए हैं, जो कंपनी के व्यवहार के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

Note : Cash and cash equivalents at the end of the period include unclaimed dividend of ₹ 29.48 lakh and term deposit of ₹ 39.28 lakh furnished as guarantee against claims of ₹ 33.67 lakh which are not available for use to the Company.

हमारे ऊपर उल्लिखित दिनांक के प्रतिवेदन के संदर्भ में

कृते दास एवं प्रसाद
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 303054 ई
(सीए जी डी अगरवाल)
साझेदार
एम नं. 004543

दिनांक 26 जुलाई 2011/Dated the 26th day of July, 2011
कोलकाता/Kolkata

In terms of our report of even date

For Das & Prasad
Chartered Accountants
Regn. No. 303054 E
(CA. G. D. Agarwala)
PARTNER
M No. 004543

कृते एमएसटीसी लिमिटेड

For MSTC Limited

(एस के त्रिपाठी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(S K Tripathi)
CHAIRMAN-CUM-
MANAGING DIRECTOR
(तापस बसु)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Tapas Basu)
GENERAL MANAGER
FINANCE & ACCOUNTS

(ए के बसु)
निदेशक (वित्त)
(A K Basu)
DIRECTOR FINANCE
(सुब्रत कुमार राय)
कंपनी सचिव
(Subrata Kumar Ray)
COMPANY
SECRETARY

**कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(3) के अनुरूप सहायक कंपनी
का 31 मार्च, 2011 तक के तुलनपत्र का विवरण**

- | | | |
|---|---|--|
| 1. सहायक कंपनी का नाम | : | फेरो स्कैप निगम लिमिटेड |
| 2. वित्तीय वर्ष का अंत | : | 31 मार्च 2011 |
| 3. ईक्विटी शेयर में नियंत्री कंपनी का ब्याज | : | 100% (पूर्णत नगद प्रदत्त प्रत्येक ₹ 1000/- में। 20,000 के ईक्विटी शेयर धारण करती है) |
| 4. सहायक कंपनी के लाभ (हानि) की शुद्ध संकलित राशि को, जहां तक उसका संबंध नियंत्री कंपनी के सदस्यों से है. | | |
| (क) नियंत्री कंपनी के खाते में शामिल नहीं किया गया है | | |
| (i) 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए करोत्तर लाभ | : | ₹ 1,19,70,000/- |
| (ii) 31 मार्च 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए करोत्तर लाभ | : | ₹ 4,31,86,000/- |
| (ख) नियंत्री कंपनी के खाते में शामिल किया गया है | | |
| (i) 31 मार्च 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए करोत्तर लाभ | : | शून्य |
| (ii) 31 मार्च 2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए करोत्तर लाभ | : | शून्य |

**Statement attached to the Balance Sheet as at 31st March, 2011 regarding Subsidiary Company,
Pursuant to Sec. 212(3) of the Companies Act, 1956**

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Name of Subsidiary Company | : | Ferro Scrap Nigam Limited |
| 2. Financial Year ending | : | 31st March, 2011 |
| 3. Holding Company's interest in Equity Shares | : | 100% (holding 20,000 equity Shares of ₹ 1000/- each fully paid up in cash) |
| 4. The net aggregate amount of subsidiary Company's Profit/(Loss) so far it concerns the members of the Holding Company. | | |
| (A) Not dealt with in Holding Company's accounts : | | |
| (a) Profit after Tax for the year ended 31.03.2011 | : | ₹ 1,19,70,000/- |
| (b) Profit after Tax for the year ended 31.03.2010 | : | ₹ 4,31,86,000/- |
| (B) Dealt with in Holding Company's accounts | : | |
| (a) Profit after Tax for the year ended 31.03.2010 | : | NIL |
| (b) Profit after Tax for the year ended 31.03.2009 | : | NIL |



फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

Ferro Scrap Nigam Limited

(A Government of India Undertaking)

32nd वीं वार्षिक प्रतिवेदन 2010-2011
ANNUAL REPORT

विषयसूची

CONTENTS

| | | | |
|--|----|---|----|
| * निदेशक का प्रतिवेदन | 3 | * Directors' Report | 3 |
| * लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन | 24 | * Auditors' Report | 25 |
| * भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ | 40 | * Comments of Comptroller and Auditor General of India (CAG) | 41 |
| * तुलन पत्र | 42 | * Balance Sheet | 43 |
| * लाभ व हानि खाता | 44 | * Profit and Loss Account | 45 |
| * नगद प्रवाह विवरणी | 80 | * Cash Flow Statement | 81 |
| * तुलन-पत्र सार तथा कम्पनी के सामान्य कारोबार की रूपरेखा | 82 | * Balance Sheet Abstract and Company's General Business Profile | 82 |

निदेशक मण्डल

श्री एन्टोनी चाको
प्रबंध निदेशक

श्री एल.सिद्धार्थ सिंह

श्री अशोक कुमार
(09.07.2009 से 02.09.2010 तक)

श्री बी.बी.सिंह
(03.09.2010 से)

BOARD OF DIRECTORS

Shri Antony Chacko
Managing Director

Shri L. Siddhartha Singh

Shri Ashok Kumar
(From 09.07.2009 to 02.09.2010)

Shri B. B. Singh
(w.e.f. 03.09.2010)

कम्पनी सचिव

श्री आदित्य प्रकाश शर्मा

लेखापरीक्षक

राजेन्द्र प्रसाद

सनदी लेखापाल

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक

बैंक ऑफ इंडिया

इंडियन बैंक

आंध्रा बैंक

बैंक ऑफ बड़ौदा

पंजाब नेशनल बैंक

यूको बैंक

कार्पोरेशन बैंक

COMPANY SECRETARY

Shri Aditya Prakash Sharma

AUDITORS

M/S. RAJENDRA PRASAD

Chartered Accountants

BANKERS

State Bank of India

Bank of India

Indian Bank

Andhra Bank

Bank of Baroda

Punjab National Bank

UCO Bank

Corporation Bank

पंजीकृत कार्यालय:

एफ.एस.एन.एल. भवन, इक्विपमेन्ट चौक, सेन्ट्रल एवेन्यू, पोस्ट बॉक्स नं. 37, भिलाई (छ.ग.)
फोन : (0788) 222-2474/2475 फेक्स : (0788) 222-0423/3884

Registered Office:

F.S.N.L. Bhawan, Equipment Chowk, Central Avenue, Post Box No. 37, Bhilai (C. G.)
Phone : (0788) 222-2474/2475 Fax : (0788) 222-0423/3884
E-mail : fsnl_co@rediffmail.com
Visit us at : //www.ferro-scrap.com
//www.fsnl.nic.in

निदेशक का प्रतिवेदन

DIRECTORS' REPORT

प्रति,
सदस्यवृन्द
फेरो स्कैप निगम लिमिटेड

महानुभाव,

आपके निदेशकगण को दिनांक 31/03/2011 को समाप्त वर्ष के लिए परीक्षित लेखाओं के साथ 32वीं वार्षिक प्रतिवेदन के साथ-साथ नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को प्रस्तुत करते हुए हर्ष है।

निष्पादन मुख्यांश

भौतिकीय

कम्पनी, आई आई एल, डोलवी में कार्य की प्रमात्रा में कमी होने जैसी विपरीत बाधाओं के बावजूद भी संचालन के सभी मूल क्षेत्रों में भौतिक लक्ष्यों को अच्छी तरह से कायम रखा। एफ एस एन एल 26.45 लाख टन स्कैप का प्रेषण एवं 43.32 लाख टन की स्लैग दुलाई करने में सफलता प्राप्त की है। वर्तमान उद्भव तथा पुराने डम्पों से स्कैप के आवक में कमी के बावजूद भी भौतिकीय निष्पादन को प्राप्त कर लिया गया है। स्कैप तथा स्लैग का यह निष्पादन नए कार्यों के जुड़ने तथा वर्तमान संयंत्रों में पुराने स्कंध के परिसमापन से संभव हो सका। यह उपलब्धियों कार्य-संस्कृति, टीम-भावना, कठिन परिश्रम तथा सभी कर्मचारियों के समर्पण के साथ-साथ ग्राहकों से प्राप्त सहयोग एवं मदद से संभव हो सकी है।

इस्पात निर्माण में प्रौद्योगिक विकास/आधुनिकीकरण के कारण इस्पात संयंत्र में स्कैप के जनन को कम कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप स्लैग से स्कैप की उपलब्धता क्रमशः घट गयी है। विकास तथा लाभप्रदता को बेहतर बनाने हेतु एफ.एस.एन.एल नए कार्यों को हाथ में लेने का अवसर तलाश रही है।

To
The Members
FERRO SCRAP NIGAM LIMITED


GENTLEMEN

Your Directors have the pleasure in presenting the 32nd Annual Report with the audited accounts for the year ended 31-03-2011 along with the comments of the Comptroller and Auditor General of India.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

PHYSICAL

The Company, despite obstacles like considerable decrease in quantum of work at IIL, Dolvi, maintained well in physical targets in all key operational areas. FSNL achieved a dispatch of 26.45 lakh tonnes of scrap and 43.32 lakh tonnes of slag haulage. The physical performance has been achieved despite reduction in input of scrap from current arisals and also from old dumps. This achievement of scrap and slag was possible by addition of new jobs and liquidating the old stock in the existing plants. Such achievements have been possible due to the excellent work culture, team spirit, hard work and dedication of all the employees as well as cooperation and support received from customers.



The technological development/modernization in steel making has brought down the generation of scrap in steel plants and as a result the availability of scrap from slag has gradually reduced. To improve the growth and profitability, FSNL is exploring opportunity to secure new jobs.

वित्तीय

कम्पनी का कुल उपार्जन गत वर्ष के ऑकड़े क्रमशः ₹ 15,861 लाख तथा ₹ 15,038 लाख की तुलना में सेवा प्रभार का ₹ 16,078 लाख सहित ₹ 16,853 लाख था। वर्ष के दौरान कंपनी का सकल मार्जिन तथा कर पूर्व लाभ गत वर्ष के ऑकड़े क्रमशः ₹ 2,119 लाख तथा ₹ 576 लाख की तुलना में ₹ 1,346 लाख तथा ₹ 178 लाख था।

कर्मचारियों के पारिश्रमिक तथा अन्य अनुलाभों के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त व्यय होने, निवेशों अर्थात् डीजल तथा स्नेहकों की लागत में वृद्धि होने, उपस्करों की पुर्नपैबन्द करने के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त अनुरक्षण व्यय होने एवं डोलवी इकाई में कुछ टेकाओं के नवीनीकरण नहीं होने के कारण राजस्व में घाटा होने से कम्पनी की लाभप्रदता में कमी हुई ।

सामान्य आरक्षितियाँ

कम्पनी (लाभों का आरक्षित निधि में अंतरण) नियम, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (2ए) का अनुसरण करते हुए ₹ 73.2 लाख को लाभ एवं हानि खाता से सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करना प्रस्तावित है तथा अधिशेष ₹ 1 हजार को तुलन-पत्र में अग्रोनित किया जाएगा।

लाभांश

आपके निदेशकगण वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 40 लाख की रकम की समादत्त अंश पुंजी पर 20 प्रतिशत की दर से लाभांश की सहर्ष अनुशंसा करते हैं।

विदेशी मुद्रा अर्जन तथा निर्गम

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन शून्य है। तथापि, वर्ष के दौरान कम्पनी स्टोर्स तथा कल-पूर्जों के आयात के लिए ₹ 10.17 लाख की विदेशी मुद्रा खर्च की ।

FINANCIAL

The total earning of the company was ₹16,853 lakhs including service charges of ₹16,078 lakhs as compared to the previous year's figure of ₹15,861 lakhs and ₹15,038 lakhs respectively. The company's Gross Margin and Profit Before Tax during the year was ₹1,346 lakhs and ₹178 lakhs as compared to the previous year figure of ₹ 2,119 lakhs and ₹576 lakhs respectively.

The profitability of the company has reduced due to additional expenditure on account of employee's remuneration and other benefits, increased in the cost of inputs like diesel and lubricants, additional maintenance expenditure on account of revamping of equipments and loss of revenue in Dolvi unit due to non renewal of some contracts.

GENERAL RESERVES

Pursuant to section 205(2A) of the Companies Act, 1956, read with the Companies (Transfer of Profits to reserves) Rules, 1975, an amount of ₹ 73.2 lakh is proposed to be transferred to General Reserves from Profit & Loss Account leaving a balance of ₹ 1 thousand to be carried forward to the Balance Sheet.

DIVIDEND

Your Directors are pleased to recommend a dividend @ 20 % on the paid up equity share capital amounting to ₹ 40 Lakhs for the year 2010-2011.

FOREIGN EXCHANGE EARNING & OUTGO

Foreign exchange earning during the year is NIL. However, during the year company spent foreign exchange of ₹ 10.17 lakhs towards import of stores and spare parts.

उर्जा संरक्षण तथा प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं नव-श्रृजन

उर्जा संरक्षण

उर्जा संरक्षण एक प्रमुख क्षेत्र है जहाँ कंपनी खपत को निरंतर अनुवीक्षण के द्वारा व्यर्थ का परिवर्जन कर उर्जा बचाने हेतु प्रयास कर रही है।

कंपनी (निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में ब्यौरा का प्रकटीकरण) नियम, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(ई) के प्रावधानों के अन्तर्गत उर्जा के संरक्षण तथा तकनीकी अवशोषण से संबंधित अपेक्षित जानकारी, संलग्नक क्रमशः 'प्रपत्र-क' तथा 'प्रपत्र-ख' में दिया गया है जो इस प्रतिवेदन का भागरूप है।

प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं नव-श्रृजन

प्रौद्योगिकी के अवशोषण के परिप्रेक्ष्य में ब्यौरा

क) विकास तथा अभियांत्रिकी

- 1) राउरकेला में क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग की मौजूदा इकाई का परिवर्तन पूर्ण किया गया तथा सफलतापूर्वक प्रवर्तन किया गया ।
- 2) भिलाई बी एफ डम्प में दूसरे सेपरेटर का फैब्रिकेशन तथा स्थापना के लिए कार्यवाही की गयी है ।
- 3) बोकारो इकाई में मौजूदा क्रशिंग तथा स्क्रीनिंग संयंत्र के क्षमता संवृद्धि कार्य के पहले चरण को पूर्ण किया गया तथा संयंत्र का प्रवर्तन किया गया । दूसरे चरण का कार्य प्रक्रियान्तर्गत है तथा इसे जुलाई, 2011 में पूर्ण होने का अनुमान है ।
- 4) बोकारो इकाई में विद्युतकीय उपस्करों को बिजली देने हेतु विद्युतकीय उप-केन्द्र (11कि.वाट/3.3 कि.वाट) का कार्य प्रगति में है।
- 5) लघु क्षमता के सेपरेटर के बनाने की रुपरेखा तथा उन्नति को पूर्ण किया गया और उसको बनाने एवं स्थापना के लिए कार्यवाही की गयी है ।
- 6) चुम्बकीय सेपरेटर के माध्यम से वर्क थ्रू स्लैग द्वारा अवशिष्ट स्क्रैप की रिकवरी के लिए सहायक रिकवरी इकाई की रुपरेखा तथा विकास ।
- 7) निगमन कार्यालय में अनुसंधान व विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी तथा विविध अनुसंधान व विकास क्रिया-कलापों हेतु प्रयोगशाला का निर्माण करने तथा अन्य उपस्करों को क्रय करने हेतु कार्यवाही की गयी ।

ENERGY CONSERVATION & TECHNOLOGY ABSORPTION AND INNOVATION

ENERGY CONSERVATION

The conservation of energy has been one of the key areas where company is striving for saving energy by avoiding waste through continuous monitoring of consumption.

Information as required under provisions of Section 217(1)(e) of the Companies Act, 1956, read with the Companies (Disclosure of Particular in the report of Board of Director) Rules 1988, regarding conservation of energy and Technology Absorption, are given in the Annexure-I "Form-A" and "Form-B" respectively forming part of this report.

TECHNOLOGY ABSORPTION AND INNOVATION

PARTICULARS WITH RESPECT TO ABSORPTION OF TECHNOLOGY

a) DEVELOPMENT & ENGINEERING

1. Modification of existing Crushing & Screening Unit at Rourkela completed and re-commissioned successfully.
2. Action has been taken for fabrication and erection of second Separator at Bhilai BF Dump.
3. First phase of capacity enhancement job of the existing Crushing and Screening Plant at Bokaro has been completed and the Plant has been re-commissioned. The job of second phase is under progress and likely to be completed in July 2011.
4. Electrical Sub-station (11 KV/3.3 KV) for powering Electrical equipments at Bokaro Unit is in progress.
5. Design and development of fabrication of smaller capacity Separator has been completed and action has been taken for fabrication and erection of the same.
6. Design and development of Secondary Recovery Unit for recovery of residual scrap from worked through slag coming out of Magnetic Separator.
7. R&D Cell has been set up at Corporate Office and action has been taken for construction of Laboratory and procurement of other equipment for carrying out various R&D activities.

ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं नव-श्रृजन

निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा :-

- 1) भिलाई तथा डोलवी में इस्पात स्क्रेप में एफ ई की संवृद्धि ।
- 2) यांत्रिकीय प्रक्रिया से स्क्रेप का ऑक्सी कटिंग ।

निम्नलिखित प्रक्रिया का आन्तरिक विकास किया जा रहा है:-

- 3) सहायक रिकवरी इकाई का संस्थापन कर वर्क थ्रू स्लैग से स्क्रेप की रिकवरी।

स्क्रेप रिकवरी संविदाओं की प्रास्थिति

1. सेल संयंत्र

सेल के निम्नलिखित संयंत्रों के साथ दीर्घावधिक अनुबंध 30.09.2011 तक वैध है :

1. राउरकेला इस्पात संयंत्र
2. इस्को इस्पात संयंत्र
3. भिलाई इस्पात संयंत्र
4. बोकारो इस्पात संयंत्र
5. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

2. विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टणम

अनुबंध पर दिनांक 30.06.2011 तक वैध है।

3. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, डुबुरी

अनुबंध दिनांक 12.05.2013 तक वैध है।

4. इस्पात इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, डोलवी

विविध क्रिया-कलापों के लिए आई आई एल, डोलवी के साथ अनुबंध निम्नानुसार वैध है:-

| क्र.सं. | कार्य विवरण | अनुबंध की वैधता की तारीख |
|---------|---|--------------------------|
| 1 | लौह स्क्रेप तथा धमन भटटी स्लैग | 09.07.2011 |
| 2 | चुम्बकीय सेपरेटर से स्क्रेप का प्रक्रमण | 14.03.2013 |

b) TECHNOLOGY ABSORPTION AND INNOVATION

The following technologies are being used:

1. Enrichment of Fe in the Steel Scrap at Bhilai and Dolvi.
2. Oxy Cutting of scrap by machanised process.

Inhouse development of the following process is being carried out:

3. Recovery of scrap from worked through slag by installing secondary recovery Unit.

STATUS OF SCRAP RECOVERY CONTRACTS

1. SAIL Plants

Long Term Agreements with the following SAIL Plants are valid till 30.09.2011.

1. Rourkela Steel Plant.
2. IISCO Steel Plant.
3. Bhilai Steel Plant
4. Bokaro Steel Plant
5. Durgapur Steel Plant.

2. Visakhapatnam Steel Plant, Visakhapatnam

Agreement is valid till 30.06.2011.

3. Neelachal Ispat Nigam Limited, Duburi

Agreement is valid till 12.05.2013.

4. Ispat Industries Ltd., Dolvi

Agreements with IIL, Dolvi for various activities are valid as mentioned below:

| S. No. | Job Description | Agreement valid upto |
|--------|--|----------------------|
| 1. | Iron Scrap & BF Slag | 09.07.2011 |
| 2. | Processing of Scrap through Magnetic Separator | 14.03.2013 |

5. एच ई सी, राँची

एच ई सी, राँची में कार्यों का समापन 31.03.2011 को किया गया ।

कार्मिक

दिनांक 31.03.2011 को कंपनी में 148 कार्यपालक तथा 942 कार्यपालकेत्तर कर्मचारियों को मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या 1090 थी। दिनांक 31 मार्च, 2011 को अनुसूचित जाति, तथा अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग समुदायों के कर्मचारियों का समग्र प्रतिनिधित्व क्रमशः 17.98 प्रतिशत, 11.19 प्रतिशत एवं 11.74 प्रतिशत था ।

5. HEC, Ranchi

Jobs at HEC Ranchi completed on 31.3.2011.

PERSONNEL

The total number of employees in the company as on 31/03/2011 was 1090, comprising of 148 Executives and 942 Non-executives. The overall representation of employees belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe & OBC communities as on 31st March, 2011 was 17.98%, 11.19% & 11.74%, respectively.

दिनांक 31.03.2011 को कर्मचारियों की 1090 की कुल संख्या में से पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 1071 एवं 19 थी ।

1. दिनांक 31 मार्च, 2011 को विभिन्न समूहों में अजा/अजजा/अपिव/विकलांग कर्मचारियों की स्थिति इस प्रकार थी:-

| समूह | कर्मचारियों की कुल संख्या | अजा की संख्या | अजा की प्रतिशतता | अजजा की संख्या | अजजा की प्रतिशतता | अपिव की संख्या | अपिव की प्रतिशतता | विकलांग की संख्या | विकलांग की प्रतिशतता |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| क | 148 | 16 | 10.81 | 3 | 2.02 | 17 | 11.48 | - | - |
| ख | 566 | 78 | 13.78 | 36 | 6.36 | 64 | 11.30 | 1 | 0.17 |
| ग | 373 | 99 | 26.54 | 83 | 22.25 | 47 | 12.60 | - | - |
| घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर) | शून्य | - | - | - | - | - | - | - | - |
| घ (सफाई कर्मचारी सहित) | 3 | 3 | 100.00 | शून्य | - | शून्य | - | - | - |

Out of the total strength of 1090 employees as on 31.03.2011, the strength of Male & Female employees was 1071 & 19, respectively.

1. The position of SC/ST/OBC/Physically Handicapped employees in various groups, as on 31st March, 2011, was as follows :

| Group | Total No. of Employees | No. of SC | % of SC | No. of ST | % of ST | No. of OBC | % of OBC | No. of P.H. | % of P.H. |
|--------------------------------|------------------------|-----------|---------|-----------|---------|------------|----------|-------------|-----------|
| A | 148 | 16 | 10.81 | 3 | 2.02 | 17 | 11.48 | - | - |
| B | 566 | 78 | 13.78 | 36 | 6.36 | 64 | 11.30 | 1 | 0.17 |
| C | 373 | 99 | 26.54 | 83 | 22.25 | 47 | 12.60 | - | - |
| D (Excl. Safai Karmachari) | NIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D (Including Safai Karmachari) | 3 | 3 | 100.00 | NIL | - | NIL | - | - | - |

2. नियुक्तियों में अजा/अजजा/अपिव तथा विकलांग कर्मचारियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी राष्ट्रपतिय निदेश का एफ एस एन एल द्वारा कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान केवल 2 उम्मीदवारों में से एक समूह-क में तथा दूसरे समूह-ग में (अनुकम्पा आधार पर) नियुक्ति की गयी ।

अल्पसंख्यकों का कल्याण

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित समय-समय पर जारी निदेशों का अनुपालन किया जा रहा है। दिनांक 31 मार्च 2011 को 1090 कर्मचारियों में से 122 कर्मचारी अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तथा दिनांक 31 मार्च, 2011 को एफ एस एन एल में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता 11.19 प्रतिशत थी।

सभी कर्मचारियों के लाभ हेतु समय-समय पर कम्पनी द्वारा विविध कल्याण उपायों को प्रचलन में लाया/पेश किया गया जो अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारीगण के लिए भी लागू है।

कमजोर वर्गों का कल्याण

कम्पनी का नियम/कल्याण उपाय अजा/अजजा/अपिव समुदायों के कर्मचारियों सहित सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए एक समान प्रयोज्य है तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि कर्मचारीगण इन कल्याण उपायों से अच्छी तरह संतुष्ट हों ।

मानव संसाधन विकास

वर्ष 2010-11 के दौरान कार्यपालकों के साथ-साथ कार्यपालकेतर कर्मचारियों के लाभ हेतु आन्तरिक तथा बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समाविष्ट कर विविध प्रशिक्षण आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के साथ-साथ मूल उपस्कर निर्माताओं के माध्यम से वर्ष के आरंभ में बनायी गयी वार्षिक योजना के आधार पर की गयी।

विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कर्मचारियों का नामांकन प्रत्येक तथा हरेक कर्मचारी की प्रशिक्षण जरूरतों के संबंध में कर्मचारियों के वार्षिक दक्षता निरूपण प्रपत्रों में समर्थित संबंधित प्राधिकारों की अनुशंसा, ताकि उन्हें संबंधित कार्य-क्षेत्र में अपने कौशल तथा सामर्थ्य को बढ़ाने का अवसर मिले और दिन-प्रतिदिन औद्योगिकीय एवं प्रौद्योगिकीय विकास से अपने आप को अवगत करा सके, के आधार पर किए गए ।

प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्यों के 'उत्कृष्ट' स्तर को प्राप्त कर लिया गया है।

2. The Presidential directives issued from time to time with regard to reservation of vacancies for SC/ST/OBC & Physically challenged personnel in Recruitments, are strictly adhered to by FSNL.

During the financial year 2010-11, only 2 general candidates were recruited, one in Group-A and another in Group-C (on compassionate ground).

WELFARE OF MINORITIES

The directives issued from time to time with regard to implementation of Prime Minister's new 15 point programme for the welfare of Minorities, are complied with. As on 31st March 2011, out of 1090 employees, 122 employees belonged to Minorities, and the percentage of representation of Minorities in FSNL as on 31st March 2011 was 11.19%.

Various welfare measures are in vogue / introduced by the company from time to time for the benefit of the employees as a whole, which covers the employees belonging to the Minority communities also.

WELFARE OF WEAKER SECTIONS

The rules/welfare measures of the company are uniformly applicable for all categories of employees, including those belonging to the SC/ST/OBC communities, and it is ensured that the employees are well satisfied with such welfare measures.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Various training, comprising of Inhouse & External programmes, were arranged during the year 2010-11 for the benefit of Executives as well as Non-executive employees. These training programmes were arranged through reputed training institutions as well as the OEMs, on the basis of the yearly plan chalked out at the beginning of the year.

The nomination of employees for various training programmes were made on the basis of recommendations of the concerned authorities endorsed in the Annual Performance Appraisal forms of the employees, with regard to the training needs of each & every employee, thereby affording them an opportunity for enhancing their skill & abilities in the concerned field, and acquainting themselves with the day-to-day industrial & technological developments.

"Excellent" level of MOU targets for training, has been achieved.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन

सूचना का अधिकार अधिनियम के अधिदेश प्रावधानों का पालन करते हुए एफ एस एन एल ने निगमन कार्यालय में एक जन सूचना अधिकारी (पी आइ ओ) तथा एक सहायक जन सूचना अधिकारी एवं अपनी 8 इकाईयों में एक-एक सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रथम पौनर्वीदिक अधिकारी प्रबंध निदेशक, एफ एस एन एल हैं। कम्पनी ने 17 विभिन्न सांचाओं/संकल्पित हेतु नियमावलियों/स्वयं के द्वारा प्रकटीकरण, जैसा कि अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के तहत अपेक्षित है, के अन्तर्गत सूचना का अनुपालन किया है तथा उसे कम्पनी के वेबसाईट "fsl.nic.in" पर लगाया है एवं प्रकाशित की गयी सूचना का नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

कम्पनी सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन प्रतिक्रियाशीलता से करती है। अधिनियम के अन्तर्गत ली गयी सभी जानकारी निर्धारित समयावधि के भीतर दी जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कुल 36 जानकारी दी गयी जिनके उत्तर निर्धारित समय सीमा के भीतर दिए गए।

सतर्कता गतिविधियाँ

नियमित निरीक्षण तथा वर्तमान प्रणालियों के विश्लेषण की एक प्रणाली वर्ष के लिए सतर्कता गतिविधियों का आधार रूप होता है। शिक्षाप्रद तथा निवारण उपायों के संयोजन पर बल दिया गया था।

अनिवार्य निगमित सिद्धान्तों के रूप में "ब्लिसिल ब्लोअर पॉलिसी" एवं "सिटीजन चार्टर" को स्वीकार किया गया। अखंडता संधि के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा रही है एवं बाहरी स्वतंत्र प्रबोधक के साथ बैठक आयोजित की गयी। पारदर्शिता लाने हेतु प्रौद्योगिकी उदग्रहण को अपनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं तथा उपभोज्य मदों के लिए आरंभिक रूप से मे. एम एस टी सी लि के माध्यम से ई-प्रोक्यूरमेन्ट को आरंभ किया गया।

सतर्कता जागरूकता लाने के लिए निगमन कार्यालय सहित सभी इकाईयों में 25 अक्टूबर से 1 नवम्बर, 2010 तक सतर्कता जागरूकता अवधि का आयोजन कर अभियान चलाया गया था जिस दौरान प्रमुख स्थानों पर बैनरों, पोस्टरों को प्रदर्शित किए एवं कर्मचारियों के मध्य स्लोगन स्पर्धा आयोजित किए गए थे।

कम्पनी में सतर्कता संगठनों को बल देने के उद्देश्य से, अपने स्वयं के कार्यों के अलावे अपने संबंधित इकाईयों में नियमित जाँच तथा अन्य सतर्कता कार्यों को करने प्रत्येक इकाई में एक कार्यपालक को सतर्कता अधिकारी के रूप में नामित किया गया।

IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

In compliance with the mandatory provisions of the RTI Act, FSNL has appointed a Public Information Officer (PIO) and one Assistant Public Information Officer at Corporate Office and one APIO each at its 8 units. MD, FSNL is the first appellate authority under the R.T.I. Act, 2005. The company has complied the information under 17 different templates/manuals/manuals for Voluntary/suo-moto disclosure as required under Section 4(1)(b) of the Act and hosted the same on the company's website "fsl.nic.in" and the information so published is being regularly updated.

The company is proactively complying with the provisions of Right to Information Act, 2005. All information sought under the Act is being furnished within the stipulated time period.

During the financial year 2010-2011, a total number of 36 information were sought under RTI Act, 2005, which were duly replied to within the stipulated time frame.

VIGILANCE ACTIVITIES

A system of regular inspections and analysis of existing systems formed the basis of the vigilance activities for the year. Emphasis was laid on a combination of educative and preventive measures.

As an essential Corporate Principles, "Whistle Blower Policy" and "Citizens Charter" have been adopted. Review of implementation of Integrity Pact is being made and a meeting with External Independent Monitor was held. Constant efforts are being made for adoption of leveraging Technology for bringing transparency and e-procurement has been started thru M/S MSTC Ltd. initially for consumable items.

A campaign for creating vigilance awareness was taken up by organizing Vigilance Awareness Period commencing from 25th October to 1st November, 2010 in all the units of the company including Corporate Office during which Banners, Posters were displayed at prime locations. Essay competition and Slogan Competition amongst the employees was organized.

In order to Strengthen vigilance machineries in the company, one executive in each unit has been nominated as Vigilance Officer to carry out the regular checks and other vigilance jobs in their respective units in addition to their own jobs.

सुरक्षा

सुरक्षा तथा सुरक्षित कार्य पद्धतियों के बारे में कर्मचारियों के मध्य जागरूकता लाने के उपाय के उद्देश्य से एफ एस एन एल के निगमन कार्यालय के साथ-साथ सभी इकाईयों में सुरक्षा दिवस समारोहों का आयोजन किया गया जिसमें सुरक्षा तथा सहबद्ध विषयों पर वाद-विवाद आयोजित किए गए। इन प्रतिस्पर्धाओं के लिए कर्मचारियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी। विजेताओं को आकर्षक उपहार प्रदान किए गए।

अग्नि की रोकथाम/अग्नि संयोग तथा सुरक्षित कार्य पद्धतियों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आदि जैसी प्रतिष्ठित एजेन्सियों को लगाया गया।

प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता

एफ एस एन एल ने एक समिति अर्थात "संयुक्त मंच समिति" का गठन किया है जिसमें प्रबंधन तथा मान्यताप्राप्त संघों से समान संख्या में प्रतिनिधि होते हैं। संयुक्त मंच समिति के संयोजक प्रबंधन की ओर से नामित है जबकि मान्यताप्राप्त संघों के कोई एक सदस्य संयुक्त संयोजक के रूप में नामित हैं।

नियमित अंतराल में संयुक्त मंच समिति की बैठक का संयोजन किया जाता है तथा कर्मचारियों के हितों से संबंधित समस्याओं एवं विषयों पर निर्णय देने हेतु सदस्यों के मध्य विस्तृत वार्ता की जाती है। आमने-सामने बैठकर इस पारस्परिक वार्ता से नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को बल मिलता है तथा जहाँ इसे आवश्यक माना जाता है, प्रबंधन तथा मान्यताप्राप्त संघ के द्वारा तथा उनके मध्य पारस्परिक अनुबंधों पर भी हस्ताक्षर किया जाता है।

इस प्रकार एफ एस एन एल में प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता एक नियमित प्रक्रिया है।

औद्योगिक संबंध

किसी हड़ताल, धेराव/बंद आदि के परिप्रेक्ष्य में यहाँ उत्पादन अथवा श्रमशक्ति की क्षति नहीं हुई। पूरे वर्ष भर कम्पनी में पूर्णतया स्नेहपूर्ण तथा मधुर औद्योगिक संबंध बना रहा।

राजभाषा नीति

एफ एस एन एल सर्वदा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के बारे में सरकार के निर्देशों का हमेशा कड़ाई से अनुसरण करता है।

हिन्दी में अपने दैनन्दिन कार्यों को करने में कर्मचारियों को निरंतर अभिप्रेरणा मिलने से मनोबल को बढ़ावा मिलता है। हिन्दी नोटिंग/ड्राफ्टिंग तथा हिन्दी टंकण स्पर्धाओं विजेताओं को योजना के अन्तर्गत नकद पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं।

SAFETY

As a measure of creating awareness among the employees about safety & safe working practices, Safety Day celebrations were organized in all the units as well as at Corporate Office of FSNL, consisting of debates on safety & related aspects. An overwhelming response was there from the employees for such competitions. Attractive gifts were given away to the winners.

Reputed agencies like National Safety Council etc., were engaged for imparting training to the employees on prevention of fire/fire hazards and safe working practices.

WORKERS' PARTICIPATION IN MANAGEMENT

A Joint Forum Committee is constituted in FSNL which consists of equal number of representatives from the Management & the recognized Unions. Convener of the JFC is nominated from the Management side, while the member of one of the recognized unions is nominated as the Joint Convener.

Joint Forum Committee's meetings are convened at regular intervals and detailed discussions are held between the members for arriving at a decision on the problems & issues of employees' interests. The Employer-Employee relationship gets strengthened due to such mutual discussions across the table, and wherever it is felt necessary, mutual Agreements are also signed by & between the Management & the Recognized Union.

Thus, the Workers' Participation in Management is a regular phenomenon in FSNL.

INDUSTRIAL RELATIONS

There was no loss of production or manhour on account of any Strike, Gherao/Bandh etc. Throughout the year a cordial & smooth industrial relations was maintained in the company.

OFFICIAL LANGUAGE POLICY

FSNL always ensures Strict adherence of Government directives with regard to implementation of Official Language Policy.

Constant motivation boosted up the morale of the employees to do their day-to-day jobs in Hindi. The winners of the Hindi Noting/Drafting and Hindi Typing competitions were also given away the Cash Awards as per the scheme.

माह सितम्बर, 2010 में हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया था जिसमें निबन्ध लेखन, ज्ञान प्रतियोगिता, वाद-विवाद आदि जैसे विविध हिन्दी प्रतिस्पर्धाएँ आयोजित की गयीं जिसमें कर्मचारियों ने उत्साह सहभागिता दी। आने वाले वर्षों में और भी अच्छी सहभागिता के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से इन स्पर्धाओं के विजेताओं को गणतंत्र दिवस-2011 के अवसर पर आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए गए।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में इसके आदर्श व प्रशंसनीय कार्य हेतु एफ एस एन एल को अनेक प्रतिष्ठित अवार्ड/पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अवार्ड में इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड, इस्पात राजभाषा शील्ड आदि शामिल हैं।

इसके अलावे, कम्पनी को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में इसके विशिष्ट प्रदर्शन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा पुरस्कार/अवार्ड भी प्रदान किए गए हैं।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

एफ एस एन एल द्वारा अपनी इकाईयों के समीपस्थ ग्रामों में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला को गोद लिया है। प्रतिवर्ष, शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में कम्पनी उन शालाओं में कक्षा-6 से कक्षा-12 में अध्ययन करने वाले अजा/अजजा/अपिव समुदायों एवं शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के संबंधित मेधावी बच्चों को निःशुल्क शाला गणवेश/पाठ्य-पुस्तकें एवं अन्य शिक्षा सामग्रियों वितरित करती है।

इसके अतिरिक्त, एफ. एस. एन. एल. ने भिलाई के निकट एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में सभी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ एक बहुददेशीय सभागार का निर्माण किया है। इसके अलावे, बच्चों के मध्य वातावरण तथा पर्यावरण संरक्षा के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से शाला प्रांगण में सुरक्षा घेरा डालकर लगभग 300 वृक्ष भी लगाया गए हैं। बच्चों के भौतिकीय विकास के उपाय के रूप में एफ एस एन एल द्वारा शाला में एक हैण्ड बॉल मैदान का विकास किया गया तथा खेल सामग्रियों प्रदान की गयीं।

उक्त के अलावे, कम्पनी ने भिलाई में तथा इसके चारों ओर के शासकीय शालाओं में अध्ययनरत बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदाय करने हेतु एक स्वायत्त निकाय को वित्तीय सहायता भी दी है। जबकि, एफ एस एन एल ने एक वर्ष की अवधि के लिए एक बघिर एवं गूंगा संस्थान के 3 बघिर एवं शोषित महिलाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा देने के लिए प्रायोजित किया है। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लाभ हेतु छत्तीसगढ़ में दुर्ग रेलवे स्टेशन तथा शासकीय अस्पताल को व्हील कुर्सियाँ भी प्रदान की गयीं हैं।

Hindi Pakhwada (Hindi Fortnight) was organized in the month of September 2010, wherein various Hindi competitions like Essay writing, Gyan Pratiyogita, Debate etc. were organized, which witnessed an enthusiastic participation by the employees. The winners of these competitions were given away attractive prizes on the Republic Day-2011 ceremony, as a measure of motivating the employees for still better participation in the ensuing years.

FSNL has bagged many prestigious Awards/prizes for its exemplary & praiseworthy work in the area of implementation of Official Language Policy. The awards include Indira Gandhi Rajbhasha Shield, Ispat Rajbhasha Shield etc.

Apart from this, the company has also been bagging prizes & awards conferred by the Nagar Rajbhasha Karyanvayan Samithi for its outstanding performance in the implementation of Official Language Policy.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES

A Government Higher Secondary school has been adopted by FSNL in the nearby villages wherever its units are located. At the beginning of academic session each year, the company distributes free school uniforms/books and other study materials to the meritorious children belonging to SC/ST/OBC communities & Physically Challenged persons, studying in the class-VI to XII in these schools.

Further, a Multi-purpose Hall with all infrastructural facilities has been constructed by FSNL in the Government Higher Secondary School near Bhilai. Apart from this, in order to create awareness among the children about Environment & Environmental protection, about 300 saplings, duly fenced, have also been planted in the school premises. As a measure of physical development of the children, a Handball ground has been developed in the school and sports materials have been provided by FSNL.

Apart from the above, the company has also extended financial support to an autonomous body for supply of Mid-day meals to the school children studying in the Government schools in & around Bhilai. Further, FSNL has also sponsored free computer education for a period of One year in respect of 3 deaf & underprivileged females of a Deaf & Dumb institution. Wheel Chairs have also been provided to the Durg Railway Station & Government Hospital in Chhattisgarh for the benefit of the physically challenged persons.

वर्ष 2010-11 के दौरान एफ एस एन एल की इकाईयों के समीपस्थ ग्राम में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शालाओं अजा/अजजा/अपिव समुदायों एवं शारीरिक रूप से अक्षम मेधावी बच्चों को शाला गणवेशों को वितरित करने के अलावे कम्पनी ने भिलाई (छत्तीसगढ़) में शासकीय अस्पताल-सुपेला को एक पूर्णतया सुसज्जित एम्बुलेन्स भी प्रदान की है।

इसके अलावे, कम्पनी ने अस्पताल को बॉएल अपार्ट्स, ऑपरेशन टेबल, एयर कंडीशनर, एयर कूलर तथा अन्य अवसंरचना के साथ एक अच्छा सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर की सुविधा भी प्रदान की है।

एफ एस एन एल ने आम जनता की जागरूकता के लिए भिलाई के निकट ग्राम में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा जाँच कैम्प के बारे में स्थानीय दैनन्दिनों में व्यापक प्रचार का भी प्रबंध किया था ।

इस प्रकार, कम्पनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में अति कुशलता से कार्य कर रही है।

शिकायत निवारण यन्त्र-रचना

जनता की शिकायत के निराकरण हेतु एफ एस एन एल में एक **3 पंक्ति शिकायत सुधार संगठन** है ।

जनता को शिकायत पेटियों तक आसान पहुँच के लिए इकाई/निगमन कार्यालय के स्वागत पटल पर एक **शिकायत पेटी** को रखा गया है। प्राप्त होने वाले शिकायत को इस उद्देश्य हेतु नामित जन शिकायत अधिकारियों की उपस्थिति में प्रत्येक शुक्रवार को शिकायत पंजी नाम से प्रचलित पंजी में दर्ज किया जाता है।

चरण-1 के अंतर्गत, यदि कोई ग्राहक/नागरिक की कोई शिकायत है तो उन्हें इस उद्देश्य हेतु नामित जन शिकायत अधिकारी से मिलने का अवसर दिया जाता है, जो धैर्यपूर्वक शिकायत सुनते हैं तथा यदि आवश्यक होता है तो जाँच करते हैं एवं शिकायतकर्ता को शिकायत सुनने की तिथि से 3 कार्य दिवसों के अन्तराल में मौखिक उत्तर देते हैं।

चरण-2 के अंतर्गत, यदि ग्राहक/नागरिक जन शिकायत अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है अथवा अगर उसे 3 कार्य दिवस समय के अंतराल में कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा यदि उसकी शिकायत जन शिकायत अधिकारी के स्तर पर संतोषजनक रूप से सुधारा नहीं जाता है तो शिकायतकर्ता को इकाईयों में इकाई प्रमुखों तथा निगमन कार्यालय में प्रचालन के विभागाध्यक्ष से मिलने का अवसर दिया जाएगा, जो शिकायत को धैर्यपूर्वक सुनेंगे, संबंधित व्यक्तियों से अनुक्रिया लेंगे तथा शिकायत पर अपना निर्णय देंगे अथवा शिकायतकर्ता को उत्तर भेजेंगे।

चरण-3 के अन्तर्गत, यदि ग्राहक/नागरिक चरण-2 के निष्कर्ष के साथ सन्तुष्ट नहीं होते हैं तो उन्हें निगमन कार्यालय में कम्पनी के मुख्य महाप्रबंधक से मिलने का अवसर दिया जाएगा, जो शिकायत को धैर्यपूर्वक सुनेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे तथा उसे सुधारेंगे।

During the year 2010-11, apart from distribution of school uniforms to the meritorious students of SC/ST/OBC communities & Physically challenged persons in the Government Higher Secondary Schools situated in the village near FSNL's units, the Company has also provided a fully equipped Ambulance to the Government Hospital-Supela at Bhilai (Chhattisgarh) for the benefit of the patients.

Apart from this, the company has also provided a well equipped Operation Theatre facility to the hospital, consisting of Boils Apparatus, Operation table, Air conditioners, Air coolers and other infrastructure.

FSNL has also arranged for wide publicity, in the local dailies, about the free Medical Checkup Camp organized in a village near Bhilai, for awareness of the common people.

Thus, the company is doing extremely well in the discharge of Corporate Social Responsibility.

GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

For redressal of Public Grievances, FSNL has a **3-Tier Grievance Redressal Machinery**.

A **Grievance Box** has been kept at the reception counter of the Units/Corporate Office for easy accessibility of these boxes to the Public. The Grievances so received, are endorsed in a register called **Grievance Register** on every Friday in the presence of Public Grievance Officers, nominated for this purpose.

Under Stage-I, if a Client/Citizen has some grievance, he gets an opportunity to meet the Public Grievance Officer nominated for this purpose, who patiently hears the grievance, and if necessary, makes enquiries and gives the complainant a verbal answer within 3 working days from the date of hearing the grievance.

Under Stage-II, in case the Client/Citizen is not satisfied with the answer given by the Public Grievance Officer, or if he does not get any reply within 3 working days' time, or if his grievance does not get redressed satisfactorily at the level of Public Grievance Officer, the complainant gets an opportunity to meet the Unit Heads at the Units and HOD of Operations at Corporate Office, who patiently hears the grievance, gets feed back from the concerned persons and gives his decision on the grievance, or sends a reply to the complainant.

Under Stage-III, if the Client/Citizen is not satisfied with the outcome of Stage-II, he gets an opportunity to meet Chief General Manager of the company at Corporate Office, who patiently hears the grievance, analyses the same and redresses it.

यदि ग्राहक/नागरिक चरण-1, चरण-2 तथा चरण-3 के निष्कर्ष के साथ संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे कम्पनी के प्रबंध निदेशक से अपील कर सकेंगे, जो फिर से उक्त सभी 3 चरणों में की गयी कार्रवाई की पुनर्जाँच करेंगे, शिकायत का विश्लेषण करेंगे तथा अपील की प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस के समय में संबंधित शिकायतकर्ता को अपने निर्णय से अवगत कराएंगे।

01-04-2010 से 31-03-2011 तक कार्मिक शिकायत निवारण की स्थिति

| 1.04.2010 की शेष शिकायत | अवधि के दौरान प्राप्त शिकायत की संख्या | निवर्तित प्रकरणों की संख्या | लंबित प्रकरणों की संख्या |
|-------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| 0 | 5 | 2 | 3 |

01-04-2010 से 31-03-2011 तक की अवधि के लिए जन शिकायत की स्थिति

| 1.04.2010 को शेष शिकायत | अवधि के दौरान प्राप्त शिकायत की संख्या | निवर्तित प्रकरणों की संख्या | लंबित प्रकरणों की संख्या |
|-------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

सिटीजन चार्टर

एफ एस एन एल ने सात चरण प्रतिमान अंगीकार एक सिटीजन चार्टर प्रतिपादित किया है जो संस्थान की वचनबद्धता को पूरा करने हेतु नागरिक/ग्राहक से संस्थान की अपेक्षा सहित सेवा मानकों, जानकारी, विकल्प तथा परामर्श, गैर-विभेदकारी एवं पहुँच, शिकायत सुधार, शिष्टाचार तथा मुद्रा हेतु मान के परिप्रेक्ष्य में इसके नागरिकों/ग्राहकों के प्रति संस्थान की बचनबद्धता पर सकेन्द्रित को एक योजनाबद्ध प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।

व्हिसिल ब्लोअर नीति

कर्मचारियों द्वारा कंपनी में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण क्रिया-कलाप अथवा विसंगतियाँ पाए जाने पर इसकी सूचना लेखा परीक्षण समिति तक बिना किसी रोक-टोक के पहुँचाने एवं ऐसी सूचनाएँ प्रदान करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा कोई प्रतिकूल कार्यवाही करने से रोकने एक व्हिसिल ब्लोअर नीति को क्रियान्वित किया गया है। यह नीति लोक उद्यम विभाग द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निदेशों पर आधारित है।

कर्मचारियों का ब्यौरा

यहाँ कम्पनी का कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जिसने कम्पनी (कर्मचारियों का ब्यौरा) नियम, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अन्तर्गत निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त किया हो।

If the Client/Citizen is not satisfied with the result of Stage I, II & III above, he can make an **appeal to the Managing Director** of the company, who will, in turn, re-examine the action taken in all the above 3 stages, analyze the grievance and communicate his decision to the concerned complainant, with 15 days' time from the date of receipt of the appeal.

Status of Staff Grievance Redressal from 01-04-2010 to 31-03-2011

| Grievances outstanding As on 1.4.2010 | No. of Grievances received during the period | No. of cases Disposed Off | No. of cases Pending |
|---------------------------------------|--|---------------------------|----------------------|
| 0 | 5 | 2 | 3 |

Status of Public Grievances for the period 01-04-2010 to 31-03-2011

| Grievances outstanding As on 1.4.2010 | No. of Grievances received during the period | No. of cases Disposed Off | No. of cases Pending |
|---------------------------------------|--|---------------------------|----------------------|
| Nil | Nil | Nil | Nil |

CITIZEN CHARTER

FSNL has formulated a Citizen's Charter by adopted the Seven Step Model, representing a systematic effort to focus on the commitment of the Organizations towards its Citizens/Clients in respect of Standard of Services, Information, Choice and Consultation, Non-discrimination and Accessibility, Grievances Redress, Courtesy and Value for money, including expectation of the Organization from the Citizen/Client for fulfilling the commitment of the Organization.

WHISTLE BLOWER POLICY

A Whistle Blower policy has been implemented for providing an opportunity to the employees to access in good faith, to the Audit Committee, in case they observe unethical and improper practices or any other wrongful conduct in the company, and to prohibit managerial personnel from taking any adverse personnel action against those employees. The policy is based on the guidelines issued by the Department of Public Enterprises in this regard.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

There was no employee of the Company who received remuneration in excess of the limits prescribed under Sec 217(2A) of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975.

निदेशक का उत्तरदायित्व विवरणी

जैसा कि कम्पनी (संशोधित) अधिनियम, 2000 की धारा 217 (2ए) के उपाबंधों के अन्तर्गत अपेक्षित है, निदेशक मण्डल सूचित करते हैं कि :-

- (क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में द्रव्यात्मक रवानगी से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानक का अनुसरण किया गया है।
- (ख) हमने ऐसी लेखा नीतियों चुनी हैं जो लेखा मानकों के अनुरूप प्रबुद्ध संगत निर्णय हैं, जो कि दिनांक 31/03/2011 को कम्पनी के कार्य-कलाप की स्थिति तथा वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ का सही एवं स्वच्छ दृश्य दर्शाती है।
- (ग) हमने कम्पनी की परिसम्पतियों के संरक्षण तथा कपट एवं अन्य अनियमितताओं का पता करने तथा रोकथाम के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखाओं की व्यवस्था हेतु उपयुक्त एवं पर्याप्त ध्यान रखा है।
- (घ) हमने दि. 31 मार्च, को 2011 समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों को चालू समुत्थान आधार पर बनाया है।

निदेशक मण्डल

संयोजन

कम्पनी के निदेशक मण्डल में प्रबंध निदेशक श्री एन्टोनी चाको, श्री बी. बी. सिंह-एम एस टी सी लि० नामिती निदेशक तथा श्री एल. सिद्धार्थ सिंह, मण्डल के एक शासकीय नामिती है। श्री एल. सिद्धार्थ सिंह भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय के निदेशक हैं। श्री अशोक कुमार-एम एस टी सी लि० के नामिती निदेशक, जो कम्पनी के मण्डल में 02.09.2010 तक थे, के स्थान पर श्री बी. बी. सिंह को एम एस टी सी लि० द्वारा नामित किया गया है। इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के पास स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रगति में है।

मण्डल की बैठक तथा उपस्थिति

यहाँ क्रमशः 27.04.2009, 07.07.2009, 19.09.2009, 07.01.2010, 16.01.2010 तथा 20/21.03.2010 को मण्डल की पाँच बैठकें आयोजित की गयीं।

DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

As required under the provisions of Section 217(2AA) of the Companies (Amendment) Act, 2000 board of directors states that:

- (a) In the preparation of annual accounts the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures .
- (b) We have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company as at 31/03/2011 and of the profit of the company for the financial year.
- (c) We have taken proper and sufficient care for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities.
- (d) We have prepared the financial statements for the year ended 31st March, 2011 on a going concern basis.

BOARD OF DIRECTORS

COMPOSITION

Board of Directors of the company consists of Managing Director Shri Antony Chacko, Shri B. B. Singh-nominee Director of MSTC Ltd and Shri L. Siddhartha Singh, a Govt. nominee on the Board. Shri L. Siddhartha Singh is a director to the Govt. of India, Ministry of Steel. Shri B. B. Singh has been nominated by MSTC Ltd in place of Shri Ashok Kumar – nominee director MSTC Ltd who was on the board of the company till 02/09/2010. The appointment of independent directors are under process with the Ministry of Steel, GOI.

BOARD MEETING & ATTENDANCE

There were five Board Meetings took place on 27.04.2009, 07.07.2009, 19.09.2009, 07.01.2010, 16.01.2010 and 20/21.03.2010 respectively.

वित्तीय वर्ष 2010-2011 में आयोजित कम्पनी के मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा :

| मण्डल की बैठक सं | मण्डल के बैठक की तिथि | श्री एन्टोनी चाको | श्री एल. सिद्धार्थ सिंह | श्री अशोक कुमार | श्री बी. बी सिंह |
|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| 136 | 03.07.2010 व 09.07.2010 | उपस्थित | उपस्थित | उपस्थित | |
| 137 | 03.09.2010 | उपस्थित | उपस्थित | | उपस्थित |
| 138 | 04.12.2010 | उपस्थित | उपस्थित | | उपस्थित |
| 139 | 30.03.2011 | उपस्थित | उपस्थित | | उपस्थित |

20 सितम्बर, 2010 को आयोजित कम्पनी 31 वीं वार्षिक आम बैठक में केवल प्रबंध निदेशक मौजूद थे।

निदेशक द्वारा निदेशक पद अभिनिर्धारण

श्री एल. सिद्धार्थ सिंह एम एस टी सी लिमिटेड के मण्डल में एक शासकीय निदेशक हैं तथा श्री बी. बी सिंह एम एस टी सी लि. में निदेशक वाणिज्य के रूप में कार्य कर रहे हैं।

आचरण संहिता

कम्पनी ने कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ-साथ निदेशकों के लिए एक बोधगम्य संहिता की योजना बनायी है। संहिता को सभी निदेशकों तथा कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधन में सदस्यों को परिचालित की गयी है। आचरण संहिता कम्पनी के वेबसाईट www.fsnl.nic.in पर उपलब्ध है। आचरण संहिता का पालन करना सभी मण्डल सदस्यों तथा मनोनित वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक को दृढ़ता से करना है। इस प्रभाव के लिए प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र इस प्रतिवेदन के अंत में दिया गया है।

प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण प्रतिवेदन

क. उद्योग संरचना एवं विकास

एफ. एस. एन. एल. इस्पात मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की एक कम्पनी है। यह पूर्णरूपेण एम एस टी सी लि० की स्वामित्व की सहायिका है तथा इसकी अंश पुंजी ₹ 200 लाख है।

एफ एस एन एल का पूर्वाधिकारी हेकेट इन्जीनियरिंग कंपनी, यू एस ए. 1957 में भारत में प्रचालन आरंभ किया तथा इसने इस्पात संयंत्रों में स्क्रैप की उगाही तथा प्रक्रमण का कार्य शुरु किया। वर्ष 1979 में एफ एस एन एल को इस्पात मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की कम्पनी के रूप में समाविष्ट किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य हेकेट इन्जीनियरिंग कं० के कारोबार को अधिकार में लेने तथा स्टील मिल स्लैग का प्रक्रमण एवं लौह तथा इस्पात स्क्रैप की रिकवरी के लिए अन्य अस्वीकृत का कारोबार करना था।

Details of the Directors attendance at the Board Meetings of the company held in the financial year 2010-2011.

| Board Meeting No. | Board Meeting Date | Shri Antony Chacko | Shri L. Siddhartha Singh | Shri Ashok Kumar | Shri B. B. Singh |
|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 136 | 03.07.2010 & 09.07.2010 | Attended | Attended | Attended | |
| 137 | 03.09.2010 | Attended | Attended | | Attended |
| 138 | 04.12.2010 | Attended | Attended | | Attended |
| 139 | 30.03.2011 | Attended | Attended | | Attended |

Only Managing Director was present in the 31st Annual General Meeting of the Company held on 20th September, 2010.

DIRECTORSHIP HELD BY THE DIRECTOR

Shri L. Siddhartha Singh is a Govt. Director on the Board of MSTC limited and Shri B. B. Singh is working as Director commercial in MSTC Ltd.

CODE OF CONDUCT

The company has designed a comprehensive code for directors as well as senior management of the company. The code is circulated to all the directors and members in the senior management of the company. The code of conduct is available on the website of the company www.fsnl.nic.in. All Board members and designated senior management personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct. A declaration to this effect signed by the Managing Director is given at the end of this report.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

A. INDUSTRY STRUCTURE & DEVELOPMENTS

FSNL is a Government of India Company under Ministry of Steel. It is a wholly owned subsidiary of MSTC Ltd. and the share capital is ₹200 lakhs.

Heckett Engineering Company, USA, predecessor of FSNL commenced operation in India in 1957 and had been undertaking the job of recovery and processing of scrap in the Steel Plants. FSNL was incorporated in 1979 as a Government of India company with the main objective to take over the running business of Heckett Engineering Co. and to carry on the business of processing of Steel Mill Slag and other refuse for the recovery of Iron and Steel Scrap.

कम्पनी जून, 2002 में एम एस टी सी की पूर्णतया स्वामित्व वाली सहायिका हो गयी है। एफ. एस. एन. एल. ने समाप्त वर्षों में इस्पात मिल सेवाओं के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान के रूप में विकास किया है। कम्पनी वर्तमान में देश में 8 इस्पात संयंत्रों में कार्य संचालित कर रही है तथा अन्य विश्व अग्रणियों को तुलनीय प्रौद्योगिकी के साथ सेवाएँ अर्पित करेगी।

ख. सुअवसर एवं आशंकाएँ

सामर्थ्य :

- श्रेष्ठ कार्य संस्कृति
- अत्यधिक कुशल श्रम शक्ति
- बहु-अनुशासनिक व्यापार
- उच्चतर बाजार अंश
- फलोत्पादक अनुभव तथा समर्पित कार्यबल के आधार पर एकीकृत इस्पात संयंत्रों का समग्र स्क्रेप रिकवरी तथा स्लैग ढुलाई का कार्य निष्पादित करने की क्षमता।

कमजोरी :

- केवल एक व्यापार - मुख्यतः स्क्रेप तथा स्लैग प्रक्रमण ।
- ग्राहक की अपेक्षितियों को पूरा करने अत्यधिक प्रतिक्रिया समय। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण कम्पनी को ग्राहकों की अपेक्षितियों का उत्तर देने के पहले विविध औपचारिकताएँ पूरा करना आवश्यक है।
- सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम के उच्च वेतनों के कारण प्रचालन की उच्च लागत।
- निजी ठेकेदारों के मुकाबले कठिन क्योंकि वे एफ एस एन एल से बहुत कम मजदूरी का भुगतान कर रहे हैं।

अवसर :

- वर्तमान ग्राहकों के साथ स्लैग ढुलाई तथा प्रक्रमण में वर्तमान व्यापार की मांग को बढ़ाना।
- नए ग्राहकों के साथ नया व्यापार, जहाँ खनन आदि जैसे क्षेत्र में भारी अर्थ मूविंग उपकरणों को स्थापित करना आवश्यक है, को आरंभ करने में समर्थ होना।
- अन्य ठोस अपशिष्ट तथा सामग्री हैंडलिंग प्रबंधन में कार्य-क्षेत्र परिवर्तन की संभावना।

आशंकाएँ :

- इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण ने उन्नत प्रौद्योगिकी प्रविष्टी प्रस्तुत किया है जिसके परिणामस्वरूप कम स्क्रेप उत्पन्न होगा।

दृष्टिकोण

हाल के वर्षों में भारत में इस्पात उद्योग विश्व अर्थव्यवस्था के साथ पूर्णतः जुड़ा है। बहुत प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में उद्योग परिचालित हो रहा है। उक्त व्यापार माहौल में

The Company became a wholly owned subsidiary of MSTC in June, 2002. FSNL has over the years evolved as a pioneer organization in the field of Steel Mill services. The company at present operates in 8 Steel Plants in the country and offers services with technology comparable to other world leaders.

B. OPPORTUNITIES AND THREATS

Strength:

- Excellent work culture.
- Highly skilled manpower
- Multi-disciplinary trade.
- Highest market share.
- Capacity to handle entire scrap recovery and slag handling of integrated steel plants having efficient experienced and dedicated work force.

Weakness:

- Only one business - mainly scrap and slag processing.
- High response time to meet customers requirement. Being a public sector, the company is required to comply with various codal formalities before responding to customer's requirement.
- High cost of operation due to high wages of PSU.
- Difficult to compete with private contractors paying much lower wages than FSNL.

Opportunities:

- Increasing demand of existing business in slag handling and processing with existing customers.
- Can start with new business with new customers where deployment of heavy earth moving machineries are essential such as in Mining etc.
- Scope of diversification in other Solid Waste and Material Handling Management.

Threats:

- Modernisation of Steel Plants has introduced advanced technologies resulting in less generation of scrap.

Outlook:

Steel industries in India has fully integrated with the world economy in the recent years. The Industry is operating in a very competitive environment. In the above business

एफ.एस.एन.एल. की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इसका संचालन मूल क्षेत्रों में इस्पात संयंत्रों के संचालन के साथ एकीकृत है। वर्तमान में 60 प्रतिशत का बाजार अंश एफ.एस.एन.एल. के पास है। एफ एस एन एल का प्रमुख ग्राहक इस्पात उद्योग अर्थात् सेल एवं आर आई एन एल वर्ष 2012-2013 में विकास के लिए 30 लाख टन तक पहुँचने का रूख अख्तियार किया है। एफ. एस. एन. एल. भी अपने वर्तमान ग्राहकों के साथ आगे बढ़ेगा तथा अनुमान है कि आने वाले वर्षों में नए ग्राहकों को जोड़ेगा। कम्पनी ने चुनौतियों से मुकाबला करने तथा उसे सामर्थ्य में विमुख करने की क्षमता को साबित किया है। एफ.एस.एन.एल. के प्रचालन की विशिष्टता के परिणामस्वरूप अपशिष्ट सामग्री से धातु लोप तथा उर्जा एवं मान संयोजन की बचत होगी। धात्विक की रिकवरी तथा स्लैग पुनश्चक्रण से इस्पात संयंत्रों का वित्तीय लाभों की रकम प्रति वर्ष ₹ 1700 करोड़ तक है। इसके अतिरिक्त गुण में सुधार के कारण धात्विक का बाजार मूल्य सारतः बढ़ा है जिससे इस्पात संयंत्रों को अतिरिक्त राजस्व मिलने लगेगा।

जोखिम एवं सरोकार

कम्पनी के लिए मुख्य जोखिम तथा सरोकार क्षेत्र धात्विक की उपलब्धता में कमी अर्थात् स्लैग में स्क्रेप की कम आवक है। इसके कारण प्रचालन की लागत बढ़ी है चूँकि इससे धात्विक की कम उगाही होगी यद्यपि पालन किए जाने वाले आवश्यक कार्य-कलापों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और बराबर कुछ समय अधिक प्रयत्न करना आवश्यक है जिससे आगे प्रचालन की लागत जुड़ेगा। हाल ही में यहाँ प्रचालन की लागत तथा उपस्कर के अनुरक्षण एवं श्रम शक्ति की लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जिसे और उच्च दर पर बढ़ने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप प्रचालन की लागत में वृद्धि होगी। जबकि, सेवाओं हेतु ग्राहकों से प्राप्त पारिश्रमिक व्यय का समावेश खर्च के साथ नहीं किया गया है जिससे एक बड़ी सीमा तक कम्पनी का तुलन-पत्र प्रभावित हुआ।

सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पहल

- निगमन कार्यालय तथा इकाईयों में इन्टरनेट कनेक्शन को संस्थापित किया गया है।
- निगमन कार्यालय में अनेक विभाग को लोकल एरिया नेटवर्क (एल ए एन) के द्वारा जोड़ा गया है।
- वस्तु सूची अनुवीक्षण तथा लेखा का कम्प्यूटरीकृत कार्य पूर्ण हो गया है।
- निगमन कार्यालय तथा इकाईयों में इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग (ई आर पी) के कार्यान्वयन हेतु प्रारंभ की गयी कार्रवाई प्रगति में है।

environment FSNL is having a very important role as their operation is integrated with the Steel Plants operation in the core areas. FSNL is having a market share of 60% at present. The steel industry viz. SAIL and RINL, the major customers of FSNL is poised for growth to reach 30 million ton by 2012-13. FSNL will also grow with the existing customer and expected to add new customers in the coming years. The company has a proven ability to face challenges and turn them into strength. The special feature of FSNL's operation results in saving of metal loss and energy and value addition to the waste material. Financial benefit to the Steel Plants from recovery of metallics and recycling of slag amounts to around ₹ 1700 crores per year. Further due to improvement in quality the market value of metallics has increased substantially which will fetch additional revenue to the Steel Plants.

RISKS & CONCERNS

The main risk and the area of concern for the Company is reduction in availability of metallics i.e. less arisal of scrap in the slag. Due to this the cost of operation has increased since there will be less recovery of metallics although the activities required to be carried out will remain unchanged, even sometimes more effort is required which further adds cost of operation. There is significant increase in the cost of operation and maintenance of equipment and cost of manpower in the recent past which is likely to be increased at a higher rate resulting in increase in cost of operation. However, the remuneration received from the customers for the services provided is not being compensated with the expenditure which in turn has affected the balance sheet of the company to a great extent.

IT RELATED INITIATIVES

- Internet connection has been installed at Corporate Office and the Units.
- Various department at Corporate Office is linked up through Local Area Network(LAN).
- Computerisation of inventory monitoring and accounting has been completed.
- Action has been initiated for implementation of Enterprises Resource Planning (ERP) at Corporate office and in the Units is in progress.

प्रचालनीय निष्पादन से संबंधित वित्तीय निष्पादन पर विवेचन

कम्पनी की कुल आय गत वर्ष के यह आँकड़े क्रमशः ₹15,861 लाख तथा ₹ 15,038 लाख की तुलना में ₹16,078 लाख सेवा प्रभार सहित ₹16,853 लाख थी। वर्ष के दौरान कंपनी का सकल मार्जिन तथा कर पूर्व लाभ गत वर्ष के आँकड़े क्रमशः ₹ 2,119 लाख तथा ₹ 576 लाख की तुलना में ₹ 1,346 लाख तथा ₹ 178 लाख था।

पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में प्रचालन की लागत 9.44 प्रतिशत तक बढ़ी। खर्चों में वृद्धि मुख्यतः निवेशों की लागत, जैसे डीजल तथा स्नेहको, उपस्करों के पुनर्षेबन्द के परिप्रेक्ष्य में अनुरक्षण व्यय में वृद्धि, कार्यपालक तथा गैर-कार्यपालक कर्मिकों का वेतन पुनरीक्षण, कैफेटेरिया अप्रोच के अन्तर्गत मण्डल स्तर तथा मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों हेतु सुविधाओं तथा भत्तों का पुनरीक्षण और गैर-कार्यपालकों के भत्तों की प्रमात्रा में पुनरीक्षण के लिए प्रावधान के कारण हुई।

च. खण्ड प्रतिवेदन

वर्ष के दौरान कम्पनी भारत में विभिन्न इस्पात संयंत्रों के लिए केवल स्क्रैप रिकवरी तथा सहबद्ध कार्यों के कारोबार में लगी थी, जिसे लेखा मानक ए एस-17 के अनुसार केवल प्रतिवेध कारोबार खण्ड माना गया है। भौगोलिक भाग संबद्ध नहीं है क्योंकि कम्पनी का कोई कारोबार भारत के बाहर संचालित नहीं है।

छ. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उसकी पर्याप्तता

कम्पनी के कारोबार उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए कम्पनी में आन्तरिक नियंत्रण की एक सफल प्रणाली है जिसके तहत परिशुद्धि तथा वित्तीय प्रतिवेदन की तत्परता, प्रचालनों की क्षमता, अधिकथित नीतियों एवं प्रक्रियाओं के साथ पालन तथा कानून एवं नियमनों के साथ पालन आदि समाहित है।

आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्य में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने प्रणाली तथा आन्तरिक नियंत्रण में पारदर्शिता पर बल देने हेतु कम्पनी का आन्तरिक लेखा परीक्षण सनदी लेखापाल के बाहरी फर्म को सौंपा गया है। आन्तरिक लेखा परीक्षण का प्रतिवेदन प्रबंधन को संशोधन कार्यवाही के लिए आवधिक प्रस्तुत किया जाता है।

लेखा परीक्षक

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों, जैसा कि कम्पनी संशोधित अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत संशोधित है, के अनुसार नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक ने राजेन्द्र प्रसाद, सनदी लेखापाल को समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया।

DISCUSSION ON FINANCIAL PERFORMANCE WITH RESPECT TO OPERATIONAL PERFORMANCE

The total earning of the company was ₹ 16,853 lakhs including service charges of ₹ 16,078 lakhs as compared to the previous year's figure of ₹ 15,861 lakhs and ₹ 15,038 lakhs respectively. The company's Gross Margin and Profit Before Tax during the year was ₹1,346 lakhs and ₹178 lakhs as compared to the previous year figure of ₹ 2,119 lakhs and ₹ 576 lakhs respectively.

Cost of operation has increased by 9.44% as compared to the previous year. The increase in the expenditure is mainly due to increase in the cost of inputs like diesel and lubricants, increase in the maintenance expenditure on account of revamping of equipments, revision of wages for executives and non-executives employees, revision of perks and allowances for board level and below board level executives under cafeteria approach and provision for revision in the quantum of allowances of non-executives.

F. SEGMENT REPORTING

During the year the company was engaged only in the business of scrap recovery and allied jobs for various steel plants in India which as per Accounting Standard AS-17 is considered the only reportable business segment. The geographical segmentation is not relevant, as the company has no business operation outside India.

G. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY

The company has an efficient system of internal control for achieving the business objectives of the company which inter-alia includes accuracy and promptness of financial reporting. Efficiency of operations, compliance with the laid down policies and procedures and compliance with law and regulations.

To ensure independence to the internal audit function emphasizing transparency in the systems and internal controls, the internal audit of the company is entrusted to external firms of Chartered Accountants. The reports of Internal Audit are periodically submitted to the management for corrective action.

AUDITORS

In pursuance of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 619 of the Companies Act, 1956 as amended vide the Companies (Amendment) Act, 2000, the Comptroller & Auditor General of India appointed RAJENDRA PRASAD., Chartered Accountants as the Statutory Auditor of the Company for the period under review.

प्रबंधन के जवाब के साथ दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के लेखाओं पर वैधानिक लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में संदर्भित लेखाओं पर टिप्पणी उपाबंध-2 में दिया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर टिप्पणी उपाबंध-3 में दिया गया है ।

निदेशक मण्डल

श्री एल. सिद्धार्थ सिंह आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त होंगे तथा वे पुर्ननियुक्ति के प्रात्र है।

कृतज्ञता ज्ञापन

मण्डल अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत इस्पात संयंत्र तथा निजी क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है, से प्राप्त सहयोग को अंकित करता है। मण्डल इस्पात एवं खान मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों तथा आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा दिल्ली के राज्य सरकारों को उनके निरंतर सहयोग तथा मार्ग दर्शन के लिए भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है।

कम्पनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों द्वारा किए गए कर्मठ सेवाओं के लिए निदेशक मण्डल प्रशंसा करते हैं।

वास्ते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

दिनांक : 08.08.2011 एन्टोनी चाको बी. बी सिंह
स्थान : भिलाई प्रबंध निदेशक निदेशक

The Statutory Auditors' Report on the Accounts of the Company for the financial year ended on 31st March, 2011 along-with management's replies are placed at Annexure II.

The comments on the accounts for the year ended 31st March, 2011 by the Comptroller & Auditor General of India under Sec 619(4) of the Companies Act,1956 is placed at Annexure III.

BOARD OF DIRECTORS

Shri L. Siddhartha Singh is due to retire in the ensuing Annual General Meeting and is eligible for reappointment.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board records sincere support received from the valued customers who are Public Sector integrated steel plants as well as Private Sector steel plants. Board also express gratitude to the Ministry of Steel and Mines and other ministries and department of Govt. of India and State Govt. of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra, Orissa, West Bengal Karnataka and Delhi for their continued support and guidance.

The Board of Directors appreciates the contribution of all the employees at all levels towards attainment of Company's objectives.

For and on behalf of Board of Directors

Dated : 08.08.2011 Antony Chacko B. B. Singh
Place : Bhilai Managing Director Director

प्रबंध निदेशक की घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि कम्पनी द्वारा अभिकल्पित एवं अंगीकृत आचरण की संहिता का नमूना दि. 30.04.2008 को वितरित संकल्प के अनुसार है तथा मण्डल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए आचरण की संहिता का दृढ़ता से पालन करते हैं।

एन्टोनी चाको
प्रबंध निदेशक

MD'S DECLARATION

I declare that the Model Code of Conduct for Board Members and Senior Management designed and adopted by the company vide resolution by circulation on 30.04.2008 and all the Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the Financial Year 2010-2011.

Antony Chacko
Managing Director

प्रपत्र - क

उर्जा के संरक्षण से संबंधित ब्यौरों के प्रकटन हेतु प्रपत्र

| | सम्प्रति वर्ष (2010-2011) | विगत वर्ष (2009-2010) | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| क. विद्युत तथा इंधन खपत | | | |
| 1. विद्युत | | | |
| (क) क्रय किए गए इकाई किलो वाट हर्ट्स कुल रकम दर/इकाई (क्रय के परिप्रेक्ष्य में) | 15,17,447 ₹ 66,48,802 4.38 | 14,85,894 ₹ 68,10,045 4.58 | |
| (ख) निजी जनन | | | |
| (i) डीजल जनित इकाई द्वारा | | | |
| डीजल तेल की इकाई/लीटर लागत/इकाई | अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य | अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य | |
| (ii) वाष्प टर्बाइन/जेनरेटर इकाईयों तेल/गैस की प्रति लीटर इकाई | | | |
| | अप्रयोज्य अप्रयोज्य | अप्रयोज्य अप्रयोज्य | |
| 2. कोयला | | | |
| मात्रा (टन) कुल लागत औसत दर | अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य | अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य | |
| 3. भट्टी तेल मात्रा (किलो लीटर) | | | |
| मात्रा (किलो लीटर) कुल रकम औसत दर | अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य | अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य | |
| 4. अन्य/आन्तरिक जनन | | | |
| मात्रा कुल लागत इकाई दर | अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य | अप्रयोज्य अप्रयोज्य अप्रयोज्य | |
| ख. उत्पादन की प्रति इकाई खपत | | | |
| | मानक (यदि कोई हो) | सम्प्रति वर्ष (2010-2011) | विगत वर्ष (2009-2010) |
| उत्पाद: लौह एवं इस्पात स्क्रैप | | | |
| विद्युत (इकाई/मी.टन) | अप्रयोज्य | 4.29 | 4.28 |
| भट्टी तेल | अप्रयोज्य | अप्रयोज्य | अप्रयोज्य |
| कोयला | अप्रयोज्य | अप्रयोज्य | अप्रयोज्य |

FORM - A**FORM FOR DISCLOSURE OF PARTICULARS WITH RESPECT TO CONSERVATION OF ENERGY.**

| | Current Year (2010-2011) | Previous Year (2009-2010) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A. POWER AND FUEL CONSUMPTION | | |
| 1. Electricity | | |
| (a) Purchased Unit KWH | 15,17,447 | 14,85,894 |
| Total Amount | ₹ 66,48,802 | ₹ 68,10,045 |
| Rate/Unit (in respect of purchase) | 4.38 | 4.58 |
| (b) Own Generation | | |
| (i) Through Diesel Generator Unit Unit/Ltr. of Diesel Oil Cost/Unit | N.A. | N.A. |
| (ii) Through Steam Turbine/Generator Units Unit per Ltr.of Oil/Gas | N.A. | N.A. |
| 2. Coal | | |
| Quantity(Tonnes) | N.A. | N.A. |
| Total Cost | N.A. | N.A. |
| Average Rate | N.A. | N.A. |
| 3. Furnace Oil Quantity(K.Ltrs.) | | |
| Quantity (K.Ltrs.) | N.A. | N.A. |
| Total Amount | N.A. | N.A. |
| Average Rate | N.A. | N.A. |
| 4. Others/Internal Generation | | |
| Quantity | N.A. | N.A. |
| Total Cost | N.A. | N.A. |
| Rate /Unit | N.A. | N.A. |

B. CONSUMPTION PER UNIT OF PRODUCTION

| | Standards (if any) | Current Year (2010-2011) | Previous Year (2009-2010) |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Products : Iron & Steel Scrap | | | |
| Electricity (Unit/MT) | N.A. | 4.29 | 4.28 |
| Furnace Oil | N.A. | N.A. | N.A. |
| Coal | N.A. | N.A. | N.A. |

प्रपत्र - ख

प्रौद्योगिकी अवशोषण अनुसंधान एवं विकास से संबंधित ब्यौरों के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र

| | |
|---|-----------|
| 1. विनिर्दिष्ट क्षेत्रों, जिनमें कम्पनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्य किया गया है | निरंक |
| 2. उपरोक्त अ. एवं वि. के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ | अप्रयोज्य |
| 3. भावी कार्य योजना | अप्रयोज्य |
| 4. अनुसंधान व विकास का व्यय | |
| (क) पूँजी | निरंक |
| (ख) आवर्ती (राजस्व) | निरंक |
| (ग) कुल | निरंक |
| (घ) कुल व्यापारावर्त की प्रतिशत के रूप में कुल अनुसंधान व विकास व्यय | अप्रयोज्य |

प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन तथा प्रवर्तन

| | |
|--|---|
| 1. प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा प्रवर्तन के परिप्रेक्ष्य में किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण | कम्पनी भूतपूर्वर हेकेट इन्जीनियरिंग कंपनी द्वारा भारत में उसके परिचालित व्यापार को अधिकार में लेते समय प्रयोजित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रही है। |
| 2. उक्त प्रयासों, जैसे उत्पाद अभिवृद्धि, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि के फलस्वरूप प्राप्त लाभ। | अप्रयोज्य |
| 3. यदि आयातीत तकनीक हो (वित्तीय वर्ष के आरंभ से गणना कर गत 5 वर्षों के दौरान आयातीत), तो अधोवर्णित सूचना देवें : | |
| (क) आयातीत प्रौद्योगिकी | अप्रयोज्य |
| (ख) आयात वर्ष | अप्रयोज्य |
| (ग) क्या प्रौद्योगिकी पूर्ण रूपेण अवशोषित की गयी है। | अप्रयोज्य |
| (घ) यदि पूर्ण अवशोषित नहीं है तो वह क्षेत्र, जहाँ उसे नहीं किया गया। उसके कारणों और भावी कार्य योजना। | अप्रयोज्य |

वास्ते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

दिनांक : 08.08.2011

स्थान : भिलाई

एन्टोनी चाको
प्रबंध निदेशक

बी. बी. सिंह
निदेशक

FORM - B**FORM FOR DISCLOSURE OF PARTICULARS WITH RESPECT TO
TECHNOLOGY ABSORPTION RESEARCH AND DEVELOPMENT**

| | |
|--|------|
| 1. Specific areas in which R & D carried out by the Company | NIL |
| 2. Benefits derived as a result of the above R & D | NIL |
| 3. Future plan of action | N.A. |
| 4. Expenditure of R&D | |
| (a) Capital | NIL |
| (b) Recurring (Revenue) | NIL |
| (c) Total | NIL |
| (d) Total R&D Expenditure as a percentage of total turn over | N.A. |

TECHNOLOGY ABSORPTION, ADAPTATION AND INNOVATION

| | |
|--|--|
| 1. Efforts, in brief, made towards Technology absorption and innovation | Company is using the technology used by erstwhile Heckett Engineering Co. in India at the time of taking over of their running Business. |
| 2. Benefit derived as a result of the above efforts e.g. products improvement, cost reduction, product development, import substitution etc. | N.A. |
| 3. In case of imported Technology (imported during last 5 years reckoned from the beginning of the financial year) following information may be furnished. | N.A. |
| (a) Technology imported | N.A. |
| (b) Year of Import | N.A. |
| (c) Has technology been fully absorbed | N.A. |
| (d) If not fully absorbed areas where this has not taken place, reasons therefore and future plan of action | N.A. |

For and on behalf of Board of Directors

Dated : 08.08.2011

Place : Bhilai

ANTONY CHACKO
Managing Director**B. B. SINGH**
Director

लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

सेवामें

सदस्यगण,

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड

हमने फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (कम्पनी) के दिनांक 31 मार्च, 2011 के संलग्न तुलन-पत्र तथा उस पर उपाबद्ध उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए संबंधित कंपनी के लाभ एवं हानि खाता का लेखा परीक्षण किया। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षण के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा परीक्षण मानकों के आधार पर अपना लेखा परीक्षण किया है। उन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम योजना बनावें तथा युक्तिसंगत आश्वासन की अभिप्राप्ति के लिए लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरणियाँ तात्विक रूप से मिथ्या विवरणी से मुक्त है। लेखा परीक्षण में जाँच के तौर पर वित्तीय विवरणियों में समर्थक रकमों तथा प्रकटीकरण करने के साक्ष्य का परीक्षण करना शामिल है। लेखा परीक्षण में लेखा सिद्धांत का निर्धारण करने तथा वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राकलन का निर्धारण करने के साथ-साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणी निरूपण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षण हमारी राय की वास्तविकता को दर्शाता है।

जैसा कि कंपनी (लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश, 2003 के द्वारा अपेक्षित है तथा जैसा कि भारत की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4ए) (इसके आगे अधिनियम के रूप में संदर्भित) की शर्तों में भारत के केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन) (संशोधन) आदेश, 2004 (इसके आगे 'आदेश' के रूप में साथ-साथ संदर्भित) के द्वारा संशोधित है, हम कथित आदेश के अनुच्छेद 4 तथा 5 में वर्णित विषयों पर उपाबंध पर एक विवरणी संलग्नक में संलग्न करते हैं।

हमारे लेखा परीक्षण पर आधारित अधिकांश टिप्पणियाँ एवं अवलोकन, जिसमें हमारा मत महत्वपूर्ण है तथा नीचे वर्णित कुछ प्रकरणों में वित्तीय विवरणियों में प्रावधान अपेक्षित है एवं कुछ प्रकरणों के लिए प्रावधान की रकम परिमाणिय नहीं है। वर्ष के लिए लाभ पर प्रावधान नहीं होने का समुच्चय प्रभाव तथा/अथवा आस्तियों/दायित्वों के मान पर कुछ प्रकरणों में यद्यपि पता नहीं रहने से सम्भवतः वस्तु होती है। प्रावधान की जानकारी नहीं होने के लिए बिशिष्ट कारणों को हमारे नीचे की टिप्पणों में उल्लेख किया गया है:

- i वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा जारी लेखा ज्ञापन के अनुसार, कम्पनी ने अपने कर्मचारियों के उपादान की पुनरीक्षित अधिकतम सीमा के परिप्रेक्ष्य में कथित वित्तीय वर्ष के दौरान गलती से ₹ 77.66 लाख का प्रावधान बनायी थी जो कि अन्यथा 24.05.2010 के प्रभाव से प्रयोज्य था। कम्पनी ने महालेखा परीक्षक के विवाद को माना तथा उसने तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान कथित प्रावधान को प्रतिलोमित किया एवं उसे लाभ एवं हानि खाता में "अन्य आय" के अन्तर्गत वर्गीकृत "प्रावधान दीर्घतर अपेक्षित नहीं" लेखा शीर्ष के तहत जमा किया। जबकि, हमारे विचार में कथित प्रतिलोम भारत के आई सी ए आई द्वारा जारी लेखा मानक 5 के अनुच्छेद 20 एवं 21 की शर्तों में पूर्ववधिक आय के तहत होने चाहिए क्योंकि प्रतिलोम लेखा प्राकलन का पुनरीक्षण नहीं है किन्तु प्रबंधन द्वारा चूक है जिसे चालू वर्ष के लाभ एवं हानि खाता में नहीं रखना है।
- ii एकपक्षीय विवाचन पंचाट में कम्पनी के विरुद्ध निर्णित ₹ 20,254 हजार (शेष रकम ब्याज के साथ भुगतये) तथा अनुसूची 15 के तहत लेखाओं की टिप्पणियों का टिप्पणी 10 में संदर्भित अतिरिक्त जिला जज, दुर्ग द्वारा कम्पनी की अपील का अनुवर्ती खारिज के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है जिसका हमारी नजर में मात्र समाश्रित दायित्व नहीं है, जैसा कि प्रबंधन द्वारा माना गया है तथा परिणामी प्रभाव वर्ष के लिए लाभ में समग्र अधिविवरणी/वृद्धि तथा पूर्वोक्त रकम की सीमा तक वर्ष की समाप्ति होने तक कम्पनी के दायित्वों में अल्प-विवरणी/कमी को दर्शाता है।

AUDITOR'S REPORT

To
The Members,
Ferro Scrap Nigam Limited

We have audited the attached Balance Sheet of **Ferro Scrap Nigam Limited** ("the company") as at 31st March' 2011 and also the Profit & Loss Account for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the auditing standard accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amount and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management in the preparation of the financial statement, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

As required by the companies (Auditor's Report) Order, 2003 as amended by companies (Auditor's Report) (Amendment) Order, 2004(hereinafter together referred to as the 'order'), issued by the central government of India in terms of sub section (4A) of section 227 of 'The companies Act, 1956' (hereinafter referred to as the 'Act') we enclose in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said Order.

Major comments and observations based on our audits which in our opinion are significant and required provisions in the financial statement in certain cases mentioned herein and for certain cases the amount of provision is not quantifiable. The aggregate impact of non-provision on the profit for the year and/or on the value of assets/liabilities may possibly be material though unascertainable in some cases. The distinguished reasons for non ascertainment of provision have been mentioned in our note below:

- i. As per an audit memo issued by the Comptroller and Auditor General of India for the financial year 2009-10, the company had erroneously made a provision of ₹77.66 lacs during the said financial year towards revised ceiling limit of gratuity of its employees which was otherwise applicable with effect from 24.05.2010. The company had agreed with the contention of CAG and has accordingly reversed the said provision during the current financial year 2010-11 and credited the same under account head "Provision no longer required" classified under "Other Income" in the Profit and Loss Account. However, in our opinion, the said reversal should be made under Prior Period Income in terms of para 20 and 21 of Accounting Standard 5 issued by ICAI since the reversal is not a revision of accounting estimate but an omission by the management which has no bearing in the current year profit and loss account.***
- ii. No provision has been made for ₹ 20,254 thousand (balance amount payable along with interest) adjudicated against the company in an ex-parte arbitration award and subsequent dismissal of appeal of the company by Additional District Judge, Durg referred to in Note 10 of the Notes to Accounts under Schedule 15 which in our view is not merely a contingent liability as considered by the management and the consequential effect shows an overstatement in the profit for the year and understatement in the liabilities of the company as at the end of the year to the extent of the aforesaid amount.***

- iii कर योग्य उत्पादन सेवाओं को देने में किए गए खर्च को कम्पनी ने कथित नियम के नियम (2)(के) के तहत परिभाषित पात्र निवेशों पर सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 3(1) के अनुसरण में सेनवैट क्रेडिट का न तो उपभोग किया है न ही प्रयोज्य किया है। कम्पनी की वर्तमान लेखा प्रणाली ऐसे पात्र निवेशों पर सेनवैट क्रेडिट का निर्धारण/परिमाणन होने नहीं देता है जिसका कम्पनी उपभोग/प्रयोज्य करने का हकदार है। तदनुसार, लाभ एवं हानि से प्रभारित पात्र निवेशों के खपत मूल्य तथा जिसे वस्तुसूचियों में मिलाया गया है, सेनवैट क्रेडिट की सीमा तक, जिसका मान निर्धारण योग्य है, बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है।
- iv गैर-कार्यपालक कर्मचारियों, जिन्होंने 31.03.2011 तक कथित सुविधाओं का उपभोग नहीं किया है, के परिप्रेक्ष्य में एल टी सी/एल एल टी सी व्यय का प्रावधान नहीं होने के बारे में अनुसूची 15 के तहत लेखा की विवरणियों का टिप्पणी सं. 12 के लिए ध्यान आकृष्ट किया गया है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कर्मचारियों के कथित वर्ग द्वारा एल टी सी/एल एल टी सी के उपभोग के बारे में अनिश्चितता के कारण प्रावधान का परिमाणन संभव नहीं है।

पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों तथा अवलोकनों तथा उक्त संदर्भित संलग्नक के बारे में हम सूचित करते हैं कि :

- i हमने अपने लेखा परीक्षण के उद्देश्य से आवश्यक सभी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों को, जो हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और विश्वास हेतु आवश्यक थे, प्राप्त किया।
 - ii हमारी राय में, जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है, कंपनी ने समुचित लेखा खाताओं को रखा है जो कि उन बही-खातों के परीक्षण से हमें मालूम पड़ा है।
 - iii इस प्रतिवेदन के साथ बनाए गए तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी कंपनी के बही-खातों के साथ अनुरूप है।
 - iv हमारी राय में, इस प्रतिवेदन के द्वारा बनाए गए तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता अधिनियम की धारा 211 की उप-धारा (3 सी) में वर्णित लेखा मानकों का अनुपालन करता है।
 - v भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, कंपनी कार्य विभाग की अधिसूचना क्र . जी एस आर 829 (ई), दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 की शर्तों में सरकारी कंपनियों को कम्पनी अधिनियम की धारा 274 की उप-धारा (1) के खंड (जी) की प्रयोज्यता के प्रावधान की छूट है।
 - vi हमारी राय में तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा उस पर लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित कथित लेखा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा मानकों के साथ अनुरूपता में खरा एवं उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- क) दिनांक 31 मार्च, 2011 तक कंपनी के कार्य-कलाप के तुलन-पत्र के मामले में :
- ख) उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के लाभ एवं हानि खाता के मामले में, तथा
- ग) उसी तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाहों के नकदी प्रवाह विवरणी के मामले में।

वास्ते राजेन्द्र प्रसाद
सनदी लेखापाल

राहुल खण्डेलवाल
साझेदार
सदस्यता क्र . 079628
फर्म पंजीकरण क्र. 000203C

स्थान : भिलाई,
दिनांक : 02.07.2011

- iii. **The company has not availed and utilized cenvat credit in accordance with rule 3(1) of the Cenvat Credit Rules on eligible inputs defined under rule 2(k) of the said rule, consumed in providing the taxable output services. The existing accounting system of the company does not allow determination/ quantification of cenvat credit on such eligible inputs which the company is entitle to avail/ utilize. Accordingly, the consumption value of the eligible inputs charged to the profit and loss and that included in the inventories is overstated to the extent of cenvat credit of which value is indeterminable.**
- iv. **Attention is drawn towards note no. 12 of the Notes to Account under Schedule 15 regarding non-provisioning of LTC/LLTC expenditure in respect of Non-Executive employees who have not availed the said facility upto 31.03.2011. As informed to us, quantification of the provision is not possible due to uncertainty regarding availment of LTC/LLTC by the said class of employees.**

Subject to our comments and observations in foregoing paragraphs and in the Annexure referred to above, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- (ii) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the company so far as appears from our examination of those books;
- (iii) The balance sheet, the profit and loss account and the cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;
- (iv) In our opinion, the Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report comply with the accounting standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Act;
- (v) In terms of government of India, Ministry of Finance, Department of company Affairs Notification No. GSR 829(E) dated 21st October, 2003 Government companies are exempt from the applicability of provision of clause(g) of sub-section (1) of section 274 of the Act;
- (vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read with significant accounting policies and notes on accounts thereon give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India
- a. In the case of the Balance Sheet of the state of affairs of the company as at 31st March 2011.
- b. In the case of the Profit and Loss account, of the profit of the company for the year ended on that date; and
- c. In the case of the Cash flow statement, of the cash flows of the company for the year ended on that date.

For **RAJENDRA PRASAD**
CHARTERED ACCOUNTANTS

RAHUL KHANDELWAL
Partner
Membership No. 079628
Firm Regn. No.000203C

Place : Bhilai
Date : 02.07.2011

लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का संलग्नक

समतिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुच्छेद 3 को संदर्भित:

1. (क) कंपनी ने आस्तियों, जिसका वास्तविक मूल्य पाँच हजार रुपये से अधिक नहीं है, के अलावे अपने स्थायी आस्तियों के मात्रात्मक ब्यौरा तथा अवस्थिति सहित संपूर्ण ब्यौरा दर्शाते हुए समुचित अभिलेख रखा है।
(ख) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान कुछ स्थायी आस्तियों का भौतिकीय जाँच किया गया। हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार इस जाँच पर किसी प्रकार की तात्त्विक विसंगति नहीं पायी गयी। जबकि, भौतिक सत्यापन के किसी निश्चित कार्यक्रम के अभाव में हम अपने विचार देने की स्थिति में नहीं है कि वर्तमान प्रणाली वाजिब अंतरालों में सभी स्थायी आस्तियों का भौतिक जाँच करता है।
(ग) वर्ष के दौरान स्थायी आस्तियों का सारगर्भित खण्ड का निपटान नहीं किया गया तथा इसीलिए यह चलित संस्थान की धारणा को प्रभावित नहीं करता।
2. (क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा वस्तु-सूची का भौतिकीय सत्यापन किया गया। हमारे विचार में सत्यापन की आवृत्ति तर्कसंगत है।
(ख) हमारे विचार से, प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जा रहे वस्तु-सूचियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाएँ कम्पनी के आकार एवं इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत तथा पर्याप्त है।
(ग) वस्तु-सूची अभिलेखों का हमारे द्वारा परीक्षण के आधार पर, हमारे विचार में कंपनी वस्तु-सूची का समुचित अभिलेख बनाकर रख रही है। बही अभिलेखों की तुलना में वस्तु-सूची का भौतिक सत्यापन पर पायी गयी विसंगतियाँ कम्पनी के प्रचालनों के संबंध में तात्त्विक थी। जबकि, उसे उचित रूप से लेखा खाता में लाया गया है।
3. (क) अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत पोषित पंजी में आने वाली कंपनियों, फर्मों अथवा पक्षों को कंपनी ने कोई भी प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण मंजूर नहीं किया है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ (3)(ए) से (3)(डी) प्रयोज्य नहीं है।
(ख) अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत पोषित पंजी में आने वाली कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षों से कंपनी ने कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं लिया है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ (3)(ई) से (3)(जी) प्रयोज्य नहीं है।
4. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के आकार तथा व्यापार की प्रकृति के अनुरूप स्थायी आस्तियों के क्रय एवं माल के विक्रय के लिए यहाँ एक यथोचित अन्तरिक नियंत्रण पद्धति है। जबकि, हमारे द्वारा कंपनी के लेखाओं एवं अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हम न तो उसके पार आते हैं न ही हमें कथित आंतरिक नियंत्रण पद्धति में बड़ी खामियों को सुधारने हेतु कोई निरंतर असफलता की सूचना दी गयी है।
5. कम्पनी ने ऐसे कोई मामलों को दर्ज नहीं की है जिसे कि अधिनियम की धारा 301 के अनुसरण में पंजी में दर्ज करने की जरूरत हो।
6. कंपनी ने जनता से जमाओं को स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद (6) प्रयोज्य नहीं है।
7. हमारे विचार से, कंपनी का आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली सामान्यतः इसके आकार तथा कारोबार की प्रकृति के अनुरूप है।
8. अधिनियम की धारा 209 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा लागत अभिलेखों का रख-रखाव निर्धारित नहीं किया गया है।
9. (क) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कम्पनी के लेखाओं का हमारे परीक्षण के आधार पर भविष्य निधि (भविष्य निधि बकायों को उसके अपने छूट प्राप्त भविष्य निधि न्यास में जमा किया जाता है), आयकर, विक्रय कर/मूल्य समाहित कर, धन कर, आबकारी शुल्क, उपकर एवं कोई अन्य वैधानिक बकाया सहित अविवादित वैधानिक बकाया, जैसा कि कंपनी के लिए प्रयोज्य है, को सामान्यतः उपयुक्त प्राधिकारों को नियमित रूप से जमा किया जाता है।
जैसा हमें यह बताया गया है कि विनिधानकर्ता शिक्षा तथा संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, विक्रय कर एवं उत्पाद शुल्क कंपनी पर बकाया नहीं है।
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 के अन्तर्गत उपकर के परिप्रेक्ष्य में यहाँ कोई देय नहीं होगा क्योंकि भारत के केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक उक्त कथित धारा को प्रभावकारी नहीं किया गया है।

ANNEXURE TO AUDITORS' REPORT

Referred to paragraph 3 of our report of even date,

- i. (a) The company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets except the assets whose actual cost does not exceed five thousand rupees.
- (b) Some of the fixed assets were physically verified during the year by the management. According to the information and explanation given to us no material discrepancy is noticed on such verification. However, in the absence of any definite programme of physical verification, we are not in a position to give our opinion that the present system provides for physical verification of all the fixed assets at reasonable intervals.
- (c) No substantial part of Fixed assets were disposed off during the year, and therefore, do not affect the going concern assumption.
- ii. (a) The inventory has been physically verified by the management during the year. In our opinion, the frequency of verification is reasonable.
- (b) In our opinion, the procedures of physical verification of inventories followed by the management are reasonable and adequate in relation to the size of the company and the nature of its business.
- (c) On the basis of our examination of the inventory records, in our opinion, the company is maintaining proper records of inventory. The discrepancies noticed on physical verification of inventory as compared to book records were material having regard to the operation of the company. However, the same has been properly dealt with in books of account.
- iii. (a) The company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the Act. Accordingly paragraphs (iii) (a) to (iii) (d) of the order are not applicable.
- (b) The company has not taken any loans, secured or unsecured from companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the Act. Accordingly paragraphs (iii) (e) to (iii) (g) of the order are not applicable.
- iv. In our opinion and according to information and explanation given to us, there is an adequate internal control system commensurate with the size of the company and the nature of its business, for the purchase of fixed assets and for the sale of goods. Further, on the basis of our examination of books and records of the Company and according to the information and explanations given to us, we have neither come across nor have been informed of any continuing failure to correct major weakness in the aforesaid internal control system.
- v. The company has not entered into any such transactions that are required to be entered into register in pursuance of section 301 of the Act.
- vi. The Company has not accepted deposits from the public. Accordingly, paragraph (vi) of the order is not applicable.
- vii. In our opinion, the company's internal audit system is generally commensurate with the size and nature of its business.
- viii. Maintenance of cost records has not been prescribed by the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 209 of the Act.
- ix. (a) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the company, undisputed statutory dues including Provident Fund (Provident Fund dues is deposited to its own exempted Provident Fund Trust), Income Tax, Sales Tax/ VAT, Wealth Tax, Custom Duty, Cess and Any other statutory dues as applicable to the Company have generally been regularly deposited with the appropriate authorities.

As explained to us the Company did not have dues on account of Investor Education and Protection Fund, Employee state Insurance scheme, sales tax and excise duty.

There were no dues on account of cess under section 441A of the Companies Act, 1956 since the aforesaid section has not yet been made effective by the central Government of India.

(ख) हमें दी गयी सूचना के अनुसार यहाँ विवादित वैधानिक बकाया है जिसे जमा नहीं किया गया है, जिसका विवरण निम्नांकित है :

| अध्यादेश का नाम | देय राशि का प्रकार | विवाद के तहत अब तक जमा नहीं की गयी रकम (रकम, ₹ '००० में) | अवधि, जिससे रकम संबंधित है | फोरम, जहाँ विवाद लंबित है |
|--------------------------------------|--|--|---|---|
| उड़ीसा विक्रय कर अधिनियम, 1947 | राउरकेला इकाई में विक्रय कर तथा प्रवेश | 4356 | 2002-2003 | विक्रय कर न्यायाधिकरण, कटक |
| सड़क कर विभाग | राउरकेला इकाई में सड़क कर के विलम्ब भुगतान हेतु अर्थदण्ड | 216 | अक्टूबर '90 से मार्च '95 | उड़ीसा उच्च न्यायालय |
| वित्त अधिनियम, 1994 (अद्यतन संशोधित) | भिलाई, दुर्गापुर, विजाग, डोलवी एवं डुबुरी इकाई में 'व्यापार पूरक सेवाओं पर सेवा कर | 62,902 | 10.09.2004 से 28.02.2005 | पौनर्वादिक् प्राधिकार (सी इ एस टी ए टी, नई दिल्ली) |
| वित्त अधिनियम 1994 (अद्यतन संशोधित) | बर्नपुर इकाई में 'व्यापार पूरक सेवाओं पर सेवा कर | 13,451 | सितम्बर, 2004 से फरवरी, 2005 तथा अप्रैल, 2005 से सितंबर, 2006 | आयुक्त (अपील), कोलकाता |
| वित्त अधिनियम 1994 (अद्यतन संशोधित) | भिलाई इकाई में 'कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं पर सेवा कर | 30,474 | जुलाई, 2003 से सितंबर, 2007 | पौनर्वादिक् प्राधिकार (सीइएसटीएटी, नई दिल्ली) |
| वित्त अधिनियम 1994 (अद्यतन संशोधित) | डुबुरी इकाई में 'कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं पर सेवा कर, जैसा कि अधीक्षक, केन्द्रीय आबकारी जाजपुर ने मांग की है | 3,920 | नवम्बर, 2002 से अप्रैल, 2004 | पौनर्वादिक् प्राधिकार (सीइएसटीएटी, कोलकाता) |
| वित्त अधिनियम 1994 (अद्यतन संशोधित) | बोकारो इकाई में 'व्यापार पूरक सेवाओं पर सेवा कर | 1,24,782 | 1.3.2005 से 31.1.2008 | आयुक्त, राँची एवं पौनर्वादिक् प्राधिकार (सीइएसटीएटी, कोलकाता) |
| वित्त अधिनियम 1994 (अद्यतन संशोधित) | डुबुरी इकाई में 'व्यापार पूरक सेवाओं पर सेवा कर | 23,288 | मई, 2004 से मार्च 2007 | आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी भुवनेश्वर-1 |
| वित्त अधिनियम 1994 (अद्यतन संशोधित) | दुर्गापुर इस्पात संयंत्र एवं एलॉय इस्पात संयंत्र में 'व्यापार पूरक सेवाओं तथा कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं पर सेवा कर | 1,89,607 | अप्रैल, 2003 से मार्च 2008 व अक्टूबर, 2003 से नवम्बर, 2008 | पौनर्वादिक् प्राधिकार (सीइएसटीएटी, कोलकाता) |
| वित्त अधिनियम 1994 (अद्यतन संशोधित) | दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में 'व्यापार पूरक सेवाओं तथा कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं पर सेवा कर | 45,840 | अप्रैल, 2008 से मई, 2009 व जून, 2009 से सितम्बर, 2009 | आयुक्त, कोलकाता एवं पौनर्वादिक् प्राधिकार (सीइएसटीएटी, कोलकाता) |
| वित्त अधिनियम 1994 (अद्यतन संशोधित) | डुबुरी इकाई में कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं पर सेवा कर | 15,019 | अप्रैल, 2007 से मार्च 2008 व अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 | आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी, भुवनेश्वर |
| उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1950 | अधिसूचित क्षेत्र परिषद, राउरकेला (इस्पात नगरी) द्वारा डम्परों, डोजरों आदि जैसे भारी भू-उपस्करों पर चुंगी | 1,113 | | उड़ीसा उच्च न्यायालय |

(b) According to the information given to us, there are disputed statutory dues which have not been deposited as given herein below:

| Name of the Statute | Nature of Dues | Amount under dispute not yet deposited (₹ in '000) | Period to which the amount relates | Forum where the disputes are pending |
|---|--|--|---|--|
| Orissa Sales Tax Act, 1947 | Sales Tax and Entry Tax at Rourkela unit | 4,356 | 2002-03 | Sales Tax Tribunal, Cuttack |
| Road Tax Department | Penalty for delay payment of road tax at Rourkela Unit | 216 | Oct 90 to March 1995 | Orissa High Court |
| Finance Act, 1994 (As amended up to date) | Service Tax on "Business Auxiliary Services" at Bhilai Durgapur, Vizag, Dolvi & Duburi unit | 62,902 | 10.09.2004 to 28.02.2005 | Apellate Authorities, (CESTAT, New Delhi) |
| Finance Act, 1994 (As amended up to date) | Service Tax on "Business Auxiliary Services" at Burnpur unit | 13,451 | Sept .2004 to Feb. 2005 & Apr 2005 to Sept 2006 | Commissioner (Appeals), Kolkata |
| Finance Act, 1994 (As amended up to date) | Service Tax on "Cargo Handling Services" at Bhilai unit | 30,474 | July 2003 to Sept 2007 | Apellate Authorities, (CESTAT, New Delhi) |
| Finance Act, 1994 (As amended up to date) | Service Tax on "Cargo Handling Services" at Duburi unit as demanded by Suptd. of Central Excise, Jajpur. | 3,920 | Nov 2002 to Apr 2004 | Apellate Authorities, (CESTAT, Kolkata) |
| Finance Act, 1994 (As amended upto date) | Service Tax on "Business Auxiliary Services" at Bokaro Unit | 1,24,782 | 01.03.2005 to 31.01.2008 | Commissioner, Ranchi and Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata) |
| Finance Act, 1994 (As amended upto date) | Service Tax on "Business Auxiliary Services" at Duburi unit | 23,288 | May 2004 to Mar 2007 | Commissioner, Central Excise Bhubhaneshwar-1 |
| Finance Act, 1994 (As amended upto date) | Service Tax on "Business Auxiliary Services and Cargo Handling Services" at Durgapur Steel Plant and Alloy Steel Plant | 1,89,607 | Apr 2003 to Mar 2008 & Oct 2003 to Nov 2008 | Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata) |
| Finance Act, 1994 (As amended upto date) | Service Tax on "Business Auxiliary Services and Cargo Handling Services" at Durgapur Steel Plant | 45,840 | Apr 2008 to May 2009 & June 2009 to Sep 2009 | Commissioner, Kolkata and Appellate Authorities, (CESTAT, Kolkata) |
| Finance Act, 1994 (As amended upto date) | Service Tax on "Cargo Handling Services" at Duburi unit | 15,019 | April 2007 to March 2008 & April 2008 To March 2009 | Commissioner, Central Excise, Bhubaneswar |
| Orissa Municipal Act, 1950 | Octroi on heavy earthmoving equipment like Dumpers, Dozers etc. by Notified Area Council, Rourkela (Steel Township) | 1,113 | | Orissa High Court |

- (10) वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कंपनी को कोई संचित घाटा नहीं हुआ है तथा हमारे लेखा परीक्षण के द्वारा वित्तीय वर्ष तथा तात्कालिक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद घाटा उपगत नहीं हुआ है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद (10) प्रयोज्य नहीं है।
- (11) कंपनी ने वित्तीय संस्थानों अथवा बैंकों को देय राशि के प्रतिसंदाय में चूक नहीं की है।
- (12) कंपनी ने अंशों, ऋण-पत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी के द्वारा सुरक्षित कर कोई ऋण एवं अग्रिम मंजूर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद (12) कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।
- (13) कंपनी चिट फंड अथवा निधि/म्यूचुअल बेनीफिट फंड/सोसाईटी नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद (13) कंपनी पर लागू नहीं है।
- (14) कंपनी अंशों, प्रतिभूतियों, ऋण-पत्रों तथा अन्य विनिवेशों में लेन-देन अथवा व्यापार नहीं करती है।
- (15) अन्य द्वारा बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए कंपनी ने कोई गारंटी नहीं दिया है।
- (16) कंपनी ने कोई आवधिक ऋण नहीं ली है, अतएव संबद्ध अनुच्छेद प्रयोज्य नहीं है ।
- (17) दीर्घावधिक विनिवेश हेतु उपयोग करने लघु-आवधिक आधार पर निधियों को समुत्थापित नहीं किया गया है तथा लघु आवधिक आस्तियों में पूंजी लगाने हेतु दीर्घावधिक निधियों का उपयोग नहीं किया गया है ।
- (18) कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत पोषित पंजी में आने वाले पक्षों तथा कंपनियों के लिए अंशों को कोई अधिमानी आवंटन नहीं की है।
- (19) अनुच्छेद (19) की विषय-वस्तु कंपनी के लिए प्रयोज्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी ऋण-पत्रों को जारी नहीं की है ।
- (20) कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई लोक-विवादक द्वारा कोई रकम समुत्थापित नहीं की है । अतएव, इस अनुच्छेद का प्रावधान कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है ।
- (21) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारे लेखा परीक्षण करने के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा कोई कपट होना नहीं पाया गया अथवा सूचित किया गया।

वास्ते राजेन्द्र प्रसाद
सनदी लेखापाल

राहुल खण्डेलवाल
साझेदार
सदस्यता क्र . 079628
फर्म पंजीकरण क्र. 000203C

स्थान : भिलाई,
दिनांक : 02.07.2011

- x. The company does not have any accumulated losses of the company at the end of the financial year and has not incurred cash losses during the financial year covered by our audit and in the immediately preceding financial year Accordingly (x) of the Order is not applicable.
- xi. The company has not defaulted in repayment of dues to a financial institution or bank.
- xii. The company has not granted any loans and advance on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities. Accordingly, paragraph (xii) of the order is not applicable to the company.
- xiii. The company is not a chit fund or a nidhi/mutual benefit fund/society. Accordingly, paragraph (xiii) of the order is not applicable to the company.
- xiv. The company is not dealing or trading in shares, securities, debentures and other investments.
- xv. The company has not given any guarantee for loans taken by others from bank or financial institutions.
- xvi. The company has not obtained any term loans hence the relevant paragraph is not applicable.
- xvii. No funds raised on short-term basis have been used for long term investment and no long term funds have been used to finance short term assets.
- xviii. The company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the Register maintained under section 301 of the Act.
- xix. The content of paragraph (xix) is not applicable to the company as the company has not issued any debentures during the year.
- xx. The Company has not raised any money by public issues during the year. Hence, provisions of this paragraph are not applicable.
- xxi. According to the information and explanation given to us, no fraud on or by the company has been noticed or reported during the course of our audit.

Place : Bhilai
Date : 02.07.2011

For **RAJENDRA PRASAD**
CHARTERED ACCOUNTANTS

RAHUL KHANDELWAL
Partner
Membership No. 079628
Firm Regn. No.000203C

वैधानिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों/अवलोकन पर प्रबंधन का जवाब

| लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन अनुच्छेद क्र | टिप्पणी/अवलोकन | प्रबंधन का उत्तर |
|--|---|---|
| लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के अनुच्छेद क्र i के विरुद्ध | <p>वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा जारी लेखा ज्ञापन के अनुसार, कम्पनी ने अपने कर्मचारियों के उपादान की पुनरीक्षित अधिकतम सीमा के परिप्रेक्ष्य में कथित वित्तीय वर्ष के दौरान गलती से ₹ 77.66 लाख का प्रावधान बनायी थी जो कि अन्यथा 24.05.2010 के प्रभाव से प्रयोज्य था । कम्पनी ने महालेखा परीक्षक के विवाद को माना तथा उसने तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान कथित प्रावधान को प्रतिलोमित किया एवं उसे लाभ एवं हानि खाता में "अन्य आय" के अन्तर्गत वर्गीकृत "प्रावधान दीर्घतर अपेक्षित नहीं" लेखा शीर्ष के तहत जमा किया । जबकि, हमारे विचार में कथित प्रतिलोम भारत के आई सी ए आई द्वारा जारी लेखा मानक 5 की अनुच्छेद 20 एवं 21 की शर्तों में पूर्वाधिक आय के तहत होने चाहिए क्योंकि प्रतिलोम लेखा प्रकलन का पुनरीक्षण नहीं है किन्तु प्रबंधन द्वारा चूक है जिसे चालू वर्ष के लाभ एवं हानि खाता में नहीं रखना है ।</p> | <p>2008-09 के लेखाओं के परीक्षण के दौरान शासकीय लेखा परीक्षकों ने लोक उद्यम विभाग द्वारा अनुशंसित ₹ 3.50 लाख से ₹ 10.00 लाख के उपादान की अधिकतम रकम में वृद्धि के कारण उपादान की अन्तरीय रकम हेतु प्रावधान बनाने के लिए अवलोकन किया । शासकीय लेखा परीक्षकों को आश्वासन दिया गया था कि कम्पनी दायित्वों, जो कि 01.01.2007 से 31.03.2010 की अवधि के दौरान पृथक हुए कर्मचारियों के लिए ₹ 3.50 लाख से ₹ 10.00 लाख के उपादान की अधिकतम सीमा में वृद्धि के कारण हुई है, के लिए अन्तरीय रकम हेतु प्रावधान बनाएगी । यह आशा की गयी थी कि 01.01.2007, अर्थात् लोक उद्यम विभाग की अनुशंसा के आधार पर कार्यपालक तथा गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के लिए वेतन के पुनरीक्षण की तिथि के प्रभाव से उपादान की अधिकतम सीमा में वृद्धि हेतु शासकीय अधिसूचना दी जायगी। राजपत्रित अधिसूचना 11.06.2010 को जारी की गयी जिसके अन्तर्गत 01.01.2007 के बदले 24.05.2010 से उपादान में अधिकतम रकम में वृद्धि की प्रयोजनीयता की सूचना दी गयी। जून, 2010 में राजपत्रित अधिसूचना की पावती के पूर्व वर्ष 2009-10 के लिए लेखाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया था । वार्षिक लेखाओं को अंत शेष करने के उद्देश्य से कम्पनी ने 31 मई को आखिरी तिथि के रूप में माना । चूँकि उपादान की अधिकतम सीमा की वृद्धि को 24.05.2010 के प्रभाव से किया गया था, इसलिए 01.01.2007 से 31.03.2010 की अवधि के दौरान जो कर्मचारी पृथक हुए थे, उनके लिए पहले से बनाए गए प्रावधान को वर्ष के दौरान "प्रावधान दीर्घतर अपेक्षित नहीं" के तहत प्रतिलोमित किया गया था। प्रावधान का सर्जन विलोपन की त्रुटि अथवा कमीशन के परिप्रेक्ष्य में नहीं था तथा प्रावधान का प्रतिलोपन संभावित तिथि अर्थात् 24.05.2010 से अधिकतम रकम में वृद्धि के प्रयोज्यता करने 11.06.2010 के शासकीय अधिसूचना के कारण अनिवार्य था । चूँकि यहाँ उपरोक्त लेखा बरताव में कोई त्रुटि अथवा चूक नहीं है, अतः रकम को लाभ एवं हानि खाता में "अन्य आय" के तहत "प्रावधान दीर्घतर अपेक्षित नहीं" शीर्ष के अन्तर्गत उचित रूप से हिसाब किया गया है।</p> |

ANNEXURE - II TO DIRECTORS' REPORT

MANAGEMENT REPLY ON THE COMMENTS / OBSERVATIONS OF THE STATUTORY AUDITORS.

| Auditors' Report Para No. | Comments/Observations | Management's Reply |
|--|--|---|
| Against Para No. i to the Auditor's Report : | <i>As per an audit memo issued by the Comptroller and Auditor General of India for the financial year 2009-10, the company had erroneously made a provision of ₹ 77.66 lacs during the said financial year towards revised ceiling limit of gratuity of its employees which was otherwise applicable with effect from 24-05-2010. The company had agreed with the contention of CAG and has accordingly reversed the said provision during the current financial year 2010-11 and credited the same under account head "Provision no longer required" classified under "Other Income" in the Profit and Loss Account. However, in our opinion, the said reversal should be made under Prior Period Income in terms of para 20 and 21 of Accounting Standard 5 issued by ICAI since the reversal is not a revision of accounting estimate but an omission by the management which has no bearing in the current year profit and loss account.</i> | <p>During the audit of accounts of 2008-2009, the Government Auditors observed for creating provision for the differential amount of gratuity due to increase in the ceiling amount of gratuity from ₹ 3.50 Lakhs to ₹ 10 lakhs as recommended by DPE. Assurance was given to the Government Auditors that the company would create the provision for the differential amount towards the liability which might have occurred due to raise in the ceiling of gratuity from ₹ 3.5 Lakhs to ₹ 10 lakhs for the employees separated during the period 01-01-2007 to 31-03-2010. It was expected that the Government notification for the increase in the gratuity ceiling would be made with effect from 01-01-2007 i.e. the date of revision of wages for executive and non-executives employees as per the recommendation of DPE.</p> <p>The Gazetted Notification was issued on 11-06-2010 notifying the applicability of the increased ceiling amount in the gratuity from 24-05-2010 instead of 01-01-2007. The accounts for the year 2009-10 was finalised before the receipt of Gazetted notification in June 2010. For the purpose of closing of Annual Accounts the company considers 31st May as cut off date. Since the enhancement of the ceiling limit of gratuity has been made w.e.f. 24-05-2010 the provision already made for the employees who were separated during the period 01-01-2007 to 31-03-2010 was reversed during the year under the head "Provision no longer required." The creation of provision was not on account of error of omission or commission and the reversal of provision was necessitated due to the Gazetted Notification of 11-06-2010 making the applicability of the increase in the ceiling amount from a prospective date i.e. 24-05-2010. Since there is no error or omission involved in the above accounting treatment the amount has been correctly accounted under the head "Provision no longer required" under "Other Income" in the Profit & Loss Account.</p> |

लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के अनुच्छेद क्र 2 के विरुद्ध

एक पक्षीय विवाचन पंचाट में कम्पनी के विरुद्ध निर्णित ₹ 20,254 हजार (शेष रकम ब्याज के साथ भुगतये) तथा अनुसूची 15 के तहत लेखाओं पर टिप्पणी के टिप्पणी 10 में निर्देशित अतिरिक्त जिला जज, दुर्ग द्वारा कम्पनी की अपील खारिज करने हेतु कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है जो हमारे पर्यवलोकन में मात्र समाश्रित दायित्व नहीं है जैसा कि प्रबंधन सोच रही है तथा परिणामी प्रभाव पूर्वोक्त रकम की सीमा को वर्ष की समाप्ति तक वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ में अधिविवरणी तथा दायित्वों में अत्युक्ति को दर्शाता है ।

लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के अनुच्छेद क्र 3 के विरुद्ध

कर योग्य उत्पादन सेवाओं को देने में किए गए खर्च को कम्पनी ने कथित नियम के नियम (2) (के) के तहत परिभाषित पात्र निवेशों पर सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 3(1) के अनुसरण में सेनवैट क्रेडिट का न तो उपभोग किया है न ही प्रयोज्य किया है । कम्पनी की वर्तमान लेखा प्रणाली ऐसे पात्र निवेशों पर सेनवैट क्रेडिट का निर्धारण/परिमाणन होने नहीं देता है जिसका कम्पनी उपभोग/प्रयोज्य करने का हकदार है। तदनुसार, लाभ एवं हानि से प्रभारित पात्र निवेशों के खपत मूल्य तथा जिसे वस्तुसूचियों में मिलाया गया है, सेनवैट क्रेडिट की सीमा तक, जिसका मान निर्धारण योग्य है, बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है।

एफ एस एन एल के विरुद्ध बी ओ सी लि० के प्रकरण में 01.06.2002 को माध्यस्थम न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकृत एक पक्षीय पंचाट अलग करने अतिरिक्त जिला जज, दुर्ग के न्यायालय में प्रकरण क. एम जे सी 34/2005 दायर की गयी। जिला जज, दुर्ग ने दिनांक 29.11.2010 के आदेश के तहत कम्पनी द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया।

कम्पनी ने माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष जिला जज, दुर्ग द्वारा स्वीकृत आदेश के विरुद्ध याचिका तरहीज की। उच्च न्यायालय 16.03.2011 को मामले को सुना तथा एफ एस एन एल द्वारा दायर याचिका को स्वीकारा एवं अंतिम सुनवाई के लिए बाद में मामले को सुनने का आदेश पारित किया।

चूँकि मामले पर मुकदमेबाजी चल रही है, इसलिए विवाचन पंचाट के अनुसार 31.03.2011 तक ब्याज सहित ₹ 20,254 हजार की रकम को "समाश्रित दायित्व" के अन्तर्गत दर्शाया गया है। कम्पनी द्वारा इस तथ्य को कम्पनी के लेखाओं पर टिप्पणीयों के कम सं. 10 में भी अनावृत किया गया है।

जैसा कि नियम 2(ए)(ए)(i) तथा 2(ए)(बी) के अन्तर्गत परिभाषित है, पूँजीगत माल हेतु 2004 के सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 3(1) के अनुसार कम्पनी निवेशों पर सेनवैट क्रेडिट का उपभोग कर रही है।

कम्पनी सामान्य भण्डारन एवं पूर्जों की सभी खरीदी पर सेनवैट क्रेडिट का उपभोग नहीं कर रही है । कम्पनी निम्नलिखित कारणों से स्नेहक तथा ऑक्सीजन सहित भण्डारन व पूजों पर सेनवैट क्रेडिट का उपभोग करने योग्य नहीं थी :-

- सेवा कर का शीर्षक दर्शाने उत्पादन सेवाओं के साथ निवेशों को जोड़ा जाएगा जिसके तहत सेवा कर भुगतये है। विभिन्न प्रकार की सेवाएँ देने के लिए बहुत से उपस्करों को सामान्यतः उपयोग होता है जिसके लिए विभिन्न शीषों, जैसे "कार्गो हैण्डलिंग", "व्यापार पूरक सेवाएँ", "व्यापार समर्थन सेवाएँ" आदि के तहत सेवा कर भुगतये है।
- ऑक्सीजन जैसे निवेशों की आपूर्ति इस्पात संयंत्रों द्वारा की जाती है इसलिए इस्पात संयंत्रों द्वारा उसकी लागत अन्य सेवा प्रभार बिलों से काटी जाती है। इस्पात संयंत्र आबकारीय बीजक जारी करने योग्य नहीं है क्योंकि वह ऑक्सीजन के विक्रय हेतु पंजीकृत नहीं है, किन्तु इस्पात तथा सहबद्ध उत्पादों के विक्रय हेतु पंजीकृत है।
- बहुत सारे पूजों को सामान्यतः उपस्करों में उपयोग किया जाता है जिसकी निवेश सेवा सेनवैट क्रेडिट के लिए योग्य नहीं है। इसलिए पूजों के पहचान में बाधा आती है।

तथापि, वर्ष 2011-12 के दौरान सेनवैट क्रेडिट उपभोग करने के लिए सेनवैट क्रेडिट नियमों की अपेक्षितियों के साथ पूरा करने हेतु हमारे सेवा कर सलाहकार के साथ परामर्श कर परिणाम को नए से परखा जा रहा है।

| Auditors' Report Para No. | Comments / Observations | Management's Reply |
|--|--|--|
| Against Para No. ii to the Auditor's Report : | <p><i>No provision has been made for ₹ 20,254 thousand (balance amount payable along with interest) adjudicated against the company in an ex-parte arbitration award and subsequent dismissal of appeal of the company by Additional District Judge, Durg referred to in Note 10 of the Notes to Accounts under Schedule 15 which in our view is not merely a contingent liability as considered by the management and the consequential effect shows an overstatement in the profit for the year and understatement in the liabilities of the company as at the end of the year to the extent of the aforesaid amount.</i></p> | <p>In the case of FSNL vs BOC India Ltd., Case No.MJC 34/2005 filed in the court of Additional District judge, Durg to set aside the ex-parte award passed by the Arbitration Tribunal on 01-06-2002, the District judge, Durg vide Order dated 29-11-2010 has dismissed the application filed by the company.</p> <p>The company has preferred appeal against the Order passed by the District Judge, Durg before the Honorable High Court of Chattisgarh, Bilaspur. The High Court heard the matter on 16-03-2011 and was pleased to admit the appeal filed by FSNL and passed orders for listing the matter in due course for final hearing.</p> <p>Since the matter is under litigation the amount of ₹ 20,254 thousand including interest upto 31-03-2011 as per the Arbitral Award has been shown under "Contingent Liability." This fact has also been disclosed by the company vide Sl.No. 10 of Notes on Accounts of the company.</p> |
| Against Para No. iii to the Auditor's Report : | <p><i>The company has not availed and utilized Cenvat Credit in accordance with rule 3(1) of the Cenvat Credit Rules on eligible inputs defined under rule 2(k) of the said rule, consumed in providing the taxable output services. The existing accounting system of the company does not allow determination/quantification of cenvat credit on such eligible inputs which the company is entitle to avail/ utilize. Accordingly, the consumption value of the eligible inputs charged to the profit and loss and that included in the inventories is overstated to the extend of cenvat credit of which value is indeterminable.</i></p> | <p>The company is availing Cenvat credit on inputs as per Rule 3(1) of Cenvat Credit Rules of 2004 for the capital goods as defined under Rule 2(a)(A)(i) and 2(a)(B).</p> <p>The company is not availing Cenvat Credit on all the purchase of general stores and spares. The company was not able to avail the Cenvat Credit on the stores and spares including lubricant and oxygen due to the following reasons:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ The inputs are to be linked with the output services indicating the heading of service tax under which the service tax is payable. Many of the equipment are commonly used for providing different types of services for which service tax is payable under different heads such as "Cargo Handling", "Business Auxiliary Services", "Business Support Services" etc. ■ The inputs like oxygen are supplied by the steel plants the cost of which is recovered by the steel plants from our service charges bills. The steel plants are not able to issue excisable invoice as they are not registered for sale of oxygen, but are registered for sale of steel and allied products. ■ Many of the spares are commonly used in equipments whose input service do not qualify for Cenvat Credit. Therefore, identification of spares becomes difficult. <p>However, the issue is being examined a fresh in consultation with our Service Tax Consultant for complying with the requirement of Cenvat Credit Rules for availing Cenvat Credit during the year 2011-12.</p> |

लेखा परीक्षक
का प्रतिवेदन
अनुच्छेद क्र

टिप्पणी/अवलोकन

प्रबंधन का उत्तर

लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के अनुच्छेद क्र 4 के विरुद्ध

गैर-कार्यपालक कर्मचारियों, जिन्होंने 31.03.2011 तक कथित सुविधाओं का उपभोग नहीं किया है, के परिप्रेक्ष्य में एल टी सी/एल एल टी सी व्यय का प्रावधान नहीं होने के बारे में अनुसूची 15 के तहत लेखा की विवरणियों का टिप्पणी सं. 12 के लिए ध्यान आकृष्ट किया गया है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कर्मचारियों के कथित वर्ग द्वारा एल टी सी/एल एल टी सी के उपभोग के बारे में अनिश्चितता के कारण प्रावधान का परिमाणन संभव नहीं है।

कम्पनी के नियमों के अनुसार, कर्मचारीगण 4 वर्षों की खण्ड अवधि में दो बार/एल टी सी/एल एल टी सी हेतु पात्र होते हैं, अर्थात् एक गृह शहर के लिए (एल टी सी) तथा एक भारत में किसी अन्य स्थान के लिए (एल एल टी सी) के लिए। कम्पनी द्वारा अनुसरण की जारी वर्तमान पद्धति के अनुसार जो "कैफेटेरिया अप्रोच" से प्रभावित नहीं हैं, को कर्मचारियों द्वारा एल टी सी/एल एल टी सी उपभोग करने के उपरांत किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर लेखा किया जाता है। बाँकी कर्मचारियों, जो एल टी सी/एल एल टी सी का उपभोग नहीं करते हैं, के लिए कम्पनी को यह मालूम नहीं होता है कि क्या कर्मचारी एल टी सी अथवा एल एल टी सी का उपभोग करेंगे तथा एल एल टी सी के प्रकरण में सुनिश्चित दूरी का पता नहीं रहने से व्यय का सही अनुमान करना संभव नहीं होता है। वास्तविक आधार पर एल टी सी/एल एल टी सी के लिए अपने व्यय के लेखा की इस पद्धति का निरंतर अनुसरण किया जा रहा है।

लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के संलग्नक के अनुच्छेद क्र (ख) के विरुद्ध

प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान कुछेक स्थायी आस्तियों का भौतिकीय सत्यापन कराया गया। हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उस सत्यापन पर कोई भी तात्विक विसंगतियाँ नहीं पायी गयी। तथापि, भौतिकीय सत्यापन का कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं होने के कारण हम अपना विचार देने की स्थिति में नहीं है कि वास्तविक अंतराल पर सभी स्थायी आस्तियों का भौतिक सत्यापन के लिए वर्तमान प्रणाली को दर्शाता है।

कम्पनी द्वारा स्थायी आस्तियों का भौतिकीय सत्यापन निरंतर पालन किए जा रहे अभ्यास के अनुसार वर्ष में एक बार किया जाता है जो कि पर्याप्त एवं वाजिब है।

वास्ते एवं उनकी ओर से

एन्टोनी चाको
प्रबंध निदेशक

बी. बी. सिंह
निदेशक

दिनांक : 08.08.2011
स्थान : भिलाई

| Auditors' Report Para No. | Comments / Observations | Management's Reply |
|--|--|--|
| Against Para No. iv to the Auditor's Report : | <i>Attention is drawn towards note no. 12 of the Notes to Account under Schedule 15 regarding non-provisioning of LTC/LLTC expenditure in respect of Non-Executive employees who have not availed the said facility upto 31-03-2011. As informed to us, quantification of the provision is not possible due to uncertainty regarding availment of LTC/LLTC by the said class of employees.</i> | As per the Rules of the company, employees are entitled for LTC/LLTC for twice in block period of 4 years i.e. once for home town (LTC) and once for any other place in India (LLTC). As per existing practice followed by the Company the expenditure for LTC/LLTC of the employees who are not governed by "Cafeteria Approach" are booked on the basis of actual expenditure incurred by the employee after availing LTC/LLTC. For the rest of the employees who have not availed LTC/LLTC the correct estimation of the expenditure is not possible since it is not known to the company whether the employees will avail LTC or LLTC and in the case of LLTC the exact destination. This practice of booking of expenditure incurred for LTC/LLTC on actual basis is being consistently followed. |
| Against Para No. (b) to the Annexure to Auditor's Report : | <i>Some of the fixed assets were physically verified during the year by the management. According to the information and explanation given to us no material discrepancy is noticed on such verification. However, in the absence of any definite programme of physical verification, we are not in a position to give our opinion that the present system provides for physical verification of all the fixed assets at reasonable intervals.</i> | Physical verification of fixed assets is carried out by the company once in a year as per the practice consistently followed by the company which is adequate and reasonable. |

For and on behalf of the Board of Directors

Antony Chacko
Managing Director

B. B. Singh
Director

Dated : 08.08.2011
Place : Bhilai

दि. 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए फेरो स्कैप निगम लिमिटेड के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विहित वित्तीय विवरणी ढाँचा के अनुसार 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए फेरो स्कैप निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान के वृत्तिक निकास द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षण तथा विश्वास मानक के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षण के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणियों पर राय अभिव्यक्त करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के तहत नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक उत्तरदायी हैं। इसे दिनांक 2.7.2011 के उनके लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार उनके द्वारा पूरा किया गया।

मैंने नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए फेरो स्कैप निगम लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों का कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अन्तर्गत पूरक लेखा परीक्षण किया। इन पूरक लेखा परीक्षण को वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों के बिना स्वतंत्र रूप से संपादित किया गया तथा यह प्राथमिक रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ एवं कुछ लेखा अभिलेखों की जाँच-पड़ताल तक सीमित था। मेरे लेखा परीक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में कोई भी अभिप्राय मेरे ध्यान में नहीं आया है तथा जिसपर अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षक प्रतिवेदन के परिशिष्ट पर कोई टिप्पणी उद्घृत की जा सके।

नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक एवं
के वास्ते उनकी ओर से,

स्थान : राँची
दिनांक : 28.7.2011

मनोज सहाय
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF FERRO SCRAP NIGAM LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

The preparation of financial statements of Ferro Scrap Nigam Limited for the year ended 31 March 2011 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body the Institute of Chartered Accountants of India. This is started to have been done by them vide their Audit Report dated 2.7.2011.

I on behalf of the Comptroller and Auditor General of India have conducted a supplementary audit under section 619(3)(b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of Ferro Scrap Nigam Limited for the year ended 31 March 2011. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' Report under section 619(4) of the Companies Act, 1956.

**For and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**

Place : Ranchi
Date : 28.7. 2011

Manoj Sahay
Principal Director of Commercial Audit

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2011 का तुलन-पत्र

| | अनुसूची | 31 मार्च, 2011 की स्थिति | | 31 मार्च, 2010 की स्थिति | |
|--|------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 1. निधियों का स्रोत | | | | | |
| 1.1 अंशधारियों की निधि | | | | | |
| क) पूंजी | 1 | 20,000 | | 20,000 | |
| ख) आरक्षित एवं अधिशेष | 2 | 13,54,062 | 13,74,062 | 13,46,741 | 13,66,741 |
| 1.2 ऋण निधि | | | | | |
| क) प्रतिभूत ऋण | 3 | | — | | 15,322 |
| | योग | | 13,74,062 | | 13,82,063 |
| 2. निधियों का उपयोग | | | | | |
| 2.1 स्थायी आस्तियाँ | | | | | |
| क) कुल संचय | 4 | 19,08,023 | | 18,55,244 | |
| ख) घटावें: अवक्षयण | 4 | 13,63,976 | | 12,71,614 | |
| ग) शुद्ध संचय | 4 | 5,44,047 | | 5,83,630 | |
| घ) निपटान के लिए प्रतीक्षित स्थायी आस्तियाँ | 4 | 11,194 | | 10,576 | |
| ङ) कार्यानुगत पूंजी | 4 | 27,261 | 5,82,502 | 44,537 | 6,38,743 |
| 2.2 वर्तमान आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम | | | | | |
| क) वस्तु-सूची | 5 | 88,554 | | 1,04,149 | |
| ख) अन्यान्य ऋणी | 5 | 3,26,634 | | 4,05,772 | |
| ग) इस्पात संयंत्रों के पास सुरक्षा निधि | 5 | 14,487 | | 5,945 | |
| घ) नकद तथा बैंक अधिशेष | 5 | 9,29,166 | | 8,39,386 | |
| ङ) ऋण तथा अग्रिम | 5 | 1,68,711 | | 2,06,336 | |
| | | 15,27,552 | | 15,61,588 | |
| 3. घटावें: वर्तमान दायित्व तथा प्रावधान | | | | | |
| क) वर्तमान दायित्व | 6 | 4,20,809 | | 4,24,558 | |
| ख) प्रावधान | 6 | 3,27,818 | | 3,96,405 | |
| | | 7,48,627 | | 8,20,963 | |
| शुद्ध वर्तमान आस्तियाँ | | | 7,78,925 | | 7,40,625 |
| 4. आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) | | | | | |
| क) आस्थगित कर आस्तियाँ | 7 | 32,049 | | 27,390 | |
| ख) घटावें: आस्थगित कर दायित्व | 7 | 19,414 | 12,635 | 24,695 | 2,695 |
| | योग | | 13,74,062 | | 13,82,063 |

5. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पण 15

उक्त प्रारूप के अनुसार संदर्भित अनुसूचीयों तुलन-पत्र के अभिन्न भाग है।

यह सम तिथि के हमारे पृथक प्रतिवेदन में संदर्भित तुलन-पत्र है।

वास्ते राजेन्द्र प्रसाद

सनदी लेखापाल

राहुल खण्डेलवाल

साझेदार

सदस्यता क्र. 079628

फर्म पंजीकरण क्र. 000203C

स्थान : भिलाई

तिथि : 02.07.2011

ए. पी. शर्मा

कंपनी सचिव

के. मुरलीधरन

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

बी. बी सिंह

निदेशक

एन्टोनी चाको

प्रबंध निदेशक

FERRO SCRAP NIGAM LIMITED
BALANCE SHEET AS AT 31 ST MARCH, 2011

| | Schedule | AS AT 31 ST MARCH, 2011 | | AS AT 31 ST MARCH, 2010 | |
|---|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 1. SOURCES OF FUNDS | | | | | |
| 1.1 Shareholders fund | | | | | |
| a) Capital | 1 | 20,000 | | 20,000 | |
| b) Reserves & Surplus | 2 | <u>13,54,062</u> | <u>13,74,062</u> | <u>13,46,741</u> | 13,66,741 |
| 1.2 Loan Funds | | | | | |
| a) Secured Loans | 3 | | — | | <u>15,322</u> |
| Total | | | <u><u>13,74,062</u></u> | | <u><u>13,82,063</u></u> |
| 2. APPLICATION OF FUNDS | | | | | |
| 2.1 Fixed Assets | | | | | |
| a) Gross Block | 4 | 19,08,023 | | 18,55,244 | |
| b) Less : Depreciation | 4 | <u>13,63,976</u> | | <u>12,71,614</u> | |
| c) Net Block | 4 | 5,44,047 | | 5,83,630 | |
| d) Fixed Assets awaiting Disposal | 4 | 11,194 | | 10,576 | |
| e) Capital Work-in-progress | 4 | <u>27,261</u> | <u>5,82,502</u> | <u>44,537</u> | 6,38,743 |
| 2.2 CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES | | | | | |
| a) Inventories | 5 | 88,554 | | 1,04,149 | |
| b) Sundry Debtors | 5 | 3,26,634 | | 4,05,772 | |
| c) Security Deposit with Steel Plants | 5 | 14,487 | | 5,945 | |
| d) Cash & Bank Balance | 5 | 9,29,166 | | 8,39,386 | |
| e) Loans and Advances | 5 | <u>1,68,711</u> | | <u>2,06,336</u> | |
| | | <u>15,27,552</u> | | <u>15,61,588</u> | |
| 3. LESS : CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS | | | | | |
| a) Current Liabilities | 6 | 4,20,809 | | 4,24,558 | |
| b) Provisions | 6 | <u>3,27,818</u> | | <u>3,96,405</u> | |
| | | <u>7,48,627</u> | | <u>8,20,963</u> | |
| Net Current Assets | | | 7,78,925 | | 7,40,625 |
| 4. DEFERRED TAX ASSETS (NET) | | | | | |
| a) Deferred Tax Assets | 7 | 32,049 | | 27,390 | |
| b) Less :Deferred Tax Liability | 7 | <u>19,414</u> | <u>12,635</u> | <u>24,695</u> | 2,695 |
| Total | | | <u><u>13,74,062</u></u> | | <u><u>13,82,063</u></u> |
| 6. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES ON ACCOUNTS | 15 | | | | |

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

This is the Balance Sheet referred to in our separate report of even date.

For **RAJENDRA PRASAD**

CHARTERED ACCOUNTANTS

RAHUL KHANDELWAL
Partner

Membership No. 079628

Firm Regn. No.000203C

Place : Bhilai

Date : 02.07.2011

A. P. SHARMA
Company Secretary

K. MURALIDHARAN
Chief General Manager
(F&A)

B. B. SINGH
Director

ANTONY CHACKO
Managing Director

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

| | अनुसूची | 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 |
| क. आय | | | | | |
| क-1 सेवा प्रभार | 8 | | 16,07,844 | | 15,03,760 |
| क-2 अन्य आय | 9 | | 77,476 | | 82,341 |
| योग | | | 16,85,320 | | 15,86,101 |
| ख. व्यय | | | | | |
| ख-1 स्टोर्स तथा कल-पूजों की खपत | 10 | | 2,98,466 | | 2,66,150 |
| ख-2 विद्युत तथा जल | | | 7,107 | | 7,846 |
| ख-3 कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं अनुलाभ | 11 | | 6,14,280 | | 5,43,233 |
| ख-4 मरम्मत एवं अनुरक्षण | 12 | | 38,094 | | 34,177 |
| ख-5 ठेकेदारों द्वारा कार्य | | | 4,80,659 | | 3,63,253 |
| ख-6 अन्य व्यय | 13 | | 1,13,607 | | 1,56,081 |
| ख-7 बैंक उधारी पर ब्याज | | | 1,371 | | 12,090 |
| ख-8 अवक्षयण | 4 | | 1,15,458 | | 1,42,239 |
| योग | | | 16,69,042 | | 15,25,069 |
| वर्ष के लिए लाभ | | | 16,278 | | 61,032 |
| ख-9 पूर्वावधिक समायोजन (शुद्ध आय)/(व्यय) | 14 | | 1,523 | | (3,433) |
| ग. कराधन के पूर्व लाभ | | | 17,801 | | 57,599 |
| घ. कर हेतु प्रावधान | | | | | |
| घ-1 आयकर हेतु - सम्प्रति वर्ष | | 15,771 | | 47,078 | |
| - गत वर्ष | | — | 15,771 | — | 47,078 |
| घ-2 आस्थगित कर हेतु (शुद्ध (मद.स.8 निर्दिष्ट लेखाओं पर टिप्पण) | | | (9,940) | | (31,306) |
| घ-3 धन कर हेतु | | | — | 9 | 15,781 |
| ङ. करोपरांत लाभ | | | 11,970 | | 41,818 |
| जोड़े : पूर्व के वर्षों का अतिरिक्त प्रावधान अपलिखित | | | | | |
| ङ-1 आय कर | | | — | 1,367 | 1,367 |
| च. विनियोग हेतु उपलब्ध लाभ | | | 11,970 | | 43,185 |
| छ. शेष लाभ अग्रणीत | | | 1 | | 1 |
| ज. विनियोग हेतु उपलब्ध शुद्ध लाभ | | | 11,971 | | 43,186 |
| झ. विनियोग | | | | | |
| झ-1 प्रस्तावित लाभांश | 6 | | 4,000 | | 8,637 |
| झ-2 लाभांश पर कर | 6 | | 649 | | 1,469 |
| झ-3 सामान्य आरक्षित को अंतरित | 2 | | 7,321 | | 33,079 |
| झ-4 अधिशेष तुलन-पत्र को अग्रणीत | 2 | | 1 | | 1 |
| | | | 11,971 | | 43,186 |
| प्रति अंश उपाजन (साम्यांश रु. 1000/- प्रति फलक मूल्य) मौलिक तथा तनुकृत (रु.) | | | 598.47 | | 2090.86 |
| ञ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पण | 15 | | | | |

उक्त प्रारूप में संदर्भित अनुसूची लाभ एवं हानि खाता का अभिन्न भाग है।
यह सम तिथि के हमारे पृथक प्रतिवेदन में संदर्भित लाभ एवं हानि खाता है।

वास्ते **राजेन्द्र प्रसाद**
सनदी लेखापाल

राहुल खण्डेलवाल
साझेदार
सदस्यता क्र. 079628
फर्म पंजीकरण क्र. 000203C

ए. पी. शर्मा
कंपनी सचिव

के. मुरलीधरन
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

बी. बी सिंह
निदेशक

एन्टोनी चाको
प्रबंध निदेशक

स्थान : भिलाई
तिथि : 02.07.2011

FERRO SCRAP NIGAM LIMITED
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

| | Schedule | FOR THE YEAR ENDED | | FOR THE YEAR ENDED | |
|---|----------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | 31ST MARCH, 2011 | | 31ST MARCH, 2010 | |
| | | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 |
| A. INCOME | | | | | |
| A-1 Service Charges | 8 | | 16,07,844 | | 15,03,760 |
| A-2 Other Income | 9 | | 77,476 | | 82,341 |
| TOTAL | | | <u>16,85,320</u> | | <u>15,86,101</u> |
| B. EXPENDITURE | | | | | |
| B-1 Consumption of stores and spare parts | 10 | | 2,98,466 | | 2,66,150 |
| B-2 Electricity & water | | | 7,107 | | 7,846 |
| B-3 Employees remuneration and benefits | 11 | | 6,14,280 | | 5,43,233 |
| B-4 Repairs & maintenance : | 12 | | 38,094 | | 34,177 |
| B-5 Services through contractors | | | 4,80,659 | | 3,63,253 |
| B-6 Other Expenses | 13 | | 1,13,607 | | 1,56,081 |
| B-7 Interest on bank borrowings | | | 1,371 | | 12,090 |
| B-8 Depreciation | 4 | | 1,15,458 | | 1,42,239 |
| TOTAL | | | <u>16,69,042</u> | | <u>15,25,069</u> |
| PROFIT FOR THE YEAR | | | 16,278 | | 61,032 |
| B-9 Prior period adjustments (Net) Income/(Expenses) | 14 | | 1,523 | | (3,433) |
| C. PROFIT BEFORE TAXATION | | | 17,801 | | 57,599 |
| D. PROVISION FOR TAXATION | | | | | |
| D-1 For Income Tax - Current Year | | 15,771 | | 47,078 | |
| - Previous Year | | — | 15,771 | — | 47,078 |
| D-2 For Deferred Tax (Net) (Refer Item No.8-Notes on Accounts) | | | (9,940) | | (31,306) |
| D-3 For Wealth Tax | | | — | 9 | 15,781 |
| E. PROFIT AFTER TAX | | | 11,970 | | 41,818 |
| Add: Excess provision of earlier years written back | | | | | |
| E-1 Income Tax | | | — | 1,367 | 1,367 |
| F. PROFIT AVAILABLE FOR APPROPRIATION | | | 11,970 | | 43,185 |
| G. BALANCE PROFIT BROUGHT FORWARD | | | 1 | | 1 |
| H. NET PROFIT AVAILABLE FOR APPROPRIATION | | | <u>11,971</u> | | <u>43,186</u> |
| I. APPROPRIATION | | | | | |
| I-1 Proposed Dividend | 6 | | 4,000 | | 8,637 |
| I-2 Tax on Dividend | 6 | | 649 | | 1,469 |
| I-3 Transferred to General Reserve | 2 | | 7,321 | | 33,079 |
| I-4 Balance Carried to Balance Sheet | 2 | | 1 | | 1 |
| | | | <u>11,971</u> | | <u>43,186</u> |
| Earnings per Share (Equity Shares, Face value ₹ 1,000/- each Basic and diluted (₹)) | | | 598.47 | | 2090.86 |
| J. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES AND NOTES ON ACCOUNTS | 15 | | | | |

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.

This is the Profit and Loss Account referred to in our separate report of even date.

For **RAJENDRA PRASAD**

CHARTERED ACCOUNTANTS

RAHUL KHANDELWAL

Partner

Membership No. 079628

Firm Regn. No.000203C

Place : Bhilai

Date : 02.07.2011

A. P. SHARMA

Company Secretary

K. MURALIDHARAN

Chief General Manager

(F&A)

B. B. SINGH

Director

ANTONY CHACKO

Managing Director

दि. 31 मार्च, 2011 के तुलन-पत्र की भागरूप अनुसूचियाँ
अनुसूची - 1 : अंश पूँजी

| | 31 मार्च, 2011 की स्थिति | 31 मार्च, 2010 की स्थिति |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 1.1 प्राधिकृत | | |
| प्रति ₹ 1,000/- का 20,000 साम्यांश | 20,000 | 20,000 |
| 1.2 निर्गमन् | | |
| प्रति ₹ 1,000/- का 20,000 साम्यांश | 20,000 | 20,000 |
| 1.3 अभिदत्त एवं समादत्त | | |
| प्रति ₹ 1,000/- का 20,000 साम्यांश | 20,000 | 20,000 |
| पूर्णतः समादत्त | | |

उपरोक्त पर टिप्पणियाँ

- i) उपरोक्त में से, नकद के अलावे पूर्णतः समादत्त के रूप में प्रति ₹ 1,000/- का 5999 साम्यांश (गत वर्ष 5999) आवंटित किया गया।
- ii) नियंत्रि कंपनी एम एस टी सी लि० के पास समग्र साम्यांश पूँजी है।

अनुसूची - 2 : आरक्षित एवं अधिशेष

| | 31 मार्च, 2011 की स्थिति | | 31 मार्च, 2010 की स्थिति | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 1.1 आरक्षित पूँजी | | | | |
| अंतिम लेखानुरूप अधिशेष | | 3,736 | | 3,736 |
| 1.2 सामान्य आरक्षिति | | | | |
| अंतिम लेखानुरूप अधिशेष | 13,43,004 | | 13,09,925 | |
| जोड़े: लाभ एवं हानि खाता से अंतरित | 7,321 | 13,50,325 | 33,079 | 13,43,004 |
| लाभ एवं हानि खाता अनुसार अधिशेष | | 1 | | 1 |
| योग | | 13,54,062 | | 13,46,741 |

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2011

SCHEDULE - 1 : SHARE CAPITAL

| | AS AT 31ST MARCH, 2011 | AS AT 31ST MARCH, 2010 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 1.1 Authorised. | | |
| 20,000 Equity Shares of ₹ 1000/- each. | 20,000 | 20,000 |
| 1.2 Issued. | | |
| 20,000 Equity Shares of ₹ 1000/- each. | 20,000 | 20,000 |
| 1.3 Subscribed and paid up. | | |
| 20,000 Equity Shares of ₹ 1000/- each. fully paid up. | <u>20,000</u> | <u>20,000</u> |

NOTES ON THE ABOVE

- i) Of the above, 5,999 (Previous year, 5,999) Equity Shares of ₹ 1,000/- each were allotted as fully paid up for consideration other than cash.
- ii) Entire equity share capital is held by MSTC Limited, the Holding Company.

SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

| | AS AT 31ST MARCH, 2011 | AS AT 31ST MARCH, 2010 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 1.1 CAPITAL RESERVE | | |
| Balance as per last account | 3,736 | 3,736 |
| 1.2 GENERAL RESERVE | | |
| Balance as per last account | 13,43,004 | 13,09,925 |
| Add: Transferred from Profit & Loss Account | <u>7,321</u> | <u>33,079</u> |
| Surplus as per Profit & Loss Account | 1 | 1 |
| TOTAL | <u>13,54,062</u> | <u>13,46,741</u> |

दि. 31 मार्च, 2011 के तुलन-पत्र की भागरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची - 3 : ऋण निधियाँ

| प्रतिभूत ऋण | 31 मार्च, 2011 की स्थिति | | 31 मार्च, 2010 की स्थिति | |
|--|-----------------------------|--------|-----------------------------|---------------|
| | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 |
| निम्न के साथ जमाओं के विरुद्ध ऋण/ओवरड्राफ्ट: | | | | |
| यूको बैंक, भिलाई* (पूर्ववती ₹ 1,70,000 हजार के मियादी जमाओं का गिरवी द्वारा प्रतिभूत) | — | | 6,437 | |
| इण्डियन बैंक, भिलाई (₹ 24,000 हजार के मियादी जमाओं का गिरवी द्वारा प्रतिभूत, गत वर्ष ₹ 89,100 हजार) | — | — | 8,885 | 15,322 |
| योग: | | | | 15,322 |

वर्ष के दौरान सीमा संकीर्ण

दि. 31 मार्च, 2011 का तुलन-पत्र तथा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता की भागरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची - 4 : स्थायी आस्तियाँ

| आस्तियाँ | सकल संचय | | | | अवमूल्यन | | | | शुद्ध संचय | |
|--|---------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 01 अप्रैल 10 को ₹ '000 | वर्ष के दौरान परिवर्धन ₹ '000 | वर्ष के दौरान समायोजन/विक्रय/तोप ₹ '000 | 31 मार्च 11 को ₹ '000 | 31 मार्च 10 तक ₹ '000 | वर्ष के लिए ₹ '000 | वर्ष के दौरान समायोजन/विक्रय/तोप ₹ '000 | 31 मार्च 11 तक ₹ '000 | 31 मार्च 11 को ₹ '000 | 31 मार्च 10 को ₹ '000 |
| 1. पट्टाधृत भूमि | 413 | — | — | 413 | 267 | 12 | — | 279 | 134 | 146 |
| 2. भवन | 37,355 | 340 | 284 | 37,411 | 11,268 | 1,088 | 36 | 12,320 | 25,091 | 26,087 |
| 3. संयंत्र एवं मशीनरी | | | | | | | | | | |
| 3.1 उपस्कर | 15,76,098 | 72,538 | 24,132 | 16,24,504 | 11,03,699 | 92,013 | 22,926 | 11,72,786 | 4,51,718 | 4,72,399 |
| 3.2 गरम स्लैग हैण्डलिंग में संयंत्र व उपस्करों का इस्तेमाल | 1,36,650 | — | — | 1,36,650 | 77,671 | 17,045 | — | 94,716 | 41,934 | 58,979 |
| 3.3 अधिष्ठापन | 28,601 | — | — | 28,601 | 20,988 | 1,158 | — | 22,146 | 6,455 | 7,613 |
| 3.4 कर्मशाला उपस्कर | 16,646 | 829 | — | 17,475 | 14,668 | 324 | — | 14,992 | 2,483 | 1,978 |
| 4. कार्यालय उपस्कर तथा संगणक | 20,012 | 3,096 | — | 23,108 | 15,378 | 1,406 | — | 16,784 | 6,324 | 4,634 |
| 5. फर्नीचर एवं जुड़नार | 6,705 | — | — | 6,705 | 5,072 | 158 | — | 5,230 | 1,475 | 1,633 |
| 6. वाहन | 32,764 | 533 | 141 | 33,156 | 22,603 | 2,254 | 134 | 24,723 | 8,433 | 10,161 |
| वर्ष का योग | 18,55,244 | 77,336 | 24,557 | 19,08,023 | 12,71,614 | 1,15,458 | 23,096 | 13,63,976 | 5,44,047 | 5,83,630 |
| गत वर्ष का योग | 17,53,783 | 1,01,461 | — | 18,55,244 | 11,29,375 | 1,42,240 | — | 12,71,614 | 5,83,630 | 6,24,408 |
| निपटान हेतु धारित आस्तियाँ | | | | | | | | | | |
| सम्प्रति वर्ष | 10,576 | 1,228 | 610 | 11,194 | | | | | | |
| गत वर्ष | 10,576 | — | — | 10,576 | | | | | | |
| कार्यानुगत पूंजी | | | | | | | | | | |
| सम्प्रति वर्ष | 44,537 | 12,516 | 29,792 | 27,261 | | | | | | |
| गत वर्ष | 20,549 | 45,796 | 21,808 | 44,537 | | | | | | |

राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, विजाग, दुर्गापुर, डोलवी, डुबरी तथा राँची में वे भूखंड, जिनपर कंपनी का संयंत्र एवं भवन है, न तो पूर्ण स्वामित्व में हैं और न ही पट्टाधृत हैं। कंपनी ने सेवा अनुबंधों के भाग के रूप में भू-स्वामियों से निःशुल्क उपयोग करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। जबकि, कंपनी ने सेल, बी.एस.पी. से दि. 29 दिसम्बर, 1988 के प्रभाव से 33 वर्षों के शक्यत पट्टे पर भूमि को अर्जित किया है जिसपर पंजीकृत कार्यालय भवन का निर्माण किया गया है जिसकी पट्टा अवधि की समाप्ति पर समानुपातिक क्रमिक परिशोधन किया जाएगा।

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2011

SCHEDULE - 3 : LOAN FUNDS

| | AS AT | | AS AT | |
|--|------------------|-------|------------------|--------|
| | 31ST MARCH, 2011 | | 31ST MARCH, 2010 | |
| SECURED LOANS | ₹'000 | ₹'000 | ₹'000 | ₹'000 |
| LOANS/OVERDRAFT AGAINST DEPOSIT WITH : | | | | |
| UCO Bank, Bhilai* (Previously Secured by pledge of Term Deposits of ₹ 1,70,000 thousand) | — | — | 6,437 | — |
| Indian Bank, Bhilai (Secured by pledge of Term Deposits of ₹ 24,000 thousand – Previous Year – ₹ 89,100 thousand) | — | — | 8,885 | 15,322 |
| TOTAL: | | — | | 15,322 |

* Limit Closed during the year

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2011 AND PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

SCHEDULE - 4 : FIXED ASSETS

| ASSETS | GROSS BLOCK | | | | DEPRECIATION | | | | NET BLOCK | |
|---|--------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | As at 1 Apr. 10 | Additions during the year | Adjustment /Sales/ deletion during the year | As at 31 Mar. 11 | Up to 31 Mar. 10 | For The Year | Adjustment/ sales/ deletion during the year | Up to 31 Mar. 11 | As at 31 Mar. 11 | As at 31 Mar. 10 |
| | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 1. Leasehold Land | 413 | — | — | 413 | 267 | 12 | — | 279 | 134 | 146 |
| 2. Building | 37,355 | 340 | 284 | 37,411 | 11,268 | 1,088 | 36 | 12,320 | 25,091 | 26,087 |
| 3. Plant & Machinery | | | | | | | | | | |
| 3.1 Equipment | 15,76,098 | 72,538 | 24,132 | 16,24,504 | 11,03,699 | 92,013 | 22,926 | 11,72,786 | 4,51,718 | 4,72,399 |
| 3.2 Plant & Equipment used at Hot Slag Handling | 1,36,650 | — | — | 1,36,650 | 77,671 | 17,045 | — | 94,716 | 41,934 | 58,979 |
| 3.3 Installation | 28,601 | — | — | 28,601 | 20,988 | 1,158 | — | 22,146 | 6,455 | 7,613 |
| 3.4 Shop Equipment | 16,646 | 829 | — | 17,475 | 14,668 | 324 | — | 14,992 | 2,483 | 1,978 |
| 4. Office Equipment & Computers | 20,012 | 3,096 | — | 23,108 | 15,378 | 1,406 | — | 16,784 | 6,324 | 4,634 |
| 5. Furniture & Fixtures | 6,705 | — | — | 6,705 | 5,072 | 158 | — | 5,230 | 1,475 | 1,633 |
| 6. Vehicles | 32,764 | 533 | 141 | 33,156 | 22,603 | 2,254 | 134 | 24,723 | 8,433 | 10,161 |
| Total this year | 18,55,244 | 77,336 | 24,557 | 19,08,023 | 12,71,614 | 1,15,458 | 23,096 | 13,63,976 | 5,44,047 | 5,83,630 |
| Total previous year | 17,53,783 | 1,01,461 | — | 18,55,244 | 11,29,375 | 1,42,240 | — | 12,71,614 | 5,83,630 | 6,24,408 |
| Assets held for disposal | | | | | | | | | | |
| Current Year | 10,576 | 1,228 | 610 | 11,194 | | | | | | |
| Previous Year | 10,576 | — | — | 10,576 | | | | | | |
| CAPITAL WORK IN PROGRESS | | | | | | | | | | |
| Current Year | 44,537 | 12,516 | 29,792 | 27,261 | | | | | | |
| Previous Year | 20,549 | 45,796 | 21,808 | 44,537 | | | | | | |
| <p>The land on which the plant and building of the company are situated at Rourkela, Burnpur, Bhilai, Bokaro, Vizag, Durgapur, Dolvi, Duburi and Ranchi are neither freehold nor leasehold. The company has acquired right of free use from the land holders as a part of service agreement. The company has however, acquired leasehold land from SAIL, B.S.P., on perpetual lease of 33 years with effect from 29th December, 1988 on which the Registered Office building has been constructed which is being amortised proportionately over the lease period.</p> | | | | | | | | | | |

दि. 31 मार्च, 2011 के तुलन-पत्र की भागरूप अनुसूचियाँ
अनुसूची - 5 : वर्तमान आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

| | 31 मार्च, 2011 की स्थिति | | 31 मार्च, 2010 की स्थिति | |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 1. वर्तमान आस्तियाँ | | | | |
| 1.1 वस्तु सूचियाँ (जैसा कि प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित एवं प्रमाणित है) | | | | |
| (क) भंडारण एवं कल-पूर्जे घटावें: गैर चलित स्टोर्स हेतु समायोजन | 89,293 | | 1,08,192 | |
| (ख) खुले औजार | 10,352 | 78,941 | 10,597 | 97,595 |
| (ग) मुद्रण एवं लेखन सामग्रियाँ | | 290 | | 267 |
| (घ) पारगमन में भंडारण एवं कल-पूर्जे | | 785 | | 713 |
| (ङ) असमंजस स्टॉक | | 5,580 | | 3,261 |
| | | 2,570 | | 1,925 |
| | | 88,166 | | 1,03,761 |
| 1.2 स्क्रेप मर्दे/अनावश्यक माने गए एवं निपटान हेतु प्रतीक्षित | | | | |
| (क) भंडारण एवं कल-पूर्जे | | 388 | | 388 |
| 1.3 अन्यान्य ऋणी (अप्रतिभूत) | | | | |
| (क) छः माह से अधिक अवधि हेतु परादेय ऋण उपयुक्त माना गया | | 56,366 | | 21,988 |
| संदिग्ध माना गया | | 1,109 | | 2,194 |
| | | 57,475 | | 24,182 |
| घटावें: संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान | | 1,109 | | 2,194 |
| | | 56,366 | | 21,988 |
| (ख) उपयुक्त माना गया अन्य ऋण | | 2,70,268 | 3,26,634 | 3,83,784 |
| 1.4 इस्पात संयंत्रों के पास सुरक्षा जमा | | | 14,487 | 5,945 |
| 1.5 नकद एवं बैंक अधिशेष | | | | |
| (क) हाथ में नकद | | 578 | | 591 |
| (ख) अधिसूचित बैंकों में नकद साख/ओवरड्राफ्ट खाताओं में चालू खाताओं में | | 63,365 | | 13,840 |
| मियादी जमा खाताओं में | | 22,093 | | 69,591 |
| मियादी जमा पर प्रोद्भूत व्याज | | 8,12,958 | | 7,40,129 |
| (₹1000/- हजार की उपांतिक मुद्रा सहित) | | 30,172 | | 14,235 |
| (ग) पारगमन में विप्रेषण | | — | 9,29,166 | 1,000 |
| 8,39,386 | | | | |
| 2. ऋण एवं अग्रिम | | | | |
| (जब तक अन्यथा न कहा गया, अप्रतिभूत एवं उपयुक्त माना गया) | | | | |
| 2.1 कर्मचारियों को वाहन ऋण हेतु प्रोद्भूत व्याज सहित ऋण (संबंधित वाहनों को बन्धक कर सुरक्षित किया गया) | | 16 | | 17 |
| 2.2 नकद अथवा वस्तु रूप में प्राप्त होने वाले या मूल्यार्थ में उगाही किए जाने वाले अग्रिम एवं अन्य रकम | | | | |
| (क) कर्मचारियों से | 18,646 | | 48,896 | |
| (ख) अन्य से | | | | |
| उपयुक्त माना गया | 21,417 | | 27,287 | |
| संदिग्ध माना गया | 23,742 | | 23,762 | |
| | 45,159 | | 51,049 | |
| घटावें: संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान | | 23,742 | | 23,762 |
| | 21,417 | 40,063 | 27,287 | 76,183 |
| 2.3 सेवा कर प्रतिदावा | | 21,819 | | 22,746 |
| 2.4 सरकारी विभागों एवं अन्य लोक निकायों के पास जमा | | 5,216 | | 4,284 |
| 2.5 अग्रिम आयकर भुगतान तथा स्त्रोत पर आयकर कटौती | | 1,00,593 | | 1,02,102 |
| 2.6 आयकर वापसी दय (एकबीटी) | | 1,004 | 1,68,711 | 1,004 |
| योग | | 15,27,552 | | 15,61,588 |

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2011

SCHEDULE - 5 : CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

| | AS AT | | AS AT | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 31ST MARCH, 2011 | 31ST MARCH, 2010 | 31ST MARCH, 2011 | 31ST MARCH, 2010 |
| | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 1. CURRENT ASSETS | | | | |
| 1.1 Inventories (as taken valued and certified by the management) | | | | |
| (a) Stores and Spares Parts | 89,293 | | | 1,08,192 |
| Less : Adjustment for Non Moving Stores | 10,352 | 78,941 | 10,597 | 97,595 |
| (b) Loose Tools | | 290 | | 267 |
| (c) Printing and Stationary Items | | 785 | | 713 |
| (d) Stores and Spare Parts in Transit | | 5,580 | | 3,261 |
| (e) Stock Suspense | | 2,570 | | 1,925 |
| | | 88,166 | | 1,03,761 |
| 1.2 Items Scrapped/Considered Redundant and awaiting disposal | | | | |
| (a) Stores and Spare Parts | | 388 | 88,554 | 388 |
| 1.3 Sundry Debtors | | | | |
| (a) Debts outstanding for a period exceeding six months | | | | |
| Considered Good | | 56,366 | | 21,988 |
| Considered Doubtful | | 1,109 | | 2,194 |
| | | 57,475 | | 24,182 |
| Less:Provision for Doubtful Debts | | 1,109 | | 2,194 |
| | | 56,366 | | 21,988 |
| (b) Other Debts Considered Good | | 2,70,268 | 3,26,634 | 3,83,784 |
| 1.4 Security Deposit with Steel Plants | | | 14,487 | 5,945 |
| 1.5 Cash and Bank Balance | | | | |
| (a) Cash in Hand | | 578 | | 591 |
| (b) With Scheduled Banks | | | | |
| In Cash Credit/Overdraft Accounts | | 63,365 | | 13,840 |
| In Current Accounts | | 22,093 | | 69,591 |
| In Term Deposit Accounts | | 8,12,958 | | 7,40,129 |
| Interest accrued on Term Deposits (Including Margin money of ₹ 1000 thousand) | | 30,172 | | 14,235 |
| (c) Remittances in Transit | | — | 9,29,166 | 1,000 |
| 2. LOANS AND ADVANCES | | | | |
| (Unsecured and considered good unless stated otherwise) | | | | |
| 2.1 Loan to employees for purchase of vehicles including interest accrued (Secured by hypothecation of the respective vehicles) | | 16 | | 17 |
| 2.2 Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received | | | | |
| a) Employees | | 18,646 | | 48,896 |
| b) Others | | | | |
| Considered good | | 21,417 | | 27,287 |
| Considered doubtful | | 23,742 | | 23,762 |
| | | 45,159 | | 51,049 |
| Less : Provision for doubtful advances | | 23,742 | | 23,762 |
| | | 21,417 | 40,063 | 27,287 |
| 2.3 Service Tax set off | | 21,819 | | 22,746 |
| 2.4 Deposits with Government Departments and other Public Bodies | | 5,216 | | 4,284 |
| 2.5 Advance Income Tax payments and Income Tax deducted at source | | 1,00,593 | | 1,02,102 |
| 2.6 Income Tax Refund due (FBT) | | 1,004 | 1,68,711 | 1,004 |
| TOTAL | | | 15,27,552 | 15,61,588 |

दि. 31 मार्च, 2011 के तुलन-पत्र की भागरूप अनुसूचियाँ
अनुसूची - 6: वर्तमान दायित्व तथा प्रावधान

| | 31 मार्च, 2011 की स्थिति | | | | 31 मार्च, 2010 की स्थिति | |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 |
| क. वर्तमान दायित्व | | | | | | |
| क-1 माल एवं सेवाओं हेतु विविध लेनदार | | | | | | |
| i) लघु औद्योगिक उपक्रम | 434 | | | 1,290 | | |
| ii) अन्य | <u>2,72,144</u> | <u>2,72,578</u> | | <u>3,32,465</u> | 3,33,755 | |
| क-2 क.प.अ.यो.के विरुद्ध भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा जमा | | <u>26,639</u> | | | 21,579 | |
| क-3 कानूनी दायित्व | | <u>67,326</u> | | | 36,437 | |
| क-4 वेतन तथा मजदूरी | | <u>24,018</u> | | | 15,937 | |
| क-5 अन्य दायित्व | | <u>30,248</u> | <u>4,20,809</u> | | <u>16,850</u> | 4,24,558 |
| ख. प्रावधान | | | | | | |
| ख-1 प्रस्तावित लाभांश हेतु | | <u>4,000</u> | | | 8,637 | |
| ख-2 आयकर के लिए प्रावधान हेतु | | <u>62,683</u> | | | 47,078 | |
| ख-3 अवकाश नकदीकरण हेतु | | <u>1,15,226</u> | | | 89,932 | |
| ख-4 सेवानिवृत्ति अनुलाभ हेतु | | <u>3,671</u> | | | 3,582 | |
| ख-5 सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा अनुलाभ हेतु | | <u>49,340</u> | | | 39,566 | |
| ख-6 दीर्घ सेवा पुरस्कार हेतु | | <u>443</u> | | | 435 | |
| ख-7 कर्मचारी परिवार अनुलाभ योजना हेतु | | <u>35,475</u> | | | 35,682 | |
| ख-8 प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश कर हेतु | | <u>649</u> | | | 1,469 | |
| ख-9 धन कर हेतु | | — | | | 9 | |
| ख-10 वेतन पुनरीक्षण हेतु | | <u>47,017</u> | | | 1,52,298 | |
| ख-11 उपादान हेतु | | — | | | 7,766 | |
| ख-12 अतिरिक्त संसाधन जनन योजना हेतु | | <u>5,458</u> | | | 5,704 | |
| ख-13 इनवेन्टरी की अधिकता/कमी हेतु | | <u>2,576</u> | | | 1,942 | |
| ख-14 अन्य | | <u>1,280</u> | <u>3,27,818</u> | | <u>2,305</u> | <u>3,96,405</u> |
| योग: | | <u><u>7,48,627</u></u> | | | <u><u>8,20,963</u></u> | |

अनुसूची - 7: आस्थगित कर दायित्व

| | 31 मार्च, 2011 की स्थिति | | 31 मार्च, 2010 की स्थिति | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 1. आस्थगित कर दायित्व | 19,414 | | 24,695 | |
| 2. आस्थगित कर आस्तियाँ | 32,049 | | 27,390 | |
| | | <u>(12,635)</u> | | <u>(2,695)</u> |
| आस्थगित कर दायित्व/(आस्तियाँ) | | <u><u>(12,635)</u></u> | | <u><u>(2,695)</u></u> |

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2011

SCHEDULE - 6 : CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

| | AS AT | | AS AT | | |
|---|------------------|------------------------|------------------|------------------------|----------|
| | 31ST MARCH, 2011 | | 31ST MARCH, 2010 | | |
| | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | |
| A. CURRENT LIABILITIES | | | | | |
| A-1 Sundry Creditors for goods and services | | | | | |
| i) Small Scale Industrial Undertakings | 434 | | 1,290 | | |
| ii) Others | <u>2,72,144</u> | <u>2,72,578</u> | <u>3,32,465</u> | 3,33,755 | |
| A-2 Deposit from Ex-employees against EFB Scheme | | <u>26,639</u> | | 21,579 | |
| A-3 Statutory Liabilities | | <u>67,326</u> | | 36,437 | |
| A-4 Salary & Wages | | <u>24,018</u> | | 15,937 | |
| A-5 Other Liabilities | | <u>30,248</u> | <u>4,20,809</u> | <u>16,850</u> | 4,24,558 |
| B. PROVISIONS | | | | | |
| B-1 For Proposed Dividend | | <u>4,000</u> | | 8,637 | |
| B-2 For Provision Income Tax | | <u>62,683</u> | | 47,078 | |
| B-3 For Leave Encashment | | <u>1,15,226</u> | | 89,932 | |
| B-4 For Retirement Benefits | | <u>3,671</u> | | 3,582 | |
| B-5 For Post Retirement Medical Benefit | | <u>49,340</u> | | 39,566 | |
| B-6 For Long Service Award | | <u>443</u> | | 435 | |
| B-7 For Employees' Family Benefit Scheme | | <u>35,475</u> | | 35,682 | |
| B-8 For Dividend Tax on Proposed Dividend | | <u>649</u> | | 1,469 | |
| B-9 For Wealth Tax | | — | | 9 | |
| B-10 For Wage Revision | | <u>47,017</u> | | 1,52,298 | |
| B-11 For Gratuity | | — | | 7,766 | |
| B-12 For Additional Resources Generation Scheme | | <u>5,458</u> | | 5,704 | |
| B-13 For Excess/Shortage of Inventory | | <u>2,576</u> | | 1,942 | |
| B-14 Others | | <u>1,280</u> | <u>3,27,818</u> | <u>2,305</u> | 3,96,405 |
| TOTAL | | <u><u>7,48,627</u></u> | | <u><u>8,20,963</u></u> | |

SCHEDULE - 7 : DEFERRED TAX LIABILITIES

| | AS AT | | AS AT | |
|---|------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| | 31ST MARCH, 2011 | | 31ST MARCH, 2010 | |
| | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 1. DEFERRED TAX LIABILITIES | 19,414 | | 24,695 | |
| 2. DEFERRED TAX ASSETS | 32,049 | | 27,390 | |
| | | (12,635) | | (2,695) |
| DEFERRED TAX LIABILITIES /(ASSETS) | | <u><u>(12,635)</u></u> | | <u><u>(2,695)</u></u> |

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता की भागरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची - 8 : सेवा प्रभार

| | 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए |
|------------------------------------|---|---|
| | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 1. स्क्रेप रिकवरी हेतु सेवा प्रभार | 14,42,807 | 13,24,430 |
| 2. अन्य सेवाएँ | 1,65,037 | 1,79,330 |
| योग: | 16,07,844 | 15,03,760 |

अनुसूची - 9 : अन्य आय

| | 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--|---|---|
| | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 1. मियादी जमाओं पर ब्याज-सकल (स्रोत पर कर कटौती ₹ 55,32,474/- - गत वर्ष ₹ 98,36,670/-) | 52,892 | 76,490 |
| 2. कर्मचारीवृन्द के ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज | 8 | 12 |
| 3. परिनिर्धारित क्षति एवं अन्य उगाही | 659 | 974 |
| 4. विविध आय | 4,744 | 211 |
| 5. कर्मचारीवृन्द को निर्गत सामग्रियों से प्राप्त | 7 | — |
| 6. आयकर वापसी पर ब्याज | 6,222 | — |
| 7. प्रावधान, जिसके दीर्घतर की आवश्यकता नहीं, अपलिखित | 12,311 | 4,654 |
| 8. स्थायी आस्तियों के निपटान पर नफा | 633 | — |
| योग: | 77,476 | 82,341 |

SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

SCHEDULE - 8 : SERVICE CHARGES

| | FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011 | FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010 |
|---------------------------------------|--|--|
| | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 1. Service Charges for Scrap Recovery | 14,42,807 | 13,24,430 |
| 2. Other Service | 1,65,037 | 1,79,330 |
| TOTAL: | <u><u>16,07,844</u></u> | <u><u>15,03,760</u></u> |

SCHEDULE - 9 : OTHER INCOME

| | FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011 | FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010 |
|---|--|--|
| | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 1. Interest on Term Deposits-Gross (TDS ₹ 55,32,474/- Previous year ₹ 98,36,670/-) | 52,892 | 76,490 |
| 2. Interest accrued on loan to employees | 8 | 12 |
| 3. Liquidated damages and other recoveries | 659 | 974 |
| 4. Miscellaneous Income | 4,744 | 211 |
| 5. Receipt from materials issued to employees | 7 | — |
| 6. Interest on Income Tax Refund | 6,222 | — |
| 7. Provision no longer required written back | 12,311 | 4,654 |
| 8. Gain on disposal of fixed assets | 633 | — |
| TOTAL: | <u><u>77,476</u></u> | <u><u>82,341</u></u> |

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता की भागरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची - 10: स्टोर्स तथा कल-पूर्जों की खपत

| | 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|-------------------------|---|--|---|--|
| | ₹ '000 | | ₹ '000 | |
| 1. लान्सिंग ट्यूब | 4,616 | | 4,470 | |
| 2. ऑक्सीजन तथा एसिटिलिन | 34,195 | | 32,466 | |
| 3. स्नेहक तेल | 23,904 | | 23,703 | |
| 4. डीजल तथा गैसोलिन | 1,25,806 | | 1,07,164 | |
| 5. स्टोर्स तथा कल-पूर्ज | 1,09,945 | | 98,347 | |
| योग: | 2,98,466 | | 2,66,150 | |

अनुसूची - 11: कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा अनुलाभ

| | 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|--|---|--------|---|--------|
| | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 1. वेतन, मजदूरी एवं भत्ते | 4,51,837 | | 4,25,962 | |
| 2. भविष्य निधि तथा पेन्शन निधि में अंशदान | 57,887 | | 35,222 | |
| 3. उपादान | | | | |
| 3.1 उपादान निधि में अंशदान | 30,000 | | 15,001 | |
| 3.2 भूतपूर्व कर्मचारियों हेतु उपादान के लिए प्रावधान | — | 30,000 | 7,766 | 22,767 |
| 4. कर्मचारी कल्याण | | | | |
| 4.1 चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति | 19,102 | | 19,507 | |
| 4.2 कर्मचारी अवकाश यात्रा व्यय | 3,899 | | 4,198 | |
| 4.3 अन्य कल्याण | 51,555 | 74,556 | 35,577 | 59,282 |
| योग: | 6,14,280 | | 5,43,233 | |

अनुसूची - 12: मरम्मत एवं अनुरक्षण

| | 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|------------------------|---|--|---|--|
| | ₹ '000 | | ₹ '000 | |
| 1. संयंत्र एवं मशीनरी | 33,377 | | 29,639 | |
| 2. भवन | 3,230 | | 2,712 | |
| 3. कार्यालय उपस्कर | 792 | | 842 | |
| 4. वाहन | 681 | | 910 | |
| 5. फर्नीचर तथा जुड़नार | 14 | | 74 | |
| योग: | 38,094 | | 34,177 | |

SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

SCHEDULE - 10 : CONSUMPTION OF STORES AND SPARE PARTS

| | FOR THE YEAR | |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| | ENDED 31ST MARCH, 2011 | ENDED 31ST MARCH, 2010 |
| | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 1. Lancing Tubes | 4,616 | 4,470 |
| 2. Oxygen And Acetylene | 34,195 | 32,466 |
| 3. Lubricants | 23,904 | 23,703 |
| 4. Diesel And Gasolene | 1,25,806 | 1,07,164 |
| 5. Stores And Spare Parts | 1,09,945 | 98,347 |
| TOTAL | 2,98,466 | 2,66,150 |

SCHEDULE - 11 : EMPLOYEES REMUNERATION AND BENEFITS

| | FOR THE YEAR | | FOR THE YEAR | |
|---|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | ENDED 31ST MARCH, 2011 | | ENDED 31ST MARCH, 2010 | |
| | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 1. SALARIES, WAGES & ALLOWANCES | | 4,51,837 | | 4,25,962 |
| 2. CONTRIBUTION TO PROVIDENT AND PENSION FUND | | 57,887 | | 35,222 |
| 3. GRATUITY | | | | |
| 3.1 Contribution to Gratuity Fund | 30,000 | | 15,001 | |
| 3.2 Provision for Gratuity for Ex-employees | — | 30,000 | 7,766 | 22,767 |
| 4. STAFF WELFARE | | | | |
| 4.1 Reimbursement of Medical Expenses | 19,102 | | 19,507 | |
| 4.2 Employees Leave Travel Expenses | 3,899 | | 4,198 | |
| 4.3 Other Welfare | 51,555 | 74,556 | 35,577 | 59,282 |
| TOTAL | | 6,14,280 | | 5,43,233 |

SCHEDULE - 12 : REPAIRS AND MAINTENANCE

| | FOR THE YEAR | |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| | ENDED 31ST MARCH, 2011 | ENDED 31ST MARCH, 2010 |
| | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 1. Plant and Machinery | 33,377 | 29,639 |
| 2. Building | 3,230 | 2,712 |
| 3. Office Equipment | 792 | 842 |
| 4. Vehicles | 681 | 910 |
| 5. Furniture and Fixtures | 14 | 74 |
| TOTAL | 38,094 | 34,177 |

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता की भागरूप अनुसूचियाँ
अनुसूची - 13: अन्य व्यय

| | 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|----------|---|----------|
| | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 1. उपस्कर भाटक | | 53,219 | | 65,616 |
| 2. दर, कर तथा अनुज्ञप्तियाँ | | 1,755 | | 2,179 |
| 3. बीमा | | 2,279 | | 1,862 |
| 4. माल भाड़ा | | 1,582 | | 3,399 |
| 5. यात्रा | | | | |
| 5.1 निदेशक की यात्रा | 961 | | 837 | |
| 5.2 अन्य यात्रा | 10,486 | 11,447 | 9,518 | 10,355 |
| 6. मनोरंजन | | 219 | | 278 |
| 7. प्राप्य डूबंत एवं संदिग्ध ऋणों, अग्रिमों तथा दावा अपलिखित | | | | |
| 7.1 डूबंत ऋण | — | | 2,685 | |
| 7.2 ऋण एवं अग्रिम | — | — | 908 | 3,593 |
| 8. अग्नि के कारण स्टोर्स का घाटा | | — | | 880 |
| 9. अग्नि के कारण घाटा हेतु प्रावधान | | — | | 53 |
| 10. डूबंत व संदिग्ध ऋणों, अग्रिमों एवं प्राप्य दावाओं हेतु प्रावधान | | | | |
| 10.1 डूबंत व संदिग्ध ऋणों, दावाओं हेतु प्रावधान | — | | 25,285 | |
| 10.2 डूबंत व संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों हेतु प्रावधान | — | — | 19 | 25,304 |
| 11. स्टोर्स में कमी/वृद्धि हेतु प्रावधान | | 645 | | 664 |
| 12. अपलिखित स्थायी आस्तियों/स्टोर्स के मूल्य में घटाव | | | | |
| 12.1 स्टोर्स | 1,125 | | 1,502 | |
| 12.2 स्थायी आस्तियाँ | 258 | 1,383 | — | 1,502 |
| 13. विविध व्यय | | | | |
| 13.1 बैंक प्रभार | 423 | | 567 | |
| 13.2 संचार व्यय | 2,155 | | 2,006 | |
| 13.3 मुद्रण तथा स्टेशनरी | 1,370 | | 1,362 | |
| 13.4 विधिक व्यय | 28 | | 34 | |
| 13.5 व्यावसायिक शुल्क | 4,128 | | 5,558 | |
| 13.6 विज्ञापन | 1,526 | | 1,191 | |
| 13.7 विलम्ब शुल्क | 48 | | 217 | |
| 13.8 प्रशिक्षण व्यय | 368 | | 366 | |
| 13.9 सेवा कर पर ब्याज | — | | 772 | |
| 13.10 सुरक्षा सेवाएँ | 14,780 | | 13,499 | |
| 13.11 ठेकेदारों द्वारा अन्य कार्य | 7,552 | | 7,738 | |
| 13.12 अन्य सेवाएँ | 1,083 | | 628 | |
| 13.13 प्रचार | — | | 372 | |
| 13.14 सेवा कर भुगतान | 104 | | 276 | |
| 13.15 वाहन का नियमित व्यय | 908 | | 1,001 | |
| 13.16 नानाविध | 6,420 | 40,893 | 4,624 | 40,211 |
| 14. लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक | | | | |
| 14.1 वैधानिक लेखा परीक्षण शुल्क | 65 | | 65 | |
| 14.2 वास्तविक व्यय | 100 | | 100 | |
| 14.3 कर लेखा परीक्षण शुल्क | 15 | | 15 | |
| 14.4 प्रमाणीकरण हेतु | 5 | 185 | 5 | 185 |
| योग: | | 1,13,607 | | 1,56,081 |

SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

SCHEDULE - 13 : OTHER EXPENSES

| | FOR THE YEAR | | FOR THE YEAR | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | ENDED 31ST MARCH, 2011 | ENDED 31ST MARCH, 2010 | ENDED 31ST MARCH, 2011 | ENDED 31ST MARCH, 2010 |
| | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 |
| 1. EQUIPMENT RENTAL | | 53,219 | | 65,616 |
| 2. RATES, TAXES AND LICENSES | | 1,755 | | 2,179 |
| 3. INSURANCE | | 2,279 | | 1,862 |
| 4. FREIGHT | | 1,582 | | 3,399 |
| 5. TRAVELLING | | | | |
| 5.1 Directors Travelling | 961 | | 837 | |
| 5.2 Other Travelling | <u>10,486</u> | <u>11,447</u> | <u>9,518</u> | 10,355 |
| 6. ENTERTAINMENT | | 219 | | 278 |
| 7. BAD AND DOUBTFUL DEBTS, ADVANCES & CLAIMS RECEIVABLE WRITTEN OFF | | | | |
| 7.1 Bad Debts | — | | 2,685 | |
| 7.2 Loans & Advances | — | — | <u>908</u> | 3,593 |
| 8. LOSS OF STORES DUE TO FIRE | | — | | 880 |
| 9. PROVISION FOR LOSSES DUE TO FIRE | | — | | 53 |
| 10. PROVISION FOR BAD & DOUBTFUL DEBTS, ADVANCES AND CLAIMS RECEIVABLE | | | | |
| 10.1 Provision for Bad & Doubtful Debt, Claims | — | | 25,285 | |
| 10.2 Provision for Bad & Doubtful Loan And Advances | — | — | <u>19</u> | 25,304 |
| 11. PROVISION FOR SHORTAGE/EXCESS IN THE STORES | | 645 | | 664 |
| 12. DIMINUTION IN THE VALUE OF FIXED ASSETS/ STORES WRITTEN OFF | | | | |
| 12.1 Stores | 1,125 | | 1,502 | |
| 12.2 Fixed Assets | <u>258</u> | <u>1,383</u> | — | 1,502 |
| 13. MISCELLANEOUS EXPENSES | | | | |
| 13.1 Bank Charges | 423 | | 567 | |
| 13.2 Communication Expenses | 2,155 | | 2,006 | |
| 13.3 Printing and Stationery | 1,370 | | 1,362 | |
| 13.4 Legal Expenses | 28 | | 34 | |
| 13.5 Professional Fees | 4,128 | | 5,558 | |
| 13.6 Advertisement | 1,526 | | 1,191 | |
| 13.7 Demurrage | 48 | | 217 | |
| 13.8 Training Expenses | 368 | | 366 | |
| 13.9 Interest on Service Tax | — | | 772 | |
| 13.10 Security Services | 14,780 | | 13,499 | |
| 13.11 Other Services Through Contractor | 7,552 | | 7,738 | |
| 13.12 Other Services | 1,083 | | 628 | |
| 13.13 Publicity | — | | 372 | |
| 13.14 Service Tax Paid | 104 | | 276 | |
| 13.15 Running Expenses of Vehicle | 908 | | 1,001 | |
| 13.16 Sundries | <u>6,420</u> | <u>40,893</u> | <u>4,624</u> | 40,211 |
| 14. AUDITOR'S REMUNERATION | | | | |
| 14.1 Statutory Audit Fees | 65 | | 65 | |
| 14.2 Out of Pocket Expenses | 100 | | 100 | |
| 14.3 Tax Audit Fees | 15 | | 15 | |
| 14.4 For Certification | 5 | 185 | 5 | 185 |
| TOTAL | | <u>1,13,607</u> | | <u>1,56,081</u> |

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता की भागरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची - 14 : पूर्वावधिक समायोजन

| | 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|------------------------------------|---|--------|---|---------|
| | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 |
| क. आय | | | | |
| क-1 सेवा प्रभार (शुद्ध) | — | | 257 | |
| क-2 मरम्मत एवं अनुरक्षण | 1600 | | — | |
| क-3 जल विद्युत | 69 | 1,669 | — | 257 |
| ख. व्यय | | | | |
| ख-1 दर, कर एवं अनुज्ञप्ति | — | | 77 | |
| ख-2 संयंत्र एवं उपस्कर का अनुरक्षण | — | | 571 | |
| ख-3 ठेकेदारों द्वारा अन्य सेवाएँ | — | | 10 | |
| ख-4 परिनिर्धारित क्षति की वापसी | — | | 32 | |
| ख-5 विक्रय के आगम की वापसी | — | | 92 | |
| ख-6 अग्रेनीत कार्य | — | | 204 | |
| ख-7 उपस्कर भाटक | — | | 768 | |
| ख-8 व्यावसायिक शुल्क | — | | 19 | |
| ख-9 सामग्री की आपूर्ति | — | | 52 | |
| ख-10 बैंक ब्याज | 15 | | — | |
| ख-11 दर पुनरीक्षण | 102 | | — | |
| ख-12 सेवा कर | — | | 1,865 | |
| ख-13 पट्टा किराया | 29 | 146 | — | 3,690 |
| पूर्वावधिक समायोजन (शुद्ध) | | 1,523 | | (3,433) |
| आय/(व्यय) | | | | |

SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

SCHEDULE - 14 : PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS

| | FOR THE YEAR | | FOR THE YEAR | |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | ENDED 31ST MARCH, 2011 | ENDED 31ST MARCH, 2010 | ENDED 31ST MARCH, 2011 | ENDED 31ST MARCH, 2010 |
| | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 | ₹ '000 |
| A. INCOME | | | | |
| A-1 Service Charges (Net) | — | | 257 | |
| A-2 Repair & Maintenance | 1,600 | | — | |
| A-3 Water Electricity | 69 | 1,669 | — | 257 |
| B. EXPENSES | | | | |
| B-1 Rates Taxes & License | — | | 77 | |
| B-2 Repairs Plant & Equipment | — | | 571 | |
| B-3 Other Services Through Contractor | — | | 10 | |
| B-4 Refund of LD | — | | 32 | |
| B-5 Refund of Sale Proceeds | — | | 92 | |
| B-6 Bought Out Services | — | | 204 | |
| B-7 Equipment Rent | — | | 768 | |
| B-8 Professional Fees | — | | 19 | |
| B-9 Supply of Material | — | | 52 | |
| B-10 Bank Interest | 15 | | — | |
| B-11 Rate Revision | 102 | | — | |
| B-12 Service Tax | — | | 1,865 | |
| B-13 Lease Rent | 29 | 146 | — | 3,690 |
| Prior Period Adjustments (Net) | | 1,523 | | (3,433) |
| Income/(Expenses) | | | | |

दिनांक 31 मार्च, 2011 का तुलन-पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि खाता की भागरूप अनुसूची ।

अनुसूची- 15

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पणियाँ ।

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा का आधार

वित्तीय विवरणियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 भारत की धारा 211(3सी) तथा उससे संबद्ध प्रावधानों के अन्तर्गत सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों, लेखा मानकों, के अनुसार लेखाओं को प्रोदभूत आधार पर ऐतिहासिक लागत समागम के तहत चालू समुत्थान के रूप में तैयार किया गया है।

2. प्राक्कलन का उपयोग

वित्तीय विवरणियाँ को बनाने में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के साथ अनुरूपता में प्राक्कलनों तथा उसको प्रभावित करने वाले अनुमानों की जरूरत होती है जिसका प्रभाव वित्तीय विवरणियों की तिथि पर आस्तियों के प्रतिवेदित रकमों तथा दायित्वों एवं प्रतिवेदित अवधि के दौरान राजस्वों और व्ययों के प्रतिवेदित रकमों पर पड़ता है। वास्तविक परिणामों तथा प्राक्कलनों के मध्य में भिन्नताओं को अवधि, जिसमें परिणाम ज्ञात/कार्यान्वित होता है, में माना जाता है ।

3. स्थायी आस्तियाँ

स्थायी परिसम्पतियाँ संचित अवक्षयण तथा ह्रास, यदि कोई हो, मोडवैट/सेनवैट की शुद्ध लागत से कम पर कथित है। अपने उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ध्यान में रखे गए मुख्य मरम्मत/पूरी जाँच पर व्यय लागत में समाहित है ।

कार्यानुगत पूंजी का मूल्यांकन लागत पर है तथा जिसमें पारगमन में उपस्कर तथा स्थायी आस्तियाँ प्राप्त करने हेतु दिया गया अग्रिम एवं स्थायी आस्तियों की लागत, जो कि सूचना की तिथि तक उसके आशयित उपयोग के लिए अब तक तैयार नहीं है, समाहित है ।

बेकार/फालतू स्थायी आस्तियाँ शुद्ध खाता मूल्य तथा अनुमानित शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य से कम पर मूल्यांकित है।

4. अवक्षयण

स्थायी आस्तियों पर अवक्षयण को संयंत्र/मशीनरी के मुख्य मरम्मत/पूरी जाँच के परिप्रेक्ष्य में पूंजीकृत व्यय को छोड़ कर संबंधित परिसम्पतियों के अवशिष्ट जीवन को ध्यान में रखकर लिखे गए व्यय दरों पर तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-14 में वर्णित रीति में खड़ी रेखा पद्धति पर दिया गया है तथा जहाँ तकनीकी रूप से मूल्यांकित अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर निर्धारित दर, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, पर अवमूल्यन प्रभारित है।

गरम स्लैग हैण्डलिंग हेतु प्रयुक्त संयंत्र एवं मशीनरी : 20.00 प्रतिशत

पंखे, वातानुकूलन, कूलर, रेफ्रिजरेटर तथा कार्यालय उपस्कर : 13.91 प्रतिशत

5. आस्तियों की क्षीणता

क्षीणता क्षति वहनीय रकम की सीमा से बढ़ाकर उसकी बरामदगी रकम तक दिया गया है । क्षीणता क्षति को वर्ष में लाभ एवं हानि खाता से प्रभारित किया जाता है जिसमें कोई सम्पति क्षीणता के रूप में पहचानी जाए ।

6. वस्तु सूची

असंचलित वस्तु-सूचियों को छोड़कर वस्तु-सूचियाँ लागत अथवा बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित है। लागत में मूल्य, आबकारी शुल्क, विक्रय कर/मूल्य समाहित कर तथा भाड़ा समाहित है। वस्तु-सूची सामग्रियाँ, जिसे तीन वर्षों से अधिक अवधि से संचलित नहीं किया गया, को असंचलित वस्तु-सूची के रूप में माना गया।

वर्ष 2001-2002 से प्रति वर्ष 10 प्रतिशत लागत घटाकर असंचलित वस्तु-सूचियों का मूल्यांकन निर्धारित है। स्क्रेप/क्षतिग्रस्त भण्डारण मर्दों का मूल्यांकन लागत अथवा शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया गया है।

7. उधार खर्च

उधार लागत, विस्तार की सीमा के अलावे, जहाँ उधार लागत आस्तियों के अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन को उसके आशयित उपयोग के लिए पेश होने तक सीधे उधार लागत अवधि में खर्च के रूप में मान्य है, जिसमें वह खर्च हुआ, उस आस्तियों के लागत के भागरूप में पूंजीकृत है।

SCHEDULE – 15

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES ON ACCOUNTS.

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS OF ACCOUNTING

The financial statements are prepared as of a going concern under historical cost convention on accrual basis of accounting in accordance with the generally accepted accounting principles, Accounting Standards notified under Sec. 211 (3c) of the Companies Act, 1956 and the relevant provisions thereof.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amounts of assets and the liabilities on the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reported period. Differences between actual results and estimates are recognized in the period in which results are known/materialized.

3. FIXED ASSETS

Fixed Assets are stated at cost net of modvat/cenvat less accumulated depreciation and impairments, if any. Cost includes the expenditure on major repairs/overhauling considered to have enhanced their productivity.

Capital Work-in-Progress is valued at cost and includes equipment in transit and advances paid to acquire fixed assets, and the cost of fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date.

The Scrapped/redundant fixed assets are valued at lower of the net book value and estimated net realizable value.

4. DEPRECIATION

Depreciation on fixed assets has been provided on straight-line method at the rates and in the manner prescribed in schedule XIV to the Companies Act, 1956 except on expenditure capitalized in respect of major repairs/overhauling of plant and machinery which is at the rate worked out taking into consideration the residual lives of the respective assets and where depreciation is charged at rates determined on the basis of technically assessed estimated useful life as shown hereunder.

Plant and Machinery used for hot slag handling : 20.00%

Fans, Air-Conditioners, Cooler, Refrigerator and Office Equipment : 13.91%

5. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment loss is provided to the extent of the carrying amount exceeds their recoverable amount. An impairment loss is charged to the profit & loss Account in the year in which an asset is identified as impaired.

6. INVENTORIES

Inventories other than non-moving inventories are valued at cost or market value whichever is less. Cost includes price, excise duty, sales tax/VAT and freight . The inventory items, which have not moved for more than three years, are considered as non-moving inventories.

Non-moving inventories are valued at cost reduced by ten percent of cost every year from the year 2001-2002.

The scrapped/redundant stores items are valued at cost or net realizable value whichever is lower.

7. BORROWING COSTS

Borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred, except to the extent where borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction, or production of an asset till put into its intended use is capitalized as part of the cost of that asset.

8. कर्मचारी अनुलाभ

क) भविष्य निधि

आयकर प्राधिकरण से मान्यताप्राप्त न्यास द्वारा भविष्य निधि प्रशासित है तथा इस निधि का अंशदान राजस्व में प्रभावित है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के द्वारा पेंशनिक अनुलाभों को प्रतिभूतित किया गया है।

ख) सेवा उपादान

सेवा उपादान के परिप्रेक्ष्य में दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम के समूह उपादान बीमा योजना के अन्तर्गत समावेश होता है तथा यह कम्पनी द्वारा इस उद्येश्य से बनाए गए स्वतंत्र अप्रतिसंहरणीय न्यास द्वारा प्रशासित होता है। योजना में अंशदान राजस्व को प्रशासित होता है।

ग) परिवार अनुलाभ योजना

कर्मचारी परिवार अनुलाभ योजना के अन्तर्गत निःशक्त कर्मचारी/मृतक कर्मचारियों के कानूनी वारिसों को भविष्य में किए जाने वाले भुगतान से संबंधित प्रावधान को वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर बनाया गया है एवं वास्तविक नफा/घाटा के साथ लाभ एवं हानि खाता को प्रभारित किया गया है।

घ) अन्य अनुलाभ

प्रोद्भूत छूट्टी, दीर्घावधिक सेवा पुरस्कार, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा तथा निपटारा अनुलाभों के परिप्रेक्ष्य में प्रावधान को वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर बनाया गया है एवं वास्तविक नफा/घाटा के साथ लाभ एवं हानि खाता को प्रभारित किया गया है।

9. पूर्वावधिक समायोजन

पूर्व अवधि से संबंधित प्रत्येक मामले में अधिक से अधिक दस हजार रुपये तक के आय/व्यय को सम्प्रति वर्ष का आय/व्यय माना गया है।

10. सेवा प्रभार

सेवा प्रभार कंपनी द्वारा संबंधित इस्पात संयंत्रों से सहमत/अनुदित दरों पर स्क्रैप का प्रकरण करने तथा विविध कार्यों को करने हेतु अर्जित आय का प्रतिनिधित्व करता है।

विविध देनदारों को संबंधित इस्पात संयंत्रों से उगाहने हेतु अनुबंधित/अनुदित/अनुमानित सेवा प्रभार की दरों के आधार पर दर्शाया गया है।

11. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

कल-पूर्वों के आयात तथा पूंजीगत मदों हेतु अपेक्षित रकम का भुगतान सामानों के आयात हेतु साख-पत्र के माध्यम से दस्तावेजों के पूर्ववर्ती वार्ता की तिथि के विनिमय दर पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कर किया गया है।

12. उपस्कर बीमा

गरम पीट के दायरे में काम करने वाले उपस्करों को छोड़ कर उपस्कर की प्रकृति तथा बीमा की भारी लागत, जिससे किसी प्रकार का बीमा लाभ नहीं होता है, के कारण कंपनी के संयंत्र तथा मशीनरी को प्रबंधन की नीति मानते हुए किसी प्रकार के जोखिम/हानि के विरुद्ध बीमा नहीं कराया गया है।

13. आयकर

वर्तमान आयकर दायित्व के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अनुमानित कराधेय आय पर अनुज्ञेय कर छूट, कटौतियों तथा नामंजूरियों को ध्यान में रखने के उपरांत प्रावधान बनाया गया है। इस दायित्व की संगणना प्रयोज्य कर दर अथवा आयकर अधिनियम, 1961 के 115 जे. बी. धारान्तर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर दर, प्रकरण की जैसी स्थिति हो, की जाती है।

अतिरिक्त आय कर अथवा लाभांश कर वर्ष के लिए प्रयोज्य दरों के आधार पर दी जाती है जिसमें कथित लाभांश कम्पनी द्वारा घोषित, वितरित अथवा भुगतान की जाती है।

14. आस्थगित कर :

आस्थगित कर आस्तियों अथवा दायित्व के सृजन हेतु आयकर के लिए की गयी लाभ की संगणना तथा वित्तीय विवरणी के अनुसार खाता लाभ के मध्य समयाभेद के कारण आस्थगित कर दायित्व के लिए भी प्रावधान बनाया गया है। इस दायित्व को केवल महसूस किया गया कि अगर यहाँ युक्तिसंगत निश्चितता है तो आस्थगित कर आस्तियों/दायित्व का सृजन होगा तथा प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर पुनर्विलोकन किया जाएगा। इस दायित्व की संगणना प्रयोज्य कर दर अथवा आयकर अधिनियम, 1961 के 115 जे.बी. धारान्तर्गत न्यूनतम वैकल्पिक दर, जैसी स्थिति हो, पर की जाती है। कालमापन भिन्नता से आस्थगित कर आस्तियाँ उस सीमा तक माना गया है जहाँ वास्तविक निश्चितता हो कि आस्तियाँ भविष्य में उगाही की जा सकेगी।

15. खंड रिपोर्ट

प्रबल स्रोत तथा आधार एवं जोखिमों की प्रकृति और प्रतिफल तथा आन्तरिक संस्थान व प्रबंधन संरचना के आधार पर खंड को चिन्हित कर पहचानना।

8. EMPLOYEE BENEFITS

a) Provident Fund:

Provident Fund is administered by a Trust recognised by Income Tax Authorities and contribution to this Fund is charged to revenue. Pensionary Benefits are secured through Employees' Pension Scheme 1995.

b) Service Gratuity:

Liability on account of service gratuity is covered under Group Gratuity Life Assurance Scheme of Life Insurance Corporation of India and is administered through a separate irrevocable Trust created by the Company for this purpose. Contribution to the scheme are charged to revenue.

c) Family Benefit Scheme:

The provision towards future payments to the disabled employee/legal heirs of deceased employees under the Employees' Family Benefit Scheme is made based on the actuarial valuation as at the end of the year and charged to the profit and loss account along with actuarial gains/losses.

d) Other benefits:

The provision towards accrued leave, long term service award, post retirement medical and settlement benefits are made based on the actuarial valuation as at the end of the year and charged to the profit and loss account alongwith actuarial gains/losses.

9. PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS

Income/expenditure relating to prior period not exceeding rupees ten thousand in each case is treated as income/expenditure of the current year.

10. SERVICE CHARGES:

Service charges represent the income earned for processing of scrap and miscellaneous jobs done by the Company at the rates agreed with/offered to the respective Steel Plants.

Sundry Debtors are shown based on rates of service charges agreed with/offered to/expected to realise from the respective Steel Plants.

11. FOREIGN CURRENCY TRANSACTION:

The amount required for import of spare parts and capital items are paid in Indian currency converted at the exchange rate on the date of negotiation of documents through Letter of Credit for import of goods.

12. EQUIPMENT INSURANCE:

Keeping in view the nature of equipment and heavy cost of insurance not likely to result in any insurance benefit, the plant and machinery owned by the Company is not insured against any kind of risk / loss as a matter of management policy except equipments working near hot pit area.

13. INCOME TAX:

Provision for current income tax liability is made on estimated Taxable Income under Income Tax Act, 1961 after considering permissible tax exemptions, deductions and disallowances. This liability is calculated at the applicable tax rate or minimum alternate tax rate u/s 115JB of The Income Tax Act, 1961 as the case may be.

Additional income tax or Dividend Tax is provided on the basis of rates applicable for the year in which the said dividend is declared, distributed or paid by the company.

14. DEFERRED TAX:

Provision is also made for deferred tax liability arising due to timing differences between profits computed for Income tax and the book profits as per the financial statement, for creation of a deferred tax asset or a liability. This liability is recognized only if there is a reasonable certainty that the deferred tax assets/liability will be created and are reviewed at each balance sheet date. This liability is calculated at the applicable tax rate or minimum alternate tax rate u/s 115JB of the Income Tax Act, 1961 as the case may be. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in future.

15. SEGMENT REPORTING:

To identify segments based on the dominant source and nature of risks and returns and the internal organization and management structure.

आपसी सहमति से निर्धारित मूल्य के आधार पर अर्न्त-विभाजित रकम के लिए हिसाब करना।

खण्ड राजस्व, खण्ड परिणामों, खण्ड आस्तियों तथा खण्ड दायित्वों में प्रत्येक खण्डों से अभिज्ञेय संबंधित रकमों, जैसा कि वास्तविक आधार पर भी रकम निर्धारित किया गया है, समाहित है। व्यय, जो कि व्यापार खण्ड से सीधा सापेक्षिक योग्य नहीं है, को अनिर्धारित निगमित लागत के रूप में दिखाया गया है। आस्तियों तथा दायित्वों, जिसे कि विभाजन के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है, को क्रमशः अनिर्धारित निगमित आस्तियों तथा दायित्वों के रूप में दर्शाया गया है।

16. प्रावधान, संभाव्य दायित्व तथा संभाव्य आस्तियाँ

संभाव्य दायित्वों को टिप्पणियाँ स्वरूप प्रकट किया गया है। संभाव्य दायित्वों को वित्तीय विवरणियों में माना अथवा बताया नहीं गया है। प्रावधान माना गया है कि यदि गत परिणाम के रूप में कम्पनी बाध्यता करती है तथा यह सेभावना है कि बाध्यता को दूर करने हेतु आर्थिक अनुलाभों को मूर्त रूप देने संसाधनों का बाहिर्वाह करना अपेक्षित होगा, जिसके परिप्रेक्ष्य में बाध्यता की रकम के लिए पक्के प्राक्कलन को तैयार किया जा सकेगा।

| ख. लेखाओं पर टिप्पणी | (राशि '000 ₹ में) | |
|--|-------------------|-----------|
| | 2010 - 11 | 2009 - 10 |
| 1. समाश्रित दायित्व | | |
| 1.1 ऋणों के रूप में अप्राप्य दावों के परिप्रेक्ष्य में संभाव्य दायित्वों को उपबंधित नहीं करने हेतु :- | | |
| क) अनुमानित न्यायनिर्णयन के अन्तर्गत भूतपूर्व कर्मचारियों तथा अन्य द्वारा क्षतिपूर्ति दावा | 8,628 | 8,428 |
| ख) अधिसूचित क्षेत्र परिषद, राउरकेला (इस्पात नगरीय) द्वारा भारी भू-उपस्कर जैसे-डम्पर, डोजर आदि पर चूंगी हेतु, उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित | 1,113 | 1,113 |
| ग) हैदराबाद के उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मे. पेन्टालु कन्सट्रक्शन का विजाग भवन हेतु दावा | 4,938 | 4,542 |
| घ) माध्यस्थम न्यायाधिकरण के आदेशानुसार मे. इण्डियन ऑक्सीजन लिमिटेड द्वारा तरल ऑक्सीजन प्रदाय करने के लिए बढ़ाए गए बकायों हेतु | 20,254 | 32,491 |
| ङ) सिविल जज, अलीबाग में वैधानिक अर्जी के अनुसार मे० आडम्बर इन्जीनियरिंग वर्क्स द्वारा डोलबी इकाई में अनुरक्षण कार्य के लिए दावा हेतु | 1,962 | — |
| च) सेवा कर हेतु | | |
| (1) केन्द्रीय आबकारी अधीक्षक, जाजपुर की माँग के अनुसार डुबरी इकाई में 'कार्गो हैंडलिंग सेवाओं' पर सेवा कर (किए गए शुद्ध भुगतान) सीईएसटीएटी, कोलकाता के समक्ष लंबित है | 3,920 | 2,524 |
| (2) भिलाई, दुर्गापुर, विजाग, डोलवी तथा डुबरी इकाई में 'व्यापार सहबद्ध सेवाओं' पर सेवा कर, जैसा कि केन्द्रीय आबकारी तथा सीमा शुल्क अधीक्षक, रायपुर ने आदेश दिया है जिसके विरुद्ध कम्पनी सी ई एस टी ए टी, दिल्ली के समक्ष अपील की है। | 62,902 | 59,922 |
| (3) बोकारो इकाई में 'व्यापार सहबद्ध सेवाओं' पर सेवा कर, जैसा कि आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी तथा सीमा शुल्क, राँची ने आदेश दिया है, आयुक्त, राँची तथा सीईएसटीएटी, कोलकाता के समक्ष लंबित है | 1,24,782 | 88,576 |
| (4) बर्नपुर इकाई में 'व्यापार सहबद्ध सेवाओं' पर सेवा कर, जैसा कि अतिरिक्त आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी तथा सीमा शुल्क, बोलपुर तथा सहायक आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी तथा सीमा शुल्क, आसनसोल ने आदेश दिया है, आयुक्त, (अपील), कोलकाता के समक्ष लंबित है | 13,451 | 10,558 |

To account for inter-segment revenue on the basis of mutually agreed price.

Segment Revenue, Segment Results, Segment Assets and Segment Liabilities include the respective amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated on a reasonable basis. The expenses, which are not directly relatable to the business segment, are shown as unallocated corporate cost. Assets and liabilities that cannot be allocated between the segments are shown as unallocated corporate assets and liabilities respectively.

16. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

Contingent liabilities are disclosed by way of notes, contingent assets are not recognized or disclosed in the financial statements. A provision is recognized if the company has a present obligation as a result of past event(s) and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation(s), in respect of which reliable estimate can be made for the amount of obligation.

B. NOTES ON ACCOUNTS

1. Contingent Liability

| | (Amount in ₹ ' 000) | |
|---|---------------------|----------------|
| | <u>2010-11</u> | <u>2009-10</u> |
| 1.1 Contingent Liabilities not provided for in respect of claims not acknowledged as debts: - | | |
| (a) For compensation to ex-employees and others under adjudication estimated at | 8,628 | 8,428 |
| (b) For octroi on heavy earthmoving equipment like Dumpers, Dozers etc. by Notified Area Council, Rourkela (Steel Township), pending before Orissa High Court | 1,113 | 1,113 |
| (c) For Vizag building claim of M/s Pantalu Construction as per order of High Court of Hyderabad | 4,938 | 4,542 |
| (d) For arrear escalation for supply of liquid oxygen by M/s Indian Oxygen Limited as per order of Arbitral Tribunal | 20,254 | 32,491 |
| (e) For repair job at Dolvi Unit claimed by M/s Audumber Engineering Works as per Civil Suit At Civil Judge, Alibag | 1,962 | — |
| (f) For Service Tax: | | |
| i) Service tax on "Cargo Handling Services" at Duburi unit as demanded by Suptd. of Central Excise, Jajpur.(net of payment made) pending before CESTAT, Kolkata. | 3,920 | 2,524 |
| (ii) Service Tax on "Business Auxiliary Services" at Bhilai, Durgapur, Vizag, Dolvi & Duburi unit as ordered by Commissioner of Central Excise and Customs, Raipur against which the company preferred an appeal before CESTAT, Delhi. | 62,902 | 59,922 |
| (iii) Service Tax on "Business Auxiliary Services" at Bokaro unit as ordered by Commissioner, Central Excise and Customs, Ranchi, pending before Commissioner, Ranchi and CESTAT, Kolkata | 1,24,782 | 88,576 |
| (iv) Service tax on "Business Auxiliary Services" at Burnpur unit as ordered by Additional Commissioner, Central Excise & Customs, Bolpur and Assistant Commissioner, Central Excise and Custom, Asansol, pending before Commissioner (Appeal), Kolkata | 13,451 | 10,558 |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| (5) भिलाई इकाई में 'व्यापार सहबद्ध सेवाओं' पर सेवा कर, जैसा कि आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी तथा सीमा शुल्क, रायपुर ने आदेश दिया है, सी ई एस टी ए टी, दिल्ली के समक्ष लंबित है | 30,474 | 1,18,398 |
| (6) आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी, भुवनेश्वर की मॉग के अनुसार मई, 2004 से मार्च 2008 की अवधि के लिए डुबरी इकाई में 'कार्गो हैंडलिंग सेवाओं' पर सेवा कर, आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी, भुवनेश्वर के समक्ष लंबित है। | 23,288 | 24,195 |
| (7) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र तथा एलॉय इस्पात संयंत्र में क्रमशः अप्रैल 2003 से मार्च 2008 तथा अक्टूबर, 2003 से नवम्बर 2008 की अवधि के लिए 'व्यापार सहबद्ध सेवाओं' तथा 'कार्गो हैंडलिंग सेवाओं' पर सेवा कर, सी ई एस टी ए टी, कोलकाता के समक्ष लंबित है। | 1,89,607 | 1,30,710 |
| (8) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में क्रमशः अप्रैल 2008 से मई 2009 तथा जून, 2009 से सितम्बर, 2009 की अवधि के लिए 'व्यापार सहबद्ध सेवाओं' तथा 'कार्गो हैंडलिंग सेवाओं' पर सेवा कर, सी ई एस टी ए टी, कोलकाता तथा आयुक्त, कोलकाता के समक्ष लंबित है। | 45,840 | शून्य |
| (9) डुबरी इकाई में क्रमशः अप्रैल 2007 से मार्च, 2008 तथा अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 की अवधि के लिए 'व्यापार सहबद्ध सेवाओं' तथा 'कार्गो हैंडलिंग सेवाओं' पर सेवा कर, आयुक्त आबकारी, भुवनेश्वर के समक्ष लंबित है। | 15,019 | शून्य |
| (छ) राउरकेला इकाई में विक्रय कर तथा प्रवेश कर हेतु जैसा कि उड़ीसा विक्रय कर विभाग ने मॉग की है, विक्रय कर न्यायाधिकरण, कटक के समक्ष लंबित है | 4,356 | 4,356 |
| (ज) राउरकेला इकाई में सड़क कर के विलंब से भुगतान हेतु अर्थदण्ड, उड़ीसा उच्च न्यायालय में लंबित है | 216 | 216 |
| 1.2 पूंजी खाता पर कार्यान्वित किए जाने वाले शेष संविदा की अनुमानित रकम तथा नहीं दिए जाने हेतु (शुद्ध अग्रिम) | 11,949 | 59,721 |
| 1.3 बकाया बैंक प्रत्याभूत | 29,508 | 29,308 |
| 1.4 बकाया साख-पत्र | 891 | 512 |
| | <u>5,93,098</u> | <u>5,75,570</u> |

2. वर्ष के दौरान प्रकृतित/लदान किए गए स्क्रेप से संबंधित मात्रात्मक सूचनाएँ, जिसके लिए इस्पात संयंत्रों के साथ संबंधित स्क्रेप रिकवरी अनुबंधन के अनुसार सेवा प्रभार वसूल किया गया, जिसके अन्तर्गत ग्राहकों द्वारा प्रतिक्षेपण, यदि कोई हो, को छोड़कर कच्चे माल, जैसे लौह, इस्पात तथा स्लैग उपलब्ध कराया जाता है।

| | <u>2010-11</u> | <u>2009-10</u> |
|---|-------------------------|-----------------------|
| 2.1 उपभोग किया गया कच्चा माल | अप्रयोज्य | अप्रयोज्य |
| 2.2 उत्पादित माल का प्रारंभिक तथा अंतिम शेष | शून्य | शून्य |
| 2.3 अनुज्ञप्ति क्षमता | अप्रयोज्य | अप्रयोज्य |
| 2.4 प्रतिस्थापित क्षमता | अप्रयोज्य | अप्रयोज्य |
| 2.5 वास्तविक उत्पादन | 26,45,326 मी. टन | 23,71,361 मी. टन |

भिलाई इकाई के लिए प्रकृतित/प्रेषित स्लैग, जिसे 62583.625 मी. टन (गत वर्ष - शून्य) के लिए कार्य आदेश की अनुपस्थिति में बिलों को नहीं बनाया गया, जिसके लिए ₹ 17,210 हजार (गत वर्ष - शून्य) की अन्तिम आय की रकम को विवरणी में लिया गया।

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| (v) Service tax on "Cargo Handling Services" at Bhilai unit as ordered by Commissioner of Central Excise and Customs, Raipur, pending before CESTAT, Delhi. | 30,474 | 1,18,398 |
| (vi) Service tax on "Cargo Handling Services" at Duburi unit demanded by Commissioner, Central Excise, Bhubaneswar for the period from May 2004 to March 2007, pending before Commissioner, Central Excise, Bhubaneswar | 23,288 | 24,195 |
| (vii) Service tax on "Business Auxilliary Service" and "Cargo Handling Services" at Durgapur Steel Plant and Alloy Steel Plant for the period from April 2003 to March 2008 and October 2003 to November 2008 respectively, pending before CESTAT; Kolkata. | 1,89,607 | 1,30,710 |
| (viii) Service Tax on "Business Auxillary Service" and "Cargo Handling Services" at Durgapur Steel Plant for the period April'2008 to May'2009 and June'2009 to September'2009 respectively, pending before CESTAT, Kolkata and Commissioner, Kolkata. | 45,840 | NIL |
| (xi) Service Tax on "Cargo Handling Services" at Duburi unit as demanded by Additional Commissioner, Bhubaneswar for the period April 2007 to March 2008 and April 2008 to March 2009 respectively are pending before Commissioner, Central Excise, Bhubaneswar. | 15,019 | NIL |
| (g) For Sales Tax and Entry Tax at Rourkela unit as demanded by Orissa Sales Tax Department, pending before Sales Tax Tribunal, Cuttak. | 4,356 | 4,356 |
| (h) Penalty for delayed payment of Road Tax at Rourkela unit, pending at Orissa High Court | 216 | 216 |
| 1.2 Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) | 11,949 | 59,721 |
| 1.3 Outstanding Bank Guarantee | 29,508 | 29,308 |
| 1.4 Outstanding Letter of Credit | 891 | 512 |
| | <u>5,93,098</u> | <u>5,75,570</u> |

2. Quantitative information with regard to scrap recovered/shipped during the year for which service charges have been realised in accordance with relative scrap recovery contracts with steel plants under which raw materials i.e. Iron, Steel and Slag is made available by the customers excluding rejection, if any.

| | <u>2010-11</u> | <u>2009-10</u> |
|--|-----------------------|----------------|
| 2.1 Raw material consumed | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE |
| 2.2 Opening and Closing Stocks of goods produced | N I L | N I L |
| 2.3 Licenced Capacity | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE |
| 2.4 Installed Capacity | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE |
| 2.5 Actual Production | 26,45,326 MT | 23,71,361 MT |

Scrap recovered/shipped for Bhilai unit for which bills have not been raised in the absence of work order for 62583.625 M.T. (Previous Year Nil), for which a provisional income has been taken into account amounting to ₹ 17,210 thousand (Previous Year Nil)

3. आयातीत व स्वदेशी कच्चे माल, स्टोर्स तथा कल-पूर्जे की खपत

(रकम ₹ '000 में)

| | कच्चे माल | | स्टोर्स तथा कल-पूर्जे | | प्रतिशतता | |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2010-2011 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2009-2010 |
| 3.1 आयातीत | शून्य | शून्य | 506 | 1,580 | 0.46 | 1.61 |
| 3.2 स्वदेशी | शून्य | शून्य | 1,09,439 | 96,767 | 99.54 | 98.39 |
| | शून्य | शून्य | 1,09,945 | 98,347 | 100.00 | 100.00 |

(रकम ₹ '000 में)

| | 2010-11 | 2009-10 |
|---|-----------|-----------|
| 4. वर्ष के दौरान किए गए आयातों का भाड़ा बीमा मूल्य | | |
| 4.1 स्टोर्स तथा कल-पूर्जे | 1,017 | 2,884 |
| 4.2 पूंजीगत माल | शून्य | शून्य |
| | 1,017 | 2,884 |
| 5. यात्रा व्यय हेतु वर्ष के दौरान राजस्व को प्रभारित विदेशी मुद्रा में व्यय | शून्य | 145 |
| 6. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में विप्रेषित रकम | | |
| 6.1 लाभांश के परिप्रेक्ष्य में | शून्य | शून्य |
| (क) अप्रवासी अंशधारकों की संख्या | शून्य | शून्य |
| (ख) धारित अंशों की संख्या | शून्य | शून्य |
| (ग) वर्ष, जिससे लाभांश संबंधित है | अप्रयोज्य | अप्रयोज्य |
| 7. प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक (अनुसूची 11 में सन्निहित) | | |
| 7.1 वेतन | 1,861 | 662 |
| 7.2 भविष्य निधि में अंशदान | 182 | 68 |
| 7.3 चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति | 3 | 4 |
| 7.4 अवकाश नकदीकरण | 0 | 0 |
| | 2,046 | 734 |

चूंकि प्रबंध निदेशक को उनके निजी कार्यों हेतु कंपनी से सीमित दूरी के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रभार के भुगतान के विरुद्ध कार की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, इसलिए इस सुविधा को लाभ के रूप में नहीं माना गया है।

8. मद के अनुसार आस्थगित कर दायित्वों (शुद्ध) का व्यौरा अधोवर्णित है :

(रकम ₹ '000 में)

| | 31-03-2011 को | 31-03-2010 को |
|---|---------------|---------------|
| आस्थगित कर दायित्व : | | |
| (1) आयकर अधिनियम के अनुसार आस्तियों का शुद्ध खाता मूल्य तथा आस्तियों के डब्ल्यू. डी. व्ही. का अन्तर | 19,414 | 24,695 |
| घटावें: आस्थगित कर आस्तियाँ: | | |
| (1) संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान | 216 | 221 |
| (2) अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान | 23,794 | 15,750 |
| (3) स्टोर्स की कमी के लिए प्रावधान | 0 | 0 |
| (4) सेवा कर पर ब्याज | 0 | 178 |
| (5) संदिग्ध दावाओं हेतु प्रावधान | 7,670 | 7,849 |
| (6) खराब तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान | 369 | 746 |
| (7) खराब तथा संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों हेतु प्रावधान | 0 | 06 |
| (8) कर्मचारियों को भुगतये उपादान हेतु प्रावधान | 0 | 2640 |
| आस्थगित कर दायित्व/(आस्तियाँ) (शुद्ध) | (12,635) | (2,695) |

9. क) भिलाई इकाई में अप्रैल '08 से सितम्बर '08 की अवधि के लिए स्क्रेप की रिकवरी एवं प्रक्रमण के कार्यों के लिए "कागों हैण्डलिंग सेवाओं" पर सेवा कर के परिप्रेक्ष्य में ₹ 15,205 हजार हेतु आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी, रायपुर ने कारण बताओ

3. Consumption of Imported and indigenous Raw Material, Stores and Spare parts :

| | | (Amount in ₹ '000) | | | | | |
|-----|------------|--------------------|------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Raw materials | | Stores and Spare Parts | | Percentage | |
| | | 2010-2011 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2009-2010 |
| 3.1 | Imported | NIL | NIL | 506 | 1,580 | 0.46 | 1.61 |
| 3.2 | Indigenous | NIL | NIL | 1,09,439 | 96,767 | 99.54 | 98.39 |
| | | NIL | NIL | 1,09,945 | 98,347 | 100.00 | 100.00 |

| | | (Amount in ₹ '000) | |
|-----|--|--------------------|--------------|
| | | 2010-11 | 2009-10 |
| 4. | CIF value of imports made during the year | | |
| 4.1 | Stores and Spare Parts | 1,017 | 2,884 |
| 4.2 | Capital goods | NIL | NIL |
| | | 1,017 | 2,884 |
| 5. | Expenditure in foreign currency charged to revenue during the year for travelling expenses | NIL | 145 |
| 6. | Amount remitted in foreign currency during the year | | |
| 6.1 | On account of Dividend | NIL | NIL |
| | (a) No. of Non-Resident Shareholders | NIL | NIL |
| | (b) No. of shares held | NIL | NIL |
| | (c) Year to which dividend relates | N.A. | N.A. |
| 7. | Managing Director(s) remuneration (Included in Schedule 11) | | |
| 7.1 | Salaries | 1,861 | 662 |
| 7.2 | Contribution to Provident Fund | 182 | 68 |
| 7.3 | Reimbursement of Medical Expenses | 3 | 4 |
| 7.4 | Leave Encashment | 0 | 0 |
| | | 2,046 | 734 |

Since the facility of private use of official car for the limited mileage provided by the Company to the Managing Director is against payment of charges fixed by the Government, such facility has not been considered to be a perquisite.

8. The Item wise details of Deferred Tax Liability (net) are as under :

| | | (Amount in ₹ '000) | |
|---|--|--------------------|------------------|
| Deferred Tax Liability | | As on 31-03-2011 | As on 31-03-2010 |
| i) | Difference of Net Book Value of Assets and WDV of Assets as per Income Tax Act | 19,414 | 24,695 |
| | Less: Deferred Tax Assets | | |
| (i) | Provision for Doubtful Advances | 216 | 221 |
| (ii) | Provision for Leave Encashment | 23,794 | 15,750 |
| (iii) | Provision for Shortage of Stores | Nil | Nil |
| (iv) | Interest on service tax | Nil | 178 |
| (v) | Provision for Doubtful Claim | 7,670 | 7,849 |
| (vi) | Provision for Bad & Doubtful Debts | 369 | 746 |
| (vii) | Provision for Bad & Doubtful Loans & Advances | Nil | 06 |
| (viii) | Provision for Gratuity Payable to the Employees | Nil | 2640 |
| Deferred Tax Liability/(Assets)(Net) | | (12,635) | (2,695) |

9. a) The Commissioner, Central Excise of Raipur has issued show cause notice for ₹15,205 thousands towards service tax on "Cargo Handling Services" for the jobs of recovery and processing of scrap at

नोटिस जारी किया है। उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी, रायपुर को प्रस्तुत किया गया है तथा व्यक्तिगत सुनवाई भी हो गयी है एवं अब केवल आदेश प्राप्त होना बाँकी है ।

- ख) भिलाई इकाई में अक्टूबर '09 से मार्च '10 की अवधि के लिए स्क्रेप की रिकवरी एवं प्रक्रमण के कार्यों के लिए "कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं" पर सेवा कर के परिप्रेक्ष्य में ₹ 18,168 हजार का कारण बताओ नोटिस आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी, रायपुर ने जारी किया गया है । उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब विधिक सलाहकार के साथ परामर्श कर तैयार किया जा रहा है ।
- ग) दुर्गापुर इकाई में अक्टूबर '09 से मार्च '10 की अवधि के लिए स्क्रेप की रिकवरी एवं प्रक्रमण के कार्यों के लिए "व्यापार सहबद्ध सेवाओं" के तहत सेवा कर के परिप्रेक्ष्य में ₹ 6,891 हजार हेतु आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी, बोलपुर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है । उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब विधिक सलाहकार के साथ परामर्श कर तैयार किया जा रहा है ।
- घ) भिलाई इकाई में अक्टूबर '09 से सितम्बर '09 की अवधि के लिए स्क्रेप की रिकवरी एवं प्रक्रमण के कार्यों के लिए "कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं" पर सेवा कर के परिप्रेक्ष्य में ₹ 24,572 हजार का कारण बताओ नोटिस आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी, रायपुर ने जारी किया है उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी, रायपुर को प्रस्तुत किया गया है तथा व्यक्तिगत सुनवाई भी हो गयी है एवं अब केवल आदेश प्राप्त होना बाँकी है ।
- ङ) डुबुरी इकाई में सितम्बर '09 से मार्च '10 की अवधि के लिए स्क्रेप की रिकवरी एवं प्रक्रमण के कार्यों के लिए "कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं" पर सेवा कर के परिप्रेक्ष्य में ₹ 6,827 हजार का कारण बताओ नोटिस आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी, भुवनेश्वर ने जारी किया है। उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब विधिक सलाहकार के साथ परामर्श कर तैयार किया जा रहा है।
- च) बर्नपुर इकाई में अक्टूबर '06 से अप्रैल '08 की अवधि के लिए स्क्रेप की रिकवरी एवं प्रक्रमण के कार्यों के लिए "व्यापार सहबद्ध सेवाओं" के तहत सेवा कर के परिप्रेक्ष्य में ₹ 1,063 हजार के लिए आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी, बोलपुर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है । उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब विधिक सलाहकार के साथ परामर्श कर तैयार किया जा रहा है।
- छ) बर्नपुर इकाई में अप्रैल '09 से सितम्बर '09 की अवधि के लिए सेवा कर के अल्प भुगतान तथा सेनवैट का गलत उपभोग करने के परिप्रेक्ष्य में ₹ 4,708 हजार के लिए अतिरिक्त आयुक्त, केन्द्रीय आबकारी, विशाखापट्टणम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब विधिक सलाहकार के साथ परामर्श कर तैयार किया जा रहा है ।
10. एफ एस एन एल विरुद्ध मे० इण्डियन ऑक्सीजन लिमिटेड के प्रकरण में दि. 01.06.2002 को विवाचन न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक पक्षीय प्रचाट को हटाने अतिरिक्त जिला जज, दुर्ग के न्यायालय में प्रकरण क. एम जे सी-34/2005 दायर की गयी है तथा जिला जज, दुर्ग ने दिनांक 29.11.2010 के आदेश के अनुसार कम्पनी द्वारा दायर याचिका को खारीज कर दिया है । कंपनी ने जिला जज, दुर्ग द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगड़, बिलासपुर के समक्ष अपील दायर की है । चूंकि मामले पर मुकदमेबाजी हो रही है इसलिए विवाचन पंचाट के अनुसार 31 मार्च, 2011 तक ब्याज सहित ₹ 20,254 की रकम समाश्रित दायित्व के तहत दर्शाया गया है ।
11. कंपनी अपने स्थायी आस्तियों की प्रभारित रकम को केश जनरेटिंग यूनिट (सी.जी.यू) के रूप में समग्र कंपनी का मानते हुए समीक्षा कर रही है। इसलिए कंपनी ने, (जो सी.जी.यू है), अपने स्थायी आस्तियों की भविष्य के नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य के साथ तुलना की है और यह कोई ह्रास नहीं दर्शाता है।
12. उन कर्मचारियों, जिन्होंने 31.03.2011 तक सुविधा का उपभोग नहीं किया है, के परिप्रेक्ष्य में अवकाश यात्रा रियायत/उदारीकृत अवकाश यात्रा रियायत हेतु कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है (चूंकि अवकाश यात्रा रियायत/उदारीकृत अवकाश यात्रा रियायत के उपभोग के लिए अनिश्चितता होने से भुगतये रकम की जानकारी होना संभव नहीं है)।
13. यहाँ ऐसा कोई सूक्ष्म, लघु तथा मध्य उद्यमों, जैसा कि सूक्ष्म, लघु तथा मध्य उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित है, की सूचना है, जिसका कम्पनी ऋणी है।
14. लघु औद्योगिक उपक्रमों, (जैसा कि अनुसूची-6 में बताया गया है), को देय रकम एक सीमा तक है, वैसे उपक्रमों को चिन्हित किया गया। कम्पनी ने लघु उद्योग इकाईयों को सामान्यतः समय पर भुगतान किया है तथा यहाँ पक्षों द्वारा ब्याज अतिशोध्य भुगतान के लिए कोई दावा नहीं किया गया है।
15. वर्ष के दौरान 01.04.2010 से गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के भत्ते की मात्रा में पुनरीक्षण के लिए समझौता को अंतिम रूप दिया गया है। अनुमानित आधार पर ₹17,300 हजार का बनाया गया प्रावधान मण्डल के अनुमोदन तक लंबित है ।

वर्ष के दौरान 01.01.2007 से गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के लिए समझौता को अंतिम रूप दे दिया गया है। 01.01.2007 से 31.03.2010 की अवधि के लिए अल्प प्रावधान होने से ₹ 9,961 हजार की रकम को वर्ष के दौरान कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं अनुलाभो के अन्तर्गत दिया गया है एवं दर्शाया गया है ।

Bhilai unit for the period April '08 to September'08. The reply of above show cause notice has been submitted to Commissioner, Central Excise, Raipur and also personal hearing took place and order is yet to be received.

- b) The Commissioner, Central Excise of Raipur has issued show cause notice of ₹ 18,168 thousands towards service tax on "Cargo Handling Services" for the job of recovery and processing of scrap at Bhilai unit for the period Oct' 2009 to March' 2010. The reply to the show cause notice is under preparation in consultation with the legal expert.
 - c) The Commissioner, Central Excise, Bolpur has issued show cause notices for ₹ 6,891 thousands towards service tax under "Business Auxiliary Service" for the job of recovery and processing of scrap at Durgapur unit for the period from Oct' 2009 to March'2010. The reply to the show cause notice is under preparation in consultation with the legal expert.
 - d) The Commissioner, Central Excise of Raipur has issued show cause notice of ₹ 24,572 thousands towards service tax on "Cargo Handling Services" for the job of recovery and processing of scrap at Bhilai unit for the period Oct'2008 to September'2009. The reply to the show cause notice has been submitted to Commissioner, Central Excise, Raipur and also personal hearing took place and order is yet to be received.
 - e) The Commissioner, Central Excise of Bhubaneswar has issued show cause notice of ₹ 6,827 thousands towards service tax on "Cargo Handling Services" for the job of recovery and processing of scrap at Duburi unit for the period September'2009 to March'2010. The reply to the show cause notice is under preparation in consultation with the legal expert.
 - f) The Addl Commissioner, Central Excise, Bolpur has issued show cause notices for ₹ 1,063 thousands towards service tax under "Business Auxiliary Service" for the job of recovery and processing of scrap at Burnpur unit for the period from Oct'2006 to April' 2008. The reply to the show cause notice is under preparation in consultation with the legal expert
 - g) The Addl Commissioner, Central Excise, Visakhapatnam has issued show cause notices for ₹ 4,708 thousand towards short payment of service tax and wrong availment of CENVAT Credit at Burnpur unit for the period from April' 2009 to September'2009. The reply to the show cause notice is under preparation in consultation with the legal expert.
10. In the case of FSNL vs M/s Indian Oxygen Limited, Case No. MJC 34/2005 filed in the court of Additional District Judge, Durg to set aside the ex-parte award passed by the Arbitration Tribunal on 01-06-2002, the District Judge, Durg vide Order dated 29-11-2010 has dismissed the application filed by the Company. The Company has preferred appeal against the Order passed by the District Judge, Durg before the Honorable High Court of Chattisgarh, Bilaspur. The Honorable High Court has admitted the appeal. Since the matter is under litigation an amount of ₹ 20,254 including interest upto 31st March 2011 as per the Arbitral Award has been shown under contingent liability.
 11. The company reviews the carrying amount of its fixed assets treating the entire company as a Cash Generating Unit (CGU). Hence, the company (being a CGU) has compared the carrying amount of its fixed assets with present value of future cash flows and it does not show any impairment.
 12. No provision has been made for LTC/LLTC in respect of Non-Executive employees who have not availed the facility upto 31.03.2011 (as it is not possible to ascertain the amount payable due to the uncertainty regarding availment of LTC/LLTC).
 13. There is no reported Micro, Small and Medium Enterprises as defined in the "The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006", to whom the company owes dues.
 14. The amount due to Small Scale Industrial Undertakings (as disclosed in schedule 6) is to the extent such undertakings have been identified. The company has normally made payment to SSI units in due time and there are no claim from the parties for interest or overdue payment.
 15. The Agreement for revision in the quantum of allowances of non-executives from 01-04-2010 has been finalized during the year. Pending approval of the Board provision of ₹ 17,300 thousand has been made on an estimated basis.

Agreement for Wage Revision of non-executive from 01-01-2007 has been finalized during the year. An amount of ₹ 9,961 thousand being the short provision for the period from 01-01-2007 to 31-03-2010 has been provided and shown under Employee's Remuneration and Benefits during the year.

वर्ष के दौरान 01.04.2009 के प्रभाव से मण्डल स्तर तथा मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों के लिए एक नेशनल वेतन निर्धारण के साथ वेतन पुनरीक्षण क्रियान्वित किया गया है। 01.01.2007 से 31.03.2009 की अवधि के लिए ₹19,783 हजार के बकाए वेतन की रकम को अनुमानित आधार पर पहले ही प्रारंभिक वर्षों में दिया गया तथा वर्तमान दायित्वों के अन्तर्गत वेतन व भत्तों में समाहित किया गया है।

मण्डल स्तर तथा मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों के लिए अनुलाभों, जो 01.06.2010 के पूर्व प्रचलित था, के बदले कैफेटेरिया अप्रोच के अन्तर्गत अनुलाभों एवं भत्तों को 01.06.2010 से क्रियान्वित किया गया है।

16. भंडारण की वस्तु सूचियों के भौतिकीय जाँच के दौरान बोकारो, डुबुरी, डोल्वी तथा राउरकेला इकाईयों के परिप्रेक्ष्य में कमियाँ मिली। छानबीन लंबित रहने तक शुद्ध कमी के लिए ₹ 645 हजार का प्रावधान बनाया गया है।
17. रायगढ़ इकाई के संवरण होने पर भवन, जिसके लिखित मूल्य ₹ 267 हजार को बट्टे-खाते में डाला गया एवं लाभ एवं उसे हानि खाता को प्रभारित किया गया।
18. प्रबंधन ने 1 अप्रैल 2011 के प्रभाव से रॉंची इकाई (एच ई सी, रॉंची के भीतर) का प्रचालन बंद करने का निर्णय लिया है तथा सभी आस्तियों अन्य प्रचालनीय इकाईयों को स्थानांतरित की जाएगी।
19. दावाओं एवं अग्रिमों के विरुद्ध प्रावधान बनाया गया है जहाँ कहीं प्रबंधन की राय में उस अग्रिम/दावा को संदिग्ध माना गया है।
20. प्रबंधन ने विण्ड टर्बाइन, जेनरेटर यूनिट, माईनिंग ऑपरेशन एवं खनिजों के प्रक्रमण, ओ टी आर निर्माण तथा विपणन जैसे व्यापार खंड में किसी गतिविधि को नहीं करने का निर्णय लिया है, जिसे करने के लिए पहले सोचा गया था। वर्ष के दौरान कम्पनी केवल भारत में विविध इस्पात संयंत्रों के लिए स्कैप रिकवरी तथा सहबद्ध कार्यों में लगी थी जिसे लेखा मानक ए एस 17 के अनुसार केवल प्रतिबंध व्यापार खण्ड माना गया है। भौगोलिक विभाजिकरण संबंधित नहीं है क्योंकि कम्पनी का भारत के बाहर व्यापार संचालन नहीं है।
21. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण
संबंधित पक्षों की सूची :
 - 1) श्री एन्टोनी चाको-मूल प्रबंधकीय कार्मिक
संबंध-प्रबंध निदेशक
(लेखाओं पर टिप्पणी के अनुच्छेद 7 संदर्भित)
 - 2) एम एस टी सी लि०
संबंध-नियंत्रि कंपनी
कार्यसम्पादन की प्रकृति-नीलामी हेतु सेवा प्रभार: ₹ 192 हजार (गत वर्ष- ₹ 7 हजार)

22. कर्मचारी अनुलाभ :

22.1 परिभाषित अनुलाभ योजना का संक्षिप्त चित्रण :

- (क) अवकाश नकदीकरण - वियोजन पर पात्र कर्मचारियों, जिन्होंने अर्जित अवकाश तथा अर्द्ध-वैतनिक अवकाश संचित किया है, को भुगतान के लिए वर्ष में एक बार 30 दिवसों तक संचित अर्जित अवकाश के नकदीकरण करने की भी मंजूरी है।
- (ख) सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा अनुलाभ - मेडीक्लेम इन्श्यूरेन्स पॉलिसी के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किसी चिकित्सालय में उपलब्ध।
- (ग) सेवानिवृत्ति पश्चात निपटारा अनुलाभ - सेवानिवृत्ति करने वाले कर्मचारियों को उनके द्वारा घोषित गृह नगर में बसने के लिए भुगतान।
- (घ) दीर्घावधिक सेवा पुरस्कार - न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा के लिए वस्तु के रूप में तथा सेवानिवृत्ति पर भी देय।
- (ङ) कर्मचारी परिवार अनुलाभ योजना - निर्धारित जमा के बदले सेवा से पृथक विकलांग कर्मचारियों/दिवंगत कर्मचारियों के कानूनी वारिशों को निर्धारित जमा के बदले में पृथक विकलांग कर्मचारियों/दिवंगत कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की तिथि तक मासिक भुगतान।
- (च) भविष्य निधि : कम्पनी द्वारा भविष्य निधि न्यास को मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता का 12 प्रतिशत अंशदान दिया गया है।
- (छ) उपादान : पात्र कर्मचारियों को सेवा से वियोजन पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन की दर पर देय है जो कम से कम 5 वर्षों तथा अधिकतम 30 वर्षों की अवधि के लिए निरंतर सेवा देते हैं। उपादान की संगणना कर्मचारी द्वारा अंतिम माह के वेतन की दर पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष से अधिक से अधिक 30 वर्षों के लिए गणना की जाती है। कर्मचारियों को देय उपादान की अधिकतम राशि ₹ 1000 हजार है।

Wage Revision for Board and below Board level executives with a notional pay fixation from 01-01-2007 has been implemented w.e.f. 01-04-2009 during the year. The arrear wages for the period 01-01-2007 to 31-03-2009 amounting to ₹ 19,783 thousand on estimated basis has already been provided in earlier years and included in the Salaries & Wages under Current Liability.

The perquisites and allowances for Board level and below Board level executives under Cafeteria Approach has been implemented from 01-06-2010 in lieu of the benefits which were prevailing prior to 01-06-2010.

16. During Physical verification of Inventories of stores, Shortages were found in respect of Bokaro, Duburi, Dolvi and Rourkela units. Pending investigation, provision has been made for the net shortage of ₹645 thousand.
17. Consequent upon closure of Raigarh unit, buildings whose written down value of ₹ 267 thousand has been written off and charged to the Profit & Loss account.
18. The Management has decided to stop the operation of Ranchi unit (inside HEC, Ranchi) w.e.f 1st April 2011 and shall transfer all the assets to other operational units.
19. Provision is made against Claims and Advances wherever such advance/claim is considered doubtful in the opinion of management.
20. The Management has decided not to pursue any activity in the business segment like Wind Turbine, Generator Unit, Mining Operation and processing of Minerals, OTR- Manufacturing and Marketing as considered earlier. During the year the company was engaged only in the business of Scrap Recovery and Allied Jobs for various Steel Plants in India which as per Accounting Standard AS17 is considered the only reportable business segment. The geographical segmentation is not relevant, as the company has no business operation outside India.

21. Related Party Disclosure

List of Related Parties:

i) Shri Antony Chacko – Key Managerial Personnel

Relationship- Managing Director
(Refer Para 7 of Notes on Accounts)

ii) MSTC Ltd.

Relationship- Holding Company
Nature of Transaction- Service Charges for Auction: ₹ 192 thousand (Previous year- ₹ 7 thousand)

22. Employee Benefits:

22.1 Brief Description of Defined Benefit Scheme:

- (a) Leave Encashment - Payable on separation to eligible employees who have accumulated earned leave and half pay leave. Encashment of accumulated earned Leave is also allowed upto 30 days once in a calendar year.
- (b) Post Retirement Medical benefit - Available to retired employees at any hospital under the Mediclaim Insurance Policy
- (c) Post retirement settlement benefit – Payable to retiring employees for settlement at their declared home town.
- (d) Long Term Service Award - Payable in kind for rendering minimum 25 years of service and also on Superannuation.
- (e) Employees Family Benefit Scheme – Monthly payment to disabled separated employees/legal heirs of deceased employees in lieu of prescribed deposit till the date of superannuation of deceased employees.
- (f) Provident Fund : 12% of Basic pay and Dearness allowance contributed to the Provident Fund Trust by the company.
- (g) Gratuity: Payable on separation at the rate of 15 days pay for each completed year of service to eligible employees who render continuous service for a minimum period of 5 years and upto 30 years. The Gratuity is calculated at the rate of one month's wages last drawn by the employee for every completed year of service in excess of 30 years. The maximum amount of Gratuity payable to employee is ₹ 1,000 thousands.

22.2 प्रकटीकरण, जैसा कि परिभाषित अनुलाभ दायित्वों के परिप्रेक्ष्य में "कर्मचारी अनुलाभों" पर लेखा मानक -ए एस-15 (संशोधित 2005) के तहत आवश्यक है :

क) प्रक्षेपित अनुलाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का समन्वय :

(₹'000 में)

| क्र. | ब्यौरा | अवकाश नकदीकरण | सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा अनुलाभ | सेवानिवृत्ति पश्चात् निपटान अनुलाभ | दीर्घावधिक सेवा पुरस्कार | कर्मचारी परिवार अनुलाभ योजना | योग |
|------|--|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|
| i. | 01 अप्रैल, 2010 को प्रक्षेपित अनुलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य | 89,903 | 39,566 | 3,582 | 435 | 35,682 | 1,69,168 |
| ii. | सेवा लागत | 11,206 | 2,506 | 179 | 24 | - | 13,915 |
| iii. | ब्याज लागत | 6,751 | 3,095 | 261 | 32 | 2,598 | 12,737 |
| iv. | बीमांकिक (नफा)/हानियाँ | 18,371 | 5,927 | 297 | 15 | 3,615 | 28,225 |
| v. | सेवा पश्चात लागत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| vi. | संदत अनुलाभ | (11,036) | (1,754) | (648) | (63) | (6,420) | (19,921) |
| vii. | 31 मार्च, 2011 को दर्शाए गए अनुलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (i)+(ii)+(iii)+(iv)-(v)-(vi) | 1,15,195 | 49,340 | 3,671 | 443 | 35,475 | 2,04,124 |

(ख) व्यय 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता की विवरणी में स्वीकारा गया :

(₹'000 में)

| क्र. | ब्यौरा | अवकाश नकदीकरण | सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा अनुलाभ | सेवानिवृत्ति पश्चात् निपटारा अनुलाभ | दीर्घावधिक सेवा पुरस्कार | कर्मचारी परिवार अनुलाभ योजना |
|------|---|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| i. | सेवा लागत | 11,206 | 2,506 | 179 | 24 | 0.00 |
| ii. | ब्याज लागत | 6,751 | 3,095 | 261 | 32 | 2,598 |
| iii. | बीमांकिक (नफा)/हानि | 18,371 | 5,927 | 297 | 15 | 3,615 |
| iv. | सेवा पश्चात लागत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| v. | आयोजित आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| vi. | कर्मचारियों के पारिश्रमिक तथा अनुलाभों को प्रभारित रकम (अनुसूची-11) | 36,328 | 11,528 | 737 | 71 | 6,213 |

ग) बीमांकिक द्वारा पुष्टि के अनुसार यहाँ कल्पित चिकित्सा मुद्रास्फीति दर में कोई बदलाव नहीं हुई है क्योंकि सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा अनुलाभ योजना मेडिकलेम पॉलिसी के अन्तर्गत आवरित है।

22.2 Disclosures as required under Accounting Standard (AS) 15 (revised 2005) on "Employee Benefits" in respect of Defined benefit obligations are:

(a) Reconciliation of present value of projected benefit obligations :

(₹ in '000)

| Sl. No. | Particulars | Leave Encashment | Post-Retirement Medical Benefit | Post-Retirement Settlement Benefit | Long Term Service Award | Employees' Family Benefit Scheme | Total |
|---------|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|
| i. | Present Value of projected benefit obligation as at 1st April 2010 | 89,903 | 39,566 | 3,582 | 435 | 35,682 | 1,69,168 |
| ii. | Service cost | 11,206 | 2,506 | 179 | 24 | - | 13,915 |
| iii. | Interest cost | 6,751 | 3,095 | 261 | 32 | 2,598 | 12,737 |
| iv. | Actuarial (Gain)/ Losses | 18,371 | 5,927 | 297 | 15 | 3,615 | 28,225 |
| v. | Post Service cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| vi. | Benefit paid | (11,036) | (1,754) | (648) | (63) | (6,420) | (19,921) |
| vii. | Present value of projected benefit obligation as on 31st March 2011. (i)+(ii)+(iii)+(iv)-(v)-(vi) | 1,15,195 | 49,340 | 3,671 | 443 | 35,475 | 2,04,124 |

(b) Expenses recognized in the statement of Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2011.

(₹ in '000)

| Sl. No. | Particulars | Leave Encashment | Post-Retirement Medical Benefit | Post-Retirement Settlement Benefit | Long Term Service Award | Employees' Family Benefit Scheme |
|---------|---|------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| i. | Service cost | 11,206 | 2,506 | 179 | 24 | 0.00 |
| ii. | Interest cost | 6,751 | 3,095 | 261 | 32 | 2,598 |
| iii. | Actuarial (Gain)/Loss | 18,371 | 5,927 | 297 | 15 | 3,615 |
| iv. | Post service cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| v. | Expected return on plan asset | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| vi. | Amount charged to Employees Remuneration and Benefits (Schedule - 11) | 36,328 | 11,528 | 737 | 71 | 6,213 |

(c) There is no change in the assumed medical inflation rate as confirmed by actuary since the post retirement medical benefit scheme is covered by mediclaim Policy.

घ) बीमांकिक की पूर्वधारणा

| | | |
|------|--|--|
| क्र | वर्णन | 31 मार्च, 2011 को |
| i. | छूट दर | 8.00% |
| ii. | वेतन तथा मजदूरी में वृद्धि की दर | 5.00% |
| iii. | मृत्यु दर तथा प्रत्याहरण | भारतीय जीवन का निश्चित मृत्यु दर (1994-96) अंतिम |
| iv. | मुद्रास्फीति, वरिष्ठता पदोन्नति तथा अन्य संबंधित पहलुओं को लेकर भविष्य के वेतन की वृद्धि का प्राक्कलन बीमांकिक मूल्यांकन में माना गया। | |

23. प्रति अंश उपार्जन को निम्नानुसार संगणना की गयी है :

| | <u>2010-2011</u> | <u>2009-2010</u> |
|--|------------------|------------------|
| (क) करोपरंत लाभ (₹ '000) | 11,970 | 41,818 |
| (ख) अंशों की संख्या | 20,000 | 20,000 |
| (ग) करोपरंत लाभ पर प्रति अंश उपार्जन (फलक मूल्य ₹ 1000/- प्रति अंश) - मौलिक/तनूकृत) | 598.47 | 2,090.86 |

24. पुष्टीकरण/समाधान तथा पारिणामिक समायोजन, यदि कोई हो, के रहते हुए वसूलीयोग्य तथा अग्रिमों के तहत् देनदारों, लेनदारों, दावाओं के अन्तर्गत दर्शाया गया अधिशेष अधिशेषों में समाहित है।
25. आयकर के लिए लेखा नीति क्र. 13 के अनुसार प्रावधान बनाया गया है। प्रावधान एवं वास्तविक भुगतान के अंतर को भुगतान/निर्धारण वर्ष में समायोजित किया जाएगा।
26. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441-ए के अन्तर्गत भुगतये उपकर हेतु कंपनी ने प्रावधान नहीं बनाया है, चूँकि लागू होने की तिथि तथा अनुप्रयुक्त किए जाने वाले निश्चित दर से संबंधित अधिसूचना की जानकारी अबतक नहीं है।
27. गत वर्ष के अंकों को चालू वर्ष के साथ तुलनात्मक बनाने हेतु पुनःसमुहीकृत तथा पुनर्दर्शित किया गया।
28. ऑकड़ों को हजार रुपयों में गिना गया।

सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

वास्ते **राजेन्द्र प्रसाद**

सनदी लेखापाल

राहुल खण्डेलवाल

साझेदार

सदस्यता क्र. 079628

फर्म पंजीकरण क्र. 000203C

स्थान : भिलाई

तिथि : 02.07.2011

ए. पी. शर्मा

कंपनी सचिव

के. मुरलीधरन

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

बी. बी सिंह

निदेशक

एन्टोनी चाको

प्रबंध निदेशक

(d) Assumption considered by Actuary

| Sl. No. | Description | As at 31st March, 2011 |
|---------|---|---|
| i. | Discount Rate | 8.00% |
| ii. | Rate of Escalation in Salaries & Wages | 5.00% |
| iii. | Mortality and withdrawal | Indian Assured Lives Mortality (1994-96) ultimate |
| iv. | The estimate of future salary increase is considered in actuarial valuation taking account of inflation, seniority promotion and other relevant factors | |

23. Earning per share has been computed as under :

| | <u>2010-11</u> | <u>2009-10</u> |
|---|----------------|----------------|
| (a) Profit after Tax (₹ '000) | 11,970 | 41,818 |
| (b) No. of Shares | 20,000 | 20,000 |
| (c) Earnings per Share on profit after tax (in ₹) (face value ₹ 1,000/- per share) – Basic/Diluted | 598.47 | 2,090.86 |

24. Balances shown under creditors, debtors, claims under recoverable and advances include balances subject to confirmation/reconciliation and consequential adjustment if any.

25. The provision for income tax has been made as per accounting policy no. 13. Difference between the provision and actual payment will be adjusted in the year of payment/assessment.

26. The Company has not made provision for Cess payable under section 441A of the Companies Act, 1956 as the notification as regards the date of applicability and the exact rate to be applied has not yet come to notice.

27. Previous year figures have been re-grouped and re-stated wherever necessary to make them comparable with those of current year.

28. The figures have been rounded off to rupees in thousand.

As per our report of even date.

For **RAJENDRA PRASAD**

CHARTERED ACCOUNTANTS

RAHUL KHANDELWAL
Partner

Membership No. 079628

Firm Regn. No.000203C

Place : Bhilai

Date : 02.07.2011

A. P. SHARMA
Company Secretary

K. MURALIDHARAN
Chief General Manager
(F&A)

B. B. SINGH
Director

ANTONY CHACKO
Managing Director

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
नकदी प्रवाह विवरणी

| वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी | 2010-2011 | 2009-2010 |
|--|-----------------|------------|
| | ₹'000 | ₹'000 |
| क. प्रचालन कार्य-कलापों से नकदी प्रवाह | | |
| कराघन के पूर्व शुद्ध लाभ तथा असाधारण मर्दे समायोजन हेतु : | 17,801 | 57,599 |
| अवक्षयण | 1,15,458 | 1,42,239 |
| आयकर वापसी पर ब्याज | (6,222) | — |
| स्थायी आस्तियों के विक्रय से आय | (633) | — |
| स्थायी आस्तियों के कुल हानि पर घाटा ब्याज आय | 258 | — |
| | (52,900) | (76,502) |
| कामकाज पुंजी परिवर्तनों के पूर्व प्रचालन लाभ | 73,762 | 1,23,336 |
| समायोजन हेतु : | | |
| सुरक्षित ऋणों में कमी | (15,322) | (63,006) |
| विविध ऋणियों में कमी | 79,138 | (41,011) |
| इस्पात संयंत्र के पास सुरक्षा जमा में वृद्धि | (8,542) | 3,013 |
| वस्तु सूचियों में कमी | 14,977 | 1,891 |
| ऋणों तथा अग्रिमों में कमी | 37,625 | (18,067) |
| विविध लेनदारों में वृद्धि | (61,177) | 61,500 |
| अन्य वर्तमान दायित्वों में वृद्धि | 57,428 | 16,896 |
| प्रावधानों में वृद्धि | (68,587) | 99,416 |
| प्रचालनों से जनित नकदी | 1,09,302 | 1,83,968 |
| आयकर/लभांश कर/तटस्थ अनुलाभ कर तथा आयकर वापसी पर ब्याज | (10,198) | (45,740) |
| प्रचालन कार्य-कलापों से शुद्ध नकद | 99,104 | 1,38,228 |
| ख. निवेश कार्य-कलापों से नकदी प्रवाह | | |
| स्थायी आस्तियों का क्रय | (77,336) | (1,01,461) |
| स्थायी आस्तियाँ समायोजित/विक्रित/त्यक्तित | 24,557 | 53 |
| विक्रय/समायोजन/लोप के परिप्रेक्ष्य में अवमूल्यन का समायोजन- | (23,096) | — |
| स्थायी आस्तियों के विक्रय से लाभ | 633 | — |
| स्थायी आस्तियों के कुल हानि पर घाटा | (258) | — |
| ब्याज आय | 52,900 | 76,502 |
| कार्यानुगत् पुंजी में कमी | 17,276 | (23,989) |
| निवेश कार्य-कलापों से शुद्ध नकदी | (5,324) | (48,895) |
| ग. वित्तीय कार्य-कलापों से नकद प्रवाह | | |
| भुगतेय लभांश | (4,000) | (8,637) |
| वित्तीय कार्य-कलापों से शुद्ध नकद | (4,000) | (8,637) |
| नकद तथा समतुल्य नकदी में शुद्ध वृद्धि (क+ख+ग) | 89,780 | 80,695 |
| नकद तथा समतुल्य नकदी (आरंभिक) | 8,39,386 | 7,58,691 |
| नकद तथा समतुल्य नकदी (अंतिम) | 9,29,166 | 8,39,386 |

सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार ।

वास्ते राजेन्द्र प्रसाद
सनदी लेखापाल

राहुल खण्डेलवाल
साझादार

सदस्यता क्र. 079628
फर्म पंजीकरण क्र. 000203C
स्थान : भिलाई
तिथि : 02.07.2011

ए. पी. शर्मा
कंपनी सचिव

के. मुरलीधरन
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

बी. बी सिंह
निदेशक

एन्टोनी चाको
प्रबंध निदेशक

FERRO SCRAP NIGAM LIMITED

Cash Flow Statement

| Cash Flow Statement for the year | 2010-2011 | 2009-2010 |
|--|-----------------|-----------------|
| | ₹ '000 | ₹ '000 |
| A. Cash flow from Operating Activities | | |
| Net profit before taxation and extraordinary items | 17,801 | 57,599 |
| Adjustment for : | | |
| Depreciation | 1,15,458 | 1,42,239 |
| Interest on Income tax refund | (6,222) | — |
| Income from sale of Fixed Assets | (633) | — |
| Loss on Write off Fixed Assets | 258 | — |
| Interest income | (52,900) | (76,502) |
| Operating profit before working capital changes | 73,762 | 1,23,336 |
| Adjustment for : | | |
| Decrease in secured loans | (15,322) | (63,006) |
| Decrease in sundry debtors | 79,138 | (41,011) |
| Increase in Security Deposit with Steel Plant | (8,542) | 3,013 |
| Decrease in inventories | 14,977 | 1,891 |
| Decrease in loans and advances | 37,625 | (18,067) |
| Increase in sundry creditors | (61,177) | 61,500 |
| Increase in other current liabilities | 57,428 | 16,896 |
| Increase in provisions | (68,587) | 99,416 |
| Cash generated from operations | 1,09,302 | 1,83,968 |
| Income Tax/Dividend Tax/Fringe Benefit Tax and Interest on Income Tax Refund | (10,198) | (45,740) |
| Net Cash from Operating Activities | 99,104 | 1,38,228 |
| B. Cash flow from Investing Activities | | |
| Purchase of fixed assets | (77,336) | (1,01,461) |
| Fixed Assets Adjusted/Sold/Discarded | 24,557 | 53 |
| Adj.of depreciation on a/c of sale/adjustment/deletion | (23,096) | — |
| Income from sale of Fixed Assets | 633 | — |
| Loss on Write off Fixed Assets | (258) | — |
| Interest income | 52,900 | 76,502 |
| Decrease in Capital Work In Progress | 17,276 | (23,989) |
| Net Cash from Investing Activities | (5,324) | (48,895) |
| C. Cash flow from Financing Activities | | |
| Dividend payable | (4,000) | (8,637) |
| Net Cash from Financing Activities | (4,000) | (8,637) |
| Net increase in Cash and Cash Equivalents (A+B+C) | 89,780 | 80,695 |
| Cash & Cash Equivalents (Opening) | 8,39,386 | 7,58,691 |
| Cash & Cash Equivalents (Closing) | 9,29,166 | 8,39,386 |

As per our report of even date.

For **RAJENDRA PRASAD**

CHARTERED ACCOUNTANTS

RAHUL KHANDELWAL
Partner

Membership No. 079628

Firm Regn. No.000203C

Place : Bhilai

Date : 02.07.2011

A. P. SHARMA
Company Secretary

K. MURALIDHARAN
Chief General Manager
(F&A)

B. B. SINGH
Director

ANTONY CHACKO
Managing Director



फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड
FERRO SCRAP NIGAM LIMITED

तुलन-पत्र सार तथा कंपनी के सामान्य कारोबार की रूपरेखा

Balance Sheet Abstract and Company's General Business Profile

I. पंजीयन विवरण :

Registration Details :

पंजीयन क.

Registration No.

1 0 0 5 4 6 8

राज्य कोड

State Code

1 0

तुलन-पत्र तिथि

Balance Sheet Date

3 1 0 3 2 0 1 1

II. वर्ष के दौरान उत्पन्न पूंजी (रकम हजार रु. में)

Capital raised during the year (Amount in ₹ Thousand)

सार्वजनिक निर्गमन

Public Issue

शू ं य

N I L

अधिकारिक निर्गमन

Right Issue

शू ं य

N I L

बोनस निर्गमन

Bonus Issue

शू ं य

N I L

निजी स्थानन

Private Placement

शू ं य

N I L

III. निधियों को जुटाने तथा अभिनियोजन की स्थिति (रकम हजार रु. में)

Position of Mobilisation and Deployment of funds (Amount in ₹ Thousand)

कुल दायित्व

Total Liabilities

1 3 7 4 0 6 2

कुल आस्तियाँ

Total Assets

1 3 7 4 0 6 2

निधियों का स्रोत

SOURCES OF FUNDS

प्रदत्त पूंजी

Paid Up Capital

2 0 0 0 0

शू ं य

प्रतिभूत ऋण

Secured Loans

N I L

आरक्षित एवं अधिशेष

Reserves and Surplus

1 3 5 4 0 6 2

शू ं य

अप्रतिभूत ऋण

Unsecured Loans

N I L

निधि का उपयोगन

APPLICATION OF FUNDS

शुद्ध स्थायी आस्तियाँ

Net Fixed Assets

5 4 4 0 4 7

विनिवेश

Investment

शू ं य

N I L

शुद्ध वर्तमान आस्तियाँ

Net Current Assets

7 7 8 9 2 5

विविध व्यय

Misc. Expenditure

0 0 0 0

संचित घाटा

Accumulated Losses

शू ं य

N I L

आस्थगित कर आस्तिया (शुद्ध)

Deferred Tax Assets (Net)

1 2 6 3 5

IV. कंपनी का निष्पादन (रकम हजार रु. में)

Performance of Company (Amount in ₹ Thousand)

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| आवर्तन Turnover | 1 6 8 5 3 2 0 | कुल व्यय Total Expenditure | 1 6 6 9 0 4 2 |
| कर पूर्व लाभ/हानि Profit/Loss Before Tax | 1 7 8 0 1 | करोपरांत लाभ/हानि Profit/Loss After Tax | 1 1 9 7 1 |
| प्रति अंश उपार्जन (रु.) Earning Per Share (₹) | 5 9 8 | लाभांश दर (%) Dividend Rate (%) | 2 0 |

V. कंपनी के तीन मुख्य उत्पादों/कार्यों का वर्गीकृत नाम (आर्थिक शर्तों के अनुसार)

Generic names of three principal Products / Services of Company (as per monetary terms)

| | |
|-------------------------------------|--------|
| मद कोड क. Item Code No. | शू ँ य |
| (आई.टी.सी.कोड) (ITC Code) | N I L |
| उत्पाद विवरण Product Description | शू ँ य |
| मद कोड क. Item Code No. | N I L |
| (आई.टी.सी.कोड) (ITC Code) | N I L |
| उत्पाद विवरण Product Description | शू ँ य |
| मद कोड क. Item Code No. | N I L |
| (आई.टी.सी.कोड) (ITC Code) | N I L |
| उत्पाद विवरण Product Description | शू ँ य |
| मद कोड क. Item Code No. | N I L |
| (आई.टी.सी.कोड) (ITC Code) | N I L |
| उत्पाद विवरण Product Description | शू ँ य |
| मद कोड क. Item Code No. | N I L |
| (आई.टी.सी.कोड) (ITC Code) | N I L |
| उत्पाद विवरण Product Description | शू ँ य |
| मद कोड क. Item Code No. | N I L |
| (आई.टी.सी.कोड) (ITC Code) | N I L |
| उत्पाद विवरण Product Description | शू ँ य |

वास्ते राजेन्द्र प्रसाद
For **RAJENDRA PRASAD**
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

राहुल खण्डेलवाल
RAHUL KHANDELWAL

साझेदार
Partner
सदस्यता क्र . 079628
Membership No. 079628
फर्म पंजीकरण क्र. 000203C
Firm Regn. No.000203C
स्थान/Place : भिलाई/Bhilai
तिथि/Date : 02.07.2011

ए. पी. शर्मा
A.P.SHARMA
कंपनी सचिव
Company Secretary

के. मुरलीधरन
K.MURALIDHARAN
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
Chief General Manager (F&A)

बी. बी सिंह
B B SINGH
निदेशक
Director
एन्टोनी चाको
ANTONY CHACKO
प्रबंध निदेशक
Managing Director

पंजीकृत एवं मुख्य कार्यालय

225 सी, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता - 700 020
दूरभाष : (+91-33) 2990-0964, 2287-7557 / 0568 / 9627
फैक्स : (+91-33) 2287-8547, 2240-4176
ई-मेल : mstcindia@mstcindia.co.in

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय

जीवन विकास बिल्डिंग, पहला तल
30-31 A, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110 002
दूरभाष : (011) 2321-4201, 2321-3945
फैक्स : 011-2321-6713
ई-मेल : mstcnro@mstcindia.co.in

दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय

लीलावती बिल्डिंग (दूसरा तल)
69, आरमिनियन स्ट्रीट, चेन्नई - 600 001
दूरभाष : (044)2521-9004, 2522-2842, 2523-1584
फैक्स : 044-25220091
ई-मेल : mstcsro@msctindia.co.in

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय

225-एफ, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता - 700 020
दूरभाष : (+91-33) 2290-0964, 2287-7557/0568/7716/9627/7568
फैक्स : (+91-33) 2287-4915
ई-मेल : mstccro@mstcindia.co.in

पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय

607-608 रहेजा सेंटर, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400021
दूरभाष : (022)2288-6261
इ-ऑफिसन के जानकारी के लिए : (022) 2202-2096
फैक्स : 022-22845130
ई-मेल : mstcwro@mstcindia.co.in

शाखा कार्यालय समूह

बैंगलुरु
करीम टावर, तीसरा तल
19/5 एंड 19/6, कनिंगहम रोड, बैंगलुरु - 560 052
दूरभाष : (080) 2225-6327, 2226-0054/6417
फैक्स : 080-2225 6367
ई-मेल : mstcblr@mstcindia.co.in

विशाखापत्तनम

जीवन प्रकाश (छठा तल), एलआइसी बिल्डिंग,
जीविथा बीमा रोड, विशाखापत्तनम - 530 004
दूरभाष : (0891) 274-6948, 270-1066
फैक्स : 0891-274-7053
ई-मेल : mstsvzg@mstcindia.co.in

वडोदा

कमलांजलि अपार्टमेंट (दूसरा तल),
टियूब कंपनी के सामने, ओल्ड पडरा रोड,
अकोटा, वडोदा - 390 020
दूरभाष : (0265) 2339 672, 2310 629
फैक्स : 0265-2351 636
ई-मेल : mstcvda@mstcindia.co.in

भोपाल

महाराणा प्रताप नगर, जोन II, भोपाल - 462001
दूरभाष : (0755) 2552241
फैक्स : (0755) 4075720
ई-मेल : pksinha@mstcindia.co.in

त्रिची

क्वाटर नं. के 3/100 एफ टाइप बी के आर सेक्टर
नेहरू नगर, तिरुचिलापल्ली - 620014
दूरभाष : (0481) 252-1009
ई-मेल : natarajan@mstcindia.co.in

Registered & Head Office

225-C, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Kolkata-700 020
Tel : (+91-33) 2990-0964, 2287-7557 / 0568 / 9627
Fax : (+91-33) 2287-8547, 2240-4176
E-mail : mstcindia@mstcindia.co.in

Northern Regional Office (NRO)

Jeevan Vikas Building, 1st Floor
30-31 A, Asaf Ali Road (opp : Hamdard), New Delhi-110 002
Tel : (011) 2321-4201, 2321-3945
Fax : 011-2321-6713
E-mail : mstcnro@mstcindia.co.in

Southern Regional Office (ERO)

Leelavati Building, 2nd Floor
69, Armenian Street, Chennai-600 001
Tel : (044)2521-9004, 2522-2842, 2523-1584
Fax : 044-25220091
E-mail : mstcsro@msctindia.co.in

Eastern Regional Office (ERO)

225-F, A.J.C. Bose Road, 3rd Floor, Kolkata-700 020
Tel : (+91-33) 2290-0964, 2287-7557/0568/7716/9627/7568
Fax : (+91-33) 2287-4915
E-mail : mstccro@mstcindia.co.in

Western Regional Office (WRO)

607-608 Rajeja Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021
Tel : (022)2288-6261
For e-Auction Registration Enquiry : (022) 2202-2096
Fax : 022-22845130
E-mail : mstcwro@mstcindia.co.in

Branch Offices :

Bangaluru

Kareem Tower, 3rd Floor
19/5 & 19/6, Cunningham Road
Bangalore-560 052
Tel : (080) 2225-6327, 2226-0054/6417
Fax : 080-2225 6367
Email : mstcblr@mstcindia.co.in

Visakhapatnam

6th Floor "Jeevan Prakash" LIC Building
Jeevitha Bima Road, Visakhapatnam-530 004
Tel : (0891) 274-6948, 270-1066
Fax : 0891-274-7053
E-mail : mstsvzg@mstcindia.co.in

Vadodara

21, Kamalanjali Apartment, 2nd Floor
Opp. Tube Company, Old Padra Road, Akota
Vadodara-390 020
Tel : (0265) 2339 672, 2310 629
Fax : 0265-2351 636
E-mail : mstcvda@mstcindia.co.in

Bhopal

16-11, Maharana Pratap Nagar, Zone II, Bhopal-462001
Tel : (0755) 2552241
Fax : (0755) 4075720
E-mail : pksinha@mstcindia.co.in

Trichy

Quarter No. K3/100F
Type 'B' KR Sector, Nehru Nagar, Tiruchirappally-620014
Tel : (0481) 252-1009
E-mail : natarajan@mstcindia.co.in

Scan the QR code to log on to



www.mstcindia.co.in



www.mstcecommerce.com



दशक : एक दृष्टि में | Decade at a Glance

रु. करोड़ में | Rs. in Crores

| बर्ष Year | व्यवसाय की मात्रा Volume of Business | करपूर्व लाभ (पीवीटी) Profit Before Tax (PBT) | करोत्तर लाभ (पीएटी) Profit After Tax (PAT) | प्रदत्त लाभांश Dividend paid | नेट वर्थ Net worth | प्रति कर्मचारी करपूर्व लाभ PBT per employee |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|---|
| 2001-02 | 1034.00 | 7.15 | 4.54 | 0.92 | 59.53 | 0.0251 |
| 2002-03 | 2669.00 | 16.73 | 9.04 | 1.82 | 68.72 | 0.0583 |
| 2003-04 | 4182.00 | 33.69 | 18.74 | 3.76 | 83.22 | 0.1212 |
| 2004-05 | 6481.00 | 64.77 | 38.30 | 7.68 | 112.77 | 0.2226 |
| 2005-06 | 7784.00 | 85.70 | 54.68 | 10.96 | 154.96 | 0.3361 |
| 2006-07 | 7730.00 | 90.87 | 59.00 | 11.88 | 200.06 | 0.3709 |
| 2007-08 | 11924 | 134.47 | 92.20 | 18.48 | 270.65 | 0.4605 |
| 2008-09 | 19628 | 129.53 | 85.05 | 17.05 | 342.37 | 0.4099 |
| 2009-10 | 12738 | 135.99 | 86.10 | 17.22 | 408.45 | 0.4372 |
| 2010-11 | 14101 | 149.40 | 99.16 | 2.20 | 505.20 | 0.4728 |